Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ३०वां दिवस [संख्या ३०

शुक्रवार, दिनांक २४ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विकास, शिक्षा, पंचायत, समाज कल्याण, कृषि, गृह, सहकारी, सामान्य प्रशासन, उद्योग, यातायात व न्याय-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामचन्द्र।

झालरापाटन ब्लॉक में पॉल्ट्री के विकास हेतु खरीदे गये मुर्गे व मुर्गियां

५२१. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या झालावाड़ जिले के झालरा-पाटन ब्लॉक में पॉल्ट्री विकास के लिये मुर्गे-मुर्गी खरीदे गये थे ? यदि हां; तो किस वर्ष कितने जोड़े और कितनी कीमत के कहां से खरीदे गये थे ?

(२) ये मुर्गे-मुर्गी कहां रखे गये थे और इनसे पैदा होने वाले अण्डे तथा बच्चों का हिसाब क्या सालवार रखा गया था ? विगत सालवार संख्या बताने की कृपा करें।

(३) ये मुर्गे-मुर्गी अब कहां हैं और कितने कितने हैं ?

(४) इस समय किन किन ब्लॉक्स में पॉल्ट्री विकास का कार्य जारी है और कितने कितने कहां कहां हैं ?

उप-मंत्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ये मुर्गे-मुर्गी अनुदान स्कीम के अन्तर्गत गांव वालों को दिये गये थे। अतः उनके द्वारा होने वाले अण्डों तथा बच्चों

Page No.2

(श्री रामचन्द्र)

का हिसाब रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) पॉल्ट्री विकास कार्य की स्कीम लगभग सभी विकास खण्डों में चालू है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री रामचन्द्र : कौन कौन से गांवों में और किस किस को दिये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामचन्द्र : क्या इन मुर्गे-मुर्गियों को बांटने के बाद सरकार ने कभी इन्सपेक्शन भी किया या नहीं और किया तो कितनी बार और कब कब ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो एक्सटेन्शन ऑफिसर का काम है और उन्हीं का कर्त्तव्य है कि जाकर देखे और मेरा ख्याल है, उन्होंने जानकारी ली होगी ।

श्री रामचन्द्र : यही तो मैं जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने इन्सपेक्शन किया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने इस हिसाब से प्रश्न पूछा नहीं, इसलिये जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री रामचन्द्र : मैंने यह पूछा कि कितने जोड़े दिये गये, उसका उत्तर अभी नहीं मिला है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूची में है । सब ने जोड़े नहीं लिये हैं । किसी के पास मुर्गा था तो उसने मुर्गी ली और किसी के पास मुर्गी थी तो मुर्गा लिया होगा ।

श्री रामचन्द्र : यह बताया जावे कि कौन से साल में कितने कितने दिये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई :

१९५८—५९ में ८१

१९५९—६० में ५७

१९६०—६१ में १८९

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ये जो जोड़े दिये उनसे कोई रुपये वसूल किये गये या फ्री दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, जवाब दिलाया जावे ।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री से पूछ रहे हैं या माननीय सदस्य से पूछ रहे हैं ?

नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

श्री रामचन्द्र : यह भी बताने की कृपा करें कि मुर्गा—मुर्गी सीधे खरीद कर उनको दिये गये या कुछ समय तक ब्लॉक में रहे और बाद में उनको दिये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गांववालों को दिये गये।

श्री रामचन्द्र : क्या आपने जल्दी दे दिये या देर से दिये ? दो, चार साल उनको ब्लॉक में रख कर दिये या सीधे ही दे दिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो, चार वर्षों में तो वे बुड्ढे हो जावेंगे। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका प्रश्न आया उससे पहले दिये गये।

श्री रामचन्द्र : क्या माननीय मंत्री पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ब्लॉक में सब जगह दे दिये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है कि ब्लॉक में एक-दो जगह नहीं दिये गये हों बाकी सब जगह।

हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों हेतु प्रस्तुत रिप्रेजेन्टेशन्स पर कार्यवाही

५२२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) वित्तीय वर्ष १९५७-६१ तक हाई स्कूल्स तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों के प्रधा-नाध्यापकों के लिए किस योग्यता के आधार पर किस प्रकार से सिलेक्शन किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सलेक्शन के विरुद्ध काफी रिप्रेजेन्टेशन्स हुए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) वित्तीय वर्ष १९५७ से १९६१ के अर्से में सन् १९५७ व सन् १९५८ में हाइ तथा हायर सेकन्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिये चुनाव किये गये। इन चुनावों के लिए सन् १९५७ व १९५८ में जो योग्यतायें निर्धारित की गई थीं वे निम्न प्रकार से थीं:—

हैडमास्टर, हायर सेकण्डरी स्कूल

सन् १९५७ व १९५८

द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास व ट्रेन्ड मय ५ वर्ष का हाई स्कूल या हायर सेकण्डरी कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव, जिसमें उप-निरीक्षक अथवा मिडिल स्कूलों के हैडमास्टर का अनुभव भी सम्मिलित था।

या

तृतीय श्रेणी में एम. ए. पास व ट्रेन्ड मय ७ साल का हाई स्कूल या हायर सेकण्डरी कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव जिसमें उप-निरीक्षक अथवा मिडिल स्कूलों के हैडमास्टर का अनुभव भी सम्मिलित था।

या

अप्रशिक्षित एम. ए. मय पांच साल हाई स्कूल के हैड मास्टर के पद का अनुभव।

(श्री पूनमचन्द)

हैडमास्टर, हाई स्कूल
सन् १९५७

ट्रेन्ड ग्रेजुएट अथवा अनट्रेन्ड एम. ए. मय तीन साल हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव या ५ साल मिडल स्कूल के हैडमास्टर के पद का अनुभव।

सन् १९५९

ट्रेन्ड ग्रेजुएट या एम. ए. मय ५ साल हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव या मिडल स्कूल के हैडमास्टर के पद का ५ साल का अनुभव तथा २ साल का हाई स्कूल कक्षाओं का अध्यापन का अनुभव या ४ साल मिडल कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव जो ५ साल मिडिल स्कूल के हैडमास्टर के अनुभव के अलावा होना चाहिये।

जो अध्यापक उपरोक्त योग्यता को पूरा करते थे उन सब का एक सिलेक्शन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया गया व जो अध्यापक इन पदों के लिए उपयुक्त पाये गये उनका चुनाव किया गया। चुनाव करते समय योग्यता के अलावा निम्न बातों का भी ध्यान रखा गया है:—

(१) सर्विस रेकॉर्ड, गुप्त प्रतिवेदन पत्र, परीक्षा फल,

(२) एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टीविटीज़,

(३) पर्सोनेलिटी एन्ड केरेक्टर,

(४) एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी, टेक्ट, एनर्जी, लीडरशिप और सीनियोरिटी।

(५) जनरल डिपार्टमेंटल नॉलेज,

(६) एकेडेमिक एवर्शन।

(ख) सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुने हुये व्यक्तियों की सूची पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति (कॉन्करेन्स)लेकर फाइनल की गई।

सन् १९५९ के चुनाव के विरोध में कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं हुआ। सन् १९५७ के चुनाव के विरुद्ध कुछ रिप्रेजेन्टेशन्स हुए थे लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं था। इसके उपरान्त पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव होने पश्चात् उसके विरुद्ध कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह: सन् ५९ और ५७ में क्वालिफिकेशन्स गवर्नमेंट ने 'प्रेस्क्राइब' की थीं उसमें अन्तर रखा गया, वह क्यों?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: विभाग की स्थिति को देखते हुए। अधिक योग्यता वाले उपलब्ध हो सकते थे इसलिए क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब की गई।

श्री भैरोंसिंह: ५७ में जो क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब की थीं वे ज्यादा अच्छी थीं बनिस्बत ५९ के। यह अन्तर कैसे रखा गया?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: अच्छी कैसे कहते हैं? ५७ में जहां ट्रेन्ड ग्रेजुएट और अन ट्रेन्ड एम. ए. रखी थी वहां ५९ में ट्रेन्ड ग्रेजुएट और ट्रेन्ड एम. एम. रखी गई। ये अच्छी ज्यादा हैं और इनके मुताबिक मुख्य अध्यापक हों तो शिक्षा—स्तर बढ़ता है।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने अन्य क्वालिफिकेशन्स प्रेस्काइब की हैं उनकी सूचना क्या सिलेक्शन बोर्ड को दे दी थी जिन्होंने उनका चयन किया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : अन्य प्रकार की क्वालिफिकेशन्स जो आपने प्रेस्काइब की थीं वे सर्विस रेकॉर्ड में अंकित थीं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रार्थना—पत्र भेजने वालों पर यह अनिवार्य था कि वे सब क्वालिफिकेशन्स पूरी करते हैं या नहीं और जब बैठते हैं तो सारी चीजों को देखा जाता है । यदि कम क्वालिफिकेशन्स वालों का चयन हो गया हो तो बता दें ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो मैं बाद में बताऊंगा । तो कोई आदमी ऐसा नहीं था कि जिसकी क्वालिफिकेशन्स के अनुसार चयन नहीं हो सकता था; अन्य क्वालिफिकेशन्स का आधार सर्विस रेकॉर्ड था या डिस्क्रीशन ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिस्क्रेशन का प्रश्न नहीं है । फैक्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट के पास फैक्ट्स हैं और वे उपलब्ध हों तो उसमें डिस्क्रीशन का आधार हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ आधार था या डिपार्टमेंट की सर्विस थी वह रेकॉर्ड पर थी या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जिसके आधार पर चयन किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : या तो गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर, क्वालिफिकेशन्स पूरी न करते हों और चयन हो गया तो वह कोई ऐसा केस हो तो मेरे सामने लावें, मैं जानकारी करूंगा । सर्विस रेकॉर्ड पूरा न हो और तीन, चार, पांच साल पूरा कर लिया हो और उस सर्विस रेकॉर्ड में उसकी एन्टरी न हुई हो तो विभागाध्यक्ष वहां बैठते हैं और उसकी सूचना वे दे सकते हैं, वह बात हो तो सामने लाइये ।

श्री भैरोंसिंह: मेरा यह क्वेश्चन नहीं है, सीधा है, आपने अन्य प्रकार की क्वालिफिकेशन्स के बारे में उल्लेख किया है उनका कन्सीडरेशन का आधार होना चाहिये था । वह सर्विस रेकॉर्ड के अन्दर होना चाहिये था या और कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर चयन किया गया ?

श्री अध्यक्ष : जो क्वालिफिकेशन्स मुकर्रर कीं, केन्डीडेट्स के पास भेजी होंगी । यदि वे उनमें फिट हों तब ही तो उन्होंने एप्लाई किया होगा ।

एक माननीय सदस्य : सब्स्टेन्टिव रिप्रेजेन्टेशन हो सकता है कि मैं ये क्वालिफिकेशन्स कवर करता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : वे क्वालिफिकेशन्स थी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट होना चाहिये या एम. ए. फर्स्ट क्लास, सेकन्ड क्लास होना चाहिये । लेकिन अदर कन्सीडरेशन्स बताये थे उनको जज करने के लिए कौन सा आधार था ? डिपार्टमेंट का कोई आधार था सर्विस रेकॉर्ड के द्वारा या उनकी इन्फॉर्मेशन थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है कि वह इन्फॉर्मेशन सर्विस रेकॉर्ड के अन्दर

Page No.6

(पूनमचन्द बिश्नोई)

पूरी न हो क्योंकि अधिक ट्रान्सफर्स हुए तो सर्विस रेकॉर्ड पूरा भरा नहीं गया होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपने इसमें लिखा है कि 'योग्यता के अलावा निम्न बातों का भी ध्यान रखा गया है।" उसके बारे में किसी प्रकार का प्रूफ चाहे केन्डीडेट ने दिया हो या विभागाध्यक्ष ने। माननीय सदस्य का पूछने का मतलब यह है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कमेटी को सेटिस्फाई कर दें। आपका मतलब यह हो कि सकता है जो प्रूफ हो वह फैक्ट न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : What was the criteria before the Selection Committee with regard to the knowledge of the Department ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पांच, छः बातें नीचे लिखी हुई हैं। उनका एक्सपीरियेन्स, एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टिविटीज़ आदि । हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट वहां बैठते हैं । बहुत सी चीजें तो सी. आर. भरी जाती हैं उनमें जो खाने (columns) होते हैं, उनमें वे दर्ज होती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सिम्पल है । अन्य बातें निर्धारित कीं तो उनके लिए सर्विस रेकॉर्ड ही आधार था या और कुछ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत सी बातें सर्विस रेकॉर्ड में दर्ज होती हैं और दूसरी बातें सर्विस रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टिविटीज़ आदि बातें होती हैं; तो उनके लिए हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट जानते हैं जो कि वे वहां बैठते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सर्विस रेकॉर्ड में शामिल नहीं की जाती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये बातें ऐसी है....

श्री भैरोंसिंह : Only the question of personality and nothing more that that.

श्री अध्यक्ष : एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स तो इसमें हैं लेकिन इन्टव्यु आदि में यह देखा जाता है कि इसका एकेडेमिक एप्रोच आदि कैसा है ।

श्री भैरोंसिंह : रेकॉर्ड तो नहीं है ना । कई ऐसे अध्यापक भी हो सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन होते हुए भी एक्सपीरियन्स आदि के बारे में उनकी सर्विस बुक में उल्लेख न हो तो मेरा यह पूछना है कि केवल सर्विस रेकॉर्ड को ही बेसिस माना है या और कुछ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने आप से निवेदन कर दिया । इस पर भी आप किसी इन्डिविजुअल के बारे में बता सकते हैं; हो सकता है किसी के सर्विस रेकॉर्ड में किसी चीज का उल्लेख नहीं हुआ हो और वह सिलेक्शन से रह गया हो, मैं उसके बारे में जानकारी कर सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन यह है कि अमुक अध्यापक क्वालिफिकेशन के लिहाज

(श्री भैरोंसिंह)

सेअच्छा है लेकिन एक्सपीरियेन्स के लिए कह दिया जाय कि इसको एक्सपीरियन्स अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार का डिस्क्रिशन तो सिलेक्शन बोर्ड को रहता है।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्शन बोर्ड के सामने तो वे ही फैक्ट्स आये होंगे जो सरकार ने उनके सामने रखे और यह भी हो सकता है कि जिन लोगों को सिलेक्शन में न लाना हो उनके रेकॉर्ड न भेजे हों ?

श्री अध्यक्ष : रेकॉर्ड अगर नहीं भेजे हैं तो यह गंभीर चीज है; सब रेकॉर्ड आने के बाद ही सिलेक्शन होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट का डिसीज़न है उसके अनुसार सर्विस रेकॉर्ड जाने चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इतने अध्यापक हैं जिनकी संख्या को देखते हुए यह कहना मुमकिन नहीं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कोई केस आपके ध्यान में हो जिसके बारे में ज्यादती हुई हो, वह बता दीजिये; उसकी जानकारी की जावेगी। इसके अलावा जहां तक सिलेक्शन बोर्ड का ताल्लुक है वह केवल रेकॉर्ड के आधार पर ही सिलेक्शन करते हों; यह बात नहीं। अगर कागजों के आधार पर ही किसी का सिलेक्शन होता हो तो वह तो मेथेमेटिकल केलकुलेशन के आधार पर होता हो तो हमारे यहां के बाबू भी उसको कर सकते हैं। उसके लिए फिर सिलेक्शन बोर्ड की क्या आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायतों के लेखकों (सचिवों) को प्रशिक्षण

५२३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कुल कितने पंचायत सचिव हैं ?

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी भी पंचायत लेखक का काम कर सकता है ?

(ग) क्या पंचायतों में काम करने वाले लेखकों (सचिवों) को ट्रेनिंग दी जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो यह ट्रेनिंग किसलिये दी जा रही है ?

(ङ) इस ट्रेनिंग पर सरकार का खर्चा होता है या ट्रेनीज़ का ?

(च) इस ट्रेनिंग के बाद क्या इनसे भी कोई बोन्ड भराया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

(छ) क्या सरकार इनको अपनी सर्विस में मानने के लिए विचार कर रही है ?

उप मंत्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई): (क) चूंकि हाल ही में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है एवं कई नई पंचायतें स्थापित हुई हैं व कई नई पंचायतों के सचिवों

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को सेवा में रखने की कार्यवाही जारी है; अत यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसे व्यक्तियों को जो पंचायत में सचिव का कार्य करते हैं ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि पंचायत को प्रशिक्षित सचिव मिलें और उनका कार्य सुचारू रुप से चल सके।

(ङ) इस ट्रेनिंग पर सरकार का खर्चा होता है।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : बाद के दो भागों का आपने जबाब "जी नहीं" में दिया, तो क्या इस प्रकार से जिन पंचायतों में वे सचिव रहेंगे यह पंचायतों पर होगा कि वे चाहें तो उनको निकाल दें या रखें, वैसी हालत में सरकार का क्या फर्ज रहेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके बारे में हम पंचायतों को कैसे बाउन्ड कर सकते हैं कि आपको रखना ही होगा ? How can we bind them ?

श्री रामकरणसिंह : सरकार उन पर खर्च कर रही है, उसके बाद में पंचायतों की इच्छा पर छोड़ देना कि वे रखे या न रखे, यह कहां तक उचित है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे ही सिलेक्ट करते हैं। पंचायतों को विश्वास होता है उन्हीं को वे रखते हैं अगर उनको बाइन्ड डाउन किया जाता है तो यह कानून के लिहाज से भी ठीक नहीं होगा।

श्री रामकरणसिंह : लेकिन सरकार का तो इस पर खर्चा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कोई लंबा-चौड़ा खर्चा थोड़े ही है।

श्री रामकरणसिंह : सचिवों को तीन महीने की ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है, तीन महीने तक का खर्चा सरकार बरदाश्त करती है।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव यह है कि उनको बाउन्ड करना चाहिये ?

श्री रामकरणसिंह : मेरा यह निवेदन है कि उनको सर्विस की श्योरिटी दे, नहीं तो पंचायत के भरोसे उनको रहना होता है; वे उनकी राय के बिना कुछ नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : पंचायत जब सिलेक्ट करती है तो यह अधिकार भी उनको है कि वह उसको रखे या निकाले। इसके लिये पंचायत को कैसे बाउन्ड किया जा सकता है ?

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का एक सर्कुलर निकाला गया है जिसके आधार पर ट्रेनिंग के लिये उन्हीं को भेजा गया है जो पहले से क्वालिफाइड हैं, योग्यता के आधार पर इस तरह का जो काम कर सकें उन्हीं को लिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

जयपुर निरीक्षणालय (पूर्व व पश्चिम) की अधीनस्थ महिला अध्यापिकायें

५२४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर निरीक्षणालय (पूर्व व पश्चिम) में कई महिला अध्यापकों को, जो जयपुर शहर के बाहर की स्कूल्स में नियुक्त की हुई हैं, जयपुर शहर में रखा हुआ है तथा बाहर के स्कूल्स के नाम पर वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो किन किन अध्यापिकाओं को किस किस स्कूल से जयपुर शहर में लगा रखा है और क्यों? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि इनमें कई अध्यापिकायें ऐसी भी हैं जो जयपुर पूर्व निरीक्षणालय से तनख्वाह पाती हैं और काम पश्चिम में करती हैं और इस ही प्रकार पश्चिम से पूर्व में? यदि हां, तो कौन कौन, क्यों और किस किस के हुक्म से?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह इसलिये किया गया है कि जयपुर शहर की कन्या शालाओं में कुछ अध्यापिकाओं की कमी थी उसकी पूर्ति के लिये यह प्रबन्ध करना आवश्यक समझा था और जिस स्कूल से एक एक अध्यापिकाय हटाई वहां उससे छात्र व छात्राओं की पढ़ाई में कोई हानि नहीं होती थी।

(ख) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : जयपुर शहर की कन्या पाठशालाओं में इस कमी को पूरा करने के लिये क्या उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां पर वे पोस्ट्स उपलब्ध नहीं थीं। डेपुटेशन पर उसी हालत में लगाया जा सकता है जब कि पोस्ट्स न हों।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार भेजने का इन्सपेक्टोरेट को पॉवर है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार की नियुक्ति जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ है, फिर भी उनको वेतन वगैरह दिलाया गया है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वेतन के लिये जिस जगह नियुक्ति होती है उस जगह पर काम करने का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डेपुटेशन पर लगाया जा सकता है।

Page No.10

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जहां पर इन लोगों को डेपुटेशन पर लगाया गया वहां से ही उनको वेतन दिलाया जा सकता था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कह चुके हैं वहां सैंक्शन्ड पोस्ट्स नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां पर सैंक्शन्ड पोस्ट्स नहीं होती हैं वहां पर डेपुटेशन पर भी नहीं लगाया जा सकता। यह व्यवस्था कितने समय से चल रही है, तनख्वाह कहां लेते हैं और काम कहां करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : But this is a very wrong practice, financially or even otherwise. वहां से पोस्ट्स हटायें और यहां क्रियेट कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not only wrong but malpractice also.

श्री भैरोंसिंह : आपने इस प्रश्न के भाग (२) का जवाब "जी नहीं" में दिया। क्या आपने क्वेश्चन पूछने के दिन से लगाकर आज दिन तक के लिये दिया या पहले से भी यही था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्वेश्चन पूछा है उस दिन से लगा कर आज दिन तक 'ना' है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सचालित पाठशालायें

५२५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में कितनी पाठशालायें संचालित हैं और उन पाठशालाओं के कुल कितने छात्र पढ़ते हैं व कितने अध्यापक हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इनमें कई अध्यापक मिडल पास भी नहीं हैं ?

(ग) क्या सरकार इन पाठशालाओं को शिक्षा विभाग या पंचायत समितियों के अधीन करने का विचार रखती है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में बहुत लंबी सूचना चाही गई है जो इतने थोड़े समय में उपलब्ध नहीं हो सकती थी कि कौन कौन सी पाठशाला कहां है। अतः इसको आगे के लिये रख दिया जावे।

कोटपुतली तहसील में बीमारी से फसल को नुकसान

५२६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जयपुर की किस किस पंचायत समिति क्षेत्र से फसल में मोला जैसी बीमारी की रिपोर्ट कब कब आई तथा सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कोटपुतली तहसील में बहुत से ग्रामों में इस बीमारी से गेहूँ और जो के खेत बिल्कुल नष्ट हो गये ?

(श्री रामकरणसिंह)

(ग) उक्त तहसील के किस किस ग्राम में कितनी खेती नष्ट हो चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : जयपुर जिले की पंचायत समिति आमेर, शाहपुरा, कोटपूतली, बैराठ इत्यादि के कुछ खेतों में मोलिया नामक बीमारी गेहूँ व जौ की फसलों में हुई और इसकी रिपोर्ट समय समय पर आती रही थी।

इस सम्बन्ध में राज्य कृषि विभाग तथा केन्द्रीय अनुसन्धान शाला, नई दिल्ली में जानकारी प्राप्त करने हेतु पिछले कुछ वर्षों से अनुसन्धान कार्य चल रहा है। इसकी रोक-थाम का कोई सस्ता एवं पक्का उपाय मालूम नहीं है। अभी केवल फसल परिवर्तन का ही प्रचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां, कुछ ग्रामों में कहीं कहीं जौ, गेहूँ की फसल को हानि हुई है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रामकरणसिंह : तीन गांवों में १६० के करीब व्यक्ति हैं जिनकी खेती नष्ट हुई है। उन गांवों के कुछ लोगों ने बगीचे लगाने के लिये जमीन पंचायत समिति से ले ली है। उस जमीन पर जब गवर्नमेंट हताश हो चुकी है फसल लगाई वह नष्ट हो गई तो बगीचा लगाने से क्या मतलब है?

श्री दौलतराम सारण : बगीचा लगाने में क्या मुसीबत है?

श्री रामकरणसिंह : क्या यह बीमारी गेहूँ और जौ के अलावा किसी में नहीं लगी है?

श्री दौलतराम सारण : गाजर, मूली आदि दो-तीन चीजों में लगी है।

श्री रामकरणसिंह : तो फिर बगीचा लगाने से क्या फायदा है?

श्री दौलतराम सारण : गाजर, मूली बगीचे में नहीं आती हैं।

श्री रामकरणसिंह : गाजर, मूली तक नष्ट हुई हैं तो बगीचा नष्ट होने में क्या देर लग सकती है?

श्री दौलतराम सारण : यह कोई जरूरी नहीं कि उससे बगीचा नष्ट हो जाय।

श्री रामकरणसिंह : इन लोगों ने लोन लिया है वह उन्हीं खेतों पर लोन लिया है?

श्री दौलतराम सारण : अगर अनाज की बीमारी बगीचे में लगने की संभावना हो तो उसके बारे में विभाग से कन्सल्ट किया जा सकता है। टैक्निकल अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी आपका समाधान न हो तो आप डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को एप्रोच कीजिये वे आपको सलाह देंगे।

श्री रामकरणसिंह : जिस जमीन पर गेहूँ और जौ में बीमारी लग जाती है वहां

(श्री रामकरणसिंह)

बगीचा करते हैं, क्या वे बगीचे उनसे सुरक्षित रह सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने इसका उत्तर दे दिया।

श्री रामधन पटेल (दौसा) : गेहूँ में दीमक की बीमारी लग सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

प्रश्न संख्या ५२७

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

ग्राम जसराना (जोधपुर) की चारण महिला का कत्ल

५२८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लगभग कुछ माह पूर्व ग्राम जसराना, तहसील नावां (जोधपुर) की एक चारण महिला का कत्ल कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ? इसका मुकद्दमा कब और किस थाने में रजिस्टर किया गया ?

(२) इसमें किन किन व्यक्तियों का चालान किया गया ? यदि मुकदमे का चालान नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गृह विभाग से संबन्धित है और आज जो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वह स्वास्थ्य मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि गृह मंत्री महोदय जयपुर में रहते हुए सदन में आने से अनुपस्थित रहते हैं तो वैसी हालत में हमारे प्रश्न पोस्टपोन किये जाय। दूसरे, मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने से पूरी इनफॉर्मेशन जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं मिलती है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कोई भी मिनिस्टर किसी का जवाब दे सकता है। उनकी तबियत ठीक नहीं थी इसलिये आज वे आ नहीं सके। हमेशा आते हैं, परसों ही उपस्थित थे।

श्री भैरोंसिंह : आज डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स का विभाग है इसलिये शायद तबियत खराब हो गई हो।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : तबियत खराब है तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट आना चाहिये।

He should send a Medical Certificate to the Hon'ble Speaker.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तबियत खराब है इसलिये नहीं आये हैं। मैं तो फैक्ट्स की सूचना दे रहा हूँ। इससे ज्यादा नहीं दे रहा हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सप्लीमेन्टरी होंगे तो उनका कैसे, क्या होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी से क्यों चौंकते हैं ? आप सप्लीमेन्टरी करिये तो सही। जितने चाहे उतने सप्लीमेन्टरी आप पूछ सकते हैं।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। कत्ल दिनांक ६-४-५६ को हुआ जिसका मुकदमा दिनांक २६-५-५६ को थाना कुचामन सिटी पर दर्ज हुआ।

(२) शंकित अपराधियों के विरुद्ध कुछ भी प्रमाण प्राप्त नहीं होने के कारण मुकदमे का चालान नहीं किया जा सका।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, नहीं किया गया, मेरी ऐसी सूचना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि एफ. आइ. आर. में कुछ व्यक्तियों के नाम तो लिखे गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह रिपोर्ट पुलिस में दर्ज ही नहीं हुई। ८-६ रोज बाद डीवाई. एस. पी. जो दौरे में गये हुए थे वहां उनको इसकी सूचना हुई। उन्होंने इन्क्वायरी कराई और इसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई।

श्री भैरोंसिंह : इस लाश का पोस्ट-मार्टम हुआ कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, वह तो पहले ही गांव में जलाई जा चुकी थी।

श्री भैरोंसिंह : आपको इस इन्वेस्टिगेशन में मृत महिला की लाश मिली कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस इन्वेस्टिगेशन से कत्ल हुआ या सुसाइड हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डी. एस. पी. को इत्तला होने पर मौके पर सी. आई. को भेजा गया। उसने रिपोर्ट दी कि सस्पीशियस मालूम होता है। कहा यह गया था कि उसका पति उसको इलाज कराने के लिये ले जा रहा था कहीं और जगह तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और वहीं फिर उसे जला दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस में केस रजिस्टर करके बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और मजिस्ट्रेट ने फाइनल रिपोर्ट पुलिस की देख कर केस समाप्त कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह लाश कहां दफनाई गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गांव के बाहर ही ले जा रहा था कि वहीं उसकी डैथ हो गई और वहीं जला दिया था।

श्री भैरोंसिंह : किस कारण से उस सन्देह का निराकरण तफतीश में नहीं हो सका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलाज के लिये ले जा रहा था, रास्ते में डैथ हो गई। इस पर सस्पीशियन हुआ। बाकायदा इन्क्वायरी की गई, एविडेन्सेज ली गई। लोगों ने भी कहा कि बीमार तो थी। तो जब सुबूत कुछ मिला नहीं तो उसे बरी तो होना था। मजिस्ट्रेट के सामने तो केस ले जाना ही था। एक बार जब केस रजिस्टर होकर तफ्तीश में चला गया तो वहां एविडेन्स से साबित नहीं हुआ तो सब बरी कर दिये गये।

सांकड़ पंचायत (सांचोर) को प्रदत्त धन–राशि का उपयोग

५२६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर के सांचोर पंचायत समिति की सांकड़ पंचायत को विकास खण्ड खुलने के बाद कितना कितना रुपया किस किस काम में दिया गया व कौन कौन से कार्य पूरा होकर सर्टिफिकेट दे दिये हैं? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त रुपयों का पंचायत कोष की कैश बुक में इन्द्राज किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? और अगर हां, तो किस किस रकम का इन्द्राज किया गया है?

(३) क्या उक्त पंचायत को बासण देवडान में पब्लिक के पानी पीने के लिये बेरा खुदवाने हेतु विकास खण्ड द्वारा सहायता दी गई है? यदि हां, तो कब और उस रकम से बेरा किस जगह व किसके खेत में खुदवाया गया है? क्या वह कार्य पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। नियमों की अनभिज्ञता के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

(३) जी हां। कार्य पूरा हो चुका है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह बेरा किस जगह खुदा है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह उस गांव में खुदा है बासन देवडा में।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह बासन देवडा में खुद चुका है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह बासन देवडा में नहीं खुदा है। यह खुदा भी नहीं है। आप जानकारी चाहें तो जानकारी दे सकता हूँ। यह बेरा खुदा ही नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह नहीं हो सकता। बेरा खुद चुका है। यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है। छोटी-मोटी बात नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : दो साल हो चुके हैं। मनी वहां से ले लिया गया है, पर कुंआ खुदा नहीं है। मैं जानकारी देता हूँ बासन देवडा में बेरा खुदा नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो इस रकम से आपका कहना है कि और कहीं खुदा है और वह भूतवासन के नाम से खुदा है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : वहां बासन देवड़ा में यह कुआं नहीं खुदा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो कहां के लिये खोदा गया; यह तो बता दें ?

श्री लक्ष्मीचन्द : आप मालूम करें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप भी तो पंचायत समिति के सदस्य हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कुआ खुदा ही नहीं । सरपंच ने मनी अपने काम में ले लिया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप मुझे फुल फैक्ट्स बता दें ।

श्री अध्यक्ष : यह बात तो आप पंचायत समिति में भी उठा सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपके यहां मिडल स्कूल्स में....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप उस प्रश्न पर आवें । आप एनलाइटन करें । आप कहते हैं कि खुदा ही नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : That means Hon'ble Minister is seeking information ?

श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) : जिस गांव के लिये प्रश्न पूछा गया है उसके लिये कुआं खोदा गया है, सरकार इसके लिये डेफीनिट है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री भैरोंसिह : वे कहते हैं खुदा नहीं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दरअसल खुदा तो नहीं है, इस तरह का वेग स्टेटमेंट है उनका । बेरा कोई छोटी चीज तो नहीं है । सांचोर की तरफ बेरे १५० फीट गहरे होते हैं वहां जा सकते हैं । आप बात बड़ी ढीली ढीली कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह इन्फॉर्मेशन आप गलत दे रहे हैं । मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि यह कुआं खुदा ही नहीं । मनी सरपंच ने अपने काम में ले लिया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इन्क्वायरी ऑर्डर कर देता पर जिस तरह माननीय सदस्य कहते हैं खुदा तो नहीं है, तो इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है । He knows it very well. He is member of the Panchayat Samiti and he has visited recently all the villages.

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं कहता हूँ, बेरा कहीं खुदा ही नहीं है और पैसे का उपयोग सरपंच ने अपने लिये किया है ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय सदस्य ने जब कन्फर्म कर लिया है तो क्या मिनिस्टर महोदय उसकी इन्क्वायरी कन्डक्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मुझे सन्तोष नहीं हुआ है । बेरा तो खुदा ही नहीं । मैं पूछता हूँ इस रकम से बेरा नहीं खुदा है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : इस रकम से बेरा नहीं खुदा है। जिस गांव के लिये रकम दी गई है उस गांव में बेरा नहीं खुदा है। जिस कार्य के लिये रुपया दिया गया उस काम में नहीं लिया गया, सरपंच ने अपने काम में लिया है।

श्री अध्यक्ष : ये कैटेगेरिकली कहते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इससे पांच गज पर दूसरा गांव हो उसमें खुद गया हो। Why should the Hon'ble member not give full facts, that these are the facts ? We shall enquire into them.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : एसर्टेन कर लिया जावे, इसमें है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस रकम से कुआं नहीं खुदा है। Let the Hon'ble member assert it.

श्री चन्दनमल बैद : He has asserted it.

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं कहता तो हूं कि यह बेरा भूतवासन की जनता के लिये नहीं खुदा है। फिर आप क्या चाहते हैं ? आप इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते, यह आपकी मर्जी की बात है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसका फिर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी करा लेंगे मन्त्री महोदय।

पाली जिला सहकारी संघ द्वारा सहकारी शिक्षा के प्रचार व प्रसार सम्बन्धी प्रस्तुत योजना पर कार्यवाही

५३०. **श्री शंकरलाल (रायपुर)** : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में कृषि उत्पादन की सघन वन योजना मुख्यतया सहकारी समितियों के द्वारा कार्यान्वित की जायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के सुचारु संचालन के लिये सहकारी शिक्षा का प्रसार आवश्यक है ?

(३) क्या यह सही है कि पाली जिला सहकारी संघ ने इसी उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिये एक सहकारी प्रशिक्षक नियुक्त करने व सहकारी शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिये संघ को विशेष अनुदान व साधन उपलब्ध कराने के लिये सरकार को अपनी योजना प्रस्तुत की है तथा पाली जिला विकास अधिकारी ने भी सहकारी संघ की इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा उचित सहायता देने की सिफारिश की है ?

(४) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, और इस पर आखिरी निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) पाली जिले में कोई सघन वन योजना लागू नहीं हुई है बल्कि सघन खेती योजना लागू हुई है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, एक योजना भेजी है, जो सरकार के विचाराधीन है ।

(४) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल : यह योजना सरकार के पास कब आई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल मे करीब दो महीने पहले आई थी ।

श्री शंकरलाल : इन दो महीनों में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : महकमे में विचार हो रहा है ।

श्री शंकरलाल : तो इस पर आखिरी निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ठीक तिथि तो बता नहीं सकता ।

श्री शंकरलाल : तो मन्त्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि नहीं कि इसके पक्ष या विपक्ष में क्या निर्णय लिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर गौर किया जा रहा है । उचित निर्णय लिया जावेगा ।

आंग्ल शीघ्र-लिपि की परीक्षा में उत्तीर्ण हिन्दी शीघ्र-लिपिकों को एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देने में विभेदता

५३१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

Is it a fact that Stenographers under Government of Rajasthan who have been appointed as such on the basis of their qualifications in English Shorthand are granted one advance grade increment if they pass a qualifying test in Hindi Shorthand, while this advance grade increment is not granted to those Stenographers who have been appointed as such on the basis of their qualifications in Hindi Shorthand, if they pass a qualifying test in English Shorthand ? If so, why this discrimination ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां । अंग्रेजी शीघ्र लेखकों को हिन्दी शीघ्र लेखन एवं हिन्दी मुद्र लेखन की परीक्षा पास कर लेने पर, हिन्दी को प्रोत्साहन की दृष्टि से, अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है । किन्तु इस सुविधा को एक निश्चित अवधि अर्थात् दिसम्बर ३१, १९६१ तक ही दिये जाने के आदेश हैं । इसके अतिरिक्त, यदि हिन्दी शीघ्र लेखक अंग्रेजी शीघ्र लेखन की परीक्षा पास कर लें तो उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि उनके लिये ऐसा करने की सरकार आवश्यकता नहीं समझती ।

Page No.18

पाली जिले में व्यक्तिगत उद्योगों व सहकारी समितियों को प्रदत्त ऋण व अनुदान

५३२. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मन्त्री, उद्योग विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले में गत वर्ष किन किन उद्योगों के लिये व्यक्तिगत और सहकारी समितियों को कितनी कितनी धन-राशि ऋण व अनुदान के रूप में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन जिन उद्योगों के लिये ऋण व अनुदान दिया गया वे उद्योग ठीक हालत में पनप रहे हैं अथवा नहीं, इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिन उद्योगों को ऋण दिया गया है वे उद्योग ठीक हालत में पनप रहे हैं। इसकी जांच जिला उद्योग अधिकारी द्वारा समय समय पर की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री शंकरलाल : अनुदान के लिये भी सूची मांगी थी वह नहीं आई, क्या बात है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अनुदान दिया ही नहीं जाता।

श्री शंकरलाल : समय समय पर जांच करने की बात कही गई। यह तो वेग रिप्लाई है। इसकी जांच कब कब की गई ? मैं कहता हूँ कई जगह जांच के लिये कोई नहीं गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वेग तो आपका सवाल था।

श्री शंकरलाल : इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया जांच जनरली करते हैं सब की जिन जिन को लोन दिया जाता है। ये स्टेन्डिंग ऑर्डर्स हैं। अब इनका युटिलाइजेशन किया है या नहीं तो आप स्पेसिफिक बात बताइये। यह तो जनरल बात है। उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री शंकरलाल : स्पेसिफिक का प्रश्न नहीं है। २५ जगह तो आपने लोन दिया है जिनमें से १२ जगह तो पाली में ही हैं; तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि ऋण देने के बाद में उनका प्रोपर युटिलाइजेशन हुआ या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिस समय लोन दिया जाता है तो ३ महीने के अन्दर अन्दर उनका प्रोपर युटिलाइजेशन करना चाहिए, यह हमारा कायदा है और ३ महीने के अन्दर उसकी जांच कर लेते हैं कि प्रोपर युटिलाइजेशन किया या नहीं, उसकी रिपोर्ट भेज देते हैं। पाली के लिए कोई सवाल ही नहीं आया कि नोन-युटिलाइजेशन किसी केस में हुआ है।

Page No.19

श्री शंकरलाल : यही प्रश्न किया था कि उनकी जांच कब की गई ? जांच की जाती है, ऐसा नियम है सो तो ठीक है लेकिन जांच कब की गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन देने के ३ महीने के अन्दर अन्दर।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतया यह मानना चाहिए कि जो नियम हैं उनका पालन किया गया है। अगर आपके ध्यान में हो कि पालन नहीं किया गया है तो आप बतावें कि अमुक जगह पालन नहीं किया गया है।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

प्रश्न सख्या ४३३

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास स्पेसिफिकेशन की कॉपी नहीं आई है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मैं पढ़ देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : पढ़ने से काम नहीं चलेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप जवाब तो सुन लीजिए, I will read it.

श्री भैरोंसिंह : वह आपको पहले देना चाहिए था। इस हालत में तो मेरे सप्ली-मेन्टरी प्रश्न नहीं हो सकते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्पेसिफिकेशन सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : पर मुझे तो नहीं मिले। अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जाये। पहले मुझे स्पेसिफिकेशन की कॉपी दे दें।

श्री अध्यक्ष : उत्तर में ही स्पेसिफिके-शन है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो अभी देंगे और मैं टैली नहीं कर सकता कि कैसे क्या हुआ ? इसलिए ही मैंने कहा है कि सदन की मेज पर रख दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप दुबारा पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह : आप फिर नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ही इसलिए किया है कि सदन की मेज पर कॉपी रखें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मुझे कॉपी कब मिलेगी ? Copy should be made available to me, Sir.

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्नों के बाद में ले लिया जायगा, आज ही। माननीय सदस्य इसको देख लें।

(श्री अध्यक्ष)

(इस प्रश्न सम्बन्धी प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

(विराम)

श्री रामधन पटेल।

सेंथल (दौसा तहसील) हायर सेकण्डरी स्कूल

५३४. श्री रामधन पटेल (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सेंथल हायर सेकन्डरी स्कूल (तहसील दौसा) का प्रारम्भ होना इस कारण रुका हुआ था कि वहां स्कूल भवन नहीं है ?

(२) क्या यह सत्य है कि अब जनता ने वहां स्कूल भवन बना दिया है ? यदि हां, तो अब स्कूल के खोले जाने में देरी का क्या कारण है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सेंथल में इस समय राजकीय माध्यमिक शाला चल रही है। निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी होने पर ही उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने की सिफारिश की जाती है। सेंथल में उच्चतर माध्यमिक शाला के भवन उपलब्ध न होने के कारण ही अभी तक विभाग द्वारा उच्चतर माध्यमिक शाला नहीं खोली गई है।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामधन पटेल : पब्लिक की तरफ से कमरे तैयार हो गये हैं और इन्सपेक्टर ने जांच कर ली है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे पास सूचना यह है कि ६ कमरे बन कर तैयार हैं और १० कमरे तैयार कर दिये जायें तो उच्चतर माध्यमिक शाला खोल देंगे।

श्री रामधन पटेल : ४ कमरे तैयार कर रहे हैं, ६ तो बन चुके हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ६ हो गए तो १० पूरे कर दीजिए, फिर हायर सेकन्डरी खोलने पर विचार कर लेंगे।

प्रश्न संख्या ५३५

श्री अध्यक्ष : राव श्री नारायण—सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा।

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् द्वारा बैंगलोर में व्यक्त सिफारिशों को मान्यता

५३६. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् ने गत नवम्बर, १९६० में बंगलोर में जो सिफारिशें पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सम्बन्ध में व्यक्त कीं, उनको सर—

(श्री मोतीबाबा चौधरी)

कार किस हद तक और कब तक मान्यता देने पर विचार कर रही है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् ने नवम्बर १९६० में बँगलोर में हुई छठी बैठक में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इस संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए प्रत्येक पंचायत समिति में अलग से स्थाई समिति बनानी चाहिए, इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप थोड़ा नम्बर बता दें सिफारिश का, क्योंकि काफी लम्बी है।

श्री शंकरलाल : आपके क्रम के अन्दर ५ वां है। वैसे उसको नम्बर २-१ दिया हुआ है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पंचायत समितियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि उनके क्षेत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग के कल्याण के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Has the Government accepted all the recommendations made by the Conference of Local Bodies ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, उसमें जो कार्यवाही की है किस हद तक कहां किया गया है, वह सूची रख दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I don't want that. I want to know whether Government has accepted all the recommendations made by the Conference ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No.

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

बीकानेर, नोखा, देशनोक, गजनेर, कोलायत, गंगाशहर तथा भीनासर में बस स्टेन्ड्स का निर्माण

५३७. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर, नोखा, देशनोक, गजनेर, कोलायत, गंगाशहर, तथा भीनासर में बस स्टेन्ड बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन स्थानों पर बस स्टेन्ड्स की आवश्यकता समझ कर जल्दी ही बनवाने की ओर ध्यान देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बीकानेर शहर में नगर विकास समिति से विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके निर्णय के पश्चात् ही बीकानेर शहर में बस स्टेन्ड कायम किया जायेगा। अन्य स्थानों

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पर बस स्टेन्ड नियुक्त करने का प्रश्न आर० टी० ए० के विचाराधीन है।

श्री रावतमल पारीक : यह विचाराधीन मामला कब तक तय हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आर० टी० ए० और कलेक्टर में बातें हो रही हैं, स्थान के बारे में दिक्कत हो रही है और जल्दी हो जायेगा।

श्री रावतमल पारीक : ये बातें कितने अर्से से हो रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आर० टी० ओ० ने कलेक्टर को २३-८-५८ को लिखा था और अब मामला उसके बाद से आर० टी० ए० के २२-१२-५६ को स्थान निरीक्षण करने से लोकल ऑथोरिटीज के सामने है।

श्री रावतमल पारीक : यह कब तक फाइनल हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शीघ्र हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

शासकीय कर्मचारियों के लिये सिरोही में निवास गृहों की कमी

५३८. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

1. Does the Government acknowledge the acute shortage of residential accommodation at Sirohi for Government Officials ?

2. Is it also a fact that during the Second Five Year Plan only a meagre amount has been utilised for this purpose at Sirohi ?

3. What are the future plans in this direction and what are the financial provisions for solving this problem at the earliest by the Government ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
1. Yes.

2. Yes.

3. The District authorities have proposed the construction of 122 houses at Sirohi at a total cost of Rs. 13,71,000/- as detailed below during the Third Five Year Plan:—

A type Bungalows	1
B type Bungalows	3
D type Bungalows	14
E type Bungalows	20
F type Bungalows	28
G type Bungalows	50
H type Bungalows	16
Total	122

Page No.23

(श्री नाथूराम मिर्धा)

There is a budget provision of Rs. 7 laks only for residential buildings throughout the State in the year 1961-62. District-wise allocation is still to be made.

श्री मोहब्बतसिंह : Have the recommendations made by the District Officers been accepted ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I could not follow.

श्री मोहब्बतसिंह : जो सिफारिश डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ ने की है वह राज्य सरकार ने मन्जूर करली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यों ज्यों बनते जायेंगे। इस समय सारे एक साथ तो बन नहीं सकते। बन जायेंगे। ऐसी बात नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह बात मन्जूर कर ली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने पैसे बिल्डिंग्स पर खर्च कर सकेंगे, उसका पूरा अन्दाज नहीं कह सकते क्योंकि किस डिपार्टमेंट में साल के अन्त में कैसी सेविंग रहे, प्रिपेरेशन कर सकेंगे या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस साल के लिए कुल ७ लाख का प्रोवीज़न है सारी स्टेट के लिए और किस जिले में कितने कितने खर्च करेंगे, यह तय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत सहकारी समितियों के आय-व्यय का अंकेक्षण

५३६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली विकास खण्ड में आज तक कितने कितने प्रकार की सहकारी समितियां बन चुकी हैं और उनके क्या क्या नाम हैं ? इनकी सूची दीजियेगा।

(ख) क्या इन समितियों को कर्जा मिला है ? यदि हां, तो किन किन को और कितना कितना ?

(ग) क्या सरकार ने कभी इन समितियों के आय-व्यय की जांच करवाई है ? यदि हां, तो क्या सबका हिसाब संतोषजनक साबित हुआ है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूचनायें संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दी गई है जिसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) इसका उत्तर सूची परिशिष्ट (क) में प्रत्येक समिति के सामने उपलब्ध है।

(ग) इसका उत्तर सूची परिशिष्ट (क) में प्रत्येक समिति के सामने उपलब्ध है। जिन जिन समितियां का ऑडिट अभी ड्यू नहीं हुआ है उनके कोष्ठक खाली छोड़ दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

सरकार के अधीनस्थ निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की वेतन शृंखला शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के समानुकूल करना

५४०. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जिन निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार ने अपने अधिकार में लिया है उनके कर्मचारियों की वेतनशृंखला क्या राज्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के समान है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह नियम सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू किया है ? यदि नहीं, तो किन किन पर ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जब कभी भी सरकार सहायता प्राप्त संस्थाओं को अपने अधीन लेती है तो जितना स्टॉफ निर्धारित योग्यता प्राप्त होता है वह ले लिया जाता है और उन्हें सरकारी स्तर के वेतन में फिक्स कर दिया जाता है। सहायता प्राप्त संस्थाओं को सरकार के अधीन लेते समय एक कमेटी बनाई जाती है और उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री अध्यक्ष : आप सीधे जोबनेर के बारे में ही पूछ लीजिए ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जोबनेर में लाइबिलिटी के साथ में गवर्नमेंट ने संस्था को संभाल लिया है और वह ३५ वर्ष से एडेड इन्सटीट्युशन है । वहां तीन वर्षों से रुलते फिर रहे हैं । जो पेन्शन पाने के हकदार हैं वे भूखों मर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : किस संस्था के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, हाई स्कूल जोबनेर के लिए या किसके लिए ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जनरल तौर पर सब जगह यह हो रहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जोबनेर की जांच करवा लेंगे कि कौन कौन से अध्यापक लिए गये हैं और उनका फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ । मैं इसके लिए उचित आदेश जारी कर दूंगा ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : आपने यह कहा कि कमेटी के जरिये निर्णय किया जाता है तो वह कमेटी कौन सी है ?

श्री पूनचन्द बिश्नोई : कमेटी तो, जब किसी संस्था को टेक-ओवर करते हैं उस समय बना देते हैं लोकल आदमियों की और उसमें एकाध एज्युकेशनिस्ट भी होता है जो शिक्षकों के स्तर को देखता है कि उनमें वह योग्यता है कि नहीं डिपार्टमेंट में लेने लायक ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : So far as question of grades is concerned that Committee does not examine the question of grades. Once it is decided that a particular institution has to be taken over, then the teachers are given the Government Grades.

श्री अध्यक्ष : Not automatically. Only if they fulfil the conditions for a particular grade. I think so.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्वालिफिकेशन का ही क्राइटेरिया होकर रखे जाने की बात है।

गंगानगर जिले में कत्ल, डकैतियों, चोरियों आदि की हुई घटनाएं

५४१. श्रीमती सतवन्तकौर (श्री करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले में पिछले ५ वर्षों में कितने कत्ल व डकैतियां, चोरियां, ३०७, वा १०७ के मुकदमात पुलिस में दर्ज हुए ?

(ख) उनमें से कितनों का चालान हुआ और कितनों को न्यायालय में सफलता प्राप्त हुई ?

(ग) सबसे अधिक वारदातें किस वर्ष में हुई और उसका कारण क्या रहा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) गंगानगर जिले में सन् १९५६ से १९६० तक कत्ल, डकैतियां, चोरियां, ३०७ आई. पी. सी. और १०७ सी आर. पी. सी. क्रमशः २७५, १८, १,२४७, ३३३ व ७८१ मुकदमे पुलिस में दर्ज हुए हैं।

(ख) उनमें से क्रमशः १५८,७,३७३, १७५ व ७७७ मुकदमों का चालान हुआ। जिनमें से क्रमशः २२, १,६१, १० व ७२ मुकदमों में सफलता प्राप्त हुई।

(ग) सबसे अधिक वारदातें १९६० में हुई जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि, गावों से मजदूर वर्ग का शहर में जाना, नशीले पदार्थों का अधिक प्रयोग और ट्राफिक बढ़ने से एक्सीडेन्ट्स में वृद्धि इत्यादि हैं।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि जब से ये एस. पी. साहब वहां गये हैं तब से गड़बड़ गंगानगर जिले में होने लगी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि मुकदमों में डेक्वाइटी, रॉबरी, बर्गलरी के अलावा जो मिसलेनियस केसेज़ ८० ज्यादा हुए हैं उन ८० को निकाल दें तो पिछले साल से ज्यादा इन्क्रीज़ नहीं हुए हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रेजेन्ट एस. पी. कब से आये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक साल के करीब हो गया होगा। मैं डेफिनिट नहीं जानता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : उसके बाद में घटनाएं बढ़ी हैं या घटी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मिसलेनियस केसेज़ में जो छुट पुट मामले हैं वे बढ़े हैं बाकी जो इम्पोर्टेंट केसेज़ हैं उनमें इतनी तरक्की नहीं हुई है, वैसे ऑलराउन्ड प्रोग्रेस तो है ही।

श्रीमती सतवन्तकौर : श्री दूनीराम थानेदार जो पदमपुर में लगे हुए हैं वे ज्यादा गड़बड़ करवाते हैं। बदनामशों से जो पीटे जाते हैं उनके ऊपर मुकदमें बना देते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से कोई बात ध्यान में लायेंगी तो जांच करेंगे।

Page No.26

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पिछले ५ वर्षों में २७५ कत्ल के मुकदमें हुए हैं, उनमें से केवल २२ मुकदमों में सफलता प्राप्त हुई है; तो क्या इसको सरकार संतोषजनक मानती है कि २७५ कत्ल के मुकदमों में केवल २२ को ही सजा मिली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने नहीं कहा कि २७५ कत्ल हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कत्ल के मुकदमे २७५ हुए हैं उनमें से १५८ का चालान हुआ है और २२ मुकदमों में सफलता प्राप्त हुई है। कुछ पेडिंग भी हैं वे चल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने मुकदमे अभी तक पेंडिंग है २७५ में से बारे १५८ में से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी नहीं पूछी गई है।

श्रीमती सतवन्तकौर : गंगानगर में तो जहां सिपाही खड़ा रहता है वहां पर मारपीट होती है।

श्री जयसिंह राणावत (आसींद) : २६ जिलों के लिए आम स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उदाहरण हम गंगानगर का दिया करते हैं। वहां पर इस प्रकार के कत्ल हों तो और जिलों में वहां से अधिक हैं या कम हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुकदमे सभी जिलों में होते हैं। यह एक जिले की बात पूछी गई है इसलिए आपको मालूम पड़ा है, वर्ना मुकदमे सभी जिलों में होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल क्या सरकार इस बात की जांच करवाना चाहती है कि ११७ मुकदमों का ....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : ११७ नहीं, १२७ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चालान नहीं हो सका है इसके क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं, जैसी कि मैंने अभी मिसाल बताई थी, कि बहुत से मुकदमे ऐसे हो जाते हैं जो रस्पीशियन केसेज़ होते हैं, उनके अन्दर चालान नहीं होता है।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : जिन मुकदमों का चालान हुआ उनमें एक्विटल कितने हुए २२ मुकदमों के अलावा, बाकी में एक्विटल कितने हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके बारे में पूछा नहीं गया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम की सिचुएशन बढ़ जाती है प्रोसीक्यूशन को सक्सेस नहीं मिलती है; इसका कारण जानने के लिये इन्क्वायरी करनी चाहिये कि केवल २२मुकदमों में ही सक्सेस मिली है। २७५ एक डिस्ट्रिक्ट में कत्ल हो जाते हैं। उनमें से १५८ का चालान होता है और २२ में सक्सेसफुल होते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं समझते हैं ?

Page No.27

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १०–५ केसेज़ पेंडिंग होगें बाकी सब केसेज़ डिस्पोज़ ऑफ हो चुके हैं। बढ़ने की बात अलग है और मुकदमों की बात अलग है। मिसलेनियस केसेज़ को निकाल दें तो बाकी के केसेज़ में इन्क्रीज़ नहीं हुए हैं। जहां तक मुकदमों के बारे में वे जानकारी चाहेंगे तो उनको जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्रीमती सतवन्तकौर: दूनीराम थानेदार का तबादला करने के आप हक में हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री चन्दनमल वैद: माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न मुझे पूछना है कि २७५ कत्ल के मुकदमे हुए हैं उनमें ४० पर्सेन्ट का चालान नहीं हुआ है, तो क्या सरकार इस स्थिति को शोचनीय नहीं मानती है और जांच नहीं करवाती है कि ऐसा क्यों हुआ है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत से मुकदमें ऐसे होते हैं जो अदम वकुआ होते हैं। जांच सब मुकदमों की की गई है। जांच होने के बाद बहुत से मुकदमे अदम वकुआ पाये गये हैं इसलिए उन मुकदमों का चालान नही होता है।

श्री मनोहर कोठारी : ४० पर्सेन्ट का चालान नहीं हुआ है, तो क्या वह स्थिति शोचनीय नहीं है और उसकी जांच जरूरी नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत से मुकदमों में कत्ल की रिपोर्ट पेश हुई है, लेकिन वे अदम वकुआ और अदम सबूत होते हैं, ऐसे मुकदमों का चालान नहीं हुआ।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : मर्डर होता है तो अदम वकुआ नहीं कहें बल्कि अदम सबूत कहें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर हर मुकदमे का चालान करना जरूरी है। तो फिर पुलिस के इन्वेस्टीगेशन की जरूरत नहीं है। पुलिस हर मामले का चालान कर दे।

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी कितनी रिपोर्टस आई थीं कि कत्ल हुआ है और वाकई में कत्ल नहीं हुआ है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १५ केसेज़ ऐसे हैं बाकी सब चीज़ ट्रायल में पेंडिंग है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : आपने यह कहा कि बहुत से मुकदमों में रिपोर्ट भी झूठ पाई जाती हैं तो क्या इसे समझा जाय कि कत्ल के मुकदमों से लाश तक बरामद नहीं हुई तो उसको झूठा माना जा सके कि कत्ल नहीं हुआ है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह बात नहीं कही है। ऐसा भी हो सकता है कि कानून के अन्दर नहीं आये हों।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जिन कत्ल के मुकदमो की रिपोर्ट आपने बताई है उनमें लाश बरामद नहीं हुई है क्या?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : मैंने कब कहा? आपने कहा कि जानकारी दे दें तो जानकारी मंगा कर दे दूंगा।

श्री आबिद अली : क्या इन मुकदमों में....

श्रीअध्यक्ष : प्रश्न तो केवल क्राइम्स के फीगर्स के बारे में है। एक कैटेगरी को लेकर उसमें प्रश्न पूछेंगे तो मंत्री महोदय नहीं बता सकेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : मंत्री महोदय नहीं बताते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा पूछ लें।

श्री चन्दनमल वैद : क्या पूछ लें ? आप बता ही नहीं रहे हैं।

श्रीमती सतवन्त कौर : ऐसे जबाब देंगे तो सवाल पूछने का मतलब ही कुछ नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जानकारी मेरे से पूछी गई है वह सब बता दी। इसके अलावा जानकारी चाहते हैं तो सवाल पूछिये, मैं दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जिसके पास १० हजार रुपया है वह कत्ल कर दे और आराम से घूमता रहे, यह सही बात है। इन्वेस्टिगेशन की जो पोज़ीशन है और प्रोसीक्युशन की पुअर पोज़ीशन है उसको देखते हुए क्या उम्मीद की जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस प्रकार का डिसकशन नहीं होना चाहिए। यह सवाल जवाब का प्रश्न है।

श्री अबिदअली : माननीय अध्यक्ष, एक सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि क्या कत्ल के मुकदमों की इन्क्वायरी की गई है और इन्वेस्टीगेशन में यह निकला कि लाश बरामद नहीं हुई या सुबूत मुहैया नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : That is outside the scope of this puestion.

प्रश्न संख्या ५४२

श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

प्राइमरी व मिडल स्कूल्स का नगर-पालिकाओं को हस्तान्तरण

५४३. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को जिला परिषद् के सदस्य बनाने व नगरों व कस्बों की प्राथमिक व मिडल तक की पाठशालाएं नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित करने के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब से क्रियान्वित होगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की ग्रान्ट के वक्त में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं ने यह कहा था कि उनको हस्तान्तरित कर रहे हैं प्राइमरी स्कूलों को ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के रिक्त स्थानों की पूर्ति

५४४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या न्याय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

राजस्थान में कितने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स की जगह खाली हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): राजस्थान में कुल ११ मुंसिफ मजिस्ट्रेटस की जगह आर. जे. एस. अफसरों की कमी के कारण खाली है । इस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को नये रिक्रूटमेंट करने के लिए लिखा गया है और आगामी जुलाई के महीने तक पूर्ति की आशा की जाती है ।

उन खाली स्थानों के कार्य की देखरेख के लिए नजदीक के कोर्टों के अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे उन खाली स्थानों में मास में एक सप्ताह या दस दिन या एक सप्ताह के बाद दूसरे ऑल्टर्नेटिव सप्ताह वहां के कार्य के भार के अनुसार जाकर कोर्ट लगायें ।

अधिकारियों को कार अलाउन्स

५४५. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

सरकारी वाहनों तथा गैरेजों पर सन् १६५६–६० के वर्ष में कुल कितना खर्चा हुआ ? क्या सरकार अधिकांश गाड़ियों को हटा कर अफसरों को कार अलाउन्स देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह प्रश्न ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखती है ।

श्री अध्यक्ष : ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्ध नहीं रखता है, सारे गवर्नमेंट की पूल्स की गाड़ियों पर कितना खर्चा लगता है, इससे सम्बन्धित है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(सचिवालय की ओर से मंत्री महोदय को उत्तर की प्रति दी गई)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पढ़ने के बाद जबाब दें तो ज्यादा अच्छा होगा । यहां पढ़ देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा ।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है ।

श्री भैरोंसिंह : सप्लीमेन्टरी प्रश्नों के जबाब नहीं दे सकेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सेन्ट्रल पूल एवं डिस्ट्रिक्ट पूल्स पर सन् १६५६–६० में कुल खर्चा ५,८७,८८८.१३ नये पैसे हुआ है । सेन्ट्रल गैरेज, जयपुर एवं खण्डीय गैरेजों पर कुल खर्चा १४,००,४३३) रु० हुआ है ।

Page No.30

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इनके अतिरिक्त विभागीय वाहनों पर जो खर्चा हुआ है उसकी जानकारी उपलब्ध की जा रही है। सरकार के समक्ष, वर्तमान में कोई प्रश्न कि सरकारी अधिकारियों द्वारा काम में लाये जाने वाले विभागीय वाहनों को वापिस लेकर इसके उपलक्ष में उन्हें कार अलॉउन्स दिया जाय, विचाराधीन नहीं है।

श्री रावतमल पारीक : अब जो वाहनों का उपयोग हो रहा है वह ठीक हो रहा है या नहीं ?

प्रश्न संख्या ५४६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

ग्राम पंचायत आसलपुर (फुलेरा) को ढहानी कन्डेरिया में कुओं के निर्माण हेतु मिली धन-राशि का दुरुपयोग

५४७. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आसलपुर, तहसील फुलेरा को ढहानी कन्डे-रिया में कुआं बनाने के हेतु १,५००) रु० तहसील से और ५००) रु० मौजमाबाद पंचायत समिति से मिले हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त धन–राशि का सदुपयोग नहीं किया गया और तत्सम्बन्धी शिकायतें मुख्य सचिव को ग्रामीणों ने की हैं ?

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप मन्त्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) ग्राम पंचायत आसलपुर, तहसील फुलेरा को ढाणी कन्डेरिया में कुआं बनाने हेतु १,५००) रु० तहसील फुलेरा से व २५०) रु० पंचायत समिति मौजमाबाद से दिये गये।

(ख) जितनी धन–राशि का कार्य होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और इस सम्बन्ध में की गई शिकायत भी प्राप्त हुई थी।

(ग) पंचायत समिति द्वारा जांच की जा रही है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस बारे में क्या जांच की गई है ? यह एक ही केस इस तरह का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम ५ डिपार्टमेंट्स के लिये इस तरह के सवाल आगे आ रहे हैं। इस समय बतौर लूट जैसा काम हो रहा है, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक आपसे है इसलिये इसका जवाब आप दे दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसकी शिकायत मिली। वह कन्ज्यूम नहीं हो रहा है उस सम्बन्ध में थी या पूरा उपयोग नहीं हुआ, इस तरह की शिकायत हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पूरा उपयोग नहीं हुआ, इस बात की शिकायत हुई।

पाली विकास खण्ड में लोगों को कुओं के लिये मिले तकावी ऋण द्वारा कुओं का निर्माण नहीं कराया जाना

५४८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली विकास खण्ड में २ अक्टूबर, १९५९ से अब तक कितने कुएं नये खुदवाने के लिये व बंधवाने के लिए किन किन को कितनी कितनी तकावी मिली ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सत्य है कि कई लोगों ने तकावी लेकर भी कुएं नहीं बनवाये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाये हैं ?

उप मन्त्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इसमें श्रीमती देवीसिंह को ४,०००) रु० और श्री अमरसिंह को दो बार तकावी दी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौन से नम्बर पर है, बताइये ?

श्री मूलचन्द डागा : एक नम्बर १२ पर अमरसिंह मनिहारी को २,०००) रु० दिये गये हैं और फिर ६८ नम्बर पर एक और अमरसिंह को १,२००) रु० दिये गये हैं, क्या एक ही व्यक्ति को दुबारा दी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे गांव में एक ही नाम के कई व्यक्ति हैं। इसलिये एक ही गांव में अमरसिंह नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह वही अमरसिंह है या दूसरा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पोइन्टेड सवाल पूछें तो बता सकता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहता हूँ कि यह वही व्यक्ति है जिसको दो बार तकावी दी गई।

इसके अलावा ४,०००) रु० श्रीमती देवीसिंह को दिये गये थे, उसका नाम ही लिस्ट में नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : सभ्यता के नाते महिलाओं का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिये नहीं लिखा है।

श्री मूलचन्द डागा : ४,०००) रु० उसको तकावी के दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : इन दोनों बातों की जानकारी करा लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : दीपसिंह को २००) रु० मिले हैं और इसमें कुछ और ही बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले भी शिकायत कर चुके हैं। ये प्रश्न पंचायत समितियों में पूछे जाने चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर क्वेश्चन्स नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन का सवाल नहीं है। यदि कोई शिकायत आवे कि धन का दुरुपयोग हुआ है तो वहां से जानकारी की जा सकती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां तो मेजोरिटी का सवाल रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : उसको दुबारा क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : That is hypothetical. Please don't answer or attempt to answer questions that are not relevant. That creates more confusion.

घट्टी परानियां स्थित बंगाली विस्थापितों में कम्बलों का वितरण

५२७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष घट्टी परानियां स्थित बंगाली विस्थापितों में बांटने के लिये कुछ कम्बल आये थे जो बारां के एस० डी० ओ० के पास पड़े हैं ?

(२) क्या इन कम्बलों में से कुछ बांट दिये गये हैं ? यदि नहीं बांटे गये हैं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर रीहेबिलिटेशन विभाग द्वारा दिया जायेगा।

पुलिस विभाग द्वारा खरीदे गये सेफ्स

५३३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा २७५ सेफ्स खरीदे गये हैं ?

(२) यदि हां, तो कब, कितनी कितनी कीमत में तथा किस किस फर्म द्वारा ?

(३) इन सेफ्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशन्स दिये गये थे ? कृपया निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि सेफ्स निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार नहीं हैं ! यदि हां, तो फिर खरीद किस प्रकार की गई ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) १५७ सेफस खरीदे हैं, न कि १७५।

(२) ये सेफस सन् १९५९–६० में मेसर्स युनाइटेड स्टील प्रोडक्ट, पानीपत से २९७) रु० प्रति सेफ की दर से खरीदे गये हैं।

(३) स्पेसिफिकेशन जो निर्धारित किये गये थे वे आपके पास पहुंच ही गये हैं।

Page No.33

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार निर्धारित किये गए थे:—

Size 22" high, 18" wide, 18" deep, one drawer, one full width secret compartment below the drawer, locking compartment with double controlled lock on the main door, fire proof, to be made of one steel sheet of 10 gauze bent into 16 corners door to be of two steel plates jointly of the thickness of 3/4" lock to confirm to I. S. I. standard, weight 4 Mds. exclusive of the material used and no unnecessary material introduced to make up the weight.

(४) जी नहीं। सेफ निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही खरीदे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : विभाग की ओर से किन अधिकारियों ने जांच की थी कि सेफ्स स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस विभाग में एक पर्चेज़ कमेटी अपोइन्ट की हुई है। वैसे इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर ने वेरिफाई किया है कि वाउचर के मुताबिक हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्डस्ट्रीज़ विभाग के ऑफिसर ने यह कहा है कि स्पेसिमेन के अनुसार ही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, उन्होंने यह कहा है, "they are as per the specifications prescribed." वजन किसी किसी में ५-७ सेर ज्यादा है अदरवाइज स्पेसिमेन के मुताबिक हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये सब फायर प्रूफ नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक और ऑफिसर की रिपोर्ट है कि ये फायर प्रूफ हैं : "I have seen one of the safes and it appears to me as fire-proof."

श्री भैरोंसिंह : जितने भी आपने १५७ सेफ खरीदे हैं क्या वे सारे के सारे फायर प्रूफ हैं, इस बात की तस्दीक की या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभी एक से खरीदे हैं, कमेटी ने देख लिया है, १-२ को कमेटी ने एग्ज़ामिन कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह : एक-दो की जांच करके निर्णय दे दिया कि ये सारे फायर प्रूफ हैं, क्या इसको काफी समझा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही काफी होता है। एक सा नमूना होता है तो १-२ को एग्जामिन कर लिया जाता है।

भैरोंसिंह : फायर प्रूफ के बारे में जांच डिलीवरी लेने के कितने दिन बाद कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिलीवरी लेते ही कराई गई। २४.३ की रिपोर्ट, लेकिन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उस पर तारीख

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं है कि किस तारीख को जांच की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जांच इस कारण कराई थी कि किसी अधिकारी द्वारा शिकायत की गई थी कि ये सेफ फायर प्रूफ नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है। वे तो लोहे की सेफ हैं जो आम तौर से फायर प्रूफ होते हैं : लकड़ी की हो तो दिक्कत हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : लोहे की सेफ का मतलब यह नहीं है कि लोहा जले या नहीं, बल्कि उसमें जो कॉन्टेन्ट्स हैं वे नहीं जलें। इस सम्बन्ध में जांच डिलीवरी के कितने दिन बाद और किसकी शिकायत पर की गई और क्या इस शिकायत में यह संकेत किया गया था कि ये फायर प्रूफ नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अन्दर के कागज़ तो जल जायेंगे, लेकिन सेफ नहीं जलेगी। फायर प्रूफ का यह मतलब नहीं है कि उनके अन्दर कपड़ा या कागज रखेंगे वह न जलेगा।

श्री भैरोंसिंह : लोहा तो अपने आप ही फायर प्रूफ है, लेकिन उसके अन्दर की चीजों में आग नहीं लगे इस लिहाज़ से फायर प्रूफ होनी चाहिये, इस दृष्टि से जांच की गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : राव श्री नारायणसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। टैक्निकल ऑफिसर की राय ली जाय तो आज भी कह सकता हूं कि फायर प्रूफ नहीं हैं। डिलीवरी ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया कि सब के सब फायर प्रूफ हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : मैं समझता हूं कि फायर प्रूफ नेचुरली एसबेसटोस होता है; मैं जानना चाहता हूं कि ये एसबेसटोस की हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिपार्टमेंट में कोई कम्प्लेन्ट नहीं आई कि फायर प्रूफ नहीं हैं। मैंने अर्ज किया कि पोज़ीशन क्लिअर है टेन्डर इन्वाइट किये गये, उनमें से लोएस्ट एक्सेप्ट किया गया। इसकी जांच भी करा ली है और जांच कराने के बाद डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि फायर प्रूफ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है, फायर प्रूफ सेफ के बारे में। वह एक के बारे में है, वन सेफ उसमें लिखा है। वन सेफ के बारे में रिपोर्ट दी, जब कि जो शिकायत की गई वह जनरल थी, जनरल के बारे में जांच नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक

५७—विविध

(१२. १० म० प०)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप, मन्त्री, योजना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हूँ कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७– विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २ करोड़, ६४ हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

[इस मांग पर निम्नांकित सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दी जाने वाली सामान्य सहायक अनुदान पर विचार करने हेतु)।

(५६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)।

श्री पी. के. चौधरी :

(3) Demand No. XXXIII, Major head 57-Mis-cellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to provide for adequate financial assistance to Phulera Municipality).

(4) Demand No. XXXIII, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the Government 's failure to start Urban Community Development Project in Sambhar Lake).

25. That the Demand No. XXXIII Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of co–ordination in publicity),

26. That the demand No. XXXIII, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the publications for plan).

27. That the demand No. XXXIII, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of financial position of Rajasthan Financial Corporation).

28. That the demand No. XXXIII, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the organisation of Publicity Department).

29. That the Demand No. XXXIII, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of efficiency and economy in working of the Publicity Department).

डॉ० बहादुरसिंह :

(५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पत्रकारों की स्वागत–व्यवस्था पर होने वाले व्यय पर बहस करने हेतु)।

(डॉ० बहादुरसिंह)

(३२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (विज्ञापन नीति पर बहस करने हेतु) ।

(३३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों पर बहस करने हेतु) ।

(३४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक विभाग के पुनर्गठन पर बहस करने हेतु) ।

(३५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा फोटो तथा अन्य प्रकाशन सामग्री पर बहस करने हेतु) ।

(३६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की गाड़ियों पर बहस करने हेतु) ।

(३७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार तथा विज्ञापन पर बहस करने हेतु) ।

(३८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को सामान्य सहायक अनुदान के सम्बन्ध में विचार करने हेतु) ।

(३६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (जिला प्रमुखों के भत्ते पर बहस करने हेतु) ।

(४४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं के निर्वाचन सम्बन्धी अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

(४५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिका के वार्डों के बनाने में नियमों की अवहेलना पर बहस करने हेतु) ।

(४६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिका के वार्ड निर्माण हेतु एक समिति के गठन पर बहस करने हेतु) ।

(४७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिका, धौलपुर द्वारा पैट्रोल पम्प अनधिकृत रूप से लगाने पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर बहस हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास :

(६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा जनता से सम्बन्धित बातें सरकार को बताने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

(७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा करने हेतु) ।

Page No.37

श्री मूलचन्द डागा :

(८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्रत्येक जिला स्तर पर अपंग और असहाय व्यक्तियों को राहत पहुंचाने पर बहस करने हेतु) ।

(९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों में फैली हुई अव्यवस्थाओं एवं उसके सुधार के उपायों पर बहस करने हेतु) ।

(१०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (चेरिटेबल पर्पजेज़ के लिए अधिक धन–राशि की अत्यन्त आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

(११) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (Training of I. A. S. Officer on probation पर बहस करने हेतु) ।

(१२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पाली के पुरुषार्थी लोगों को बसने के लिए जमीन देने पर बहस करने हेतु) ।

(१३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पाली शहर की गंदी बस्तियों को हटाने पर बहस करने हेतु) ।

(१४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (आग लग जाने पर शीघ्र सहायता न मिलने पर बहस करने हेतु) ।

(१५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत कानून को सरल हिन्दी में सरकार द्वारा प्रकाशित न करने पर बहस करने हेतु) ।

(१६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (म्युनिसिपैलिटियों की ऑडिट रिपोर्टों पर अमली रूप न देने पर बहस करने हेतु) ।

(१७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान की म्युनिसिपैलीटियों की गिरी हुई आर्थिक हालत पर बहस करने हेतु) ।

(४९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (म्युनिसिपैलीटियों के कर्मचारियों की तनख्वाहों एवं सुविधाओं की कमी पर बहस करने हेतु) ।

(५०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों की बदलियां न होने के कारणों पर बहस करने हेतु) ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(३०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(३१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (सरपंचों को भत्ता देने के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

(५२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों पर बहस करने हेतु) ।

(७२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (डीग नगर के पुरूषार्थियों के क्लेमों का निर्णय न किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(७३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (डीग कस्बे में अल्प आय-गृह-निर्माण ऋण योजना लागू करने पर बहस करने हेतु) ।

(७४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (डीग, नगर, कामां तहसीलों के विस्थापितों को उनकी भूमि व मकानों पर स्वामित्व प्रदान न करने पर बहस करने हेतु) ।

(७५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (निराश्रित महिलाओं तथा अनाथ बच्चों की जन-गणना कराके उनको उचित सहायता देने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री चन्दनमल वैद :

(४०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं के चुनावों पर बहस करने हेतु) ।

(४१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (सरदारशहर नगरपालिका के गैर कानूनी तथा अनुचित वार्ड बनाने पर बहस करने हेतु) ।

(४२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं के वार्ड निर्माण में कानून की अवहेलना पर बहस करने हेतु) ।

(४३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं के वार्ड निर्माण के लिए एक कमेटी बनाने पर बहस करने हेतु) ।

(५३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (सरदारशहर में नगरपालिका द्वारा निर्माण किये जा रहे ड्रैनेज समस्या पर बहस करने हेतु) ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित :

(४८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (तहसील पंचायत को म्युनिसिपैलिटी बनाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह (१४) :

(५४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रुपये की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

(श्री भैरोंसिंह)

(५५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (स्वायत्त शासन संस्थाओं को अनुदान देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)।

श्री सोहनलाल भटनागर :

(५७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (प्रत्येक अथवा दो पंचायतों के लिये एक पूर्ण काल के लिये कार्य करने वाला सेक्रेटरी नियुक्त करने के बारे में बहस करने हेतु)।

(५८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायतों को कम आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिस पर बहस करने हेतु)।

(५९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायतों से चुनाव का खर्चा वसूल किया जा रहा है, जिस पर बहस करने हेतु)।

(६०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को प्राकृतिक विपत्ति इत्यादि के लिये अधिक रकम नहीं दी गई है जिस पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पतराज जैन :

(६२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायतों की आर्थिक हालत पर बहस करने हेतु)।

(६३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायतों के गत चुनावों में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

(६४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के कार्य की धीमी गति पर बहस करने हेतु)।

(६५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के चुनाव स्वतन्त्र न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री रामचन्द्र (१२९) :

(६६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (म्युनिसिपैलिटीज़ को उनकी आवश्यकता के मुकाबले सहायता कम दी जाती है–वाद-विवाद करने हेतु)।

(६७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (जन–सम्पर्क विभाग द्वारा सरकारी वस्तुओं के मिसयूज़ करने पर बहस करते हेतु)।

श्री देवीलाल :

(६९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (अपंग लोगों को सहायता देने पर बहस करने हेतु)।

(७०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय

(श्री देवीलाल)

(पंचायतों की आर्थिक स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(७६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७--विविध में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों में स्टाफ की कमी होने से विकास में शिथिलता पर बहस करने हेतु)

श्री लादूराम सुलाणिया :

(७७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम पंचायतों द्वारा परिगणित जातियों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंचायतों को अधिक सहायता देने पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

(७८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (अच्छे सूचना-पत्रों को अधिक विज्ञापन दिये जाने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(७९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता प्रदान करने पर वाद-विवाद हेतु) ।

(८०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को अधिक सहायता दिये जाने पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

श्री हरिप्रसाद यादव :

(८२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पब्लिक रिलेशन्स की पॉलिसी पर बहस करने हेतु) ।

श्री तनसिंह :

(८३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (संचालक, जन सम्पर्क विभाग के कार्यालय की अव्यवस्था पर जनलेखा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री अनूपसिंह :

(84) Demand No. XXX III, Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(to discuss the mal-administration in the Public Relation's Department).

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

(८५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा की गई अनियमितताओं पर विचार करने हेतु) ।

(८६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दी जाने वाली सहायता पर विचार करने हेतु) ।

(८७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर नगर में नगर सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु) ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(८८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर के पुरुषार्थियों के अभाव अभियोगों की ओर सरकारी उदासीनता पर विचार करने हेतु) ।

(८६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर नगर की गन्दी बस्तियों के सुधार में सरकारी ढिलाई पर विचार करने हेतु) ।]

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

कटौती प्रस्तावों के क्रम सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब बजट के ऊपर....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Point of Order, Sir. I raise a point of order which I would not have raised otherwise, but I see that our Secretariat has been developing certain conventions which run counter to the rules.

श्री अध्यक्ष : What is the point of order ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I draw your attention to rule 144, under which the Hon'ble members move their cut motions. I have got an old copy of the rules, so in the other copies the serial number of the rule might be different.

Rule 144 (5) says :-

"When several motions..." motions means cut motions, "...relating to the same demand for grant are offered, they shall be discussed in the order in which the Heads to which they relate appear in the Budget."

Now I would like to point out to the Hon'ble House that according to the budget demand, as listed in the estimate, this item occurs later than other items relating to which cut motions have been offered. So this cut motion can not be taken up first. It should be deferred till other cut motions are discussed.

I would now draw your attention to budget estimates. In the Grant No. 33, Page 461, the first item deals with 'Cost of Books and Periodicals', then comes 'Donations for Charitable Purposes', then 'Publicity Board' and then this particular Head comes towards the end. So the Rule 144 should have been followed and I, therefore, want to know whether this sort of convention can be developed in contravention of the specific rules.

श्री अध्यक्ष : No convention is involved in this. The practice we have been following so far is that we take the cut motions in the order in which they come, particularly

Page No.42

(श्री अध्यक्ष)

when the demand relates to one department. But if the Hon'ble member is not satisfied or if he feels that his cut motion may not come up we can take it first. But I think we can debate all the cut motions to-day. So it is immaterial whether a cut motion comes first or last.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : My specific point is that this rule should be observed, or it should be suspended.

श्री अध्यक्ष : It is not necessay to suspend the rule. The intention behind the rule is that atleast some demands and some cut motions relating to them should come up in a particular year, but since we are discussing all the Heads....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I am not objecting to the order of the demands. That has been decided by the learned Leader of the House. But so far as this demandis concerned, when anumber of cut motions are offered these cut motions should be taken in the order in whichthe Heads under that demand appear.

श्री अध्यक्ष : I follow the point raised by the Hon'ble member. I am not referring to the demands or grants but when various departments are included in one single grant, the rule says that those cut motions shall be taken first whose Heads appear earlier in the grant. That is what the rule says and the intention behind is that atleast those cut motions which refer to departments which appear first in the budget should be taken. But as I said to the Hon'ble Member, we would be able to take all the cut motions to-day. That is my impression and, therefore, the intention of this rule would be served in whatever order you may take the cut motions. Even then, if any Hon'ble Member feels that his cut motion should be taken first I have no objection.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That is all right. But I would like to know whether it is not incumbent upon the Secretariat to arrange the list of business in such order that cut motions relating to first departments...

श्री अध्यक्ष : It is not incumbent and there is no necessity of suspending the rule. I have told the Hon'ble member about the intention behind the rule, and if the Hon'ble member feels that his cut motion may not be taken up in the present arrangement of cut motions, then I again say that we can take that cut motion first. But since we will be able to take all the Heads to-day, I don't think we should hold up our discussion.

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध

(पूर्व क्रम से)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से विषय को प्राथमिकता दी है उसी प्रकार से मैं भी अपना दूसरा कट मोशन पहले लेता हूं जो सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के सम्बन्ध में है। पिछले दिनों जब इस साल के बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व सारे प्रान्त के अन्दर रिलीफ का वातावरण फैला था, हर जिले में सार्वजनिक सम्पर्क के नाम पर, सफेद हाथी के नाम पर अधिकारी बैठा रखे थे बिना काम के; उनके पदों को समाप्त किया जाने वाला है, जब यह सूचना हर जिले में पहुंची तो रिलीफ का वातावरण फैला कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो अनावश्यक रूप से खर्चा किया जा रहा है उसको समाप्त किया जा रहा है। उसके लिए सभी ओर से राज्य सरकार को साधुवाद दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों के बाद, हमारे गृह मंत्री, जिनके विभाग की आज चर्चा की जा रही है, वे व्यक्तिगत रूप से इस विभाग के प्रति जिम्मेदार हैं उत्तर देने के लिए; वे आज अनुपस्थित हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : नगरपालिका का है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नगरपालिका के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो गृह मंत्रीजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप, क्योंकि वे केबिनेट के सीनियर मेम्बर हैं, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को बाध्य किया कि अब तक जिन आदमियों को मैं संरक्षण देता आया हूं, जिन लोगों के काम की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ली है–भली और बुरी, उनको नहीं निकाला जाये। हमें पता लगा है कि जो कटौती की जाने वाली थी और जिसके लिए सारे प्रान्त से कहा गया था कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको फिर से रखा जा रहा है; उनको अपने पद से मुक्त नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का एक वातावरण बनाया गया है।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात सदन में की गई है। इस विभाग के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि इस सदन की अकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार कर लें। वैसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अकाउन्ट्स कमेटी इस सदन की बनाई हुई है और यह एक मानी हुई बात है कि जो अकाउन्ट्स कमेटी निश्चित कर देती है वह बात सही होती है। लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट के बाद भी आज तक सरकार ने उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के अधिकारी हैं, उनके सम्बन्ध में जिस प्रकार के आरोप हैं, उस प्रकार के आरोप किसी अन्य विभाग के अधिकारी के प्रति होते, तो उनको अब तक निलम्बित कर दिया जाता। अगर उनको निलम्बित नहीं किया जाता तो उन पर मुकदमा चलाया जाता और वह मुकदमा ४२० आई० पी० सी० या ४०६ आई० पी० सी० से कम धारा के अन्तर्गत नहीं चलाया जाता; क्योंकि रिपोर्ट के शुरू शुरू में कहा गया है कि यह अधिकारी झूठा है। आजकल किसी सदन में किसी व्यक्ति के प्रति झूठा शब्द का प्रयोग किया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जाता है तो यह कहा जाता है कि यह शब्द असंसदीय है, इस शब्द को वापिस लिया जाय। लेकिन उस विभाग का यह अधिकारी डाइरेक्टर है, संचालक है, उसके लिए कहा है कि यह अधिकारी झूठा है, यह झूठ बोलता है, इस अधिकारी ने समिति के सामने जो रिपोर्ट दी है वह असत्य है।

अधिकारी द्वारा पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में कहा यह जाता है कि हमारे विभाग का फिज़िकल वेरिफिकेशन करा लिया है। पर बाद में समिति के पास सूचना आई कि जो डाइरेक्टर ने कहा वह गलत था। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह झूठा है। जो भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता है, पी० ए० सी० की इस प्रकार की परम्परा है कि उसके सामने जो भी अधिकारी आता है उसे भारत के संविधान की शपथ लेनी पड़ती है कि मैं जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा पर इस विभाग का डाइरेक्टर इस सदन की एक समिति के सामने संविधान की शपथ लेकर भी झूठ बोल जाता है, अदालत में भी यदि कोई गवाह झूठ बोल जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। पर हमारी पी० ए० सी० में कोई अधिकारी इस प्रकार झूठ बोल जाता है और झूठ बोल कर सदन को धोखा देता है तो उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाना तो दर किनार, आज तक उसे उसी पद पर बनाये रखा जाता है। उसी पद पर उसको बनाये रखना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ झूठ बोलने का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?

आगे जाकर इस अधिकारी ने जिस प्रकार रुपयों का दुरुपयोग किया है; अनजान में, एक चीज के एक रुपये की बजाय दो रुपये गलती से दे आये तो यह अलग बात है, पर यदि कोई अपने स्वयं के घर-खर्च के लिये उस चीज का उपयोग कर ले, अपने काम में उस चीज को ले आये तो यह साफ मिसएप्रोप्रियेशन है। इसे गबन की संज्ञा दें उस अधिकारी के लिए तो अनुचित नहीं होगा। हमारे सदन की समिति है उसने जांच करके कहा है कि इस अधिकारी ने गबन किया है, मिसएप्रोप्रियेशन किया है, झूठ बोला है। तो सदन की एक समिति निर्णय लेती है कि इस अधिकारी ने सरकारी रुपयों का गबन किया है, सरकारी माल का मिसएप्रोप्रियेशन किया है; फिर क्या कारण है कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाता? अगर कोई दूसरा छोटा अधिकारी होता, अकाउन्टेन्ट होता या और कोई दूसरा अधिकारी होता तो सरकार उसकी फौरन गर्दन पकड़ लेती और उसे फौरन पुलिस को सौंप देती, एन्टी-करप्शन में उसका केस दे देती, कोई छोटा अधिकारी होता तो आज वह जेल खाने की हवा खाता, पर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी को, करप्ट अधिकारी को हमारे मुख्य मंत्री, इंग्लैंड की महारानी के सामने ले जाते हैं; क्योंकि यह एल्बम अच्छा तैयार कर लेते हैं और महा-रानी को एल्बम भेंट करवा देते हैं और हमारे मुख्य मन्त्री की वाह-वाह हो जाती है। यह कहा जाता है कि यह वैल पॉलिश्ड है। वैल पॉलिश्ड होने के नाते सरकार इस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रकार के करप्ट अधिकारी को इस प्रकार संरक्षण देती है, इस प्रकार का काम देती है; यह उचित नहीं।

पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को रिपोर्ट सामने है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। इस विभाग में कागजात की चोरी हो गई। किस तरह के कागजात? टेन्डरों की चोरी हो गई; जो लोएस्ट टेन्डर था उसको स्वीकार नहीं किया और जो अधिक था उसको स्वीकार कर लिया। वहां १५ टेन्डर आते हैं। उनमें से ५ टेन्डर मौजूद मिलते हैं, बाकी १० के लिये कहा जाता है कि गायब हो गये। तो ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा लोएस्ट था और इस प्रकार के अधिकारी को संरक्षण दिया जाता है, इस प्रकार की बात है।

तो मेरे ख्याल से इस विभाग का नाम बजाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट रखने के व्यक्तिगत रिलेशन डिपार्टमेंट रख दिया जाय क्योंकि हमारे इस अधिकारी पर हमारे दो मन्त्रियों की कृपा है, एक तो हमारे प्रान्त के मुख्य मन्त्रीजी की और दूसरे गृह मन्त्रीजी की। पहले जब इस अधिकारी के खिलाफ शिकायतें की गईं तो गृह मन्त्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया था कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच करवाई जायेगी। इसकी जांच के लिये एक कमेटी मुकर्रर की। ओझा कमेटी ने इसकी जांच की और वह जांच रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई। कई बार सदन में मांग की और कहा कि ओझा कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाय, उस कमेटी ने जो भी जांच की है, गलत की है या सही की है, जैसा भी अच्छा या बुरा सर्टिफिकेट उस कमेटी ने इस अधिकारी को दिया है उसको सदन में रखना चाहिये; पर हमारी सरकार की, गृह मन्त्रीजी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सदन में रिपोर्ट को रख दें। इसलिये उस रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा कि उस अधिकारी ने मिसएप्रोप्रियेशन किये, गबन किये, भ्रष्टाचार किये, जितने इस प्रकार के चार्जेज़ हो सकते हैं वे सब चार्जेज़ इस अधिकारी पर लगाये....

(१२. २५. म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार के अधिकारी को इस प्रकार का संरक्षण दिया जाय तो इससे स्पष्ट साबित है कि गृह मन्त्री उन सारे मामलों में शामिल हैं, गृह मन्त्री की साजिश से मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है, गबन हुआ है और गृह मन्त्रीजी के कारण झूठ बोला है और ये सब घोटाले किये हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, इस कट-मोशन के द्वारा मिनिस्टर ऑफ कौंसिल के समान पद वाले के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। इस तरह की बात वोट ऑफ नो कॉन्फीडेन्स की हैसियत से ही आ सकती है। इस कट मोशन को लेकर personal allegations against a Minister cannot be made.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): यह आप कौन से नियम के अनुसार कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: मेरी भी मान्यता है कि डाइरेक्टर के बारे में कुछ कह रहे हैं तो

(श्री उपाध्यक्ष)

साजिश के आधार बिना किसी तथ्य के बताना उचित नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तथ्य तो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्फरेंस भी नहीं कह सकते, जो अन्दाज हैं, जिनका आधार नहीं, वह कहना उचित नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोई एक साल, दो साल या तीन साल से इस प्रकार के मामले नहीं चले आ रहे, बराबर १६५३ से इस प्रकार के मामले चले आ रहे हैं, गबन और मिसएप्रोप्रियेशन के मामले चले आ रहे हैं। इनकी जांच के लिये एक कमेटी बैठाई और उसके सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह सिद्ध हो गया कि उसने गबन किया है, मिसएप्रोप्रियेशन किया है, फिर भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का क्या मतलब होता है ? जिसका दायित्व है एक्शन लेने है का वह उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले तो मन्त्री महोदय को ही कह सकते हैं; क्योंकि सदन के प्रति जिम्मेदार मन्त्री महोदय हैं, डाइरेक्टर नहीं। डाइरेक्टर का सदन से कोई ताल्लुक नहीं। जबाब मन्त्रीजी देंगे; कार्यवाही करने का अधिकार उनका था; वे कार्यवाही नहीं करते हैं जानबूझ कर तो इससे स्पष्ट यही इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि वे उसको बचाना चाहते हैं। वे मन्त्री जान बूझ कर कार्यवाही नहीं करें, अनजाने में तो कार्यवाही नहीं करें तो और बात है। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मेरी नोलेज में नहीं था, अब मेरी नोलेज में आया है तो अब कार्यवाही करूंगा, तो हम कह सकते थे कि इस सारे काण्ड में मन्त्री महोदय का हाथ नहीं है। पर जनलेखा समिति की रिपोर्ट आने के बाद, जब कि जनलेखा समिति ने कहा कि मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है, कैश बुक में इन्ट्री नहीं, साल भर तक रुपया डाइरेक्टर की जेब में पड़ा रहता है, यह गबन नहीं तो क्या है, झूठ नहीं है तो क्या है ? ये बातें मन्त्री महोदय के ध्यान में नहीं होतीं तो कह सकते थे कि इनको ज्ञात नहीं था ! इनको ज्ञात कराया, ओझा कमेटी ने रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट को प्रकाशित कराने की, सदन के सामने रखने की हिम्मत नहीं करते। ओझा कमेटी ने सिद्ध किया कि मन्त्री महोदय इसमें एन्टेन्गल्ड हैं, अगर एन्टेन्गल्ड नहीं हैं तो सदन में ओझा कमेटी की रिपोर्ट रखें, नहीं रखते तो इसका मतलब साफ है all are entangled in this whole affair. तो मेरा निवेदन है कि डाइरेक्टर को फौरन गिरफ्तार किया जाय, उस पर ४२० का मुकदमा चलाया जाय। हमारे सदन की समिति की रिपोर्ट इस प्रकार है कि this man should be sent behind the bars. Behind bars नहीं भेजा जाता, तोइससे मैं यही मतलब लेता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी इन बातों को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में भ्रष्टाचार हो, गबन हो मिसएप्रोप्रियेशन हो।

डाइरेक्टर साहब दिल्ली से आये। राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, फोटो खिंच गई, उनको वाह वाह मिल गई और उनको वाह वाही मिलने से गृह मंत्रीजी को वाह वाही मिल गई !

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इस विभाग द्वारा विज्ञापन दिये जाने की पद्धति है; उस पर हमें विचार करनाचाहिये। कल भारत की संसद् में इस बात का विचार हुआ। सूचना और प्रसार मंत्री डॉ० केसकर ने कहा कि राजनैतिक विचार-धारा से विज्ञापन देते हों; ऐसी बातें नहीं है। राजस्थान में इसके बिल्कुल विपरीत है। जिन समाचार पत्रों का कोई सर्कुलेशन नहीं उन समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं। उदयपुर डिविज़न के और कोटा डिविज़न के समाचार पत्रों को, चाहे वे साप्ताहिक हों मंगा कर देखिये किसी को निकाल कर देख लीजिये। उदयपुर और कोटा डिविज़न में एक एक पेज के पेम्फलेट्स निकलते हैं। साप्ताहिक निकलते हैं, 'जिन वाणी' और 'राजस्थान समाचार' पेम्फलेट के रूप में और जिस समय विज्ञापन दिये जाते हैं तभी निकलते हैं; विज्ञापन के लिए ही निकलते हैं। हमारे इस विभाग द्वारा उन पेम्फलेट्स को विज्ञापन दिये जाते हैं। ऐसे समाचार पत्र हैं जो विज्ञापनों के छापने के लिये ही निकलते हैं और ऐसे पत्र भी हैं जिनकी हजारों प्रतियें रोज छपती हैं उनको विज्ञापन नहीं मिलते। ऐसे पत्रों को मिलते हैं जो विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। समझ में नहीं आता हमारा यह विभाग उन पत्रों को विज्ञापन क्यों नहीं देता जो काफी तादाद में निकलते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे अखबार हैं जिनको डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स से विज्ञापन नहीं मिलते, जिनका सर्कुलेशन बहुत है।

एक माननीय सदस्य : यह तो व्यक्तिगत कम्पलेन्ट है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप इसको ऐसा ही समझेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Will proceed please.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन अखबारों का व्यक्तिगत संबन्ध किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है। हो सकता है कि किसी माननीय मंत्री की प्रेरणा से या किन्हीं और कारणों से इस प्रकार के बड़ा बड़ विज्ञापन मिलते हों। बाकी के अखबारों को जिनकी १०-१० हजार प्रति रोज निकलती हैं उनको भी हमारा यह विभाग विज्ञापन नहीं देता है। अभी हाल ही में दिल्ली अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन हो रहा है। वहां पर ब्लिट्ज़ के एडिटर ने बताया कि जब उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते हैं तो वे प्रान्त के मुख्य मंत्री के खिलाफ खबर छाप देते हैं और उसके बाद उनको विज्ञापन मिलने लग जाते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मन्त्री, शिक्षा) : यह तो, ये तो फेवर करने वालों को विज्ञापन देते हैं, यह कहना कहां सिद्ध होता है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप पूरी तरह से सुनिये। जब उस प्रान्त के मुख्य मंत्री के खिलाफ खबर छपती है तो मुझे पूरा कोटा मिल जाता है। वह मुख्य मंत्री कौन हो सकते हैं; इस पर कहने की जरूरत नहीं। वे राजस्थान के मुख्य मंत्री ही हो सकते हैं। पहले ब्लिट्ज़ ने हमारी सरकार की आलोचना की थी। पिछले सदन की बात थी, उन्होंने उनकी आलोचना की। उसके बाद

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमारे मुख्य मंत्री ने ब्लिट्ज़ को विज्ञापन देना शुरू कर दिया।

इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत कि सदन के सदस्यों को एक समिति बनाई जावे और इस विभाग के डाइरेक्टर को फौरन मुअत्तिल किया जावे। मुअत्तिल करके इसकी फौरन कमेटी जांच करे। इस कट मोशन के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा एक कटौती का प्रस्ताव और है।

श्री उपाध्यक्ष : You have taken 20 minutes.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जो नगरपालिकाओं को आप जो भी आय पर-हैड देते हैं उस पर धीरे धीरे हाथ मार रहे हैं। जितने म्युनिसिपैलिटी के टैक्स हैं उन पर आप हाथ मारते जा रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने मनोरंजन कर बढ़ाया, मगर बजट में यह नहीं बताया कि यह आमदनी किसकी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आय म्युनिसिपैलिटी की या पंचायत की बढ़ेगी उतनी ही उनकी शोहरत बढ़ेगी। इसलिये नगरपालिकाओं और पंचायतों के जितने भी राजस्व की आय के साधन हैं और आप देने वाले हैं दें, जिनको वे आसानी से टैक्स के रूप में वसूल कर सकें। पहले वे करती थीं और अब भी कर सकती हैं। मगर इसमें भी सरकार बीच में पड़ती है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि सरकार इस प्रकार के टैक्सों को वसूल करने में बीच में न पड़े और रीअलाइज़ेशन चार्जेज़ न लें, और सब आमदनी नगरपालिकाओं और पंचायतों को दें और वे ही उसको वसूल करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : So far as this cut motion is concerned, Sir, it does not pertain to the demand under discussion. This cut motion No. 2 relates to famine scarcity and there is a separate Head in the Budget, 'Famine Relief'. Therefore, this cut motion can be moved only when that particular demand is moved and not under this demand.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : This is under 'Miscellaneous' also.

श्री दामोदरलाल व्यास : No. That is in respect of 'Flood and Fire Relief' and not under 'Scarcity.' If you look to the Budget...

श्री पी. के. चौधरी : When it has been admitted by the Chair it should be allowed. We don't know where it is. In the Budget it is never mentioned that it is for Fire Relief or other Relief.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is there in the Budget, if you look to the Budget,

Page No.49

श्री उपाध्यक्ष : The point is valid and we cannot...

श्री पी. के. चौधरी : The whole issue is that if the Hon'ble Minister declared in this House that he will declare Phulera and Dudu as scarcity areas, but he has not done it.

श्री दामोदरलाल व्यास : I may inform the Hon'ble member that those areas have been declared scarcity areas.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) ; member may be declared as Scarcity Area.

श्री पी. के. चौधरी : Alright Sir, I will speak on the other two.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : You have said your purpose.

श्री पी. के. चौधरी : My cut motion was about Financial Assistance to Phulera Municipality.

उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा म्युनिसिपैलिटी के वाटर वर्क्स के लिये और वहां की म्युनिसिपैलिटी के टाउन हॉल के निर्माण के लिये भी स्वायत्त शासन मंत्री के पास दरख्वास्त पड़ी है। पिछले साल जो मदद दी गई थी उसमें फुलेरा और अलवर को छोड़ कर दूसरों को दी गई। करेन्ट इयर में लोन आदि मन्जूर किये हैं। मैं समझता हूँ कि फुलेरा की मांग है इसको नेक्स्ट इयर के बजट में वाटर वर्क्स और भवन निर्माण के लिये जो भी लोन और ग्रान्ट है मन्जूर कर देगी।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, about Urban Community Development Projects. इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँगा। अर्बन इम्प्रूवमेंट के लिये लगभग ८ लाख का प्रावधान रखा है। हमारा जो प्लान है उसमें ८० लाख का प्रावधान है इस पर्पज़ के लिये। अब इसका सिलेक्शन करते हैं, उसकी कोई रूप रेखा नहीं है। यह अर्बन इम्प्रूवमेंट के लिये पैसा दिया गया है। यह कोई बड़े शहरों के लिये नहीं है कि हम इसको किसी बड़े शहर में खर्च करें; जैसे कोटा या जयपुर या दूसरा बड़ा शहर। यह तो १०–१० हजार या १५–१५ हजार के कस्बे हैं उनके लिये है। इसके अलावा जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हमें देखना होगा कि किस कस्बे में हमको ज्यादा रीटर्न मिलेगी और ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे यहां बहुत से कस्बे हैं लेकिन इसकी पोपुलेशन व स्टेन्डर्ड ऑफ एज्युकेशन और एटीट्यूड को देख कर सिलेक्शन करें वह ठीक होगा। इसलिये मैंने जो सांभर में इसका रखा है वह इसी लिहाज से रखा है। इसमें एज्यूकेटेड पोपुलेशन दूसरे कस्बों की अपेक्षा ज्यादा है।

दूसरी बात, सांभर में सॉल्ट ट्रेड चलता था उसमें मंदी है और काफी अनएम्प्लॉयमेंट है They must have some sort of other employment लोगों को एम्पलॉयमेंट मिलेगा। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के लिये जिन फैक्टर्स का होना जरूरी है, वे भी हैं। इसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं। बिजली, वाटर और लेबर। फिर इसमें मैकेनिक का वर्क हो, उसमें कुछ लोगों के लिये तो it has become a sort of family trade with them आपको वहां पर स्किल्ड लेबर आसानी से मिल सकती है। वहां पर चंबल

Page No.50

(श्री पी० के० चौधरी)

की बिजली मेरे ख्याल से इसी साल के अन्त तक पहुँच जावेगी और वाटर वर्क्स है। इसलिये स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री के सभी साधन सांभर में मौजूद हैं। इसलिये मेरे ख्याल से सांभर का एरिया उपयुक्त है और इसको ध्यान में रखेंगे। इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नेक्स्ट कट मोशन है पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में मेरे जितने भी कट मोशन्स हैं उन सब पर एक साथ ही बोलना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एफिशियेन्सी और कुछ पब्लिकेशन्स के सम्बन्ध में अभी मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य ने कट मोशन मूव किया था उन्होंने काफी कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल्स दिये हैं, डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में बताये हैं। मैं एग्ज़ाम्पल्स की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। डी. पी. आर. के सम्बन्ध में इन्सटान्सेज साइट किये हैं उनके अलावा भी hundreds of examples have been discussed on the floor of the House इस सदन के सामने मैंने खुद ने भी काफी क्वेश्चन्स के जरिये और दूसरे जरिये से, पी. ए. सी. की रिपोर्ट के जरिये से, डी. पी. आर. की एक्टीविटीज़ हैं, एफिशियेन्सी है उससे सब को परिचय मिल चुका है। इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात सदन में कहना चाहता हूँ। हम यह महसूस करते हैं। मुझे एक बात याद आती है। दस वर्ष पहले गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने एक करप्शन कमेटी नियुक्त की थी जिसके आचार्य कृपलानी चेयरमैन थे। उस समय। उन्होंने किसी ऑफिसर की एफिशियेन्सी, इन्टीग्रिटी पर किया था कि वह अफसर इन-एफिशियेन्ट है या अब एफिशियेन्ट नहीं है या करप्ट है, इन्फॉर्मेशन या तो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और कर पाते हैं तो साबित नहीं होती है। तो करप्शन कमेटी ने कहा था कि जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं उनकी जनरल रेपुटेशन about his efficiency or integrity is a very good proof of his character. जो किसी पब्लिक सर्वेन्ट की एफिशियेन्सी की रेपुटेशन खराब हो, इन्टीग्रिटी खराब हो तो यह मान कर चलना चाहिये कि जरूर उसमें कुछ खामियां हैं, डिफेक्ट्स हैं। डी. पी. आर. के सम्बन्ध में इतनी दफा सदन में चर्चा हुई, इस विभाग के बारे में और अधिकारी के बारे में। मैं समझता हूँ it is sufficient for the Government to take a note of it. गवर्नमेन्ट को कोई विशेष उनसे जवाब के सम्बन्ध में, पब्लिसिटी के अधिकारी के विषय में बार बार सदन में आवाज उठाई गई, बाहर भी चर्चा होती है तो गवर्नमेन्ट को जरूर नोट लेना चाहिये और यह मैं महसूस करता हूँ, it is in the interest of the Government. इसी सम्बन्ध में गवर्नमेंट विभाग के किसी इम्पॉर्शियल और ऐसे किसी व्यक्ति से whose integrity is above doubt for everybody concerned, सदन का कोई सदस्य या बाहर का कोई आदमी नहीं कह सके कि किसी व्यक्ति की फाइन्डिंग्स बायस्ड हो सकती है या इन्फ्लुएन्स्ड हो सकती है इस विभाग के अधिकारी के काम की जांच करा लीजिये और रिपोर्ट सदन में पेश कर दी जाय या उसको पब्लिश करा दिया जाय। कम से कम इस बात का अन्त हो जाय कि इस विभाग

(श्री पी० के० चौधरी)

के बारे में सदन में जो सवाल आते हैं वे सही हैं या गलत हैं । It is also in the interest of administration. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह ज्यादा अच्छा है कि या तो डिसएप्रूव करें या उसको एक्सेप्ट करना चाहिये और उसके कॉन्सिक्वेन्सेज़ हैं, कॉन्सिक्वेन्शियल एक्शन होना चाहिये । डिस्प्यूट कह देने से नहीं होता है, फैक्ट्स एन्ड फीगर्स से होता है । डी. पी. आर. के बारे में मेरी राय है, मैं समझता हूँ it is in the interest of the Government to get him absolved of this. या तो खुद साबित कर दें कि डिपार्टमेंट एफिशियेन्ट है; सदन में बार बार बातें आती हैं, वे गलत हैं । साबित कर दें और ऐसे व्यक्ति के द्वारा डी. पी. आर. की जांच करवा कर कर सकते हैं । दूसरा तरीका नहीं है ।

माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेंट दे दें या विभाग की ओर से कॉम्युनिक इश्यू हो जाय उससे यह साफ नहीं होगा । पब्लिक के माइन्ड पर जो इम्प्रेशन है उसको हटाना चाहिये और हटाना जरूरी है । It is high time that we get this impression removed. इसको रिमूव नहीं सकें तो डिपार्टमेंट को ओवर ऑल कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक–दो बातें कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिसिटी वान्स के बारे में कट मोशन है उन पर कहना चाहता हूँ । हर एक डिपार्टमेंट में पब्लिसिटी के लिए अलग अलग वान्स हैं । हर एक डिपार्टमेंट के पास पब्लिसिटी वान्स हैं । डी. पी. आर. के पास है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास है, सोशियल वेलफेयर के पास भी है और अलग अलग पब्लिसिटी के लिए वे जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रिप्लीकेट खर्चा हो जाता है । एक ही वान्स में सोशियल वेलफेयर, कोऑपरेटिव और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं । अलग अलग करने से वायर एन्ड टीयर ज्यादा होता है और एक करने से वीयर एन्ड टीयर बचता है । आज जो तीन–तीन विहिकल्स जाती हैं वही काम एक पब्लिसिटी विहिकल जाकर कर सकती है और एक्स्ट्रा को दूसरी जगह भेज सकते हैं । यह मैं महसूस करता हूँ कि जहां तक पब्लिसिटी का सम्बन्ध है उसमें कोऑर्डिनेशन लागू कर सकते हैं । विथ दी सेम रिसोर्सेज़ कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है । अलग अलग जगह भेजते हैं तो थ्री सेट्स ऑफ पीपुल जाते हैं । एक ही सेट हो तो वह one set of people and and vehicle will do; ज्यादा लोगों को एप्रोच कर सकता है । मैं महसूस करता हूँ कि इसमें यह होना चाहिये ।

दूसरा, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के पब्लिकेशन्स होते हैं । हमारे देश में ७६ पर्सेन्ट से ज्यादा के लगभग, ८० पर्सेन्ट लोग निरक्षर हैं । ज्यादातर पब्लिकेशन्स अंग्रेजी में होते हैं, हिन्दी में होते हैं । वे निरक्षर लोग नहीं पढ़ सकते हैं । आज जरूरत यह है कि उनके कॉन्सेन्शियसनैस को जागरुक करना है, उत्साहित करना है । इनसे उनके कोई कॉन्सेन्शियसनैस पैदा होती हो, यह मुझे नहीं लगता है । There is need for conscienteous men. उनका कान्शियस जागरुक हो जाय । न तो उसके लिए कोई लैंग्वेज है और न ही एप्रोच है । मैं समझता हूँ कि

(श्री पी० के० चौधरी)

इस प्रकार की किताबें छाप देने से पब्लिसिटी नहीं होती है, वह मासेज़ में इफेक्टिव पब्लिसिटी नहीं करती हैं। इसके लिए पोस्टर्स और audio-visual media ज्यादा अच्छे होंगे; बनिस्बत छोटे छोटे पेम्फलेट्स बांटने के। पेम्फलेट्स शहरों में अच्छे हो सकते हैं या लिटरेरी कस्बों में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन गांवों में पेम्फलेट्स बांटने से कोई फायदा नहीं है। गांवों में चुनावों में जिस तरह से पोस्टर्स बांटते हैं, फोटो देख कर लोगों को याद आ जाती है, उनको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। At once when one sees it, an idea comes into one's mind. इस प्रकार पब्लिसिटी मीडिया, टैक्निक में परिवर्तन करना चाहिये और ८० पर्सेन्ट गांवों में लोगों को एप्रोच करना है तो पोस्टर्स या ऐसा मीडिया एडॉप्ट करें जिससे किताबें पढ़ने की जरूरत न हो, उनको फोटो देख कर ही याद आ जाय। एक सिम्बोलिक आइडिया होना चाहिये। उसके लिए मैं समझता हूँ पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट में ऐसे people who are not simply moving in a groove. पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में लोग हैं, मैं समझता हूं the people there are moving in a rut, in a groove. They are not moving out of the beaten track. बीटिंग ट्रैक से बाहर नहीं जाते हैं।

नये आइडियाज़ लेकर ह्यूमन साइकॉलोजी को मालूम करके पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट को चाहिये कि वह इस प्रकार के पेम्फलेट्स निकाले जिससे जनता ज्यादा से ज्यादा प्लान्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन हम देखते हैं, इस प्रकार की बुकलेट्स में टीथ ब्रेकिंग लैंग्वेज का यूज होता है जिसको साधारण गांव के लोग समझ नहीं पाते। बीटन ट्रैक निकाल कर नई तरह से लोगों को एप्रोच करें। हमारी पब्लिसिटी का यह मतलब नहीं कि हम किसी भी तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करें चाहे उसे गांव वाले समझते भी न हों। हमें उन लोगों के लिये ऐसी भाषा में बुकलेट्स प्रकाशित करनी चाहिये जो लोग प्लान के बारे में नहीं समझते। उनमें उसके प्रति एक भावना जाग्रत करें; not about our achievements alone. सिर्फ अचीवमेंट ही बताने का काम नहीं, उसके लिये साइकॉलोजिकल अप्रोच चाहिये। उनके लिए पब्लिसिटी का ढंग, तरीका अलग होना चाहिये। मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ जो इस बारे में राय दे सकूं। सरकार को सोचना चाहिये कि जो टैक्निक पब्लिसिटी की है उसको बदलना चाहिये।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, एडवर्टाइज़मेन्ट पॉलिसी के बारे में है। इस सम्बंध में मैं कहना चाहता हूँ कि एडवर्टाइज़मेंट के बारे में गवर्नमेन्ट को अपनी स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। मैं जहां तक देख पाया हूँ गवर्नमेंट एडवर्टाइज़मेंट उन्हीं पेपर्स को देती है जो उनकी एप्रूव्ड लिस्ट में होते हैं, उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। डेली पेपर्स हैं इनका सर्कुलेशन कितना है, वीकली पेपर्स हैं इनका सर्कुलेशन कितना है, इस प्रकार की लिस्ट उनके पास होती है। उसी के आधार पर एडवर्टाइज़मेंट देते हैं।

तीसरी बात सर्कुलेशन का क्राइटेरिया इसलिये लिया जाता है कि उसमें जो एडवर्टाइजमेन्ट देते हैं वह पेपर कितने लोगों के पास जाता है।

(श्री पी० के० चौधरी)

उसी हिसाब से वह एडवर्टाइज़मेन्ट का भी एप्रोच होता है; how many people are approachable through that particular paper.

हमारे एडवर्टाइज़मेंट देने का क्राइटेरिया यह होना चाहिये कि वह पब्लिक में एप्रोचेबल हो सके। चाहे वह किसी प्रकार का पेपर हो, किसी भी पार्टी का हो हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों के पास पहुँचने का क्राइटेरिया रखते हैं और जिस एरिया में जो विज्ञापन पहुँचाना चाहते हैं उस एरिया में उस पेपर का सर्कुलेशन कितना है; यह देख कर दिया जाना चाहिये। मान लीजिये, जोधपुर में किसी काम के लिये एडवर्टाइज़मेंट देना है तो वैसी हालत में हमें देखना होगा कि जोधपुर का ऐसा कौनसा अखबार है जिसका सर्कुलेशन ज्यादा है। उसी को दिया जा सकता है। यह नहीं हो सकता कि काम तो जोधपुर में कराना है और उसके लिये विज्ञापन हो अलवर के पत्रों में हो। एडवर्टाइमेन्ट का जो तरीका है उसमें सर्कुलेशन का जो क्राइटेरिया रखा है उसके अनुसार कितने रीजन को वह कवर करता है, किस रीजन की पब्लिसिटी है, कितना सर्कुलेशन है; इन दो चीजों का मस्ट–क्राइटेरिया होना चाहिये, इन्डिस्पेन्सेबल क्राइटेरिया होना चाहिये।

चौथी बात यह है कि बहुत से अखबारों का सर्कुलेशन नहीं है, फिर भी उनको एडवर्टिइज़मेन्ट मिलता है। एक दफा मुझे याद है दो–तीन साल पहले इसी सदन में एक सवाल उठाया गया था, बजट डिस्कशन के समय एक क्वेश्चन रेज़ किया गया था, उसका मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था; हम छोटे मोटे अखबारों को विज्ञापन नहीं देते हैं तो वे अखबार बन्द हो जायेंगे मैं। समझता हूँ जो अखबार गवर्नमेन्ट के एडवर्टाइजमेन्ट द्वारा जिन्दा रहता है और बिना सरकारी एडवर्टाइजमेन्ट के जिन्दा नहीं रह सकता उस अखबार को विज्ञापन नहीं देना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मन्त्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई माननीय सदस्य का कट मोशन तो नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : Not necessarily about my cut motion. All the cut motions are taken to have been moved and I can speak on any cut motion.

श्री उपाध्यक्ष: And the cut motion's spirit is just identical.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन अखबारों को विज्ञापन दिया जाता है और उसी से वे अखबार चलते हैं, इसमें आपको एतराज क्या है; मैं राजस्थान के पत्रकारों की ओर से बोल रहा हूँ ?

श्री पी० के० चौधरी : ऑनरेबल मेम्बर अखबार चलाते हैं, मेरा उनके अखबार से कोई मतलब नहीं है।

यह जो पॉलिसी है, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब में कहा था कि यदि हम छोटे–मोटे अखबारों को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो वे बन्द हो जायेंगे, ऐसे अखबार

(श्री पी० के० चौधरी)

जो केवल एडवर्टाइज़मेन्ट के जरिये ही जिन्दा रहते हैं तो उन अखबारों में विज्ञापन देने से क्या फायदा ? जब उनको एडवर्टाइजमेन्ट मिलेगा वे निकालेगे; नहीं तो उनके अखबार बन्द रहते हैं। हम विज्ञापन इसलिये देते हैं कि उस एरिया के लोगों को उसके बारे में जानकारी हो।

उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये जिस एरिया के लिये हम विज्ञापन देते हैं उस एरिया में उस पेपर का सर्कुलेशन कितना है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए विज्ञापन देना चाहिये।

आखिर मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ एडवर्टाइज़मेन्टदेने में गवर्नमेन्ट को डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को स्ट्राइफल करने के लिये सप्रेस करने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिये। अभी दो–चार रोज पहले जब एम०-एल० एज़० क्लब के सामने मि० मंगेकर ने जो इन्डियन एक्सप्रेस के सम्पादक हैं भाषण देते हुए कहा था कुछ स्टेट्स में हो सकता है, जो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की पॉलिसी है उसके अनुसार पॉलिसी हो; इस बात को हर अखबार वाला स्वीकार करता है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की जो पॉलिसी है किसी भी अखबार के क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने की पॉलिसी नहीं होती, हर अखबार को विज्ञापन मिलता है और मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स भी उसी प्रकार की पॉलिसी रखते हैं। मैं समझता हूँ हमारी राजस्थान सरकार को भी वही पॉलिसी अख्त्यार करनी चाहिये। क्रिटिसिज्म को स्ट्राइफल करने के लिये या किसी क्रिटिसिज्म की वजह से एडवर्टाइज़मेन्ट को पॉलिसी इफेक्ट नहीं होनी चाहिये। It should be purely on the basis of merit and circulation.

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन मूव करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी कट मोशन्स को एक साथ मूव करता हूँ जिनका कि मैंने नोटिस दिया है। यदि इन कट मोशन्स का वर्गीकरण किया जाय तो ये तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं। ये सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, नगरपालिका एवं जिला परिषद् से सम्बन्ध रखने वाले हैं। पहले में जिला प्रमुख के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

जिला प्रमुख को ट्रेवलिंग अलाउन्स और डेली अलाउन्स देने की व्यवस्था है। जहां हम एक व्यक्ति की पूरी सेवा लेना चाहते हैं वहां जब हम सभी सदस्यों को मासिक भत्ता देते हैं तो जिला प्रमुख ही एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मासिक भत्ता नहीं दिया जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये; चाहे हमारे बजट में इसके लिये अधिक धन–राशि रखने की आवश्यकता हो; जिला प्रमुख को भी मासिक भत्ता अवश्य दिया जाय।

दूसरी बात यह कि हम जिला प्रमुख को डिस्ट्रिक्ट पूल में रखते हैं जीप के लिये। मेरे ख्याल में जिला प्रमुख कभी भी उसका फायदा नहीं उठा सकता। जिला प्रमुख को कम से कम वहां पर ही उसके लिये जीप हो और डाइरेक्ट लेने का अधिकार होना चाहिये;

Page No.55

(डॉ० बहादुरसिंह)

जिस वक्त भी उसको आवश्यकता हो उसका उपयोग कर सके....

श्री उपाध्यक्ष : हमें तो ऊँटों के सदुपयोग की बातें सोचनी चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : आजकल जमाना जीपों का है।

नगरपालिका के वार्ड्स बनाने का सम्बन्ध है। हमारे इस सदन में इस बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें होती रही हैं। मैं इस बारे में गत मन्त्री महोदय की शिकायत नहीं करता- मौजूदा मन्त्री महोदय के प्रति अवश्य इस प्रकार की शिकायतें हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह चाहूँगा कि जिस प्रकार से पंचायतों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, वार्ड इत्यादि के सम्बन्ध में, उसी प्रकार की हाई पॉवर कमेटी बना कर वार्डस को निश्चित करें; तभी हम समझते हैं कि इस प्रकार की शिकायत दूर हो सकती है।

मैं नगरपालिकाओं की व्यवस्था के बारे में जिक्र करना नहीं चाहता, डाइरेक्टोरेट से उनको एड देने की जो बातें करते हैं,

(१.०० म० प०)

हम एड देते हैं नगरपालिकाओं को, पर वे हमारी इच्छाओं व आज्ञाओं का कितना पालन करती हैं, इस पर सोचना चाहिये। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि इस चेयर से हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक अधिकारी के बारे में जिस वक्त कि उसने नगरपालिका से कर्जा लिया था उस पर रिमार्क पास किया था कि उस व्यक्ति का यही कार्य है। इस प्रकार के अधिकारी जो हमारे विभाग में हैं नगरपालिका के; तो यह सोचने की बात है। बड़ी मुश्किल से हम गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से टैक्स वसूल करके यह पैसा लाते हैं और वे कर्मचारी किस प्रकार कर्ज के रूप में लेकर दूसरे विभाग को रवाना कर देते हैं, यह बड़ा गम्भीर मसला है। फिर यह अधिकारी ऐसा वैसा नहीं; इस विभाग के डाइरेक्टर के साले साहब हैं। यह मसला सदन में कई बार आ गया है। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट को उनको ट्रान्सफर कर दिया है। तो जब हम इस प्रकार लोन देते हैं तो यह भी देखना चाहिये कि नगरपालिका किस प्रकार का खर्चा करती है और वह व्यवस्था किस तरह से करती है।

दूसरा मेरा कट मोशन है, इस सदन में भी यह मामला लाया गया था, पैट्रोल पम्प के बारे में कट मोशन दिया है। उस बारे में यह विश्वास दिलाया गया था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी। पर समझ में नहीं आया कि आखिर सरकार ने क्या कार्यवाही की। क्योंकि यह हमारा विभाग इस प्रकार की बातों में फंसा रहता है कि। (अश्रव्य) मैं शब्द प्रयोग करना उचित नहीं समझता। पर इस राज्य की प्रतिष्ठा और इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये ध्यान देना है कि हम जो भी वचन दें उसको पूरा किया जाय।

अब मैं सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। इसके संचालक महोदय पर अनेकों आरोप आते हैं। एक तरफ वे

(डॉ० बहादुरसिंह)

प्रचार करते हैं, दूसरी तरफ से दूसरा प्रचार किया जाता है। यह युग प्रचार का युग है। जो विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। मैं समझता हूँ कि इस विभाग के संचालक जो स्वयं राजस्थान की खूबियों के बारे में प्रचार करते हैं राजस्थान से बाहर, उनके बारे में, स्थानीय समाचार-पत्र और दूसरे दूसरे पत्र उनके बारे में काफी बातें निकाला करते हैं। इस सदन में भी उनकी बराबर आलोचना होती रहती है ! मैं व्यक्तिगत तौर से उनके सम्पर्क में नहीं हूं, पर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान से बाहर और विदेशों में उनके काम का सम्बन्ध है उनकी मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने बराबर राजस्थान का जो चित्र है बहुत अच्छा रखा है, पर राजस्थान मे उनकी कमजोरी के बारे में उनका ध्यान नहीं है।

इस सदन में उनकी विज्ञापन नीति की भी आलोचना होती है। इसकी मैं भी आलोचना करना चाहता हूँ और जो आलोचना इस सम्बन्ध की होती है उसका समर्थन करता हूँ। अधिक न कह कर अपने छोटे से जिले की बात रखना चाहता हूं। इस बारे में एक छोटे से अखबार में क्या निकलता है, उसका हैडिंग पढ़ कर सुना देता हूं :—

"राजस्थान विधान सभा में इन्डस्ट्री विभाग के भ्रष्टाचार की धूम। मौजूदा डाइरेक्टर को फौरन हटाया जावे।"

उपाध्यक्ष महोदय, सम्भवतया जिस वक्त इन्डस्ट्रीज़ विभाग के बारे में जब आलोचना हुई थी तो उस वक्त किसी माननीय सदस्य ने डाइरेक्टर महोदय के खिलाफ एक शब्द भी प्रयोग नहीं किया था, पर इस प्रकार के भी अखबार हैं जो इस तरह की खबरें छापते हैं। वे डाइरेक्टर महोदय से इसलिये नाराज हैं कि उन्होंने उनका लोहे का कोटा बन्द कर दिया था। पर हमारा पब्लिसिटी विभाग बराबर उनको प्रोटेक्ट करके उनको विज्ञापन देता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाचार पत्र वह कौनसा है, क्या नाम है ?

डॉ० बहादुरसिंह : "आवाज" है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही की ?

डॉ० बहादुरसिंह : वह मेरी नहीं; किसी अन्य की आवाज है। मेरी आवाज नहीं है इस प्रकार की।

तो एक नहीं, अनेकों पत्रों का ऐसों का मैं जिक्र कर सकता हूं। भरतपुर से निकलते हैं। इतना चीप जर्नेलिज्म है। मैं अपने जिले के पत्रों की बात कहता हूं। देश के सर्वोच्च नेता के बारे में भी कहने से वे नहीं चूकते। उनको विज्ञापन देते हैं, रिकमन्ड करते हैं कागज देने के लिये। आज ये छोटे छोटे पेपर जो जरा जरा सी प्रेस लगा कर बैठे हैं उनको विज्ञापन के नाम पर संरक्षण दिया जाता है। ये मुरारजी देसाई जैसे नेता और भारत-प्रसिद्ध पंडित नेहरू के बारे में गाली-गलोच बकते हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारा प्रचार विभाग क्या सोचता है इस बारे में ? तो आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा इस विभाग से कि

(डॉ० बहादुरसिंह)

बजट बढ़ाते वक्त तो हम ३ लाख से ३.५० लाख करा लेते हैं पर यह ध्यान नहीं रखते कि किस पत्र को वे कैसा विज्ञापन देते हैं।

दूसरी ओर उनके बारे में जो प्रचार है; जैसे स्थानीय पत्र जो "राष्ट्रदूत" है उसकी बात नहीं कहना चाहता; क्योंकि उसके अन्दर उसकी आलोचना हमारे माननीय सदस्यों ने पढ़ ली है। मैं डिटेल में भी नहीं जाना चाहता, पर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी आलोचना होती है उसकी कम से कम सफाई देने की आवश्यकता मान कर सफाई तो उनको देनी चाहिये। जो प्रचार हो रहा है उसका उत्तर नहीं देना उपयुक्त नहीं लगता।

हमारे सदन की फाइनेन्शियल कमेटियों में भी उनकी आलोचना हुई है। ऑडिट वगैरह की रिपोर्ट भी उनके खिलाफ है। इनकी सफाई हो सकती है, उत्तर हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि उत्तर न हों। तो हमें सब का उत्तर अच्छी तरह देना चाहिये और जब तक यह विभाग अपने को अच्छी तरह से पाक-साफ करके नहीं रखेगा उस वक्त तक मैं समझता हूं कि आप अपने प्रचार में सफल नहीं होंगे।

मैं इस विभाग पर एक और आरोप लगाता हूं, प्रकाशन सम्बन्धी। इस मद में पचास हजार से एक लाख रकम ले ली है। जो पत्रों का ध्यान रखने वाला विभाग है तो उसको अपने छिद्रों का भी ध्यान रखना होगा। उस पर यह आरोप लगाया गया कि एक प्रेस में ऑर्डर दे दिया और दूसरी एजेन्सी के नाम पर उसका रेट का पर्सेन्टेज बढ़ा दिया। एक ओर जनता पर टैक्स पर टैक्स लगा कर पैसा इकट्ठा किया जाता है और इसके लिये यहां सदन में सबको भुगतना पड़ता है, आलोचना भुगतनी पड़ती है और दूसरी तरफ हम इस तरह फिजूल खर्च करें तो इस बारे में सतर्कता से काम लेना चाहिये। आलोचना की दृष्टि से नहीं, सतर्कता की दृष्टि से ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय सदस्य भी इससे बहुत अच्छी तरह अवगत हैं। हमारा केन्द्रीय विभाग भी साथ साथ काम करता है। प्रचार के अनेकों साधन हैं। एक साधन केलेन्डर देने का भी है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विभाग के द्वारा सम्भवतया सभी माननीय सदस्यों को केलेन्डर प्राप्त हो गया, पर सम्भवतया राजस्थान के प्रचार विभाग ने किसी भी माननीय सदस्य को कोई केलेन्डर आज तक देने की कृपा नहीं की कि यह कलेन्डर इस विभाग के द्वारा प्रचारित हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : भेंट रूप में ?

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे खुद का पेशा ऐसा है कि जिसमें मुझे कुछ थोड़ा सा प्रचार करना पड़ता है और हम जानते हैं कि जब तक अपनी चीज का अच्छी तरह दिग्दर्शन करके व्यक्तियों को एप्रोच नहीं करते तब तक काम चलता नहीं है। यों केलेन्डर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत से माननीय सदस्य तो राजस्थान के केलेन्डर को लगाते भी नहीं होंगे....

श्री उपाध्यक्ष : तस्वीरें तो उसमें अब की बार अच्छी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके सामने दैनिक तौर पर राजस्थान का नक्शा रहता है। यह एक ऐसी साधारण सी चीज है कि जिसको हम समझ सकते हैं कि यह विभाग किस प्रकार से प्रचार करता है।

इसके बाद मैं एक विशेष प्रस्ताव करके विज्ञापन सम्बन्धी बात को फिर दोहराना चाहता हूँ। मेरा सुझाव यह है कि हमें कुछ स्टेन्डर्ड बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। पत्र चाहे विरोधी हों या हमारी सरकार की या किसी की आलोचना करते हों, लेकिन हमारे छोटे छोटे पत्र चाहे कोई भी सदस्य निकालते हों, कोई भी व्यक्ति निकालते हों उसे कभी पनपने नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे जर्नलिज़्म जो राजस्थान में मक्खी-मच्छर की तरह निकलें इससे तो अच्छा हो कि एक ही पत्र निकले लेकिन स्टेन्डर्ड का निकले। जिला-स्तर पर चाहे कोई पत्र हो....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, एक तरफ तो कहा जाता है कि छोटे पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाये और दूसरी तरफ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिप्रसाद यादव : और दूसरी तरफ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मक्खी-मच्छर की तरह....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री हरिप्रसादजी। मैं आपको सचेत करता हूँ कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में बाधा पहुँचाना उचित नहीं है। और इस सम्बन्ध में मैं आपको बार बार चेतावनी दे चुका हूँ, आप आगे इसको संकेत समझें। संकेत क्या, सीरियस संकेत समझें।

डॉ० बहादुरसिंह : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो सस्ती पत्रकारिता पनप रही है उसका मैं समर्थन नहीं करता और न मैं इस बात के लिए आपके द्वारा इस विभाग को यह निवेदन करना चाहूँगा कि छोटे छोटे पत्रों को वह विज्ञापन दे। लेकिन जो बड़े बड़े पत्र हैं, चाहे वे विरोधी हों या समर्थक हों, को हमें बराबर विज्ञापन की दृष्टि से और केवल इस दृष्टि से कि स्टेन्डर्ड क्या है, क्योंकि हमारे यहां प्रेस एक्ट इस प्रकार का है कि जिससे वह काफी कन्ट्रोल होते हैं, बराबर विज्ञापन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

अब मैं एक महत्वपूर्ण कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ। मैं पत्रकारों के ऊपर आदर सत्कार पर जो पैसा व्यय किया जाता है, इसकी आलोचना नहीं करता लेकिन इस हैड के लिए मुझे आलोचना करने का काम इसलिए पड़ा कि दिल्ली से निकलने वाले "ऑर्गेनाइज़र" पत्र में हमारे कुछ सम्माननीय पत्रकारों पर आक्षेप किया था। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे ६ हजार से १० हजार उनके स्वागत सत्कार के लिए कर दिया, जाये लेकिन स्वागत सत्कार पूरा होना चाहिए। किसी भी पत्रकार या किसी भी व्यक्ति का जो कि प्रतिष्ठावान् व्यक्ति हैं या एक विशेषज्ञ हैं किसी कला में या राजस्थान में कोई पत्रकार बाहर से आता है तो उनका

Page No.59

(डॉ० बहादुरसिंह)

बराबर स्वागत सत्कार करें। लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्वागत सत्कार की वजह से वह व्यक्ति बदनाम न हो। मैंने १६५६–५७ में कुछ पोइन्ट्स देखे थे। उसमें कहीं १५ रुपये का खर्चा है कहीं पर २० का है। आप स्वागत सत्कार अच्छी तरह से करिये। आप बाहर के पत्रकारों को बुलाइये, उनको राजस्थान अच्छी तरह से दिखाइये। राजस्थान के पत्रकारों को राजस्थान में राजस्थान समझाने के लिए ले जाइये। अगर इसमें १०) की जगह २०) रुपये भी खर्च हों तो ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो पत्रकार हैं, जो उच्च कोटि के पत्रकार हैं उनको बदनाम करायें तो मैं समझता हूं कि यह न तो राज्य के हित में है और न पत्रकारिता के हित में होगा।

दूसरी बात, मैं "ऑर्गेनाइज़र" की आलोचना नहीं करना चाहता; लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए भी चाहे वह पत्रकार हैं तो कोई हमारी नीति होती है। आप जरा कोड ऑफ एथिक्स, जर्नेलिज़्म की ओर भी ध्यान दें। तो कम से कम एक दफा बात सोची होती तो उनकी इस बात के लिए राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की आलोचना करनी होती तो इस तरह नहीं करके दूसरे तरीके भी थे और कर सकते थे।

मैं आप से अंत में यह निवेदन करना चाहूँगा कि हम स्वागत सत्कार में होने वाले व्यय में इतना ध्यान रखें कि पत्रकारों को प्रोत्साहन दें और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वह सारी चीजें देखता है। देख करके फिर पब्लिकेशन हो। इस प्रकार से पत्रकार तो बदनाम होंगे ही लेकिन साथ ही साथ हमारा विभाग भी बदनाम होगा।

अन्त में, मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि यह प्रचार का युग है। जो राजस्थान का विकास हो रहा है उसका अच्छी प्रकार से प्रचार नहीं किया तो यह समझ लीजिये कि सारी की हुई मेहनत बिल्कुल बेकार जायेगी क्योंकि आज के युग में बिना प्रचार के कोई काम नहीं होता।

जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जो बातें कहीं, इस बात का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनमें पहला जो प्रस्ताव है उनमें बीकानेर के जन सम्पर्क अधिकारी कहां तक अपने कार्य में सफल रहे हैं और जो बातें सरकार की जनता तक पहुँचाने में और बताने में असफल रहे हैं; इस सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है। मैं हमेशा यह सोचता रहा हूँ प्रारम्भ से कि जन सम्पर्क अधिकारी के क्या क्या कर्त्तव्य होते हैं और सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का क्या कार्य होना चाहिये और वह किस प्रकार से चलना चाहिए; इस पर हमेशा विचार करता रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक जमाना था जिस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में अपने यहां इस प्रकार के अधिकारी होते थे, राजा महाराजाओं के जमाने में भी होते थे। वे अपने जमाने में अपनी अपनी सरकार को

(श्री मुरलीधर व्यास)

जनता में होने वाली घटनाओं से परिचित कराते थे और सरकार का क्या दृष्टिकोण है उससे भी वे परिचित कराते थे। तो इस प्रकार की प्रणाली थी। पर उस जमाने में क्योंकि सरकार निरंकुश थी, जनता को दबाना चाहती थी और इसलिए वे जनता से सम्बन्धित उनके हित की बातों को विशेष ध्यान नहीं देते थे बल्कि उन बातों पर विशेष ध्यान देते थे कि जनता में ऐसे लोग जो कि सरकार के प्रति विद्रोह करते थे उनके बारे में अधिक ध्यान देते थे और ऐसी घटनाओं से विशेष परिचित कराते थे। परन्तु आज मुल्क आजाद हुआ और आजादी के बाद भी इस प्रकार के विभाग हमारे यहां मौजूद हैं; तो अब उन विभागों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिये ? मैं यह समझता हूं कि यह कार्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में इसी दृष्टिकोण से रखे हैं कि वह अपने डिस्ट्रिक्ट की सारी जनता से संबन्धित बातों से सरकार को परिचित कराये, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रहते हैं उनको परिचित करायें, सरकारी बातों से जनता को परिचित करायें। परन्तु होता क्या है कि जनता से सम्बन्धित बहुत सी बातें होती हैं, आज शहरों में किस प्रकार से क्या क्या घटनायें चल रही हैं, किस डिपार्टमेंट में किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, जनता का कौन आदमी किस पुलिस के विभाग के बारे कहां क्या कहता है; यह जो सट्टा चलता है, जुआ चलता है, इसके बारे में कहां कहां चर्चा हैं, क्या नहीं यानि आज जनता के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ चीजों को जन सम्पर्क कार्यालय जानकारी रखे, उन्हें देता रहे तो उनसे लाभ हो सकता है। लेकिन आज होता क्या है ? उनका कार्य कैसा है, क्या है ! जो जनसम्पर्क अधिकारी हैं वे क्या करते हैं कि उनके जिलों में जो जो पत्र निकलते हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनकी कटिंग कलेक्टर के सामने रख देते हैं, लाइन लगा देते हैं; बस यह काम है। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो कोई गाड़ी किसी सावन के द्वारा जन्ता के बीच में पहुंचा दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि ठीक बात है कि अगर इस प्रकार का यह रवैया चलता रहा। अभी वित्त मंत्री महोदय ने जैसा बताया था, मैंने बीच में सुना था कि सारे जिलों के जनसम्पर्क अधिकारियों की जगह समाप्त हो रही है; कि मन्शा है उनकी समाप्त करने की। परन्तु वे समाप्त नहीं हुई हैं क्योंकि मैंने ऐसा जरूर देखा है कि सरकार की मन्शा ज़रूर थी और उस मंशा को कुछ रूप में मैंने बजट में देखा। मेरे पास अंग्रेजी का जो बजट है उसमें जिला जन-सम्पर्क अधिकारियों के नीचे लिखा है १ और हिन्दी में जो बजट की कॉपी है उसमें २३ लिखा हुआ है। यह छपने से भी हुआ हो, क्योंकि सरकार ने पहले कोई निर्णय ले लिया था और अंग्रेजी का बजट पहले छपा हो तो उसमें तो १ छप गया और जब बाद में उसकी सूचना मिली तो उसमें उतने के उतने छप गये। परन्तु इससे यह जाहिर होता है कि इन मामलों में सरकार कुछ सोचती है। ठीक है, अच्छा है, सोच लेती तो अच्छी बात होती, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि अधिकारीगण सही मामले में जिस तरीके से आज के जमाने में करते हैं वैसा करें तो कोई लाभ नहीं होता है और वह पोस्ट समाप्त हो जाती तो बहुत अच्छा होता।

अभी एक छोटी सी घटना थी। बीकानेर में एक पत्रकार को पुलिस अधिकारी ने पीटा था। मैं उसकी गहराई में नहीं जाता, क्योंकि वह अलग होता है, परन्तु अगर जन–सम्पर्क

(श्री मुरलीधर व्यास)

अधिकारी जनता की सारी घटनाओं पर विचार करके सब पता लगाकर कलेक्टर को सही बात पहुंचाता कि इस मामले में बात यह इस प्रकार की थी, बराबर जनता के अन्दर यह बात है। इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, मीटिंग हुई, जनाधिकार समिति बनी और बोले। उसके बाद में इस प्रकार के अधिकारी जनता में संपर्क रखते हुए, थोड़ी सी बात ऐसी कहें और सरकार को सही तरीके से बताने का सवाल हो जाय तो एक बहुत बड़ा काम उनके जरिये हो सकता है! परन्तु ऐसा काम नहीं होता है। सरकार की मन्शा के अनुसार वे अपना दिमाग बना लेते हैं। तो मैं इसलिये यह सोचता हूं कि यह हमारे यहां के विभाग की बात है। दूसरी जगह के जन–सम्पर्क अधिकारी काम करते हैं या नहीं ? मैं अपने यहां के विभाग के लिए कहता हूँ कि वह अपने मूलभूत उद्देश्यों में बिल्कुल नाकामयाब रहा है, ऐसे मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं।

अब सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय केसम्बन्ध में मेरा जो कटौती प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में कई सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने भी अपना एक कटौती प्रस्ताव रखा था और उसकी यह मंशा थी कि इस विभाग में किस प्रकार की अव्यवस्था है और अव्यवस्था को बदलने के सम्बन्ध में अपने विचार रखता हूँ। इस बारे में जहां तक मेरा विचार जो बना है वह यह है और जन–लेखा समिति की जो रिपोर्ट है इसको जब मैं पढ़ता हूँ इस विभाग के बारे में तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह जो अधिकारी हैं उनके जबाब-सवाल और सारी चीज समिति के सामने और उसी प्रकार से मैं उनको देखता हूं तो मेरे दिमाग में इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है कि इन अधिकारियों को या तो ऊपर से संरक्षण है; क्योंकि जनलेखा समिति भी इस प्रकार की समिति होती है कि जो हमारी ही विधान सभा के जरिये बनाई जाती है। इसका अपने आप में बड़ा भारी महत्व होता है। वह राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करने वाली एक समिति होती है। उस समिति के साथ जो बातचीत हुई और उसी प्रकार का सम्बन्ध और जैसी स्थिति मैं इसके अन्दर पढ़ता हूँ तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इस विधान के अधिकारी ने समिति को भी हमेशा गुमराह करने की कोशिश की। ऑडिट विभाग के जो अधिकारी थे उनको किसी मामले में अलग प्रकार का वर्णन दिया, समिति को और प्रकार का दिया और सरकारी अधिकारी, सचिव आदि को दूसरे प्रकार की सिचुएशन दी तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब कोई आदमी एक गल्ती कर लेता है, चोरी कर लेता है तो चोरी को छिपाने के लिए वह अपने आपके दिमाग का संतुलन नहीं रख पाता और फिर उसका वर्णन हर तरह से अलग इस प्रकार का हो जाता है। इसमें एक साधारण बात है कि मैं यह सोचता हूं कि एक छोटी सी दूकानदारी होती है। राज्य सरकार में तो करोड़ों का हिसाब रहता है तो उसका अपना हिसाब होता है। हिसाब ही सही मायने में किसी सरकार का, किसी संस्था का और किसी दूकानदार का एक प्रकार का नाक होता है। मगर जब हिसाब में घोटाला होने लग जाता है तो समझा जाय कि उसकी नाक कट गई। हिसाब को दरअस्ल नाक माना जाता है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : नाक प्लास्टिक की हो जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लास्टिक की अगर सरकार लगाना चाहती है तो....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : लगा रखी है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लास्टिक की लगा रखी है तो ठीक बात है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिसाब के मामले का जहां तक सवाल है वह अच्छी चीज होती है। जो कि हमारे लिए गौर की चीज़ होती है।

इस विभाग का जो हिसाब किताब है वह चाहे स्टोर का हो, पैसा लेने का हो, पैसा देने का हो, कोई चीज़ छपाने का हो, कोई काम करने का हो, कहीं प्रदर्शिनी करने का हो, कहीं कुछ भी करने का हो, उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे डाइरेक्टर साहब ने समझ रखा है कि मेरे घर का ही हिसाब है, मेरे सारे घर का ही काम है। घर पर जैसे काम चलता है कि पैसा दे दो, यह चीज ले लो।

श्री चन्दनमल वैद : मगर घर में तो पत्नी दस्तन्दाज़ी करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : घरवाली दस्तन्दाज़ी करती है वहां पर, यहां घरवाली किस को समझेंगे ? घरवाली विधान सभा जरूर हो सकती है। वह भी सरकार के लिए, क्योंकि वह इसके लिए जिम्मेदार होती है वह कुछ न कुछ पूछ सकती है, कह सकती है। ....

श्री उपाध्यक्ष : विधान सभा का गार्जियन का रूप है। इस तरह का है कि घरवाली नहीं हो सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह : वे ऐसा ही सोच सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : विधान सभा-स्त्रीलिंग है वह जरूर जिम्मेदार है। विधान सभा पुलिंग नहीं हो सकती है, उस दृष्टिकोण से सोचता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अंग्रेजी में कर दें, लेजिस्लेटिव असेम्बली।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं ताकि सदन को यह मालूम पड़ जाय कि वाकई में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का हिसाब है यह ठीक है या नहीं। इस समिति ने सबसे पहले तो कुछ एडवान्स लेने के बारे में जो कि संचालक महोदय ने एडवान्स लिया है उसके बारे में कहा है। १६००)रु और कुछ इस प्रकार का पैसा वे ले लेते हैं और वह पास में रहता है और तारीफ यह है कि आखिर पैसा लो, एकाउन्टेन्ट के पास भी पैसा है तो उससे अगर पैसा लो तो कम से कम उसका हिसाब तो दर्ज हो कि इतना पैसा उन्होंने लिया; परन्तु हिसाब दर्ज नहीं है। वहां से पैसा ले लो और उसको इस्तेमाल करते रहो। एक साधारण दृष्टिकोण है। कोई भी इसका जवाब दे तो वह यही कहेगा कि यह दुरुस्त नहीं है, और पैसा ले लिया तो इसका मतलब यह है कि वह गबन किया है, फ्रॉड किया है, धोखा किया है। एक सरकार का जो हिसाब चाहिए, जिस तरीके से रहना चाहिए उस प्रकार का नहीं रखा। आखिर पैसा ले लिया, अपने पास रखा, वहां पर दर्ज नहीं है और वह जांच में मालूम पड़ा कि ठीक बात है, लिया है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

बाद में तो सब कुछ होता है, मगर पहले हिसाब नहीं रखना अपने आप में सबसे बड़ी चोरी है, गबन है, फ्रॉड है, घोटाला है। अब ठीक बात है कि इनका जनता में इसके बारे में जिस प्रकार का भी उत्तर है उसकी चर्चा है।

अब दूसरी बात का इस प्रकार से लेखकों के लिए कि २,०००) रु० ले लिये और साल भर तक उनको देवें नहीं और जब पूछा जाय बाद में तो कहते हैं कि रुपया लिया था। कहां, क्या किया ? रुपया तो दिया नहीं पड़ा रह गया। लेखकों के लिए रुपया लें और पास में रख लें ; साल भर तक देवें नहीं और २,०००) रु० हमारी जेब में रह गये और बात चले तो कह दें कि ठीक बात है रह गये। इसको कोई मानेगा नहीं। वह यही कहेगा कि मन्शा बुरी थी। रुपया पास में रखने की नियत से पड़ा रह गया तो अच्छा नही माना जा सकता है। खर्च नहीं होता है तो इस प्रकार से जमा करा देते। पैसा है और पैसे को लेखकों को देने की व्यवस्था नहीं बैठती है तो सरकार के खजाने से चलता। परन्तु इस प्रकार से नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बहुत भारी कमी है। इसको सिवाय फ्रॉड के दूसरी संज्ञा नही दी जा सकती है।

इसी प्रकार से प्रदर्शिनी के लिए ८,०००) रु० थे उसमें से २००) रु० संचालक महोदय ने अपने पास में रख लिये और उसके बारे में जब पूछा जाय तो शासकीय सचिव ऐसी बात कहते हैं कि झूठा इन्द्राज है। इन्द्राज में प्रदर्शनी के लिए लिखा था और कागजात में जमा करा दिया। प्रदर्शनी के लिए खर्चा पास करते हैं और अपने पास में रख लेते हैं और बाद में जमा कराते हैं तो शासकीय सचिव कहते हैं कि इस प्रकार से किया है वह झूठा है; यह गलत है उनका स्टेटमेंट।

आगे इस प्रकार की सारी रिपोर्ट में चर्चा की है। और मैं देखता हूँ कियह जो समिति है जन लेखा समिति उसमें साधारण बातों की, इस प्रकार की सारी बातों की चर्चा करते हैं तो उससे पता चलता है कि किस प्रकार से उनके साथ बातचीत की जाती है।

मैं, एक और बात इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ जो सामान और भंडार के लेखे के सम्बन्ध में है। भंडार के बारे में एक माननीय सदस्य ने भी कहा और उन्होंने कहा कि खास कर ३० साल से भंडार है, उसमें सारा स्टॉक रहता है, रजिस्टर रखते हैं, सारी बातें रखते हैं और इस भंडार के सम्बन्ध में ठीक है। आपके पास हिसाब नहीं है तो कम से कम रजिस्टर तो होगा जिसमें सारी चीजें दर्ज हों। इसमें जो इतनी चीजें आई हैं, आखिर तक यह कहते रहे, समिति से यह कहा कि हमने हिसाब रखा है। ५५ से ५८ तक समिति से कहा कि हमारे पास हिसाब नहीं है। ऑडिट के लोग आये जांच करने के लिये तो उनसे कह दिया, ठीक बात है किसी व्यक्ति को ट्रान्सफर किया उसका हिसाब दुरुस्त नहीं था। इसको पढ़ने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यदि प्रारम्भ से स्टोर का हिसाब रखते और ठीक तरह से दर्ज होता तो यह हालत नहीं होती। लेकिन जन लेखा समिति को बताया उसके अनुसार न कैटेलॉग है, न बुक है जिसमें सारी चीजें दर्ज हों। तो १० साल से जो स्टोर में

(श्री मुरलीधर व्यास)

चीजें हैं उनका हिसाब–किताब नहीं; लेकिन यह होता है कि तीन आदमी इस सम्बन्ध में अलग अलग पूछते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट और जन लेखा समिति अलग अलग पूछते हैं और तीनों को अलग अलग इत्तला दी जाती है, तो स्पष्ट मालूम होता है। डाइरेक्टर ने जो उत्तर दिया है वह उन्होंने लोगों को फंसाने के लिये दिया है, धोखा देने के लिये दिया है। इस प्रकार की चीज होती है तो स्पष्ट हो जाता है। पत्रों में घटना प्रकाशित होती और कहते तो इस प्रकार की बात जंच भी जाती। लेकिन सारी बातों से स्पष्ट मालूम होता है, जन लेखा समिति की रिपोर्ट में आगे लिखते हैं, सचिव ने स्वीकार किया कि जो सूचना दी गई वह गलत है और विभाग का वास्तविक सत्यापन नहीं हुआ है और सरकार को गलत सूचना के लिये दुःख है। जहां सरकार खुद भी खेद प्रकट करती है कि वाकई धोखा दिया है, गलत सूचना दी है तो फिर समझ में नहीं आता कि वे अधिकारी क्यों इस प्रकार से आज भी संरक्षण पाते हैं ?

ब्लॉक्स के सम्बन्ध में चर्चा चली तो कहा कि बिल दिया वह दुबारा दे दिया ? उनकी रिपोर्ट है जल्दी में ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, इसलिये चार्जेज़ डबल देने पड़ते हैं। इस प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन बिल दो दफा बन कर आ जाये और फिर डबल बनाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि डबल बनाने के लिये मिल कर कुछ करते हैं। पहले से मालूम हो जाय तो ठीक है इस प्रकार की बात है, लेकिन बाद में हो जाय तो मालूम पड़ता है सांठ-गांठ से होता है।

ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, जल्दी में बनाने पड़ते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी बात समझ में नहीं आती है कि ब्लॉक्स में इतना खर्च होता है। तो ब्लॉक्स से बहुत सी बातों का प्रचार होता है, बहुत सी बातों का प्रचार करना पड़ता है। मैं देखता हूँ कई बार सरकार के विज्ञापन छपते हैं, ब्लॉक्स छपते हैं, अच्छी से अच्छी फोटोज छपती हैं, यहां की, वहां की। मुख्य मंत्रीजी का फोटो छपता है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी का फोटो छपा हुआ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमेशा १० साल पहले का उनका फोटो छपता है। ब्लॉक्स नये नये बनाते हैं लेकिन मैंने नहीं देखा कि मुख्य मंत्री जी का ताजा फोटो कभी छपा हो। उनका जो फोटो छपता है वह ५ साल या ७ साल पुराना ही छपता है। आखिर उनका ऐसा फोटो छापने से क्या मतलब है ? आप इतना खर्चा करते हो तो क्यों नहीं मुख्य मंत्री जी का ताजा फोटो छापा जाय ? आपको जल्दी जल्दी में ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, इससे आपका एक दृष्टिकोण समझ में आता है। इसमें जो बात है उससे ऐसा मालूम होता है कि फोटोग्राफी आदि का जो सामान मंगाते हैं उसके लिये जल्दी होने के कारण टेन्डर्स नहीं मंगाते हैं, मनमाने तरीके से सैंक्शन कर देते हैं, ये सारी बातें हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जो ऊपर के अधिकारी हैं वे सतर्क नहीं हैं। हमारे जिम्मेवार प्रतिनिधि जो ऊपर से देख-रेख करने वाले हैं उनका संरक्षण इनको प्राप्त है और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह विभाग प्रचार का विभाग है। इसके जरिये मिनिस्टर्स का प्रचार होता है, उनकी फोटो छपवाते हैं, फोटोज़ छपवाते हैं। उनके बारे में अच्छे से अच्छा प्रचार करने में हमारे संचालक हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

किन्हीं ने कहा था कि बाहर विदेशों में भी इनका प्रचार होता है। विदेशों की बातें है इससे असर ज्यादा हो सकता है। हमारे मंत्री लोग हैं या जो प्रमुख लोग हैं उनके प्रचार का काम ये अच्छा करते हैं। सरकार के प्रचार के काम के बारे में वे सोचते हैं कि सरकार के प्रचार से किस प्रकार जनता को गुमराह किया जाय। यदि इसलिए उनको यह इनाम दिया जा रहा है तो दिया जाय। लेकिन अधिकारी के लिये जो जिम्मेवारी होनी चाहिये वह यह होनी चाहिये कि अधिकारी ठीक ढंग से काम करने वाला हो, साथ साथ उसमें योग्यता हो, उसका हिसाब-किताब ठीक हो। यह तो जांच का तरीका होता है। लेकिन यदि अपने आधार पर जांच का तरीका लगाया जाय तो ठीक नहीं है। एक सम्माननीय सदस्य ने कहा था कि जिम्मेवार मंत्री हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude it now.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि सारी घटना होने के बाद भी लगातार सदन में इसकी चर्चा चलती है, सब कुछ होने के बाद भी इस प्रकार से उनको संरक्षण दिया जाता है तो स्वाभाविक होता है कि या तो मंत्रीजी की इनके साथ कुछ सांट–गांठ है या उनका सम्बन्ध है। जो अपने आपको बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बारे में फौरन कार्यवाही होनी चाहिये, उनको सस्पेन्ड करना चाहिये, इन्क्वायरी करानी चाहिये, इस प्रकार के चार्जेज़ हों तो ओपन इन्क्वायरी करानी चाहिये। ठीक है, ऐसी बातें सामने आवें तो फौरन सस्पेन्ड करना चाहिये तभी तो सरकार को हम अच्छा समझेंगे, नहीं तो आम जनता में दुर्भावना पैदा होती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी इसे इस ढंग से नहीं लें। जनता के प्रति सरकार का कर्त्तव्य है, उसे पूरा करने की दृष्टि से भी करना चाहिये....

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

तीसरी बात मैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सिर्फ यह निवेदन करता रहा हूँ कि जो समय सदन का है उस समय को २४ सदस्यों में विभाजित करना है। मेरे लिए कठिनाई होगी कि किस प्रकार से सदस्यों को समय दूं। आपने २० मिनट तो ले लिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक मिनट में नगरपालिका के बारे में कुछ ध्यान खींचना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में ध्यान कितना खींच सकते हैं, यह देख लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : म्युनिसिपैलिटी के बारे में मेरा कट मोशन नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : मिनिस्टर साहब भी मौजूद नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी अनुदान के सम्बन्ध में हमारे यहां खास करके जो शिक्षक हैं उनके वेतन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Take your seat please.

श्री मुरलीधर व्यास : अनुदान हमारे सम्बन्ध में मिलना चाहिये, क्योंकि ५-६ साल का मसला है। सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है, म्युनिसिपैलिटी से ग्रान्ट नहीं मिल रही है इसलिये बड़ी भारी दिक्कत हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां के शिक्षकों की ओर ध्यान खींचने का मामला है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं उम्मीद करूंगा, मेरे कट मोशन बहुत हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज की थोड़े से समय में कुछ बातें बतलाना चाहूँगा। मैंने एक किताब में एक चीज पढ़ी थी, म्युनिसिपैलिटी की क्यां आवश्यकता है ? उसकी डिटेल्स में जाने की कोशिश नहीं करूंगा लेकिन उसके दो-तीन सेन्टेन्स पढ़ना चाहता हूँ। मेरी समझ में आया कि अगर हमें देश में कामयाबी हासिल करनी है किसी मुल्क में, तो वहां स्वायत्त शासन को इकाई नगरपालिका है। अगर नगरपालिका, स्वायत्त शासन की छोटी इकाई नगरपालिकायें ठीक काम करती हैं तो वह देश आगे बढ़ सकता है। जिस देश में नगरपालिकाओं में करप्शन है, पक्षपात है, गन्दगी है, सड़न है, बदबू है और जहां नगरपालिका काम ठीक तरह नहीं चलाती वह देश प्रगति नहीं कर सकता और उस देश में हर समय रुकावटें रहेंगी— "Our towns must be comfortable to live in, pleasant to look at not merely as spectacle, not merely as an area for architectural or for monumental glorification, but as something far superior to all these-simply as a house, the dwelling place of a community, a place designed for living in, whence enlightenment might emanate." यहां तक उन्होंने कह दिया। एक सेन्टेन्स में यह कहा है; "For though man doth make city, it is just as true that cities make man." मैं समझता हूँ कि अगर किसी देश में मानव का किसी प्रकार विकास नहीं होता है तो उसका सारा दोष म्युनिसिपैलिटी पर है, यह उन्होंने बताया है। हम देखते हैं, शहरों को आप देख लीजिये, जयपुर, जोधपुर और जितने कस्बे हैं उन शहरों के बाहरी हिस्से के सिवाय सारे शहर में गन्दगी रहती है, कहीं सड़न है, कहीं कीचड़ है। बड़े अच्छे आलीशान मकान बने हुए हैं, लेकिन उन मकानों के बिल्कुल पास कचरा है, कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप समझते हैं, कचरे का स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मनुष्य की मानसिक मनोवृत्ति के ऊपर असर करेगा। समाज का विकास न होने का कारण, सारा दोष म्युनिसिपैलिटी विभाग पर है जो इस तरफ ध्यान नहीं देती, इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी में हम क्या टैक्सेज देते हैं ? अजमेर है, जहां पर बतलाया गया है कि अजमेर में टैक्सेज़ की प्रणाली है और आर्थिक हालत म्युनिसिपैलिटी की कितनी गिरी हुई है, कितनी शोचनीय और दयनीय है कि हमें दुःख होना चाहिए कि जिन लोगों को बढ़ावा देना है, प्रगति देनी है उन पर हम लोगों का ध्यान नहीं है। जहां इन्सान रहता है, इन्सान थका हुआ, दुनिया से घबराया

(श्री मूलचन्द डागा)

हुआ, मुसीबतों से टकराया हुआ शाम को घर लौटता है तो घर की गन्दगी, शहर की गन्दगी, शहर को बदबू उसके दिमाग को कलुषित कर देती है। वह सरकार की व्यवस्था को म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था को कोसता है, गाली देता है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था उसके घरेलु वातावरण में असर डालती है, घर के वातावरण पर असर डालती है। उन्होंने बताया कि अजमेर म्युनिसिपैलिटी की आमदनी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के जो काम चलते हैं, जो काम म्युनिसिपैलिटी को देखने हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। अगर कोई म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हो गया तो दस–पांच प्लॉट लेकर कमा खाता है, काम कुछ करता है, कोई जमीन लेकर अपनी पॉकेट गर्म करता है, कोई पार्टी का एन्क्रोचमेंट होता है, शहर में इतनी गन्दगी दिखती है, कहीं छज्जा ऊपर आ रहा है, कहीं चबूतरा ऊपर आ रहा है। इसका कारण क्या है ? इस पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए बनिस्बत हमे दूसरे महकमों में जायें, उसके बारे में सोचें, इस तरह के काम हम करें। मैने देखा कि अजमेर म्युनिसिपैलिटी में एक आदमी एक वर्ष में १२ रुपये देता है, और करणपुर म्युनिसिपैलिटी में एक आदमी ६. ६८ रुपये देता है। एक म्युनिसिपैलिटी है वहां एक वर्ष में एक आदमी ५८ पैसे देता है। जयपुर में तीन रुपया टैक्स है एक आदमी पर, जोधपुर में दो रुपया है और उदयपुर में ५. ५६ रुपया है। यह आपके टैक्सेशन की व्यवस्था है। मैं समझ नहीं सका कि आप जयपुर में रामनिवास गार्डन घूमने के लिए देते हैं, मुझे इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन जिस म्युनिसिपैलिटी को इतना रुपये देते हैं और जिस पर कर्जा है पांच लाख रुपया, लाखों रूपये कर्जा जिस म्युनिसिपैलिटी पर है, वह कर्ज को चुका नहीं पाती लेकिन जिन गांवों में पार्क नहीं, टाउन हॉल नहीं, लाइब्रेरी नहीं और कोई घूमने का स्थान नहीं उन कस्बों में क्या आप समझते हैं, जो दो करोड़ की जनता राजस्थान में है वह शहरों में बस्ती है........

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : कोरम नहीं है।

(विराम)

(सचिव महोदय से)

उपाध्यक्ष : Point of quorum ? Yes, please ring the bell.

(गण पूरक घंटी)

Yes.

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह बतला रहा था कि हमारी म्युनिसिपैलिटी की टैक्स की व्यवस्था क्या है ? जयपुर शहर में जो केवल तीन रुपये लेती है म्युनिसिपैलिटी, जब कि ज्यादा लाभ उठाते हैं, रोशनी मिलती है, पानी मिलता है, सड़कें अच्छी मिलती हैं, घूमने के लिए पार्क मिलता है और प्रगति के सारे काम कर सकता है और बाहर जहां रुपया टैक्स देते हैं वहां न पार्क है, हमें मिलती है गन्दगी और बदबू। म्युनिसिपैलिटी की जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने कई बार इसके लिए कमेटीज़ बनाई। मुझे याद है, शायद आपने माथुर साहब की अध्यक्षता में कमेटी मुकर्रर की, यह ऐलान किया कि हम फाइनेन्शियल आस्पेक्ट म्युनिसिपैलिटीज़ का देखना चाहते हैं। मैंने देखा, हमने फाइनेन्शियल आस्पेक्ट

(श्री मूलचन्द डागा)

यह रखा कि आपके यहां पर सबसे ज्यादा एक आदमी पर १२ रुपये टैक्स हो सकता है और कम से कम ५८ पैसे हो सकता है। १२ रुपये और ५८ पैसे में कितना अन्तर हो सकता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन म्युनिसिपैलिटीज़ की क्या हालत है जिन म्युनिसिपैलिटीज़ को आपने लाखों रुपयों का कर्ज दे दिया है और कर्ज वसूल करते समय आपके दिमाग में आता है, यह म्युनिसिपैलिटी का कर्ज चुका सकेगी ? इसका मतलब हुआ कि जिन शहरों में हमारे माननीय मन्त्री जाते हैं और जहां जहां बड़े शहरों में लोग चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, वे अपनी संस्कृति के द्वारा, विकास के द्वारा उन माननीय मन्त्री महोदय से कुछ बात कर सकते हैं और वहां लाखों रुपयों का कर्जा मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि आप म्युनिसिपैलिटीज़ की जब तक आर्थिक व्यवस्था एक जगह नहीं ला सकेंगे, एक तरह के टैक्सेशन नहीं ला सकेंगे, एक तरह की कर योजना नहीं कर सकते तब तक स्वायत्त शासन की इकाई प्रगति नहीं कर सकती, उनमें प्रगति नहीं होती। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके हॉस्पिटल्स में अधिक बीमार पहुंचेंगे क्योंकि लोगों के लिए घूमने का स्थान नहीं है, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए नहीं है, न आपकी तरफ से कोई लाइब्रेरी चलती है, न रीडिंग रूम चलते हैं, न लिट्रेचर मिलता है, न स्वीमिंग पूल का इन्तजाम है, न उसकी व्यवस्था है। म्युनिसिपैलिटी एक अखाड़ा है; जहां कुछ, चन्द लोग अपनी ताकत आजमाने के लिए म्युनिसिपैलिटी में घुस जाते हैं और हजारों, लाखों रुपये की जमीन कम कीमत पर बेच दी जाती है। मैंने उदाहरण दिया, मैंने आपके सामने रखा था पाली में एक जगह जमीन १७५ रुपये गज मिलती है, पर वहीं जमीन ६ पैसे गज में दे दी जाती है। एक जमीन जो १७५ रुपये वर्ग गज में मिलती है, वही वर्ग गज जमीन का टुकड़ा ६ पैसे में दे दिया जाता है। आपने असेम्बली में आश्वासन दिया कि हम जांच करेंगे। कहां १७५ और कहां ६ पैसे ? लाखों, करोड़ों रुपयों की दौलत स्वायत्त शासन संस्थाओं की इकाइयों पर मिट्टी में मिल गई। ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण हम खत्म हो रहे हैं। यदि हम जमीन की कीमत ठीक तरह से उपजा सकें तो शहरों में हमें काफी अच्छी रकम मिल सकती है। ऑक्ट्रोय और टैक्सेशन के मामले में आप अभी तक सजग नहीं हुए हैं, एक आदमी थैले में चीज लाता है और कह देता है साहब, कुछ नहीं है, खाने-पीने की चीज है, पहिनने के कपड़े हैं और वह चलता बनता है और ऑक्ट्रोय ड्यूटी से आपको जो मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। इसमें एक चीज नहीं है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, इनको पढ़ता कौन है ? करों की योजना बनाई है राजस्थान में अभी तक करों के मामले में कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया है। हाउस टैक्स लगाने की बात चली। पंचायतों में एलान कर दिया जाता है कि हाउस टैक्स लगाया जाये। पर म्युनिसिपैलिटीज़ में हाउस टैक्स का मामला धीरे धीरे चल रहा है। अगर हमने म्युनिसिपैलिटीज़ के मामले में ढिलाई की तो जन-संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को जमीन चाहिये, कम कीमत में जमीनें चली जायेंगी और ऑक्ट्रोय ड्यूटी ले नहीं सकते।

एन्टरटेनमेंट टैक्स है वह भी ठीक तरह

(श्री मूलचन्द डागा)

से वसूल नहीं किया जा रहा है। पाली म्युनिसिपैलिटी पर मिल ने १ लाख का दावा कर रखा है, म्युनिसिपैलिटी पर सिनेमा वाले ने दावा कर रखा है। जहां जहां दावे होते हैं, उनमें टैक्सेशन करने का है वह कर नहीं सकते हैं, रिकवरी कर नहीं सकते, यह हमारी कमजोरी है। हमारे सारे टैक्सेज़ राजस्थान सरकार ले लेती है, रेवेन्यू से, सेल्स टैक्स से, इन्कम टैक्स से, पर स्वायत्त शासन संस्थाओं को उनका कुछ भी हिस्सा नहीं देती। इस वजह से स्वायत्त शासन संस्थाएं हमारे यहां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकतीं और पैसे की कमी के कारण और तो दूर रहा स्वास्थ्य तक का इन्तजाम नहीं कर सकती। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? अगर स्वास्थ्य से म्युनिसिपैलिटी का मतलब है गन्दगी हटाना तो वह सही नहीं। मेरे १४ कटौती प्रस्ताव हैं, मैं संक्षेप में बोलूंगा। वे कहते हैं :

"In fact it indicates the state of harmonious functioning of body and mind relating to physical and social environments, so as to enable him to enjoy life to the fullest possible extent and to reach the maximum level of the productive capacity.

बताइये गन्दी बस्तियों के लिये आपने क्या किया? मजदूरों को बड़े बड़े काम देना चाहते हैं। मजदूरों की बस्तियां गन्दी हैं, उनमें सड़ान्ध है, बदबू आती है नालियों से, निकल नहीं सकते। शहर में मिर्जा इस्माइल रोड पर निकलने से समझते होंगे कि वहां रहने वाले सभी फरिश्ते हैं पर कभी ट्रैफिक की रुकावट से गली में से रिक्शा निकालना हो तो देखते हैं कि बड़ी गन्दगी है, वहां हजारों रुपयों की बिल्डिंगें हैं उस जगह गन्दगी, कलंक है म्युनिसिपैलिटी पर। म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो व्यवस्था है उसको ठीक नहीं रखेंगे तो यह कलंक है म्युनिसिपैलिटी पर इसका घातक असर हो रहा है। मानव की इन्सान की ताकत कमजोर होती जा रही है। बीमार होते हैं और हजारों रुपया डॉक्टरों को देते हैं। दवाइयों की मांग करते हैं और हॉस्पिटल्स की मांग करते हैं, अच्छे वातावरण की मांग करते हैं। इनकी अच्छे वातावरण की मांग पूरी कर दें। अच्छे शहर हैं जहां का अच्छा वातावरण है वहां अच्छे लोग पैदा होते हैं। शहर में पार्क नहीं हैं तो दूसरी जगह जहां सुन्दर बाग हैं वहां लोग घूमने जावेंगे। तो सुन्दर बाग, सुन्दर पार्क होने चाहिये। जहां सुन्दर फूल हों चाहे गुलाब के हों या और खुशबूदार फूल हों। पर शहरों में गन्दगी फैली हुई है वहां से लोग निकलते हैं तो नाक बन्द करके प्राणायाम करना पड़ता है पर जिन लोगों ने प्राणायाम की विद्या नहीं सीखी वे कैसे प्राणायाम करें?

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटियों में टैक्सेशन की पॉलिसी है वह ठीक नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि जो मालदार हैं, जिनकी हजारों रुपयों की सुन्दर बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उन पर टैक्स लगाइये। सबसे बड़ी कमजोरी म्युनिसिपैलिटीज़ की यह है कि कर्मचारियों को बहुत कम तनख्वाह देती है। ऑक्ट्रोय ड्युटी से इतनी आमदनी होती है, पर ऑक्ट्रोय ड्युटी वसूल करने वाले कर्मचारी को तनख्वाह देती है ५० रुपये। ऑक्ट्रोय ड्युटी चौकी पर

Page No.70

(श्रीं मूलचन्द डागा)

टूटी फूटी लालटेन लिये कर्मचारी रात भर बैठा रहता है। उसको पूछा गया कि केवल ५० रुपयों के लिये रात भर बैठे रहोगे तो वह कहता है कि मैं ऑक्ट्रोय की ड्युटी की चोरी के लिये रात भर बैठा हूं कि मेरी जेबें भरें। यह हालत है करों की वसूली की। यह कैसे उनसे आशा की जा सकती है ५० रुपये में अपनी जिंदगी भर काम करे? वह म्युनिसिपैलिटी के करों में से हजारों रुपयों की चोरी करता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरी समझ में तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे कट मोशन्स १५ हैं उन पर बोलने के लिये ज्यादा समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सिर्फ निवेदन करूंगा कि कट मोशन्स १५ हैं और बोलने वाले काफी हैं और माननीय सदस्य जिस गति से बोल रहे हैं वह ४० मिनट में भी खत्म नहीं होगा। Let it be treated as a caution to divide your time proportionately in between the cut motions.

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं यह बता रहा था कि इन म्युनिसिपैलिटीज़ के कर्मचारियों को सुविधा क्यों नहीं देना चाहते। कल मंत्री महोदय ने कहा था कि जो म्युनिसिपल बोर्ड अपने प्रोपोज़ल्स भेजेगा उन पर विचार करेंगे। पर इसका तरीका क्या है? तरीका बड़ा लम्बा–चौड़ा है। आपने उत्तर दे दिया। उसके बाद एग्ज़ामिनर आयेगा और फिर साल भर गया। ६,०००) रु० का गबन पाली म्युनिसिपैलिटी में हुआ। वह भाग कर पाकिस्तान चला गया। जिन लोगों में सौ, सौ रुपये बकाया थे उनसे १०० के बदले ४० रुपये लेकर रसीद कर दी कि सब वसूल पाये। इस तरह ६,००० का गबन करके पाकिस्तान चला गया। तो म्युनिसिपैलिटी में इतने बड़े काम की व्यवस्था एक कर्मचारी के जिम्मे सौंपते हैं और तनख्वाह उसे देते हैं १००–१५० रु० तो फिर वह क्या करेगा, यही करेगा। तो म्युनिसिपैलिटियों में कर्मचारियों को सुविधा नहीं, हरिजनों को तनख्वाह मिलती नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है। आप कहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं पर म्युनिसिपैलिटीज़ के कर्मचारियों की तनख्वाहें ठीक नहीं, स्वास्थ्य के बारे में बढ़ोतरी नहीं, शिक्षा के सम्बन्ध में बढ़ोतरी नहीं। जो देश की प्रगति की नींव है म्युनिसिपैलिटीज़ उन नींवों में पत्थर भरते नहीं, गोबर भरते हैं तो कैसे टिकेगी यह डेमोक्रेसी की इमारत, कैसे पनपेगा हमारा देश? आप कर्मचारी को थोड़ी तनख्वाह देते हैं तो अपने पोषण के वह दूसरे तरीके निकाल लेता है, वह दूसरे तरीके अख्त्यार कर लेता है। काम आने पर वह किसी व्यक्ति को कहेगा, आप बड़े सेठ साहब हैं, आप अपने मकान का छज्जा बढ़ा लीजिये, मुझे रुपये दे दीजिये। उसको कहें कि तू ऐसा क्यों करता है, तो वह कहेगा कि मेरे भी आखिर बाल–बच्चे हैं, उनका काम ५०) रुपये में कैसे चले?

आज कोई भी म्युनिसिपैलिटी नहीं समझती कि किस प्रकार वह कर्ज लेकर अपने एन्टरप्राइज़ बढ़ा ले, कर्जा लेकर अपना पॉवर हाउस बना ले। किसी म्युनिसिपैलिटी ने राजस्थान में पॉवर हाउस नहीं खरीदा, कोई म्युनिसिपैलिटी यह एन्टरप्राइज नहीं करती कि

Page No.71

(श्री मूलचन्द डागा)

कर्ज लेकर वह दुकानें बना ले और इस प्रकार अपनी आमदनी बढ़ा ले । कोई म्युनिसिपैलिटी कर्जा लेने की हिम्मत नहीं करती। म्युनिसिपैलिटी का बजट आता है तो कोई नहीं सोचता कि म्युनिसिपैलिटी की स्थाई आमदनी कैसे कर सकते हैं ।

(२. ०० म० प०)

मगर सवाल यह आता है कि हम म्युनिसिपैलिटीज़ को यह अधिकार नहीं देते कि वह अपना बजट बढ़ावे और गांवों से लोन लेकर और फन्ड इकट्ठा करके ऐसे धन्धे चलावें जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। जैसे कोई डेरी खोले या कोई सिनेमा अपना खोले या खुद चलावे ताकि उससे म्युनिसिपैलिटी को अच्छी आमदनी हो। लेकिन तकलीफ यह है कि लाखों रुपया म्युनिसिपैलिटीज़ को कर्जा दे दिया जाता है, मगर उससे आय नहीं बढ़ती। अगर म्युनिसिपैलिटी को कहें कि कोई शानदार सिनेमा चलाना चाहिये तो वह कहीं है नहीं। क्या कारण है ? इसका कारण है ऑडिट इन्सपेक्शन! माननीय मंत्री यह न समझें कि मैं उनको किसी प्रकार की चुनौती देता हूँ। यह चुनौती का प्रश्न नहीं है, लेकिन किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को आप देखेंगे तो पावेंगे कि रुपयों का गबन हुआ है' लेकिन उसको अमली रूप देना म्युनिसिपैलिटी के बाहर की बात है। हमको ऑडिट रिपोर्ट को चैक करनी चाहिये और उसकी छानबीन करनी चाहिये। छानबीन करते हैं, ठीक है। मुझे पाली में मालूम हुआ कि कलेक्टर के सैकड़ों रुपये बाकी थे । एसेम्बली में उसके लिये प्रश्न उठाया गया। कोई जमीन ले लेते हैं। वहां पर अच्छा मैनेजमेंट चाहिये। मैं यह कहूँगा कि हमारी म्युनिसिपैलिटी का जो लक्ष्य है, हमारी जो भावना है, वह कब पूरी हो सकती है? वह तब पूरी हो सकती है जब हम टैक्सेशन पर जोर दें, आमदनी पर जोर दें। राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह म्युनिसिपैलिटीज़ के कर्मचारियों का स्तर बढ़ावे। आप देखेंगे कि एक क्लर्क एक ही म्युनिसिपैलिटी में १२,१५ साल तक जमा रहता है उसका कोई तबादला नहीं होता । कहते हैं तो कहा जाता है कि इसके लिये हमारे यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। वे लोग तो वहां पर ऐसे हो जाते हैं जैसे गजानन्द । गजानन्द की तरह जमे रहते हैं और उसका कारण वहां पर सारे कार्यों में जो घोटाले होते हैं उनका पता नहीं लगता ।

इसलिये एकाउन्ट्स के इन्सपेक्शन का ध्यान दिलाया कि राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत कितनी खराब है ? डाइरेक्टर खुद इस बात को सोचते होंगे कि कितनी खराब है और कितनी बदबू आती है मगर क्या करें ?

कोई जमीन लोकल बॉडीज की है। मगर वहां पर १० आदमियों ने मिल कर सारा मामला चौपट कर दिया। लाखों रुपयों की मिल्कियत इस प्रकार से चली आती है, मगर कोई कदम नहीं उठाये जाते। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और कदम उठाया जावे।

अभी मैं यह कह रहा था कि म्युनिसिपैलिटीज़ में जो कर्जा है उसको वसूल करने का तो प्रश्न ही नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज़ में करोड़ों रुपयों का कर्जा निकलता है। मगर म्युनिसिपैलिटीज़ पर कितना कर्जा है ? वैसे तो म्युनिसिपैलिटीज़ में सब मिला कर १ करोड़, ३६ लाख का है। वह म्युनिसिपैलिटी का रुपया जो है वह रिकवर होने का प्रश्न नहीं है। वे

(श्री मूलचन्द डागा)

म्युनिसिपैलिटीज़ आपका कर्जा लेकर कब तक काम चलावे। टैक्स आप नहीं लगा सकते। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत दिनों–दिन गिरती जा रही है।

अब मैं दूसरी ओर पंचायतों की तरफ आना चाहता हूं। स्वायत्त शासन और पंचायतों के बारे में काफी बातें कही जा चुकी हैं। पंचायतों में क्या हुआ है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। पंचायतों में किस प्रकार असंतोष फैला हुआ है, यह आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप किसी भी पंचायत का ऑडिट इन्स्पेक्शन करा लें। आपने कई बातें इसके लिये सोची हैं। अगर पंचायतों में ऑडिट इन्स्पेक्शन हो तो आपको मालूम होगा कि पहले ७५ हजार पंचायतों के नये चुनाव हुए हैं और ७५ हजार पंचायतों के खर्चे, उनकी व्यवस्था, उनके कार्यालय का खर्चा, उनके उठने–बैठने का खर्चा; इसके अलावा ७५,००० आदमियों का हिसाब जांचने वाले को कितना काम करना होगा और कौन होगा, यह बड़ी मुसीबत है। इसकी जांच करने में काफी समय भी लगता है। वहां पर गड़बड़ी किस प्रकार है, उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी फैमिन में एक तालाब खुदवाया गया। उसके लिये ३,५०० रु. मंजूर किये गये। पंचायत वालों ने ३,५०० रु० का हिसाब दे दिया। और जब वहां पर ओवरसियर गया तो उसने बताया कि वहां पर ७९६ रु. का ही काम हुआ है। अब डाइरेक्टर कहते हैं कि सरपंच और पंचायत के पंच तो कहते है कि ३,५०० रु. का काम हुआ है और ओवरसियर कहता है कि ७९६ रु. का काम हुआ है। क्या किया जाए ? मैं समझता हूं कि हम किसी भी काम को फैलाना चाहते हैं मगर उसकी ठीक व्यवस्था नहीं करना हमारा काम नहीं है। किसी काम को फैलाने से उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है, उसका उल्टा नुकसान ही होता है।

आप देखेंगे कि पंचायतें बन गई। १,५०० या २०० की आबादी तक पंचायतें बनाई गई। क्या अब पंचायतों में वे लोग किसी लिपिक को ६० रु० माहवार पर रख सकते हैं ? मैं कहूंगा कि वे नहीं रख सकते। उनकी हालत नहीं है। आपने न्याय पंचायतें कायम की हैं। सारी न्याय पंचायतें कायम हो गई। लेकिन उनके चलाने की व्यवस्था नहीं की। खर्चा कौन दे ? क्लर्क का खर्चा कौन दे ? न्याय पंचायतें अभी मुकर्रर हो गई हैं लेकिन उनके काम की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हमारे वहां हुई न्याय पंचायतों की यह हालत है। मैं जब कभी थोड़े समय बाद बेगर्स एक्ट आएगा तब विस्तार से कहूंगा। अभी बेगर्स के लिये इतना कहना चाहूंगा कि आपने उसके लिये कुछ रुपये रखे हैं। जब अपना शासन होता है तो हमारा यह फर्ज होता है कि कोई हमारे शासन में भूखा नहीं रहे और कोई बेकार नहीं रहे, कोई आदमी बिना जमीन का न रहे। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि हर जिले के स्तर पर जो ऐसा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमने मांग की कि ऐसे मकान बनाये जाने चाहिये जिनमें वे लोग जो अपंग हों, सूरदास हों जिनके कमाने का कोई

Page No.73

(श्री मूलचन्द डागा)

तरीका नहीं हो उनको उन मकानों में रखा जावे और उनकी व्यवस्था की जावे।

जहां तक चेरिटेबल इन्स्टीट्युशन्स हैं उनको मदद देने की बात है, उनको मदद आपको देनी चाहिये। चेरिटेबल इन्सटीट्यु–शनों में हिसाब रखने की बात कही गई है और उसमें परिवर्तन किया गया है। उसके साथ साथ हमें उन चेरिटेबल इन्सटीट्युशन से भी मदद लेनी चाहिये और यह हिसाब की बात हटानी चाहिए। चूंकि हमारा बजट बहुत थोड़ा है इसलिये धार्मिक चेरिटेबल संस्थाओं से मदद लेनी चाहिये जिससे समाज के कुछ अंगों को लाभ हो सकता है और मदद देने का जो तरीका है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : You will please speed up now with the other cut motions.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक बात कही कि पंचायतों में काफी काम होता है। इसलिये वहां पर जो पंचायत मेनुअल या कोड हो वह जो अभी १५ या २० रुपये में मिलता है उसके लिये मैं यह चाहता हूं कि पंचायतों के लिये जो कानून बना है वह सरल हिन्दी में होना चाहिये। आपका जो हिन्दी में निकलता है वह कठिन है और इसलिये वह सरल हिन्दी भाषा में होना चाहिये और सस्ता होना चाहिये ताकि गांव गांव में वह पुस्तक पहुंच सके। मगर हम देखते हैं कि यह जो एक्ट बना है उसकी बड़ी भारी कीमत है। जब हमने गांवों का विकेन्द्रीकरण कर दिया तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि पंचातयों के नियम सस्ते और सरल हिन्दी में लोगों को उपलब्ध हो सकें, ताकि उसका हर जगह प्रचार किया जावे। अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता और बहुत से लोग कानून की जान–कारी से वंचित रह जावेंगे। एक वोल्युम के १५) रुपये और पूरा कोड जो दो वोल्युम में है वह ३०) रु० में मिलता है। इसको लोग खरीद नहीं सकेंगे और न समझ सकेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरल हिन्दी में और सस्ती कीमत पर यह कोड गांव गांव में पहुंचाई जानी चाहिये।

अब मेरा एक ही प्रस्ताव रह जाता है और मैं फिर बैठने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठने में क्या कोशिश करनी पड़ती है?

श्री मूलचन्द डागा : ट्रेनीज़ जो आप भेजते हैं आर० ए० एस० या आई० ए० एस० ऑफिसर होते हैं। पाली जिले में पांच या ६ ट्रेनीज़ हैं। अब जिनके पास भेजते हैं, क्या सरकार पूरा ध्यान लगा लेती है कि उस जिले के अधिकारी उनको शिक्षित करने में, उनको शिक्षा–दीक्षा देने में पारंगत हैं या नहीं? मैं समझता हूं, वे बैठे बैठे कई दफा, हम लोग महसूस करते हैं, जो ट्रेनीज़ आते हैं, उनको समय पर शिक्षा मिल जाती है, यह काम गवर्नमेन्ट के सोचने का है। दूसरी तकलीफ होती है, जो आदमी दो, तीन महीने काम नहीं सीख पाता, उनको मुकदमे एन्ट्रस्ट कर दिये जाते हैं कि मुकदमों का फैसला करो। उनको सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल केसेज़ का फैसला करना पड़ता है। जो वकील, मजिस्ट्रेट चार–पांच साल में

Page No.74

(श्री मूलचन्द डागा)

होशियार बन कर भी जिनके फैसले नहीं कर पाते हैं आज वक्त उनको वे मुकदमे सौंप दिये जाते हैं और जो वे न्याय कर पाते हैं उनको मैं तो समझने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: You have concluded.

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग संख्या ३३–मुख्य शीर्षक ५७–विविध विभागों से सम्बन्धित ७ कटौती प्रस्ताव हैं। मैं उनको क्रमशः प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा कटौती प्रस्ताव ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति पर बहस करने के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हम सब ही जानते हैं कि हमारे देश के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है और हमारे स्वराज्य की मूल या नींव भी हम उस ग्राम पंचायत को ही कह सकते हैं। इन ग्राम पंचायतों को सफलतापूर्वक चलाने पर ही हमारे सारे देश का भविष्य निर्भर है। तो ऐसी दशा में हमको यह देखना आवश्यक हो जाता है कि इन पंचायतों को वे सारी सुविधायें दें जिनसे कि वे अपना कार्य सुचारु रूप से चला सकें। सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताऊं कि ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति ही सबसे पहले अच्छी होनी जरूरी है क्योंकि एक वक्त वह था जब कि वहां की पंचायत को ज्यादातर न्याय का सा काम लेना पड़ता था। उनके ऊपर गांव की सफाई–सुथराई का उस तरह दायित्व नहीं था जैसा शहर में नगरपालिकाओं पर था। लेकिन हमारे लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण ने और विशेषतः नया कानून बना तो उससे जो ग्राम पंचायतें हैं उन पर अधिक से अधिक जोर डाला इस बात का कि वे अपने गांव या उनका जो सर्कल है उसका सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण विकास के लिए, रास्ता ठीक करने के लिए, रोशनी का प्रबन्ध करने के लिए, स्वच्छ पानी के लिए और हो सके तो अच्छे पार्क, खेल-कूद का सामान, बगीचे या गांव के लिए जो बातें आवश्यक हों रखने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इन सारी चीजों को देखते हुए, हर गांव की आवश्यकता को देखते हुए, उनको पर्याप्त धनराशि सुपुर्द करें जिससे कि वे अपना काम भली-भांति चला सकें। या तो आपने एक्ट में उन करों का प्रावधान रखा है, आय के साधन बताये हैं जिनसे वे आय कर सकते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी कुछ चीजें जो व्यवहार में आई हैं उनकी ओर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो यह देखी कि यद्यपि गांव के पास आय के साधन हैं और जो कुछ भी उन साधनों से प्राप्त करें उससे भलीभांति उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

गांव का सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन कई पंचायतों की स्थिति मेरे ध्यान में लाई गई जिनके पुराने पंच या सरपंचों ने पुरानी पंचायतों में काफी कर्जा छोड़ा। मुझे एक पंचायत का ध्यान है। जो पुरानी पंचायत के सरपंच गये तो उस पर पांच–छः हजार का कर्जा छोड़ गये। उनके सामने कठिनाइयां आई कि उनकी आय से नित्य प्रति का काम चलायें या कर्जा चुकायें। उसके साथ साथ इस प्रकार का प्रावधान हमारे एक्ट में है कि उन पंचायतों की आय पर ही निरीक्षण क्या, पूरा का पूरा कन्ट्रोल ही पंचायत समिति का रख दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि चुनी हुई संस्था के ऊपर भी सुपरवाइज़री बॉडी चुनी हुई होनी चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनी हुई बॉडीज़ में ऐसी भावना होती हैं कि अमुक सरपंच हमारे गुट या दल का नहीं हैं; उनका प्रयत्न कुछ ऐसा होता है कि उनको असफल करें। इस भावना से काम करने से पंचायत समिति के प्रधान के सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं। मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है, सरपंच को सफल व होने दें। एक इन्स्टान्स मैं आपको दूं कि मेरे क्षेत्र में एक म्युनिसिपल एरिया था। वह बदल कर वहां पंचायत बन गई। वहां पर चुंगी लगी हुई थी। पुरानी नगरपालिका के जो अध्यक्ष थे और पीछे जो सरपंच थे पंचायत के उन्होंने लगाई। लेकिन उस वक्त जो चुंगी लगी हुई थी आज उसका विरोध वहां पर कराया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने में संकोच होता है कि उस पंचायत समिति का प्रधान आकर गांव वालों को कहता है कि तुम सब चुंगी का विरोध करो। इतना ही नहीं, उसके विरोध में हाईकोर्ट में जाते हैं, रिट लाते हैं और कोशिश करते हैं कि चुंगी लगाने का अधिकार नहीं है। एक ओर आय के साधन इस तरह से रोकते हैं और मुकदमे होते हैं, हाईकोर्ट में आना-जाना होता है, कितना खर्चा होता है, इससे आय पर आघात होता है। इस दृष्टि से आय के साधनों को सीमित किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पुरानी पंचायत थी आय के साधन बढ़ाये, जायज़ या नाजायज खर्चे को पूरा करने के लिए सारी जमीनों के प्लॉट्स बना कर बेच दिये। कुछ कायदे में, कुछ बे–कायदे सारी चीजें अब पंचायत के सामने आ रही हैं। इस तरह से आय के साधन थे उनको बिल्कुल सीमित कर दिया। नई पंचायत में चुनकर आये हुए उत्साही लोग हैं वे कहते हैं कि आय के साधन सीमित हैं, खर्चा एक तरफ इतना है, कर्जा चुकाना हैं और कर्मचारियों को कई कई महीनों का या साल साल भर तक का वेतन नहीं दिया गया है, उनके ऊपर यह भार आकर पड़ा है। यह जो व्यवहारिक कठिनाई है उसको राज्य सरकार को देखना चाहिये। कम से कम कोई न कोई इसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मैं तो यहां तक चाहूँगा कि पंचायत समिति का सुपरविज़न का अधिकार जरूर रखें, नित्य प्रति के काम में प्रधान हस्तक्षेप करते हों तो राज्य सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिये जिससे वे पंचायतें और सरपंच स्वतंत्र रह सकें, उनको काम करने का अवसर मिल सके। यह मेरा पहला कटौती प्रस्ताव है। इसी सम्बन्ध में मैं यह बताऊं कि उनको आय होती है वह आम तौर पर मेलों से होती है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मेलों के सम्बन्ध में, मैं अपने यहां का नगर, म्युनिसिपल कस्बा है

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आज वहां पंचायत बन गई है, वहां पर एक मेला लगता है और पुराने वक्त से लगता है, कुछ समय से पशुओं का मेला लगने लगा है। २०—३० हजार की आमदनी हो जाती है लेकिन पंचायत समिति के प्रधान ने मेले पर नोटिस जारी कर दिया। मेला पंचायत नहीं लगायेगी, हम लगायेंगे। सरपंच को भाग दौड़ करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से अब के मेला लग पाया है।

तो इस तरह से प्रबन्ध के बारे में पंचायत समिति और प्रधान जो कार्य करते हैं जिनसे उस प्रकार की होने वाली आय का सदुपयोग कर सके और विकास के कार्य को आगे बढ़ा सके, लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है सरपंचों को भत्ता देने के सम्बन्ध में। यहां पर इस सम्बन्ध में प्रश्न आया था कि जिला परिषद् के प्रमुख को भत्ता दिया जाय। खैर, उसके औचित्य-अनौचित्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर उनका कार्य इस बात के लिये कि उनको तीस दिन अपने काम के लिये काफी समय लगाना पड़ता है तो उनको भत्ता अवश्य दिया जाय। लेकिन सरपंच के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि कुछ सरपंचों को वास्तव में बहुत काम करना पड़ता है खास तौर से वे सरपंच जहां पहले नगरपालिका थी और नगरपालिकायें किसी भी कारण से पंचायतों में परिवर्तित कर दी गई जिस समय नगरपालिका थी वहां के अध्यक्ष १००-१५० रु० इस तरह से कुछ न कुछ रुपया मासिक भत्ते के रूप में लेते थे लेकिन जिस समय पंचायतें बनीं सरपंच कानून के अन्तर्गत भत्ता नहीं ले सकते। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो वह सरपंच दिन-रात काम न करे। अगर वह नहीं करता है तो जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात करता है, उनकी सुख-सुविधा का उतना प्रबन्ध नहीं कर पाता जैसा कि पहले करता था और अगर वह करता है तो जो जीविका के साधन हैं उनमें उसको हानि उठानी पड़ती है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि कम से कम उन स्थानों पर जहां हजारों की तादाद में पंचायतें बनीं सबको भत्ता देना असंभव हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं यह चाहता हूँ कि पहले जो नगरपालिकायें थीं और अब पंचायतें हो गई हैं, नगरपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से जो लोग वहां पर अलाउन्स पाते थे उनको कम से कम अब भत्ता दिया जाय और उस भत्ते की मिकदार निश्चित हो; वह कम से कम ५०) रु० और अधिक से अधिक ७५) रु० दिया जाय, अगर राज्य सरकार उन पंचायतों को सफल देखना चाहती है तो। पूरे उत्साह के साथ गांव का उनसे विकास कराना चाहती है तो कम से कम ऐसी पंचायतों की जो पहले नगरपालिकायें थी और जो पंचायतों के स्वरूप में आ गई हैं जहां उनके सरपंच हैं उनको इस प्रकार के अलाउन्स की व्यवस्था की जाय।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अधिकार पर बहस करने के लिये। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग नहीं करता कि जो कुछ अधिकार दिये गये हैं वे कम हैं; अतः उनको बढ़ाया जाय। लेकिन यह मैं अवश्य चाहता हूँ कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उनके अधिकारों का वे पूरा उपयोग नहीं कर सकते, उन पर अंकुश लगाते हैं। इसमें दो प्रकार के अंकुश की शिकायतें आई हैं। एक अंकुश लगता है पंचायत समिति के प्रधान की ओर से। जहां हमने एक्ट में पंचायत समिति या उनके प्रधान का जो निरीक्षण रखा है वह पंचायत के ऊपर एक प्रकार से सुपरवीजन है, जनरल सुपरवीजन है। इसके अन्दर यह नहीं कि डे-टू-डे कामों में वह हस्तक्षेप करे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस प्रकार के मामले आये हैं अगर सरपंच जहां हॉकर्स बैठते हैं उनको उठाना चाहता है तो प्रधान उसके लिये मना कर देता है और कहता है कि बगैर मेरी स्वीकृति के तुम किसी को मत हटाओ। इसी प्रकार कोई मकान बनाने की चेष्टा करता है वहां सरपंच मना कर देता है तो प्रधान उसको इजाजत देता है! इस तरह से सरपंच के अधिकार हैं उनको सीमित कर देता है या तो वह रोजाना जिला प्रमुख के पास जाय या राज्य सरकार के पास जाय। इसलिये इस प्रकार की कानून में व्यवस्था होनी चाहिये जो प्रधान, पंचायत समिति केवल अपने अधिकारों तक ही आज्ञा दे सके और जब वह अधिकारों का उपयोग करता है तो वह हर तरह से करे, इस प्रकार की इजाजत होनी जरूरी है।

दूसरा, सरपंचों के अधिकारों पर आघात होता है पुलिस के द्वारा। इस एक्ट के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि जब कभी सरपंच को यह अन्देशा हो कि यहां ऐसी स्थिति आ सकती है जहां झगड़ा-फिसाद हो सकता है या होने की उम्मीद है वैसी हालत में वह तत्काल पुलिस की सहायता ले सकता है। उसके लिये इसकी धारा ८५ में बताया गया है:—

"Every Police Officer shall give immediate information to the Panchayat of an offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or any rule or bye-law made thereunder and shall assist all Panchas, Officers and Servants of the Panchayat in the exercise of their lawful Authority."

एक तरफ तो पुलिस को स्वयं को सहायता करनी चाहिये, यह प्रावधान है। मुझे बतलाया गया है और मुझे तो एक सरपंच ने लिख कर दिया है, जब कभी भी वहां के पुलिस अधिकारी यानी सब-इन्सपेक्टर से सहायता की मांग करते हैं किसी नाजायज तरीके से मकान बनाने वालों पर कार्यवाही करने के लिये हमारे अधिकारी जब वहां जाते हैं तो वे लड़ने लग जाते हैं, वैसी हालत में पुलिस की सहायता की मांग करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं एस० डी० एम० या ए० डी० एम० को इजाजत लेकर आओ; उनकी इजाजत लेने को कहते हैं। वैसी हालत में जब कि पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है, मकान किसी ने बिना इजाजत बना लिया लेकिन सरपंच, पंचायत का उस बारे में कुछ नहीं कर पाता। पुलिस वक्त पर सहायता नहीं करती है तो उससे फिर फायदा क्या ? यह प्रस्ताव मैंने इसी दृष्टि से रखा है। पंचायत जायज कामों के लिये वहां पुलिस को मदद चाहती है वह मदद बराबर उसको मिलनी चाहिये।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इसके अतिरिक्त कटौती का प्रस्ताव मेरा आता है पुरुषार्थियों की समस्या के सम्बन्ध में । ये पुरुषार्थी मेरे क्षेत्र के डीग और नगर के इलाके में पुरुषार्थियों की आदर्श बस्ती है; ये पुरुषार्थी जब से, लगभग १२ साल से आये हैं इसी क्षेत्र में आकर बसे हैं । उनके क्लेम्स के मामलों, जमीन के मामलों, मकान के मामलों में सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे शान्तिपूर्वक ये पुरुषार्थी इस देश को अपना घर समझ कर बैठ सकें । ये मामले भरतपुर इलाके के, अलवर इलाके के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के सामने और केन्द्रीय सरकार के सामने रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है । हम कह नहीं सकते कि राज्य सरकार इस समस्या को सुलझाने में समर्थ है या असमर्थ । लेकिन तथ्य यह है कि इन लोगों के जो तीस हजार के दावे थे उनके बारे में सरकार ने कदम नहीं उठाया है और न भुगतान ही किया गया है । इसी तरह से जमीन पर जो खेती करते आ रहे हैं उनका स्वामित्व उनको नहीं दिया गया है, सिवाय ड्योढ़ा लगान लिया जाता है । समय समय पर शान्ति और व्यवस्था की समस्या वहां पैदा हो जाती है । कम से कम डीग के अन्दर, कामां के अन्दर पुरुषार्थियों ने इस बारे में बड़े बड़े प्रदर्शन किये और अपनी मांगें रखीं । राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई समुचित उत्तर नहीं मिला । इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।

(२. २६ म. प.)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि इन पुरुषार्थियों के प्रति, जो शोषित और पीड़ित हैं, पूरी सहानुभूति-पूर्वक ध्यान दे और उनके मामलों का जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिये और उनकी जमीन और मकान आदि जो भी हैं जिनका स्वामित्व अब तक उनको नहीं मिला है वह उनको प्रदान करना चाहिये ।

अब प्रश्न आता है अल्प आय गृह निर्माण योजना का । हमारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने यह बहुत ही सुन्दर और आकर्षक व्यवस्था की है । जिन लोगों की कम आय है उनको सरकार लम्बे समय के लिये कुछ पैसा देती है और उन से थोड़ी–थोड़ी किश्तें ले कर उनको मकान बनाने की सुविधायें दी हैं ।

लेकिन ये सुविधाएं आज हम बड़े बड़े नगरों में ही देख पा रहे हैं । तो आज ये सुविधाएं उन बीस हजार या इससे छोटे कस्बों को क्यों नहीं मिलतीं ? उदाहरण के तौर पर मैंने अपने कस्बे का जिक्र किया है । बीस हजार की आबादी है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है जो एक समय जयपुर और दिल्ली के बाजारों से समता करता था, आज चारों तरफ से टूटा फूटा पड़ा है । बहुत से पर्यटक और यात्रीगण या इतिहास के विद्यार्थी यह दुर्दशा देख कर बहुत चिन्तातुर होते हैं । तो यह अल्प आय ऋण व्यवस्था उन इलाकों तक में भी लागू करनी चाहिये ताकि ये खंडहर कुछ मिट सकें ।

अन्तिम मेरा प्रस्ताव है निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों की उचित व्यवस्था

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

करने हेतु बहस के लिये। एक कल्याणकारी राज्य का सबसे बड़ा कर्त्तव्य होता है ऐसे लोगों का प्रबन्ध करना। आज हमारा शासन बड़े बड़े उद्योगपतियों और साधन सम्पन्न व्यक्तियों की जरूर सहायता कर रहा है, हर प्रकार से कर रहा है, पर जो स्वयं निराश्रित हैं, जिनके पास अपनी आर्जीविका के कोई साधन नहीं, उनके लिये कोई प्रबन्ध करना सरकार अपना कर्त्तव्य नहीं समझती।

आज प्रान्त के हर गांव और कस्बे में ऐसी निराश्रित महिलाएं और अनाथ बच्चे मिलते हैं। मुझे मालूम है, पुराने रियासती युग में हर राज्य में एक महकमा इनकी देखभाल के लिये भी होता था, जो इनके भरण-पोषण का प्रबन्ध करता था और जो काम करने योग्य होते थे तो उनके पास से काम भी लेता था। उनको छोटे छोटे घरेलू उद्योगों में भी लगाया जाता था। भरतपुर में इस तरह की व्यवस्था थी। गुडियाघर नामक संस्था के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था। महिलाओं से छोटी–मोटी वस्तुएं बनवाई जाती थीं और उनकी बिक्री से जितना आता था अगर उससे उनका गुजारा चला तो ठीक; नहीं तो और उसके साथ गुजारे लायक सहायता सरकार उनको देती थी। पर राजस्थान बनने के बाद वह गुड़ियाघर खत्म हो गया। धर्मादे के फण्ड से भी इस मामले में कुछ पैसा मिलता था। आज वह तो थोड़ा बहुत है, पर पांच-पांच, तीन-तीन रुपया जो उस वक्त दिया करते थे उतना ही है। आज के महंगाई के जमाने में इससे किसी की क्या सहायता हो सकती है? ऐसी हालत में उन महिलाओं से, जो काम कर सकती हैं काम में लगाया जाकर उनकी सहायता की जाये, बच्चों को पढ़ा–लिखा कर आगे के लिये होनहार नागरिक बनाया जावे और जो चल फिर नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, उम्र में अधिक बढ़ गये हैं उनको तो पेन्शन ही दी जा सकती है। तो यह भी मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

मैंने जितने भी कटौती के प्रस्ताव रखे हैं सब व्यवहारिक हैं और उन पर सरकार पूरी सहानुभूति से विचार करके स्वीकार करेगी, ऐसी आशा है।

श्री सभापति : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): माननीय सभापतिजी, आज की मांगें हमारे मन्त्रि मण्डल के ३ सदस्यों के विभागों से सम्बन्धित हैं। मुझे बड़ा दुख है कि जब कि माननीय सदस्य इस सदन में आकर अपनी बेशकीमती राय उनके विभागों के सम्बन्ध में दे रहे हैं वे यहां आकर उपस्थित रहना भी अनावश्यक समझते हैं। बड़े दुख की बात है कि आज सुबह यह बतलाया गया कि गृह मन्त्रीजी जिनके विभाग से सम्बन्धित कुछ विभागों के बारे में हम राय प्रकट कर रहे हैं, बीमार हैं और शायद वित्त मन्त्रीजी भी, जिनके विभागों के बारे में भी आज मांगें हैं यहां से अनुपस्थित हैं, शायद हट्टूंडी पधार गये होंगे और लोकल सैल्फ के मिनिस्टर भी जो महरबानी करके पधारे तो जरूर थे पर अपनी आदत के अनुसार बाथ रूम में चले गये होंगे। बड़े दुख की बात है कि इन मिनिस्टरों के द्वारा इस प्रकार की उपेक्षा इस सदन के साथ बरती जाती है। मैं तो समझता हूँ कि सदन के सारे माननीय सदस्य मेरी इस

Page No.80

(श्री चन्दनमल वैद)

बात से सहमत होंगे कि यह सदन का एक तरह से अपमान है और इसका सारे ही माननीय सदस्य एक मत होकर विरोध करेंगे। हरेक को इसका विरोध करना चाहिये और इसकी जितनी हो सके भर्त्सना की जानी चाहिये। यह प्रजातन्त्र का और जनता के राज्य का युग है और जिस वक्त जनता के प्रतिनिधि, प्रजातन्त्र के प्रतिनिधि सदन में एकत्रित होकर जब किसी विभाग के सम्बन्ध में अपनी बेशकीमती राय दे रहे हैं उस समय मन्त्रीगण या तो दौरे पर हों या घर पर हों या गपशप इधर-उधर लड़ा रहे हों, यह उचित नहीं है। यह सदन के प्रति उनके अपमान का ही द्योतक है। माननीय सभापतिजी, एक बार मैं एक रिटायर्ड आई. सी.-एस. अफसर से बात कर रहा था तो उन्होंने बतलाया कि: "Officers are as efficient and competent as the Minister concerned, neither more, nor less" यानी एक विभाग के ऑफिसर उतने ही एफीशियेन्ट और कॉम्पीटेन्ट होते हैं कि जितने उस विभाग के मन्त्री हैं। न ज्यादा हो सकते हैं इससे, न कम। सभापति महोदय, उस समय तो मुझे उनके इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ पर जब वन विभाग की आलोचना सुनी और आज लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट की आलोचना सुन रहा हूँ और इस विभाग की मेरी निजी जितनी जानकारी है उस बिना पर मुझे मानना पड़ता है कि सच्चाई थी उनके कहने में। आज विभाग में उसका मन्त्री जितना चाहेगा कि उसका विभाग एफीशियेन्ट हो या अनएफीशियेन्ट हो या कॉम्पीटेन्ट हो या इनकॉम्पीटेन्ट हो तो जितना वह चाहेगा उसकी चाह उस विभाग में प्रतिबिम्बित होती है। वे स्वयं जितने कॉम्पीटेन्ट और एफीशियेन्ट होंगे उतना ही उनका विभाग होगा, न उससे कम और न ज्यादा। हमने शिक्षा विभाग की मांगों पर भी बहस की। उस बारे में सदन की चारों ओर से राय थी कि बहुत अच्छा काम इस विभाग का हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सब तरफ से कैसे?

श्री चन्दनमल वैद : दूसरी तरफ वन विभाग की आलोचना हुई तो सभी तरफ से लोगों का मानना था कि वन विभाग में घोटाला है।

तो सदन मेरी इस राय से एग्री होगा कि इस विभाग में हाइ हैन्डेडनैस और काफी अनएफीशियेन्सी से काम हो रहा है। मैं दो, चार उदाहरणों से इसे समझाता हूँ। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, ५६ की धारा १३ की उपधारा २ में लिखा है कि:—

"Representation of each ward shall be on the basis of population of that ward and shall, as far as possible, be in the same proportion as the total number of seats for the Municipality bears to its population."

इसका मतलब यह हुआ कि एक म्युनिसिपल बोर्ड की सीटें आबादी के अनुसार सभी जगह होंगी, आबादी के अनुपात से सब जगह बराबर रखी जावेंगी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस विभाग ने किस तरह से अलग अलग जगहों के वार्डों का विभाजन किया है। एक उदाहरण है सरदारशहर का। मुझे मालूम है और माननीय मन्त्री महोदय को

(श्री चन्दनमल वैद)

लिखित रूप में भी दिया गया है। वहां का एक वार्ड है जिसकी वोटर संख्या है ५३०, दूसरा है जिसकी वोटर संख्या है १७००, तीसरे की संख्या है १,२०० । तो आप बताइये कि यह क्या है ? अब इसमें क्या मोटिव है, क्या मंशा हो सकती है ? नहीं मालूम । पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोगों का विश्वास कुछ इस तरह का हो गया है कि कानून में लिखा और जाता है, विधान सभा में जवाब कुछ और दिया जाता है और मन्त्री महोदय करते कुछ और हैं। जैसी उनकी मर्जी आती है वैसा करते हैं।

डूंगरगढ़ भी है। इसी तरह वहां बनाया गया। उसकी तो रिट पिटीशन भी हाईकोर्ट में चल रही है। लोग परेशान हैं इस विभाग के इस तरह के कारनामों से। परेशानी का चक्कर कुछ वे इस तरह का चला देते हैं अपनी इनएफीशियेन्सी और इनकॉम्पीटेन्सी की वजह से।

इस तरीके से झुंझुनू का उदाहरण है। मुझे झुंझुनू के माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर नगरपालिका के कुछ वार्ड बनाये गये हैं। अब जरा आप उनका मुलाहिजा कीजिये कि वहां पर १ नम्बर का वार्ड है जिसकी आबादी की संख्या २७० है और यह सिंगल मेम्बर वार्ड है। इसी तरह से एक और दूसरा १४ नम्बर का वार्ड है जिसमें रहने वालों की संख्या १,२३१ है और यह भी सिंगल मेम्बर वार्ड ही है। अब आप ही बताइये दोनों वार्डों में रहने वालों की संख्या में दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, चार गुना फर्क नहीं, बल्कि पांच गुना फर्क है। इसके अलावा फिर वहां पर एक तीसरे नम्बर का वार्ड है जिसकी संख्या ८०७ है और इस ८०७ की संख्या वाले वार्ड में से २ मेम्बर चुने जायेंगे। अब आप ही जरा इस बात की ओर देखिये कि ८०७ की संख्या वाले वार्ड में से तो चुने जायेंगे २ मेम्बर और १,३३१ वाली संख्या के वार्ड में से एक मेम्बर चुना जायेगा; क्या जस्टीफिकेशन है ? कभी कहते हैं कि जो आप वार्ड बनायेंगे वह एज़ फार एज़ पोसीबल पोपुलेशन में इक्वल होंगे और आप करते हैं एज़ फार एज़ पोसीबल इनइक्वल और इस तरह से आप काम करते हैं।

दूसरी बात, जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। एक कटौती का प्रस्ताव है पाली से आने वाले माननीय सदस्य का और उनका कहना है कि अभी जो म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी हैं, एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर हैं उनका तबादला नहीं होता और उनका तबादला होना चाहिये। मैं कहता हूं कि उनका तबादला नहीं होता है तो अच्छा है और अगर तबादला हो गया तो ऐसा होगा कि आपको हंसी आयेगी कि लाखेरी की म्युनिसिपैलिटी है उसके सेक्रेटरी का डूंगरपुर की म्युनिसिपैलिटी के एक्ज़ीक्युटिव का ऑफिसर आपस में तबादला कर दिया। लाखेरी वाला डूंगरपुर चला जाये और डूंगरपुर वाला लाखेरी चला जाये। मुझे बहुत हंसी आती है। कल वहां की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन आये तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो यह अन्याय हो रहा है। मैंने कहा कि ठीक है आप इन्कार कर दीजिए। ऐसा अगर कानूनी हुक्म सरकार की तरफ से आता है तो यही होना चाहिये कि हम हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर ऐसी हिमाकत

Page No.82

(श्री चन्दनमल वैद)

हम कब तक बर्दाश्त करेंगे । आप यह समझते हैं कि नगरपालिकायें आपकी 'हैंड मेड' हैं, आपका खिलौना है जैसे मर्जी आये लोगों को इधर से उधर और उधर से इधर फैंक दें ? क्या यह पुराने जमाने का टाइम है ? कल को तो आप यह भी करने वाले हैं कि लाखेरी के सेक्रेटरी को जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड का एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर बना देंगे और यहां के एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को लाखेरी भेज देंगे । ऐसी बातों को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आजकल नाराजगी चल रही है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं ये बातें बता रहा हूं । अगर माननीय मंत्रीजी कहें कि ऐसी बात नहीं है तो मैं माफी मांग लूंगा । हम आलोचना करें, आप कहें कि नाराजगी है । तो निश्चित रूप से नाराज होने की बात भी है । सरदारशहर का म्युनिसिपल बोर्ड भंग किया गया और बोर्ड के भंग होने के बाद में वहां पर यह प्रश्न उठा कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाये । तो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर तो वहां का तहसीलदार ही नियुक्त किया जा सकता था, एस० डी० एम० को नियुक्त किया जा सकता था और एस० डी० एम० शुरू में होता है । आप उसको तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते नहीं और करते हैं रतनगढ़ के एस० डी० एम० को । रतनगढ़ का एस० डी० एम० कहता है कि सरदारशहर मेरे हलके में हैं नहीं और मुझे वहां का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया, मैं कैसे करूं ? लेकिन आज ८—९ महीने हो गए । सरदारशहर की म्युनिसिपैलिटी के वार्ड गलत हो गए । उसके बारे में वहां के तहसीलदार, एस० डी० ओ०, कलेक्टर वगैरह सब रिपोर्ट भेजते हैं और वहां का एम०एल० ए० भी कहता है कि जो वे वार्ड बने हैं उनको रीवाइज़ किया जाये पर सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं उससे क्या हम यह समझें कि जो विधान सभा के अन्दर बैठ कर कानून बनाते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है ? अगर कानूनों की कीमत है तो फिर क्या कारण है कि कानूनों की अवहेलना मंत्रीगण करते हैं जो कि कानूनों का मसविदा हमारे सामने पेश करते हैं ? माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि यही स्थिति रही तो यह मानना पड़ेगा कि आज कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि हम गलत काम करते हैं इससे लोगों का जनतंत्र से विश्वास उठ सकता है । लेकिन जो लोग ऐसा काम करते हैं चाहे वे मंत्री हों, चाहे ऑफिसर हों उन लोगों को मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि आपके दस—पांच गलत काम करने से उनका जनतंत्र से विश्वास नहीं उठ सकता है; क्योंकि वे लोग जानते हैं कि आपने उनके साथ अन्याय किया है । लेकिन आप कितना ही अन्याय करें हमारा जो जनतंत्र में विश्वास है वह कायम रहेगा, चाहे आप दस, बीस क्या सौ भी गलत काम क्यों न कर लें, हमारा विश्वास बना रहेगा ।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा मांग संख्या ३३ मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १)रु० की कटौती

(श्री प्रभूलाल पुरोहित)

की जाय (ग्राम पंचायत को म्युनिसिपैलिटी बनाने पर बहस करने हेतु) पर कटौती का प्रस्ताव है। माननीय चेयरमैन महोदय, लालसोट एक कस्बा है और पहले लालसोट की आबादी ८ हजार थी और वह अब ६ हजार हो गई है लेकिन वहां पर पंचायत कर दी गई है। मैंने इसके विषय में बराबर लिखा-पढ़ी की और वहां पर पंचायत ने भी लिखा-पढ़ी की कि हमारे यहां पर म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए। जो वहां के मेम्बर्स हैं उनसे भी नहीं पूछा गया कि आप पंचायत चाहते हैं या म्युनिसिपैलिटी चाहते हैं, लेकिन वहां पंचायत बना दी गई। वहां की जनता ने बराबर तार दिये और बराबर लिखा पढ़ी की लेकिन इस बात का ख्याल नहीं किया गया। २ नवम्बर, १९६० को यह नोटिस जारी किया गया कि आपके यहां पंचायतों के चुनाव होंगे, किसी को एतराज करना हो तो करें। लेकिन ४ दिन पहले ही चुनाव होते हैं। १६ नवम्बर के राजपत्र में जो टोडा रायसिंह पंचायत के बारे में भी ऐसा ही नोटिस निकला था उसको तो म्युनिसिपैलिटी बना दिया गया, लेकिन लालसोट को पंचायत ही रख दिया गया। जो लालसोट पंचायत के मेम्बर्स हैं और जो पहले मेम्बर्स थे उन्होंने भी मांग की थी कि हमारे यहां पर पंचायत नहीं, म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिये, हमारे यहां की जनसंख्या को देखते हुए। अब अगर हमें हाई कोर्ट में करना पड़ता है तो काफी पैसा खर्च होता है। तो मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को देखते हुए लालसोट पंचायत को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया जाये। बस, मुझे इतना ही कहना था।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक कटौती का प्रस्ताव हमारे जनसम्पर्क कार्यालय से सम्बन्धित है और दूसरे का सम्बन्ध स्वायत्त शासन संस्थाओं को जो सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है उससे है।

सबसे पहले मैं अपने कटौती प्रस्ताव की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, इसके पहले कि इस विषय में कुछ बातें मैं सदन के सामने रखूं, मैं इस विभाग के माननीय मन्त्री महोदय तथा इस विभाग के संचालक महोदय, दोनों को मेरी ओर से यह हार्दिक बधाई देता हूँ कि सन् १९५५ से लेकर सन् १९६१ तक जो संघर्ष चला है उस संघर्ष में विजय श्री उनको मिली है। यह भी यहां निवेदन करूं कि भारतवर्ष के अन्दर यदि सारी लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज़ की प्रोसीडिंग्ज़ को देख लिया जाय तो मैं कहूँगा कि यह विभाग ही इस प्रकार का विभाग है जिस विभाग की किसी लेजिस्लेटिव असेम्बली में सबसे ज्यादा चर्चा हुई हो। यहां इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी चर्चा होने के बावजूद भी इस विभाग के सम्बन्ध में जो उपयुक्त कार्यवाही होनी चाहिए थी वह क्यों नहीं हो पा रही है।

जहां तक इस विभाग की अनियमितताओं का प्रश्न आता है, मैं उस सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। उसके नहीं कहने के कारण यही हो सकते हैं कि अब तक इस विधान सभा में सदन के कई माननीय सदस्यों

(श्री भैरोंसिंह)

ने इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने भी समय समय पर आश्वासन दिये हैं और उन आश्वासनों के ऊपर जितनी जिस प्रकार की कार्यवाही होनी अपेक्षित थी वह कार्यवाही नहीं होने के कारण सदन के माननीय सदस्य जिस प्रकार से मायूस हुए हैं वह भी हमारी सब की जानकारी में है।

सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि राजस्थान के एक चपरासी से लेकर, चपरासी से मतलब मेरा उस विभाग के चपरासी से है जिस विभाग के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उस चपरासी से लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति ने इस विभाग के सम्बन्ध में आलोचना नहीं की हो, त्रुटियां नहीं बताई हों, अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया हो। लेकिन वह ऐसा समझते हैं जिसको मैं शायद अभी तक समझ नहीं पाया था कि इस विभाग में कुछ आकर्षण है और उस आकर्षण को लाने की स्थिति में यह विभाग है इसलिए नहीं, लेकिन विभाग में आज जिस प्रकार से जिम्मेदार पदों पर काम करने वाले हैं उनके द्वारा इस प्रकार का आकर्षण बनाया जाता है। मैंने इसी सदन के अन्दर कई बार माननीय गृह मन्त्रीजी से और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से इस प्रकार के आश्वासन लिये हैं कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी। यह आश्वासनों का तांता आज से नहीं, बल्कि सन ५५–५६ से है जब कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में जो रिकमन्डेशन की थी, उस रिकमन्डेशन से यह शायद चलता है, जिसके दो छोटे पैराग्राफ मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। उसके पेज २७१, २७२ में लिखा है, एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में।

"There should be rules governing the approval and disapproval of newspapers for purposes of Government advertisements, so that the Government might not be deprived the best use of the expenditure incursed by it."

दूसरे में लिखा है:—

"The question of fixing rates of advertisement in various papers is a very important matter which should engage the attention of the Government itself and should not have been left to the sole discretion of the Head of the Department. Government should fix the rates in accordance with certain definite rules."

और आगे और लिखा है:—

"The system, procedure and method of distribution of Governments advertisementas to the various newspapers need to be placed on a scientific basis in the light of the observations made by the Committee.

"More attention should be paid by the Department on publicity of important activities and schemes of the State, and the Public Relations Offices should take keen interest in it."

सन् ५५,५६ के अन्दर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह)

सिफारिश की थी। सन् १९५७,५८,५९ और ६० में जितमें भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हमारा यह विभाग उन रिपोर्ट्स के अन्दर ज्यादा चर्चा का विषय बना है।

१९५५ से १९६० तक राजस्थान के गृह विभाग में ४ सचिव बदल गये हैं। सबसे पहले जहां तक मुझे याद है श्री सम्पतमल भंडारी थे, और श्री सम्पतमल भंडारी ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि इस विभाग में कुछ अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं को दूर करने का कार्य सरकार का है, सरकार का जिम्मा है और सरकार ६ महीने की अवधि में इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर कर देगी। जिस समय श्री सम्पतमल भंडारी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की व्यवस्था की, उस समय न मालूम क्यों उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया और स्थानान्तरण करने के पीछे जो एक चर्चा का विषय बना था वह यही विषय था कि वे डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के कन्फ्लिक्ट में आ गये और कन्फिलिक्ट इस बात की थी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव के नाते जो उन्होंने यह कमिटमेंट किया था वे उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे।

उसके बाद में दूसरे सचिव (मंत्री) आये श्री चन्द्रशेखर गुप्ता। श्री चन्द्रशेखर गुप्ता ने इस विभाग के सारे कार्यों को देखा और देखने के बाद जिस समय वे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आये उन्होंने, हमारे डाइरेक्टर महोदय ने जो कुछ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को गलत बताया। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी उसको गलत माना; गलत ही नहीं माना, बल्कि उसमें यह भी कहा गया कि वे झूठ बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार का एश्योरेन्स दिया था कि सरकार ३ महीने के अन्दर अन्दर इस विभाग में जितनी भी इर्रेगुलेरिटीज़ हैं उन इर्रेगुलेरिटीज़ के सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेगी। श्री चन्द्रशेखर गुप्ता फिर कन्फलिक्ट में आये और उस कन्फलिक्ट का यह नतीजा हुआ कि एक कॉम्पीटेन्ट ऑफिसर को हमने उठा कर सेन्सस डिपार्टमेंट में उस समय लगा दिया। मैं यह नहीं कहता कि वह पोस्ट किसी तरह से हलके दर्जे की थी, लेकिन हटाने का एकमात्र कारण यही थी कि डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के वे कन्फलिक्ट में आये।

उसके बाद तीसरे सेक्रेटरी साहब आये। तीसरे सेक्रेटरी साहब ने कुछ कोशिश की। उसका नतीजा यह हुआ कि उन सेक्रेटरी साहब के पास जब विभाग के कागजात जाते थे तो उन कागजात के ऊपर एक मार्क 'एच० एम०' लगा कर होम मिनिस्टर साहब की टेबल पर रख देते थे। वे इन्डिपेन्डेन्टली किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते थे।

यदि मैं कहूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आज के जो मुख्य सचिव हैं श्री भगवतसिंह मेहता, उन्होंने यह कमिट–

(श्री भैरोंसिंह)

मेंट किया था कि तीन महीने के अन्दर अन्दर इस विभाग में जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच करायेंगे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको हर प्रकार से दण्ड भी देगें; वह तीन महीने का एश्योरेन्स आज नहीं, बल्कि आज से डेढ़ वर्ष पूर्व दिया था, जिसका उल्लेख पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर आया है। लेकिन आज तक उन्होंने उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और इस सदन के अन्दर इस विभाग के सम्बन्ध में जितनी भी अनियमितताएं थी उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और सरकार ने खड़े होकर इस बात का आश्वासन दिया था कि सब चीजों की पूर्ति करने वाले हैं और अनियमितताओं को रोकने वाले हैं। उसके बाद स्वयं वातावरण इस विभाग के खिलाफ बना तो सरकार से एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई कि वह इस विभाग की इरेंग्युलेरिटीज़ के बारे में इन्क्वायरी करे और सरकार को एडवाइस करे कि किस प्रकार की कार्यवाही करनी है। वे थे श्री राजगोपालन। जिस समय उनकी नियुक्ति की गई थी वह लैटर मैंने पढ़ा है। मैं उस लैटर के कॉन्टेन्ट्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उस लैटर में उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की थी कि इरेंग्युलेरिटीज़ की जांच करने के बाद में सरकार को एडवाइस करें कि सरकार किस प्रकार से इस विषय में क्या एक्शन ले। उनको पता नहीं था। उन्होंने कुछ कार्यवाही करनी शुरू की और उस कार्यवाही का यह नतीजा हुआ कि श्री राजगोपालन का दो महीने के बाद में उस स्थान से स्थानान्तरण बांसवाड़ा के कलेक्टर के रूप में कर दिया।

मैं समझता हूं कि उनके अपोइन्टमेंट के बाद में सदन में इस बात की चर्चा की गई थी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह मामला आया तो सरकार से मांग की गई कि श्री राजगोपालन चले गये हैं तो उनके स्थान पर दूसरा ऑफिसर नियुक्त किया जाय, तो सरकार ने २ महीने के बाद फिर इस बात की तत्परता बताई कि एक बहुत हो सीनियर ऑफिसर को अपॉइन्ट करने वाले हैं। कुछ समय के बाद जागीर कमिश्नर श्री दौलतसिंह को इन इरेंग्युलेरिटीज़ की इन्क्वायरी करने का काम सौंपा गया। इस इन्क्वायरी के सम्बन्ध में जितने पेपर्स उनके पास जाने चाहिए वे एवेलेबल नहीं कर पाये, इस इन्क्वायरी के सिलसिले में जिस प्रकार का एप्रोच हो सकता है वह एप्रोच नहीं किया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि इन्क्वायरी के सारे कागजात यों के यों ही पड़े हैं और श्री दौलतसिंह ४ अप्रेल को रिटायर होकर चले जायेंगे।

तो सरकार, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ डेलीब्रेटली इन सारी चीजों को एवोइड करने का एक प्रयत्न कर रही है। अगर सरकार के सामने किसी दूसरे विभाग के सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें आती हैं तो वह (सरकार) चाहे कुछ समय ले ले, चाहे किसी के पक्ष में ले ले, लेकिन कुछ न कुछ अन्तिम रूप से सारे चेप्टर को क्लोज़ करने का प्रयत्न करती है, लेकिन यह चेप्टर चालू रहता है। वह इस चेप्टर के सम्बन्ध में उसको बन्द करने की व्यवस्था नहीं करती है। जैसा कि मैंने संकेत किया था कि सन् ५५ की रिपोर्ट में

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार का उल्लेख किया था और ५५ की रिपोर्ट के पहले मैं....

(३. ०० म० प०)

इन सारी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करता हुआ केवल एक पैराग्राफ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह पैराग्राफ ऐसा है जिस पैराग्राफ के कारण वहां की सारी स्थिति सदन के सामने आ जायेगी और मैं समझता हूँ सदन में उस पैराग्राफ को पढ़ना ही ज्यादा अच्छा होगा ताकि उसके विश्लेषण की आवश्यकता न हो। यह जन लेखा समिति की १६५६–६० की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है और सरकार की इज्जत बचाने के लिये जो वाजिब बात लिखी गई है उसे स्वीकार करनी चाहिये। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ ५१ में लिखा है :—

"उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के हिसाब की स्थिति काफी असन्तोषजनक है। संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग ने जांच के दौरान में यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि विभाग में अकाउन्ट्स ऑफिसर नहीं होने के कारण कुछ टैक्निकल ढंग की अनियमिततायें हुई हैं, किन्तु स्थिति इसके प्रतिकूल है। रोकड़ में से पैसे इच्छा हो तब उठा लेना, सुविधा हो तब वापिस रखना और उसका हिसाब में इन्द्राज न करना, सामान आया नहीं हो और आ गया है, ऐसा झूठा प्रमाण–पत्र देकर भुगतान कर देना और इस प्रकार राज्य को नुकसान पहुंचाना, बिना टेन्डर लिये सामान खरीदना, स्वीकृत टेन्डर रद्दी की टोकरी में डाल कर ऊंची दरों का सामान खरीदना, अनधिकृत और अनावश्यक रूप से विभाग के कर्मचारियों और प्राइवेट पार्टियों को पेशगी देना, लागत कीमत से अधिक पेमेन्ट करना, अपने अधिकार से अधिक के बिलों को कई हिस्सों में बांट कर पार्टियों को इस प्रकार से पेमेन्ट करना कि जिससे उच्चाधिकारियों की स्वीकृति न लेनी पड़े और वह उस स्थिति में जब कि निश्चित दरों से अधिक भुगतान किया गया हो, अनधिकृत वाहन को न केवल अपने पास ही रोके रखना, बल्कि उसके उपयोग की विगत नहीं लिखना, अनावश्यक रूप से किसी पार्टी की अजेंन्सी के नाम पर अधिक पेमेन्ट करना टैक्निकल ढंग की गल्तियां नहीं हैं। समिति की यह मान्यता है कि कई अवसरों पर इन बातों को आसानी से रोका जा सकता था, यदि उच्चाधिकारियों के समक्ष इनके आने का अवसर मिला होता। किन्तु संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग सचिवालय स्तर तक अपने विभाग की इन त्रुटियों को जाने से रोकते रहे। यही नहीं, असत्य सूचनाएं देते रहे हैं। उदाहरणार्थ, फिज़ीकल वेरिफिकेशन का प्रश्न बहुत स्पष्ट ही है और इससे राज्य सरकार के समक्ष सही स्थिति आने से रह रही है।

"अगर उपरोक्त सारी चीज़ों को संचालक, जन सम्पर्क विभाग द्वारा अपने रहने के मकान के किराये के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र और उसे किराये पर सब ले–दे कर बेजा ढंग से लाभ उठाने के मामले की पृष्ठभूमि में देखा जाय तो स्थिति की गंभीरता और भी अधिक बढ़ जाती है। तब संचालक द्वारा दिये गये वे सभी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रमाण पत्र, वगैर लिखे हुए सामान खरीद के आॅर्डर्स, उनका निश्चित दरों से अधिक भुगतान, बेनाम खर्च आदि गम्भीर सन्देह पैदा करते हैं।"

मैं अपनी ओर से इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता। सदन की एक समिति और मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन की मोस्ट इम्पोर्टेन्ट समिति के द्वारा इस विभाग के प्रति जो व्यूज़ एक्सप्रेस किये गये हैं वे काफी हैं। यह समिति सन् ५५ से लगातार इस प्रकार के व्यूज़ एक्सप्रेस करती आ रही है। सरकार की ओर से बराबर आश्वासन दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि यह देखा जाय कि सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहती है तो ऐसा दिखता है कि इसके पीछे गम्भीर कार्यवाही छिपी हुई है। हमारे इस विभाग के संचालक का इस प्रकार का सर्टिफिकेट केवल सदन ने ही नहीं दिया है या सदन की उस समिति ने ही नहीं दिया है, बल्कि राजस्थान के सर्वोच्च न्यायाधीश ने नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन के समक्ष इनका जो स्टेटमेंट हुआ था उस समय उन्होंने कहा था कि इस विभाग की क्या रीति-नीति है, कार्य-प्रणाली किस प्रकार की है। सरकार को उन्होंने सलाह दी थी कि एडवर्टाइज़मेन्ट देने सम्बन्धी कार्यवाही ज्यादा सतर्क रह कर व्यवस्थित करेंगे तो शुभ काम होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जो व्यूज़ रखे उनको बलाये ताक रखा गया, सदन में जो आलोचना हुई और जो आरोप लगाये गये उनको बलाये ताक रखा गया, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जो व्यूज़ एक्सप्रेस किये उन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो इससे मुझे एक बड़ा भारी खतरा दिखता है।

इस विभाग का नाम है जन सम्पर्क कार्यालय। सरकार की जितनी कार्यवाहियां और रीति नीति है उसको जनता के पास पहुँचाने के लिये यदि सरकार के पास कोई एजेन्सी है तो वह जन सम्पर्क विभाग है। जिस प्रकार का विभाग होगा उसी प्रकार का जनता में रीएक्शन होगा। सरकार के कामों को सही रूप में जनता के सामने रखने का माध्यम यह विभाग है। सरकार की जानकारी जनता को मिलती है या तो समाचार पत्रों के द्वारा या नेताओं के भाषणों से या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की ओर से जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं या जिस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करते हैं उनसे। यह बीच की मशीनरी जो जनता और सरकार के बीच में सम्पर्क स्थापित करने का माध्यम है वह यदि पवित्र न हो तो सरकार के प्रति जनता का रीएक्शन क्या होगा? जनता समझेगी कि जिस विभाग को लेकर आलोचना की जाती है, जिस विभाग को जनता और सरकार के बीच में माध्यम बनाया जाता है वह माध्यम किस प्रकार से अच्छे ढंग से और सही रूप से सम्पर्क स्थापित कर सकता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

अब यदि कोई यह कहे कि हमारी सरकार इनके बारे में कोई चिन्ता नहीं करती; क्योंकि सरकार के पास और भी साधन हैं जिनसे सम्पर्क साध लिया जाता है और जिसके कारण जनता पर बुरा रिफलेक्शन नहीं होता। परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है। मैं ऐसा समझ लूंगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट के बाद, सदन में

Page No.89

(श्री भैरोंसिंह)

आश्वासन देने के बाद भी यदि इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो....

श्री सभापति : You have to speak on one more cut motion.

श्री भैरोंसिंह : उसका रिफ्लेक्शन बाकी सर्विसेज़ पर भी पड़ता है। आज सारी सर्विसेज़ पर एक विपरीत तरह की प्रतिक्रिया काम करती है। वे सब यह समझते हैं कि चाहे दुनिया भर के रूल्स, रेग्युलेशन्स, मान्यताएं, परम्पराएं हैं उनके खिलाफ काम करेंगे तो भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट को एग्ज़ाम्पल के रूप में मान कर चलते हैं। जहां इस प्रकार की अनियमितताएं होने पर भी गवर्नमेन्ट प्रोटेक्शन दे सकती है तो बाकी के विभागों पर चाहे किसी भी प्रकार की अनियमितताएं करें किसी बात का प्रभाव नहीं होगा।

इस प्रकार की चीजें जनता में गलत वातावरण का निर्माण कर सकती है। उसके साथ ही साथ सारी मशीनरी पर इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि एक प्रकार की हवा बनती चली जा रही है, हम कितनी हो इर्रेग्युलेरिटीज़ करें, हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे मन्त्रीजो को इन इर्रेग्युलेरिटीज़ के लिये कितना कष्ट उठाना पड़ा है ? लास्ट ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गये ऑब्जेक्शन्स के अनुसार वाउचर्स को ठीक करके नई सेंक्शन्स देकर ऑडिट के सामने रखा और उनसे एक सर्टिफिकेट लेकर सदन के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वे कहेंगे कि सारी इर्रेग्युलेरिटीज़ को रेग्युलेराइज़ कर लिया गया है। इर्रेग्युलेरिटीज़ को रेग्युलेराइज़ करने का ही प्रश्न नहीं है; ये इर्रेग्युलेरिटीज़ किस कारण से की गई, मेलाफाइड इन्टेन्शन से या बोनाफाइड इन्टेन्शन से की गई ? बोनाफाइड से करने का प्रश्न नहीं आता। जनरल फाइनेन्शियल रूल्स में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था में सरकार को स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि बाकी के अधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था पर आचरण करते हैं और यदि उसके अनुसार आचरण नहीं करें तो जो प्रोसीजर होता है उसके अनुसार जो आचरण नहीं करने वाले होते हैं उनको दंड दिया जाता है और जो अनियमितताएं को जाती हैं उनके लिये उनको दोषी टहरा कर दंड दिया जाता है। मुझे अफसोस है कि सारी कार्यवाही के होते हुए भी, इर्रेग्युलेरिटीज़ साबित हो जाने पर भी सरकार उनको दुरुस्त नहीं कर पाती है। मैं समझता हूँ मन्त्रि मंडल के सदस्यों की इसके लिये मजबूरी है। मजबूरी इसलिये है कि, मैं यह नहीं मानता कि गृह मन्त्रीजी उसको दूर नहीं कर सकते या गृह सचिव उसको दूर नहीं कर सकते; लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूँ जिसके लिये मेरे पास प्रमाण हैं लेकिन समय के अभाव से मैं उनको आज यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि डी. पी. आर. कोई कार्य करता है, चाहे वह अच्छा हो, चाहे बुरा हो, पब्लिसिटी राजस्थान सरकार कराना चाहती है, चाहे उसके लिये कितना ही खर्चा लगे, खर्चे की चिन्ता नहीं करते, बाकी बातों की चिन्ता नहीं करते, गलत आंकड़ों के आधार पर मुख्य मंत्रीजी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं कि राजस्थान में इतना विकास कार्य हुआ है तो वह वास्तव में विकास नहीं है। सरकार जो

(श्री भैरोंसिंह)

आंकड़े तैयार करके देती है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। मैं मंत्रीजी के भाषण या फोटोज़ छपने की बात नहीं करता, समाचार पत्रों में छपने की बात नहीं करता; लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह गृह मन्त्रीजी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी की जिम्मेदारी है।

हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री का स्वयं का प्रोटेक्शन है, जिसके कारण आज के राजस्थान के अन्दर एक विभाग जो सबसे ज्यादा भारतवर्ष में आलोचना का विषय रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। मैं समझता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री के सामने हमारे गृह मंत्री की इस प्रकार को पर्सोनेलिटी नहीं है कि उनको नाखुश करते हुए इस प्रकार के विभाग के खिलाफ एक्शन ले सकें। उनकी एक्शन लेने की सामर्थ्य नहीं है। सारी जिम्मेवारी मुख्य मन्त्रीजी की है। अगर वे नहीं चाहते तो और कोई ताकत नहीं है कि पब्लिसिटी के डाइरेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन ले सके।

यहां इस प्रकार का प्रश्न आता है, सरकार को डाइरेक्टर से कुछ खर्चा करवाना है। डाइरेक्टर के मार्फत एन्टर्टेनमेंट के लिए व्यवस्था करानी है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, सरकार इस प्रकार के नियम बना दे, इस प्रकार की व्यवस्था कर दे कि सरकार को इस प्रकार के खर्च के लिए सेंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, दस हजार कर सकते हैं, २० हजार खर्च कर सकते हैं, ४० हजार खर्च कर सकते हैं, एग्ज़ीबिशन का हिसाब मेन्टेन नहीं कर सकते हैं और एग्ज़ीबिशन में जहां दस हजार रुपये खर्च करने हैं वहां साठ हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। सारी बातों के लिए नियम बना दिये जायं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उसमें किसी को एतराज नहीं है। न ऑडिटर जनरल को एतराज होगा और न सदन उसमें एतराज करेगा, न इस सदन की कोई समिति एतराज करेगी और न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को रिमार्क्स लिखने पड़ेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं।

इतना ही नहीं, १९५५ के अन्दर आश्वासन दिलाया था कि सरकार एडवर्टा–इज़मेंट पॉलिसी निर्धारित करेगी, सरकार एडवर्टाइज़मेंट की रेट्स तय करेगी। किन किन अखबारों को एप्रूव्ड लिस्ट में किस आधार पर लिया जायगा, इस पर भी निर्णय लेगी। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास मशीनरी नहो है? क्या बाकी की स्टेट्स के अन्दर एडवर्टाइज़मेंट की पॉलिसी नहीं है? क्या बाकी की स्टेट्स के अन्दर एडव–र्टाइज़मेंट की रेट्स तय नहीं हुई हैं या क्राइ–टेरिया फिक्स–अप किया हुआ नहीं है कि किस समाचार पत्र को एप्रूव्ड लिस्ट में लेना है? लेकिन राजस्थान की सरकार निर्णय लेना नहीं चाहती। निर्णय इसलिए नहीं लेना चाहती कि जनता को अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस करने का जो समाचार–पत्र माध्यम है उनकी स्थिति वह इस प्रकार की बनाये रखना चाहती है और इसलिए बनाये रखना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहती है कि जिस समाचार–पत्र ने सरकार के खिलाफ लिख दिया उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जायगा, एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं लिया जायगा, उस समाचार पत्र को एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिये जायेंगे और जिस समाचार–पत्र ने सरकार के पक्ष में लिख दिया उसको एप्रूव्ड लिस्ट में लिया जायेगा और उसको ६ रुपये के एडवर्टाइज़मेंट की जगह ६०० रुपये के एडवर्टाइज़मेंट दिये जायेंगे। मैं उसकी आलोचना नहीं करता। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं और कांग्रेस अधिवेशन की पत्रिकायें निकलती हैं, सोवेनियर निकलते हैं, उनके अन्दर राजस्थान के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा एडवर्टाइज़मेंट दिये जाते हैं। मैं उस पर आपत्ति नहीं करता, क्योंकि और कई जगह एडवर्टाइज़मेंट दिये जाते हैं, लेकिन सोवेनियर में जो एडवर्टाइज़मेंट दिये जाते हैं वे बहुत लो रेट्स पर दिये जाते हैं; जब कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के सोवेनियर को एडवर्टाइज़मेंट देती है वह बहुत हाई रेट्स पर देती है, हाई रेट्स पर देने की व्यवस्था करती है! मैं समझता हूं कि यह पैसा जनता का पैसा है, कांग्रेस का नहीं है। जब कांग्रेस का पैसा नहीं है और जनता का पैसा है और इस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है तो उसको रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अंत में, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार–पत्रों के ऊपर जिस प्रकार का फाइनेन्शियल अंकुश रखने की व्यवस्था करती है वह अनुचित है, अनडेमोक्रेटिक है और समाचार–पत्रों के विकास में बाधक है।

समाचार–पत्रों की इन्डियेन्डेन्स के लिए गारन्टी दी है हमारे कान्स्टीट्यूशन के अन्दर, समाचार–पत्रों के काम में हस्तक्षेप न करने का विश्वास दिलाया है। जो विश्वास दिलाया है, मैं समझता हूं उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि इनकी इन्डियेन्डेन्स किस तरह खत्म की जाय। कई समाचार पत्रों के बारे में इस सदन में कहा है, जिनकी छः महीने से प्रतियां नहीं निकल रही हैं उनको एडवर्टाइज़मेंट नहीं दे सकते। लेकिन मेरे पास लम्बी-चौड़ी लिस्ट है, जिन समाचार पत्रों के कभी कभी पैम्फ्लेट्स निकलते हैं और वे पैम्फ्लेट्स भी केवल एडवर्टाइज़मेंट के लिए ही निकलते हैं, उनमें कोई समाचार नहीं होता, इन समाचार–पत्रों को बचाने की कोशिश की जाती है। जो समाचार पत्र सरकार की तारीफ करें, उनको बचाना चहिए और जो समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिखना चाहे उसको खत्म करना चाहिए, यह कह कर कि हमारे यहां पॉलिसी नहीं है, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहती है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो बाकी के सब कामों को मिला करके देखा जाय तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की भावना जनतंत्र के विरोध में है, समाचार पत्रों को कुचलने का एक षडयन्त्र है। अगर यह षडयन्त्र चलता रहा तो हम अपने व्यूज जन–मानस तक नहीं पहुंचा सकते और अपने व्यूज जन मानस तक नहीं पहुंचा सकते तो जिस प्रकार की जानकारी हम जनता को देना चाहते हैं वह नहीं दे सकते।

सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है कि हमारी आलोचना जनता के पास नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

पहुंच पाये, उस आलोचना के कारण जनता गुमराह न हो और गुमराह न होने के कारण हम गद्दी पर आसीन रहें। इस प्रकार जनता को भुलावे में डालने का सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं कह सकता हूँ कि इस विभाग को लेकर यहां के लोकल हिन्दी पत्रों ने इसके खिलाफ एक सीरीज़ निकालने का प्रश्न पैदा किया है। लोकल सीरीज निकले या नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। किसी समाचार-पत्र में कुछ छपा, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जो समाचार-पत्र में सीरीज छप रही है उसके पीछे जनता की भावना है, जो एक समाचार-पत्र के जरिये व्यक्त की जा रही है। अगर उसको हमारी सरकार ने एप्रीशियेट नहीं किया तो विधान सभा के सदस्यों को उसके विरोध के अन्दर रोज-ब-रोज इस विभाग की चर्चा करने पर मजबूर होना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति हो जाय कि हाउस के डेकोरम के नाम पर, प्रजातन्त्र के नाम पर, सदन के नाम पर आपको हमें निकालने की व्यवस्था करनी पड़े।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। केवल एलिजाबेथ को एक एलबम पेश कर दिया, जवाहरलालजी नेहरू हाथ जोड़ कर खड़े हो गये, वह फोटो छाप दी, यह सर्टीफिकेट नहीं है। वह अच्छे काम करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन पहले आप उसमें जो इर्रेग्युलेरिटीज़ हैं उन इर्रेग्युलेरिटीज़ को दूर करवायें, फिर सदन जो उनके अच्छे काम हैं उनकी तारीफ करेगा और सर्टीफिकेट इश्यू कराने की आवश्यकता हुई तो सर्टीफिकेट इश्यू करायेगा। लेकिन जहां अनियमिततायें हैं, यह स्थिति है, उस स्थिति के अन्दर हम इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते, हम इस विभाग की तारीफ नहीं कर सकते, केवल यह कहूँगा कि इस विभाग में जो इर्रेग्युलेरिटीज़ हैं और मैं यह कहूँ कि इण्डियन पीनल कोड की जिन धाराओं में फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज़ हैं वे आ सकती हैं, मिस एप्रोप्रियेशन हैं वे आ सकती हैं, क्रिमिनल ब्रीच आँफ ट्रस्ट है वह आ सकता है, उसको एडजस्ट करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को काम दिया जाय तो इतने मुकदमे कोर्ट में दिये जा सकते हैं कि वे उम्र भर तक पैरवी करते रहें, लेकिन अदालत से पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर मैं गृह मन्त्रीजी से कहूँगा कि वे अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करें और वे माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बता दें कि अगर यह विभाग मेरे पास रखना है तो इस विभाग में अनियमिततायें नहीं होंगी और अगर होंगी तो मैं मन्त्री नहीं रहूँगा। यह कमजोरी का प्रदर्शन हो रहा है, वह चीफ मिनिस्टर की मर्जी के कारण हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दूसरा जो मेरा कट मोशन है वह स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में है। मैं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहूँगा कि स्वायत्त शासन संस्थायें हमारे यहां पर प्रजातन्त्र की बुनियाद हैं, जड़ हैं और जहां इनका विकास होता है, ये ठीक प्रकार से चलती हैं वहां जनतन्त्र निश्चित

(श्री भैरोंसिंह)

रूप से पनपेगा। लेकिन जहां इनमें किसी प्रकार से कमजोरी आती है, जहां इनमें किसी प्रकार की त्रुटियां पनपती हैं वहां यह आधार मान कर चलना पड़ेगा, चाहे ऊपर से कितने ही पवित्र हों, ऊपर से कितने ही सशक्त हों, कितने ही सुदृढ़ हों, लेकिन जहां कमजोरी है तो एक दिन आयेगा कि इन जड़ों के कारण हमारा प्रजातन्त्र का महल अपने आप ढह जायगा। यह महल किस प्रकार सुदृढ़ रह सकता है, इसके लिए आवश्यक होगा कि इसकी जड़ मजबूत करें। इसको मजबूत कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप केवल कहें कि पंचायत एक्ट है, हमारा नगरपालिका कानून है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि नगरपालिका को पैसे की आवश्यकता हो तो टैक्स लगाये, पंचायत को पैसे की आवश्यकता हो तो पंचायत टैक्स लगाये; मैं इसके विपरीत कहना चाहूँगा कि नगरपालिका और पंचायत जिनका जनता से सीधा सम्पर्क है, डाइरेक्ट कॉन्टेक्ट है; और डाइरेक्ट कान्टेक्ट है उन संस्थाओं को आप फाइनेन्शियल गारन्टी दें कि उनके सामने फाइनेन्शियल बर्डन न आ जाय जिसके कारण कोई खर्चा कम कर लें।

हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार डाइरेक्ट टैक्स लगाने से डरती है। इसलिए डरती है कि यदि जनता के ऊपर डाइरेक्ट टैक्स इम्पोज़ किये तो जिन संस्थाओं से जनता का डाइरेक्ट कॉन्टेक्ट है वे उसका विरोध करेंगी और किसी सीमा तक दबा भी सकती हैं। मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि कैसे दबा सकती हैं लेकिन उस विरोध के सामने सरकार टिक नहीं पायेगी। इसलिए हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार, दोनों ने मल कर व्यवस्था कर ली कि डाइरेक्ट टैक्स लगाने की बात है, उसके लिए लोकल बॉडीज को कहा जाय, पंचायत को कहा जाय जिससे गांव में टैक्स लगाये। तो सरपंच जनता के जूते खाये, नगरपालिका टैक्स लगाये तो वहां जो सदस्य हैं वे चेयरमैन से झगड़ा करें और झगड़ा न करें तो वोट न दें। इस प्रकार की फाइनेन्शियल इनसिक्योरिटी पैदा कर रखी है और उनको एक उलझन में डाल रखा है। तो जब तक उनको उलझन में से नहीं निकालेंगे और फाइनेन्शियल गारन्टी नहीं देंगे तब तक उनका विकास सम्भव नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने नगरपालिकाओं और पंचायतों की आमदनी पर अधिकार कर रखा है। इस सदन में तीन साल पहले एन्टर्टेनमेंट टैक्स पेश किया था तो सदन के सभी माननीय सदस्यों ने विरोध किया था कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार नगरपालिकाओं को है, सरकार को नहीं। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि पिछले तीन वर्षों का हिसाब लेकर वसूल होते ही उसके आधार पर नगरपालिकाओं को रुपया देते रहेंगे। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि जिस समय कानून बना क्या एवरेज निकला था, आज उस टैक्स से आमदनी ज्यादा हो रही है। सिनेमाओं की संख्या बढ़ने से एन्टर्टेनमेंट टैक्स से आमदनी बढ़ गई है। हमारी सरकार किस प्रकार से उन नगरपालिकाओं की मदद कर रही है? म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी है उसको सरकार छीन रही है। मैं विदेश में गया तो नहीं, पुस्तकें पढ़ी हैं। उनके आधार पर कह सकता हूँ कि विदेशों में पहला फण्डामेंटल सिद्धान्त यह है कि लोकल बॉडीज को फाइनेन्शियली इस तरह इतना समर्थ

(श्री भैरोंसिंह)

बना दिया जाय कि उन्हें कभी सरकार का मुंह न ताकना पड़े। बसेज़, ट्रान्सपोर्ट टैक्सेज़ म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये जाते हैं, वाटर वर्क्स के काम म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सारे काम नगरपालिकाओं को दिये जाते हैं, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी में जो टैक्स वसूल किये जाने चाहिये वे सारे के सारे नगरपालिकाओं के होते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस नगरपालिकाओं की होती है; पर हमारी सरकार ने तय कर लिया है कि नगरपालिकाएं डाइरेक्ट टैक्स लेती रहें और उनकी जबान बन्द करने के लिये थोड़ी सी सब्सिडी दे दे।

पंचायतों का भी यही हाल है। जिस समय पंचायतों का कानून बना तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि लैंड रेवेन्यू का ११४ पंचायतों को देंगे। उस समय हमने देखा कि ११४ लैंड रेवेन्यू के हिसाब से डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी पंचायतों को चली जायेगी और इससे पंचायतें अपना सारा खर्चा चला सकेंगी। पर सरकार ने जिस समय इस प्रकार की घोषणा की उस समय तो देखा नहीं और बाद में देखा कि लैंड रेवेन्यू का डेढ़ करोड़ रुपया पंचायतों को चला जायेगा तो हमें डेढ़ करोड़ रुपये का घाटा होगा। तो इस घाटे को पूरा करने के लिये हमें टैक्स लगाने पड़ेंगे और टैक्स लगाने से आम जनता हमारा विरोध करेगी....

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री सभापति : There are 13 speakers yet to speak.

श्री भैरोंसिंह : अब तो थोड़े ही रहे हैं।

श्री सभापति : No. There are 13.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं ५ मिनट ही लेऊंगा।

श्री सभापति : You have already taken more than half an hour.

श्री भैरोंसिंह : Only two minutes. तो इस तरह विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में पंचायतों का कर दिया कि एक आना रुपया देंगे। एक आना प्रति रुपया के हिसाब से २५ लाख रुपया होता है। कहां डेढ़ करोड़ रुपया और कहां २५ लाख। पर इसमें भी सरकार ने कई प्रकार की कटौती शुरू कर दी है। यही कारण है कि आज पंचायतों और पंचायत समितियों के सामने भयंकर आर्थिक संकट है। मैं जयपुर जिले की सांगानेर और बस्सी की पंचायत समितियों का उदाहरण रखता हूँ। सांगानेर और बस्सी की पंचायत समितियों के बारे में मालूम कर लीजिये कि तीन महीनों से अध्यापकों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इन्श्योरेंस कट का सारा का सारा रुपया खर्च कर दिया गया है। न इन्श्योरेंस का पैसा रहा है, न तनख्वाह देने के लिये रुपया रहा है और न रेकरिंग एक्सपेन्सेज़ को मीट करने के लिये पैसा रहा है। तो इस प्रकार का अन्याय नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों के साथ किया जाता है, इस अन्याय से आपका गढ ढह जायेगा।

नगरपालिकाओं को जो ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है उसमें सरकार डिस्क्रिशन एप्लाई करती है और सरकार का यह दृष्टिकोण रहता है कि जितनी भी हमारी विरोधी नगरपालिकाएं हैं, चाहे वे जन संघ

(श्री भैरोंसिंह)

की हों, रामराज्य की हों, चाहे कांग्रेस की ही व्यास ग्रुप की हों उन्हें सहायता न मिले और जो जो हमारी पार्टी की नगरपालिकाएं हैं उनको खूब सहायता मिले। नाथद्वारा में साधु सम्मेलन हुआ। नाथद्वारा की म्युनिसिपैलिटी ने २० हजार रुपया मांगा था। सरकार ने १० हजार मंजूर किया, म्युनिसिपैलिटी ने ३ हजार रुपया ही खर्च किया और उसको १० हजार रुपये दे दिये गये। इसके विपरीत खंडेला और श्रीमाधोपुर को म्युनिसिपैलिटियों को देखा जाय। वे मांग करती रहें कि हमें वाटर वर्क्स के लिये पैसे की जरूरत है, हरिजनों को तनख्वाह देने के लिये हमें फाइनेन्शियल एड मिलनी चाहिये, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पर जो सरकार के पक्ष की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनकी हर प्रकार की योजनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी लोकल आय इन लोकल सैल्फ बॉडीज की हो सकती है उस पर सरकारी ऐन्क्रोचमेंट को बन्द करवाया जाय; नहीं तो डेमोक्रेसी की आधार भूत जो ये लोकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, ये पनप नहीं सकेंगी।

श्री सभापति: श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, हमने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का कदम उठा कर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके बाद पंचायतें काफी छोटी की गई हैं, नये चुनाव भी हो गये हैं, पर देखना है कि हमने पंचायतों का निर्माण किया है वे ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं। पर हमें अफसोस होता है कि इस दिशा में हमने ज्यादा ध्यान देकर कार्य नहीं किया। पंचायतों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये दो ही चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है। एक तो सेक्रेटरी और दूसरी अर्थ व्यवस्था। जब हम पंचायतों के इन दोनों साधनों की ओर देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है कि पंचायतों में न सेक्रेटरी हैं, न कलम, पाठे, दवात वगैरह हैं और न उनकी आर्थिक दशा ही इस प्रकार की है कि वे अपना कार्य चला सकें। उनकी आर्थिक दशा बिल्कुल खराब है। श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। हमारे प्रजातन्त्र की ये पंचायतें पहली सीढ़ी हैं। इनको यदि हम मजबूत करना चाहते हैं तो आर्थिक दृष्टि से, हर तरह से इनको मजबूत करना पड़ेगा। आज पंचायतों में सेक्रेटरी आते हैं वे ऐसे आते हैं जिनको कि कहीं काम नहीं मिलता है या भ्रष्टाचार के कारण जिन्हें कहीं से निकाल दिया गया हो। वे लोग भ्रष्टाचार को फैलाते हैं और हमने जिस लक्ष्य को लेकर विकेन्द्रीकरण किया है उसको खत्म करते हैं। यदि इस चीज को मजबूत करना चाहते हैं तो सरकार को चाहिये कि....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु): माननीय सभापति महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इससे पहले मेरा नम्बर था पर सोहनलालजी को दे दिया। नियम १४५ में साफ लिखा हुआ है कि एक ही तरह की मांग चल रही हो तो उसमें दूसरी मांग नहीं लेनी चाहिये। सार्वजनिक सम्पर्क का, पब्लिसिटी का विषय चल रहा था तो चेयरमैन साहब ने यह म्युनिसिपैलिटी का ले लिया।

Page No.96

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री शिक्षा): माननीय चेयरमैन महोदय, यह प्रश्न पहले ही उठा था और व्यवस्था दे दी गई थी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Hon'ble Speaker has given a ruling that all the members will be given a chance but if any member feels that, according to the order of cut-motions, his cut-motion does not come, then he can speak before.

श्री सभापति : He will get a chance.

श्री सोहनलाल भटनागर : तो पंचायतों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए सबसे पहला आवश्यक कार्य यह है कि सर्विसेज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिये, स्थाई सर्विसेज़ इनको देनी चाहिये जैसे कि पंचायत समितियों के अन्दर रखी हैं, हालांकि माननीय सदस्य ने सूचना रखी कि पंचायत समितियों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । तो मेरा सुझाव है कि इन पंचायतों में पर्मानेन्ट सर्विस के सेक्रेटरी रखें । यदि एक पंचायत के लिए संभव नहीं हो तो पंचायतों के बीच में एक स्थाई सर्विस का सेक्रेटरी रखा जाय और ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट सर्विस के स्थाई सर्विसेज-वाले रखे जाने चाहिये । चाहे गवर्नमेंट दे, चाहे पंचायतें रखें, इसके साथ आर्थिक प्रबन्ध का प्रश्न जुड़ा हुआ है । आज हम देखते हैं कि पंचायतों के जितने आय के साधन हैं वे तो सरकार ने अपने हाथ में रख लिये हैं या पंचायत समितियों को दे दिये हैं और पंचायतों को काफी कमजोर कर दिया है। यही कारण है कि पंचायतों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है ।

(३.२९ म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

पंचायतों को २८ लाख रुपया ग्रान्ट-इन-एड देने का रखा गया है और औसत लगायें तो केवल ३०० रुपया प्रति पंचायत मिलेगा । यह रकम बहुत कम है । पंजाब वगैरह दूसरे प्रान्तों में काफी अच्छी रकम पंचायतों को दी जाती है । टैक्स वगैरह लगाने के अधिकार हमने दिये हैं तो यह आवश्यक है कि इनकी ग्रान्ट इन-एड की रकम बढ़ाई जाय; वर्ना ये कार्य नहीं कर सकेंगी और जिस उद्देश्य से यह कार्य चलाया था वह उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

इसके साथ साथ जो दूसरा प्रश्न जुड़ा है वह खर्चे का है और जैसा माननीय वित मंत्री से सुना कि पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनमें जो खर्चा हुआ उसमें रियायत दी गई है वह उन पंचायत समितियों से काट लिया जावेगा । तो मेरा ख्याल यह है कि उन पंचायतों को जो थोड़ा बहुत रुपया मिलने वाला था वह भी नहीं मिल सकेगा और काम वे कुछ नहीं कर सकेंगी । इसलिए पंचायतों के चुनावों के लिए जो खर्चा हुआ वह जनरल इलेक्शन से भी बढ़ कर हुआ है । इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह पंचायतों से अगर वसूल नहीं किया गया तो पंचायतें कोई काम नहीं कर सकेंगी । इसलिये यह खर्चा पंचायतों से वसूल नहीं किया जावे और सरकार इस खर्च को अपने पर ही रखे ।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह यह है कि पंचायत समितियों को प्राकृतिक विपत्ति इत्यादि के लिए अधिक रकम नहीं दी गई है जिस पर बहस करने हेतु ।

हम बजट में देखते हैं कि फायर आदि के लिए ६५ हजार रुपये दिये गये हैं । अगर सभी पंचायतों का हिसाब लगा कर देखें तो मालूम होगा कि एक पंचायत को २००) या २५.०) रुपये से ज्यादा नहीं मिलते हैं । हमने रिलीफ का काम पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिया है, लेकिन हमने उस काम के लिए पूर्णतया अर्थ की व्यवस्था नहीं की है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायत समिति ठीक ढंग से प्राकृतिक विपत्ति में फंसे लोगों की मदद कर सके, इसके लिए रकम बढ़ाई जावे ।

श्री सभापति : श्री धन्नालाल हरित ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतराज जैन ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, इस पर मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : सभापति महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, १४५ में साफ लिखा हुआ है और उसके मुताबिक पहले मेरा चान्स था बोलने का, मगर मुझे समय नहीं मिला ।

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा। हमारे सामने जो लिस्ट है उसके अनुसार चल रहे हैं । माननीय सदस्य का लिस्ट में जो क्रम है उसके मुताबिक उनको....

श्री हरिप्रसाद यादव : हमारे यहां जो रूल्स हैं उसकी धारा १४५ में स्पष्ट है कि उसके अनुसार डॉ०. बहादुरसिंह के पश्चात् मेरा सेकन्ड नम्बर आता था ....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ में ही व्यवस्था दी जा चुकी है । इसलिए इस प्रश्न पर इस समय पुनः विचार नहीं हो सकता पर आपको अपनी बारी पर समय जरूर मिलेगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव : रूल्स को मद्देनजर रखते हुए रूल्स के अनुसार कार्य चलाना चाहिये था, यही मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सम्पतराज जैन : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्तावों द्वारा इस जिले में पंचायतों की आर्थिक हालत की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ७,५०० पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए और आशा यह की जाती थी कि चुनावों के बाद वे अपना काम अच्छी तरह से शुरू करेंगी । लेकिन जब चुनावों के परिणामों की घोषणा हुई और उनको शपथ दिलाई और नई नई पंचायतें कायम हुई तो हमारे सामने अन्धेरा आ गया । न तो उनके पास कोई स्टेशनरी का सामान, न किताबें, न कोई चपरासी, न कोई सेक्रेट्री । वे अपना काम किस तरह से चलावें ? अगर चलाना

(श्री सम्पतराज जैन)

चाहें तो? भी आखिर हाल यह है कि आज पंचायतों के जिम्मे निर्माण का काम है और वहां पर उसके पास कोई सामान नहीं, न कोई आदमी काम करने वाला है। तो फिर वे कैसे काम कर सकती हैं ? उनके पास अर्थ नहीं है। आज यह कहा जा सकता है कि पंचायत एक्ट में पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार है और वे पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि १९५३ में जो पंचायतों के अधिकार थे उनमें से बहुत से अधिकार आपने उनसे वापिस ले लिए और जो अधिकार उनको हैं वे नहीं के बराबर हैं। आज आप यह समझते हैं कि पंचायतों का एक छोटा सा एरिया है उसमें टैक्स लगा लिया जाए, मगर वहां पर टैक्स लगाना कोई आसान काम समझते हैं उतना आसान नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि टैक्स का अधिकार पंचायत समितियों को सौंप दें और वे टैक्स वसूल करके उनका जो हिस्सा वाइज़ टैक्स आता है वह उनको दे दें तो ठीक होगा; वर्ना पंचायत तो कर नहीं लगा सकेंगी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले पंचायतों के पास न्याय का काम भी था। अब पंचायतों के पास से वह काम हट कर न्याय पंचायतों के पास चला गया है। इससे कोर्ट फीस का जो साधन था वह उनको नहीं मिलता है और न्याय पंचायतों को मिलने लग गया है। अब दंड और न्याय करने का साधन न्याय पंचायतों के पास चला गया है। अब सरकार यह कहेगी कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जो आमदनी न्याय पंचायतों से बचेगी वह ग्राम पंचायतों के के लिए बांट दी जावेगी। इस प्रकार का कानून में प्रावधान है लेकिन न्याय पंचायतों में काफी खर्चा होगा। उनके वहां भी काम करने वाले होंगे। इसलिए बहुत कम पैसा बचेगा। इसलिए पंचायतों के पास अब कोई आमदनी का साधन नहीं रहा है। जो साधन दंड देने का था वह भी आपने उसके हाथ से निकाल लिया है। पंचायतों के कई कर्त्तव्य हैं और जो कर्त्तव्य धारा २४ और २५ में दिये हुए हैं उनको बिना अर्थ के वे कैसे निभा सकती हैं ? इसलिए मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को इस संबन्ध में ठीक तरह से नहीं निभाया है।

अब रह जाती है राजस्व की आय, जो हमारे यहां पंचायत समितियों को दी जाती है। दूसरे राज्यों में ५० प्रतिशत आय राजस्व की होती है वह पंचायतों को विकास कार्यों के लिये दी जाती है और पंचायत समितियें ठीक तरह से काम चलाती हैं। मगर राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में २५ नया पैसा प्रति व्यक्ति राजस्व की आय में से दिया जाता है। वह कितना आता है ? अगर पंचायतों में १५०० या २००० व्यक्ति हों तो उस हिसाब से ३७५ से ५०० के बीच रुपया आपको मिलेगा। इतने थोड़े से रुपयों में क्या निर्माण का काम होगा ? धारा २४ और २५ में जो काम बताये गये हैं उनको वे कैसे कर सकेंगी ? मैं समझता हूं कि अगर इस पर हिसाब लगाया जावे तो जैसा मैंने देखा है वह आय ५ प्रतिशत है। पंजाब और दूसरे प्रान्तों में ५० प्रतिशत दिया जाता है। और राजस्थान में ५ प्रतिशत दिया जाता है मैं यह कहूंगा कि यह हमारे लिये बहुत अन्याय की बात है। सलूम्बर से आने

(श्री सम्पतराज जैन)

वाले माननीय सदस्य ने बताया कि २१ लाख रुपया दिया गया है। ७,५०० पंचायतों को दिया गया है और एक पंचायत को २५०) रु० के करीब आता है। मैंने भी राजस्व पर बताया कि ५ प्रतिशत दिया जाता है। पंजाब में ५० पर्सेन्ट और आन्ध्र में ४० पर्सेन्ट राजस्व की आय में से दिया जाता है। महाराष्ट्र और पंजाब में काफी काम हो रहा है। ऐसे ही हमारे यहां पर भी विकास कार्य के लिये ५० प्रतिशत या ४५ प्रतिशत दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार भी अपनी जिम्मेदारी का इसके लिये ज्यादा राजस्व में से पंचायतों को देकर परिचय दे।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : Yes, please Continue.

श्री सम्पतराज जैन : जब पंजाब ५० प्रतिशत हिस्सा राजस्व का देती है तो कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को कम से कम ५० प्रतिशत राजस्व में से हिस्सा ग्राम पंचायतों को प्रदान करना चाहिये। ५० प्रतिशत राजस्व की आय का जब ग्राम पंचायतों को देगी तब वह अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से पूरा कर सकेगी।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है चुनावों में अनियमितताओं पर बहस करने का। मैं सरकार का ध्यान चुनावों में की गई अनियमितताओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अब तो पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। अब यह कहा जा सकता है कि अब ध्यान आकर्षित करने की क्या आवश्यकता है और इससे क्या मतलब होगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पंचायतें प्रजातन्त्र की इकाइयें हैं। यदि हमारी पंचायतों में जनता का विश्वास पैदा होता है तो जनता का काफी हित हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में जब कभी चुनाव हों या उप–चुनाव हों तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस प्रकार की अनियमितताएं न होने दे और इसलिये इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक है। बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं। चुनाव एक साथ रखे गये। प्रोग्राम एक दिन में रखे गये। राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा प्राप्त नहीं हो सकी। एस. डी. ओ., बी. डी. ओ. आदि हैं वे कहने मात्र के लिये तो ग्राम सेवक स्तर के आदमी हैं लेकिन उनको बी. डी. ओ. बना दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर्स राजनैतिक सत्ता प्राप्त लोगों के प्रभाव से नहीं बच सके। उन लोगों के कहने में आकर, उनके दबाव में आकर उन लोगों ने इन पंचायतों के इलेक्शन्स में कई प्रकार की अनियमिततायें कीं। उनमें से कुछ के विषय में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें से क्या हुआ कि पंचायतों का खाका ही बिगड़ गया और जो विकेन्द्रीकरण के जरिये लोकतन्त्रीय शासन कायम करने का काम किया उसको ठेस पहुँची। किस प्रकार से अनियमिततायें बरती गई, इस ओर, श्रीमान्, आपके द्वारा मैं ध्यान

(श्री सम्पतराज जैन)

आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब चुनाव-पत्र दाखिल हुआ उसका समय आया, हालांकि कानून में साफ प्रावधान है कि हिन्दी पढ़-लिख ले ऐसे पंचों का नोमिनेशन फॉर्म ही मन्जूर करना चाहिये, लेकिन आपको यह देख कर आश्चर्य होगा उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन राजनैतिक सत्ता प्राप्त लोगों के दबाव में आकर ऐसे लोगों के भी नोमिनेशन फॉर्म मन्जूर कर लिये जो कि दस्तख्त भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार के लोगों के जो दस्तख्त नहीं कर सकते थे उन लोगों के नोमिनेशन पेपर्स को मंजूर कर लिया केवल राजनैतिक सत्ताधारी लोगों के प्रभाव में आकर। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ जब कि चुनाव हो चुके?. लेकिन आगे जब चुनाव होंगे और उप-चुनाव होंगे तो राज्य सरकार कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि चुनावों में इस प्रकार से इतनी जल्दबाजी न करे कि एक दिन में ही उनके चुनाव करा दिये जाय और ऊंचे तबके के रिटर्निंग ऑफिसर्स न मिले; तो इस प्रकार के तबके के रिटर्निंग ऑफिसर्स को ही मुकर्रर कर दे जो राजनैतिक सत्ताधारी लोगों के प्रभाव में आकर, दबाव में आकर इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही फिर आगे और करे। मनमाने तरीकों से आगे के लिए रिटर्निंग ऑफिसर इस प्रकार की कार्य-वाही न करें, इसलिए मैंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। जब नोमिनेशन पेपर गलत भरा लिये गये तो आगे क्या होता है कि जिस उम्मीदवार का उनको पक्ष करना था सौ गज की दूरी पर ही उनको प्रचार करने का मौका दिया। उम्मीदवारों से मिल गये। लकड़ी-पानी, सामान, खाने-पीने आदि जितनी चीजें मुहय्या करनी चाहिये थी वह मुफ्त में दे दी। जिस उम्मीदवार को फेवर करना था, जिनका पक्ष लेना, मत-दाताओं को उनकी जानकारी दी, उनको रोक लिया गया और उनके ऊपर उन लोगों का जो उन उम्मीदवारों का पक्ष ले रहे थे उन पर प्रभाव पड़ा और यही नहीं, जिन उम्मीद-वारों का पक्ष लेना था उनके लिए चपरा-सियों को बैठा दिया, तो मतदाताओं को पकड़ कर जिनके फेवर में वोट डलवाना था उनके वोट डलवा दिये गये। यही नहीं, जिस उम्मीदवार का पक्ष करना था उसके फेवर के मतदाताओं से पहले मतदान करवा लिया और दूसरे के पक्ष वालों को कह दिया कि टाइम खतम हो गया और उनको वापिस लौटा दिया गया। इस तरह से करने से क्या हुआ? वहां पर यह स्थिति हो गई कि लोगों का इसमें विश्वास हिल गया। इस तरह के चुनावों से क्या फायदा? इस प्रकार से चुनाव नहीं होने चाहिये।

सहवरण के लिए क्या हुआ? उसके लिए पहले ३ तारीख मुकर्रर कर दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया कि ३ तारीख को पंचायत और पंचायत समिति के सरपंचों का इलेक्शन कराया, धारा ५० की अवहेलना की, कलेक्टर को जहां प्रतिलिपि देनी चाहिये, नहीं दी और रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव करा दिया। कई जगहों पर आपको ऐसी नजीरें मिलेंगी। तो सह-वरण में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : Please conclude within 5 minutes.

श्री सम्पतराज जैन : दो कटौती प्रस्ताव और रहते हैं और २॥ मिनट का समय पड़ता है प्रत्येक के लिए।

Page No.101

श्री सभापति : पांच मिनट में ही समाप्त कर दीजिये।

श्री सम्पतराज जैन : न्याय पंचायत में भी धारा ६० की उप धारा २ के अनुसार ७ दिन का नोटिस देना चाहिये था। लेकिन न्याय पंचायतों के सदस्यों को नोटिस नहीं दिया। जिस रोज चेयरमैन का चुनाव होना था उस दिन ही सदस्यों का भी चुनाव करा दिया। झालावाड़ जिले में इस प्रकार की कई मिसालें हैं। ये अनियमिततायें भविष्य में नहीं होनी चाहिये। कोई भी प्रभाव डाले, चाहे राजनैतिक आदमी हों, सत्ता प्राप्त व्यक्ति हों, रिटर्निंग ऑफिसर्स को निष्पक्ष रहना चाहिये।

मेरा ६४ नम्बर का कटौती प्रस्ताव है पंचायत समितियों के कार्य की धीमी प्रगति पर बहस करने के लिए। चूंकि आपने पांच मिनट का समय रखा है इसलिए मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों का काम केवल चुनावबाजी रह गया है। हर इलाके में १४–१५ पंचायत समितियां हैं। तीन–चार महीने लग जाते हैं इलेक्शन में। २ अक्टूबर, सन् १६५६ से लेकर इतना कम काम हुआ है, इस प्रकार की स्थिति चल रही है कि ऐसा लगता है कि पंचायत समिति पूरा नहीं कर सकेगी। पंचायत समितियों से यह आशा की जाती है कि राज्य के विकास का, देहातों के विकास का काम तेजी से करेंगी, उन्नति करेंगी लेकिन जो हालत पैदा हुई है उसको देख कर यह आशा नहीं की जा सकती है कि यही स्थिति रही तो अच्छी तरह से विकास के कामों को, निर्माण को कर सकेंगी। मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति के काम की धीमी प्रगति की ओर ध्यान दे और उनके कामों की रफ्तार तेज करने की ओर ध्यान दे। राज्य सरकार की गल्ती थी। पंजाब की तरह निर्विरोध चुनाव कराना था। ५० पर्सेन्ट भू–राजस्व का नहीं दिया। पंजाब जैसे राज्य में, जहां पर झगड़ा-फिसाद होता ही रहता है, राजस्थान से वहां पर झगड़े–फिसाद अधिक हैं, वहां पर ३६ के चुनाव निर्विरोध हुए हैं। ४' लाख पर पांच पर्सेन्ट दिया है और ५० पर्सेन्ट नहीं दिया। वहां पर दिया और गांव वालों को समझाया, उनको आपस में लड़ने–झगड़ने नहीं दिया। यहां भी ऐसा किया जाता तो निर्विरोध चुनाव अधिक होते और जो पंच और सरपंच झगड़े में लगे हुए हैं वे नहीं लड़ते।

नम्बर ६५ पर जो कटौती प्रस्ताव है वह पंचायत समितियों में चुनाव स्वतन्त्र न होने पर बहस करने के लिए है। मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों की अनियमितताओं के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा और वह विधान सभा के सामने आई हैं। पंचायत समितियों में हस्तक्षेप झालावाड़ जिले के राजनैतिक सत्ता प्राप्त लोगों ने किया है। यदि इस प्रकार की स्थिति को नहीं सुधारा गया तो राजस्थान में जो यह विकेन्द्रीकरण किया गया है उसका ढांचा ही ढह जावेगा और पंचायत और पंचायत समितियों से जो आशा करते थे वह पूरी नहीं होगी। इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिये कि भविष्य में चुनावों के समय, पंचायत समितियों के लिए चुनाव के समय सत्ता प्राप्त व्यक्तियों, मंत्रियों, नेताओं को जिले में दौरा कराना बन्द कर दे जिससे निष्पक्ष

Page No.102

(श्री सम्पतराज जैन)

चुनाव हो सकते हैं, नहीं तो वह सम्भव नहीं है।

श्री सभापति : लगभग २४ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत होने हैं और सरकार की ओर से भी जवाब दिया जाना है। वोटिंग में भी टाइम लगेगा। इसलिए माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि ४ मिनट एक कटौती प्रस्ताव के लिए हों और उससे अधिक न हो।

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, मेरे केवल दो कटौती के प्रस्ताव हैं। इसलिए यह मान कर चलूं कि मुझे आठ मिनिट के समय के बजाय दस मिनट का समय तो मिल ही जायेगा।

श्री सभापति : केवल आठ मिनट।

श्री रामचन्द्र : वैसे ८ मिनट लेने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, मेरा पहला कटौती प्रस्ताव यह है कि म्युनिसिपैलिटियों को आर्थिक सहायता कम मिलने की वजह से उनकी परिस्थितियां दयनीय है। इस विषय में सरकार की जो वर्तमान नीति बनी हुई है और उसकी नीति के कारण आज हमारे म्युनिसिपल बोर्ड्स के क्षेत्रों में रहने वाली जनता की जो दुर्दशा बनी हुई है उसको देख कर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार की नीति म्युनिसिपल एरिया में रहने वाली जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। कहने में राजस्थान सरकार की मंशा अच्छी नहीं है और आम तौर पर सरकार की ओर से एक बड़ा जबर्दस्त नारा लगाया जाता है कि राजस्थान सरकार इस वक्त शहरों की उन्नति के लिए अग्रसर कदम बढ़ा रही है और उनमें कमी करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि काम इस नारे के बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज राजस्थान सरकार जितना कि उन म्युनिसिपैलिटियों को उनके विकास के लिए धन चाहिये वास्तव में न उतना धन दे रही है और न ही उनको कोई उत्साह प्रदान कर रही है।

सभापति महोदय, आम तौर पर यह कहा जाता है कि स्कूल अथवा कॉलेज और चौड़ी चौड़ी सड़कें कहां बनती हैं? वह कस्बों में। मैं कहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो कॉलेज और स्कूल खोले हैं शहरों और कस्बों की जनता पर कोई अहसान करने के लिये नहीं खोले हैं, बल्कि इसलिये खोले हैं कि सरकार को बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा कि इन म्युनिसिपल बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटियों पर कोई अहसान नहीं कर रही है। तो वह बुद्धिजीवियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्कूल्स तथा कॉलेजेज़ खोलने में धन खर्च कर रही है।

सभापति महोदय, इसके साथ जब हम इसके दूसरे पहलू पर विचार करें तो वास्तव में यह देखते हैं कि आजकल ये म्युनिसिपैलिटियां जनता के लिये वरदान के बजाय अभिशाप बन गई हैं। राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन सरकार दोनों ही सरकारें हैं। एक बड़े पैमाने पर सरकार है और दूसरी छोटे पैमाने पर। कार्य करने का जितना

(श्री रामचन्द्र)

विस्तार और ढंग है वह दोनों के लिए समान है। उनकी ड्युटीज़ भी मल्टीपेरियस रख दी गई हैं किन्तु स्वायत्त शासन सरकार के कार्य करने के साधन इतने कम रखे गये हैं कि वे अपनी ड्युटीज़ पूरी नहीं कर सकती है। इसका परिणाम यह है कि आज साधनों की कमी के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है; शहर और कस्बे गन्दगी के केन्द्र बने हुए हैं। शिक्षा की दिशा में जहां हम आगे बढ़ रहे हैं वहां स्वास्थ्य को दिशा में पीछे गिरते जा रहे हैं। वैसे राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं किन्तु गन्दगी के कारण नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर बीमारी पैदा हो न हो तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें यह देखना है कि बीमारी पैदा हो ही नहीं। इसके लिये स्वच्छता आवश्यक है। पर आज स्वच्छता के लिये इन म्युनिसिपैलिटियों के पास पैसा नहीं है। मैं यह भी देखता हूँ कि गवर्नमेन्ट कानून बनाने में चुस्त है, पर उनका पालन भी होता है या नहीं, यह देखने में बहुत सुस्त है। हमारे यहां एडल्टरेशन फूड एक्ट है, ड्रग एक्ट है जिनकी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटियों पर रख दी है। पर इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि एक इसके लिये सेनीटरी इन्सपेक्टर या ड्रग इन्सपेक्टर रख सके। तो इन एक्टों की जितनी मखौल कस्बों में हो रही है उतनी कहीं हो नहीं सकती। राजस्थान सरकार इस ओर बहुत कम ध्यान दे रही है।

सभापति महोदय, म्युनिसिपैलिटी की अर्थहीन इस कन्डीशन का प्रभाव आज हरिजन समाज पर काफी बुरा पड़ रहा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

ये सब बातें उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हैं। ये हरिजन भी तो म्युनिसिपैलिटी के मजदूर हैं। इनको लेबर लॉज़ के अनुसार कितनी सुविधाएं, कितनी तनख्वाहें, जितने अधिकार मिलने चाहिये; इसकी एक पर्सेन्ट भी व्यवस्था वहां नहीं है। हां, अलबत्ता समाज कल्याण विभाग ने यह नियम तो बना दिया है कि यदि हरिजनों के मोहल्लों में रोशनी या पानी की व्यवस्था या अन्य सुविधा प्रदान करने की बात हो तो यह विभाग उसका आधा भाग दे सकता है, बाकी का आधा खर्च म्युनिसिपैलिटी को करना होगा। पचास प्रतिशत अनुदान देने की सुविधा इस समाज कल्याण विभाग ने मंजूर की है, किन्तु इस आधे भाग को देने की भी शक्ति म्युनिसिपैलिटियों की नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि हरिजन समाज कल्याण विभाग के ५० पर्सेन्ट अनुदान का भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि राजस्थान सरकार यह चाहती है कि इन शहर और कस्बों के लोगों का अच्छा स्वास्थ्य बने तो उनको आर्थिक अनुदान अच्छी मात्रा में देना चाहिये।

मेरा दूसरा प्रस्ताव जन सम्पर्क कार्यालय के बारे में है। इस विभाग से जो व्यक्ति जिला अधिकारी बना कर भेजे जाते हैं वे अपनी ड्युटी तो कितनी करते होंगे, मैं नहीं कह सकता, पर अपनी मनमानी करने और ऐश आराम में वे किसी तरह की कसर नहीं छोड़ते।

सभापति महोदय, मैं यह कहूँगा कि यह जन सम्पर्क विभाग एक तरह का लोन का

(श्री रामचन्द्र)

महीना है जो कभी साल में बारह के बजाय तेरहवां महीना भी आ जाता है । तो इस विभाग की तेरहवें महीने की तरह कतई जरूरत नहीं है । इसका काम है जनता और सरकार के बीच सम्पर्क कायम करना । इसकी जरूरत उस समय थी जब अंग्रेज यहां थे । वे विदेशी थे । उनके और जनता के बीच सम्पर्क बनाये रखने के लिये यह विभाग कायम किया गया था । पर आज तो इसकी जरूरत नहीं । आज तो जनता की ही सरकार है और हम सब सरकार के हैं, सरकार हमारी है । यह सरकार स्वयं जनता के सम्पर्क में है; फिर जनता से सम्पर्क रखने के लिये इन तनख्वाह पाने वाले नौकरों की क्या जरूरत है ? पर अंग्रेज जिस तरह की व्यवस्था छोड़ गये थे उसको हमने भी उसी तरह से ग्रहण कर लिया है और बिना सोचे-विचारे उसी तरह चलाये जा रहे हैं । इसको बनाये रखने के लिये इस विभाग को सुविधाएं भी काफी दी गई हैं । और तो और, इसको एक काम दिया हुआ है जिसको यह विभाग एक छोटी सी सुविधा कहते हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा । इन जिला सम्पर्क अधिकारियों के अधीन एक बात होती है । इसमें एक प्रोजेक्टर और जेनरेटर होता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में अभी किस्सा खत्म कर देता हूं । झालावाड़ जिले में भी एक ऐसी पब्लिक वान है । यह वर्तमान पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर, जहां तक मुझे याद है झालावाड़ में सितम्बर अथवा अक्टूबर से तशरीफ लाये थे । आपके वहां पधारने के बाद ही १५, २० रोज में उस वान का जेनरेटर खराब हो गया और केवल प्रोजेक्टर काम करता रहा । आगे चल कर वह भी बन्द हो गया, किन्तु वान की दौड़-धूप बराबर जारी रही । जब कभी श्रीमान को बाजार से किसी चीज को खरीदने की जरूरत पड़ती थी अथवा श्रीमान् को पान खाने की आवश्यकता होती तो श्रीमान् उसी वान में बैठ कर पान खाने जाते हैं । वान में बैठे ही बैठे श्रीमान् पान दूकान से लेते हैं और मुंह में दबा कर चल देते हैं । श्रीमान् को मन्दिर में जाने की जरूरत है, तो उसी में जाते हैं, श्रीमान् को जरूरत है सिनेमा जाने की तो श्रीमान् उसी में पधारते हैं । श्रीमान् को जब जरूरत अपने मित्रों को कहीं लाने ले जाने की होती है तो उसी में लाते ले जाते हैं । गर्ज यह कि वह वान जीप से भी बदतर बनी हुई दौड़ती रही है । एक बार जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया; क्यों, श्रीमान् आपकी नजर में जीप और वान दोनों एक ही चीज हैं क्या ? आप जीप की तरह ही इस वान को उपयोग करते हैं, इसलिये मैंने पूछ लिया है । श्रीमान् द्वारा यह जवाब मिला, सरकारी कर्मचारियों का यह अधिकार है । वे सब यूज़ करते हैं, मैं ही तो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ । अगर आपको इसमें ऐतराज हो तो आप चाहे बुरा मानें तो भले ही मानें हमारे जयपुर के डाइरेक्टर साहब को लिख कर पूछिये । यह जवाब मुझे कुछ चुभा । मैंने कलेक्टर साहब से कह दिया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट । एक मिनट ।

श्री सभापति : No, no. You have already taken two minutes beyond your prescribed time.

श्री रामचन्द्र : मैं चाहता हूँ लास्ट सेन्टेन्स कह कर समाप्त कर दूं; otherwise the whole speech will be nothing.

मैंने कलेक्टर साहब से कह दिया। उन्होंने अफसोस किया। कलेक्टर साहब ने उनसे कहा पर उनके कहने का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार जयपुर विभाग को लिखा। पर विभाग वालों ने उस कागज को उठा कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया, ऐसा मालूम होता है। आज भी वह उसी दशा में है। श्रीमान् जी अब भी उसी तरह उसे जीप समझते हुए बैठे घूमते हैं। तमाम पेट्रोल सरकार के मत्थे चढ़ता है। मैं नहीं समझ पाया कि पेट्रोल अकाउन्ट कैसे चैक होता है। वह भी चैक हुआ या नहीं और अगर हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, मैं नहीं जानता।

(४. ०० म० प०)

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

कृपया आप अपने तीनों कट मोशन्स को एक साथ मूव कर दें।

श्री देवीलाल (सारदा–मु०) : चेयरमैन महोदय, मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा पहला प्रस्ताव है कि अपंग लोगों के लिए कुछ सहायता रखी जाये। मुझे उदयपुर जिले में काफी लोग मिलते हैं; अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग तहसीलों में जो अपंग होते हैं वे कहते हैं कि हमारे अपंग लोगों के लिए कोई सहायता नहीं मिलती है तो उस समय हमें जवाब देना भी बहुत कठिन हो जाता है और कई लोग कहते हैं फिर भी हमारी तहसील लेवल पर या पंचायत लेवल पर कोई रकम उन अपंग लोगों के लिए नहीं आती है। इसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ रकम तो इन लोगों के लिए रखी जानी चाहिए ताकि अपंग लोगों को कुछ न कुछ लाभ हो सके।

दूसरे प्रस्ताव के द्वारा, मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। उदयपुर जिला, जो कि विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में तहसीलों में पंचायतें, विशेष कर पिछड़ी हुई जातियों के लोगों में हैं और वे आदिवासी एरिया में हैं जहां कि कुछ लोग पढ़े–लिखे हैं और कुछ अनपढ़ भी हैं उनके लिए कुछ खयाल रखना चाहिए। वहां के लोग पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाये ताकि वे अपनी पंचायतों को अच्छे ढंग से चला सकें। जो सचिव पंचायतों में भेजे जाते हैं उनके वेतन के बारे में पंचायतें व्यवस्था नहीं कर सकती हैं। इसलिए गवर्नमेन्ट की ओर से कोई व्यवस्था हो ताकि पिछड़े हुए एरिया में जो पंचायतें हैं वे कम से कम वेतन शुदा सचिवों को रख सकें।

तीसरा कटमोशन मेरा पंचायत समितियों में स्टाफ की कमी के बारे में है, जहां पर स्टाफ की कमी के कारण विकास के कामों में

Page No.106

(श्री देवीलाल)

कोई उन्नति नहीं होती है क्योंकि छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है तो उनका आधार भी नहीं होता है कि कितनी रकम खर्च होगी, क्या किया जायेगा। पंचायतों में सरपंच वगैरह भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनका ठीक हिसाब किताब भी नहीं रहता है और उनको ध्यान नहीं रहता है कि कितना पैसा खर्च करना होगा। पंचायत समितियों में कोई ओवरसीयर भी नहीं है। इसलिए किसी तालाब वगैरह के बनाने में कोई कितनी रकम खर्च करे, वह एस्टीमेट के बिना क्या खर्च कर सकते हैं ? पंचायत समितियों में ओवरसियर तो क्या फील्डमैन भी नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था की जाये। यही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया।

श्री सभापति : आप अपने चारों कटमोशन्स एक साथ मूव कर दीजिए।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु.) : माननीय सभापतिजी, मेरा मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध, में ग्राम पंचायतों में परिगणित जाति के लोगों को अधिक सहायता देने के लिए पहला कटमोशन है। मैं इस कटमोशन के द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के परिगणित जाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उनको आगे लाने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। हमारे राज्य की पहली इकाई ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों में जितने भी लोग होते हैं परिगणित जाति के उनको सहायता ग्राम पंचायतों के द्वारा मिलनी चाहिए, उससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। ग्राम पंचायतों में जिनके अन्दर वे लोग निवास करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति की जांच सरकार को करनी चाहिए कि किस ग्राम पंचायत में कितने लोग ऐसी स्थिति में हैं जिनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और जिनको टाइम पर खाना, बिस्तर और रोजगार नहीं मिलता। उनकी व्यवस्था करने का जिम्मा सरकार के ऊपर है और उसको निभाने के लिए ग्राम पंचायतों के द्वारा सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उनको सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। ग्राम पंचायतों के एरिया में जो परिगणित जाति के लोग हैं उनकी स्थिति तब ही सुधर सकती है जब कि ग्राम पंचायतों द्वारा उनको आर्थिक सहायता मिले। जैसे अभी समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कि सरकार की एजेन्सी है जितनी आर्थिक सहायता दी जाती है उसका १।४ हिस्सा भी उनको नहीं मिल पाता है और सारा धन बीच में ही हड़प हो जाता है। वह ग्राम पंचायतों के द्वारा उनको मिलना चाहिए, यह मेरी कटौती के प्रस्ताव द्वारा सरकार से मांग है।

दूसरे कटमोशन के द्वारा मैंने यह निवेदन किया है कि जो अच्छे समाचार पत्र हैं उनको अधिक विज्ञापन दिये जायं। इसके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जितने भी पत्र हैं उन पत्रों के अन्दर जितने भी मुख्य पत्र हैं, जो जनता की अच्छी

(श्री लादूराम सुलाणिया)

सेवा कर सकते हैं और घर घर जाकर सरकार और जनता के बीच के जो कार्य होते हैं उनको पहुँचाते हैं तो उन पत्रों को अच्छे विज्ञापन नहीं मिलते हैं, इन पत्रों को ज्यादा विज्ञापन मिलने चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने अभी आपके समक्ष बताया है कि हमारे यहां राज्य में जन सम्पर्क विभाग स्थापित है; इसके लिए कई माननीय सदस्यों ने बताया कि यह होना चाहिए और कई माननीय सदस्यों ने बताया कि नहीं होना चाहिए लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि यह हो, हमारा ऐतराज नहीं है और उसके द्वारा जनता और सरकार के बीच में अच्छे सम्पर्क स्थापित करें। इस जन–सम्पर्क विभाग के लिए हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, पर माननीय सभापति जी, आपत्ति का विषय तो यह है कि जन सम्पर्क विभाग में घोटाले होते हैं। जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ता ने बताया वह तो बहुत अधिक है और उसकी जांच करना हमारी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ जो मेरे ख्याल से किसी माननीय सदस्य ने सदन को नहीं बताई होगी। जनसम्पर्क विभाग, डिपार्टमेन्ट है उसमें घोटाला हुआ है डाका डाला है। मैं उसकी अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छा विभाग और जिसको कहना चाहिए सबसे बड़ा विभाग वह है इस देश के पिछड़े हुए लोगों को, परिगणित जाति के लोगों को आगे ले जाने वाला समाज कल्याण विभाग। उसके द्वारा लाखों और करोड़ों रुपये राजस्थान में खर्च कराये जाते हैं तो इस विभाग के ऊपर जबर्दस्त डाका डाला। एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर डाका डालता है....

श्री सभापति : Please use parliamentary language.

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे विभाग के ऊपर डाका डालते हैं जो कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर रहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर रहा हूं जिससे किसी को दुख हो।

श्री सभापति : ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो विधान सभा में काबिले ऐतराज न हो।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो ऐसी अनियमिततायें बरतने वाले विभाग के लिए किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती और हमारी जो गाढ़ी कमाई का धन है उसका दुरुपयोग करे; यह हमारी राज्य सरकार का काम नहीं है। इसके लिए कड़ी आलोचना करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग के द्वारा जितनी भी अनियमिततायें बरती गई हैं उनकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए उत्तरदाई हो उसको पूरी पूरी सजा दी जाये, तो मैं मानूंगा कि सरकार में कुछ साहस है।

तीसरा कटमोशन मेरा माननीय सभापतिजी, ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता

(श्री लादूराम मुलाणिया)

प्रदान करने हेतु है। ग्राम पंचायतों को चलाने के लिए सरकार ने नियम बनाये हैं कि ग्राम पंचायतें अपना खर्च चलाने के लिए उस एरिया में वहां के रहने वालों पर टैक्स लगाये। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वह टैक्स इस ढंग से लगाये कि जिनके लिए राज्य सरकार ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार नहीं हैं और जनता और पंचायत के जो सदस्य हैं उनके बीच में इस प्रकार का मतभेद है कि वे बराबर एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, गांवों में न्याय नहीं दे सकते हैं और इस प्रकार के टैक्स के नियम बना कर उनको लगाया जा रहा है कि वह उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब पहली इकाई हम ग्राम पंचायतों को मानते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अगर सरकार किसी प्रकार की सहायता नहीं देगी और उनको चलाने के लिए पूरा खर्चा नहीं देंगे तो वह ग्राम पंचायतें पनप नहीं सकती हैं और जब हमारी राज्य की पहली इकाई नहीं पनप सकती तो जो हम महल बनाना चाहते हैं जनतंत्र का और आगे जाकर कुछ उत्थान करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत ऐसी नींव है जिससे जनतंत्र के पूरे अधिकार सरकार से जनता को प्राप्त हो सकते हैं और जनता के जो कर्त्तव्य हैं और जनता की आय है वह सरकार को प्राप्त हो सकती है और उससे हम शुद्ध सम्पर्क स्थापित करके अपनी सरकार को अच्छा सुदृढ़ बना सकते हैं।

इसके ऊपर मेरा कटमोशन है ग्राम पंचायतों को साल भर का बजट बना कर दिया जाना चाहिये। इस प्रकार का बजट बना करके राज्य सरकार को देना चाहिये उसके साथ एक क्लर्क रख दे और जो स्टेशनरी, सामान आदि खरीद कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था उनके लिये बहुत ही उत्तम व्यवस्था रहेगी।

चौथा कट मोशन है पंचायत समितियों को अधिक सहायता देने के लिये। यदि पंचायत समितियों को उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अगर सहायता दी जाती है उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये, तो वहां का विकास कार्य काफी तेजी के साथ हो सकता है और हमारी राज्य सरकार का सिर ऊंचा हो सकता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनको जितनी सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। क्या हुआ किसी को तीन लाख रुपया दे दिया? उसमें से डेढ़ लाख रुपया तो ऑफिस के कामों में ही खर्च हो गया और डेढ़ लाख रुपया बचता है उसमें ऐसी अनियमितायें बरतते हैं जिसके कारण तकावी आदि के रुपये होते हैं वे आपस में मिल कर ही बांट लेते हैं, गरीब लोगों के हाथ लगने का कोई सवाल ही नहीं; उनको बेचारों को कोशिश करने पर भी नहीं मिल पाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले पंचायत समिति, सांगानेर जो जयपुर के पास ही है, उसकी शिकायत आई। उसमें जयपुर शहर के रहने वाले लोगों ने जिस जमीन की कीमत हजारों रुपया होती है उसको मामूली रुपयों में पंचायत समिति से वह जमीन ले ली है। तो जो लोग इस प्रकार से पंचायत समिति से फायदा उठाते हैं वहां की पंचायत समिति अपने विकास के लिये क्या कर सकती है, वह किस प्रकार से पनप सकती है? इस प्रकार की जो अनियमिततायें होती

(श्री लादूराम सुलाणिया)

हैं उनको जांच होकर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन उनसे पैसा वसूल करने की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत पड़े कैसे? जिन्होंने इस प्रकार से पैसा लिया है वे तो सरकार की नींव की ईंटें हैं। जब ईंटें निकल जाती हैं तो महल ढहने का डर बना रहता है। इसलिये उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेकर सरकार के रुपयों का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार से मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे जो चार कटमोशन हैं उनके बारे में मैंने जो विचार सदन के सामने रखे हैं उनके बारे में एक्शन लेवें। अगर सरकार इसमें अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाती तो मैं समझूंगा कि सरकार ही इस जनतन्त्र के ढांचे को गिराने में लगी हुई है। आगे जाकर आप सब को इसमें उलझना पड़ेगा। इसलिये सरकार अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चार कटमोशन मूव करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु०) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं राजस्थान राज्य के सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के सम्बन्ध में। अभी इस पर वाद-विवाद हुआ। उसमें राजस्थान के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की आलोचना की गई। इस विषय में मैं भी इसकी रीति-नीति पर प्रकाश डालूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में निवेदन करूं आज के पेपर्स को जो पब्लिसिटी करता है विज्ञापन देने की बहुत आवश्यकता होती है। पब्लिसिटी विभाग की ओर से जो पद्धति राजस्थान के समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की रही है इसमें दो राय नहीं है कि वह पक्षपात नहीं बरतती। यह इसलिये कि यह बहुत बड़ा विभाग है। इसमें तरह तरह के अधिकारी होते हैं। वहां अधिकारियों की अलग-अलग विचारधारा होती है। रीति नीति, जातिवाद, व्यक्तिवाद को लेकर चलते हैं और उसी प्रकार से समाचार पत्रों में भी होता है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि जो छोटे-छोटे समाचार पत्र होते हैं क्या उनको कीड़े-मकोड़ों की तरह मार दिया जाय? मैंने इस बारे में एक ऐतराज मूव किया। हमारी राय में पब्लिसिटी की आवश्यकता है। जहां पब्लिसिटी की आवश्यकता है वहां पत्रों को भी पैसे की आवश्यकता रहती है। उसके बिना वे कहां से पेपर लावें, कहां से कागज लावें और कहां से छपावें। आप राजस्थान के राजपत्र को ही देख लीजिये। वह भी बराबर समय पर नहीं छपता तो इस बारे में सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की जो आलोचना करते हैं उस आलोचना से मैं सहमत नहीं हूँ। जो पद्धति इस समय चल रही है वह इसलिये कि वहां एक विशेष समूह होता है अधिकारियों का। इसके अलावा जो उसका संचालक होता है वह भी अनुशासन रखना चाहता है और उसके अनुसार विभाग में सुधार लाना चाहता है। जितने भी राजस्थान के दैनिक समाचार पत्र हैं जैसे कि "राष्ट्रदूत" है उसमें जो आता है उससे मैं सहमत नहीं। मैं भी एक छोटा सा पत्र "राजस्थान" साप्ताहिक उदयपुर के नाम से निकालता हूँ। सरकार द्वारा उसमें विज्ञापन भी आते हैं। कभी-कभी हमारे सामने भी उसको छपाने की दिक्कत होती है। कई, जगह

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जगह की न्यूज आती हैं। उनको पढ़ करके नोट बनाना पड़ता है। इस तरह से पत्रकारों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। जहां से सूचना आती है उनको नहीं छापते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं। हमारे लादूराम मुलाणिया हैं ये पिछड़े वर्ग के बारे में न्यूज़ देते हैं। उनको भी हमें छापना पड़ता है। इसलिये मैं तो सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के संचालक को बधाई देता हूँ कि वे पत्रों के प्रकाशन में पूरा सहयोग देते हैं। मैं इस राय का नहीं कि मैं किसी विभाग पर व्यक्तिगत दुश्मनी होने की वजह से छींटाकशी करूं। विज्ञापन का लालच लेकर की जाय, गवर्नमेंट के खिलाफ बकवास की जाय, मैं इस राय का नहीं हूँ। हमें तो सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के बारे में जो बहस करनी है उसमें हमें यह विचार सामने रखने चाहिये; समाचार पत्रों की जो रीति-नीति है उसका क्या असर पड़ता है। हमने विज्ञापन देने की नीति निर्धारित कर दी है जैसे किसी इलाके में पी० डब्लू डी० द्वारा कोई काम कराना है। उसका नोटिस उस एरिया के पत्रों में छपवाया जाता है। यह पब्लिसिटी विभाग करता है। दो पत्रों को वह विज्ञापन देता है; यह तो सरकार ने कानून बना दिया है। यह तो न सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के संचालक भट्टजी के हाथ में है और न किसी और अधिकारी के। इसके लिये तो सरकार ने कानून बना दिया है दो विज्ञापन मिलने चाहिये हर जिले वाइज रूल बना दिये जायं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : महत्वपूर्ण भाषण के लिये कोरम तो पूरा किया जाय।

(गणपूरक घण्टी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इनके महत्वपूर्ण भाषण के लिए कोरम तो पूरा कर दें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके ज़रिये कि वह खुद बोलेंगे....

(गणपूरक घन्टी)

श्री सभापति : Yes please continue.

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, तो मैं समाचारपत्रों के विषय में निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति : कृपया एक मिनट में समाप्त कर दें। आपका जो समय निर्धारित था वह समाप्त हो गया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, ५ मिनट तो दें। १० बार खड़ा होने के बाद मौका मिला है।

श्री सभापति : सब के लिए समय कायम कर दिया है ४ मिनट का। आपके ४ मिनट समाप्त हो गये। एक मिनट में वाइन्ड-अप कर लें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं श्री बी० वी० केसकर, उन्होंने

(श्री हरिप्रसाद यादव)

प्रादेशिक सरकार को एक परिपत्र भेजकर यह हिदायत की है कि छोटे समाचार पत्र हैं उनको प्रमुखता दी जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि पिछड़े हुए पत्रकारों को, पिछड़े हुए पत्रों को जो कि छोटे–छोटे पत्र हैं उनको मैं राज्य सरकार से आपके ज़रिये निवेदन करूंगा कि विज्ञापन देकर पनपायें। किसी भी राज्य में पब्लिसिटी विभाग नहीं हों और प्रचार और प्रकाशन के साधन नहीं हो तो उस शासन में कोई कानून बनता है, वह कुछ करता है तो जनता को राहत पहुँचाने के लिए जनता उसको पढ़े और जाने, उसको पत्रकार बन्धु जो आपके यहां बात होती है, चर्चा होती है उसको लेकर भेजते हैं, गांव–गांव में जाते हैं। तो मैं आपके ज़रिये, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान राज्य के सार्वजनिक विभाग की आज तक की जो नीति रही है उस नीति को बदला जाय और छोटे–छोटेपत्रकारों को प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पत्रकार विज्ञापन की भीख नहीं मांगते हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी सिफारशें जो कि जन संपर्क विभाग के संबंध में की हैं उनको कार्यान्वित नहीं करने के संबंध में है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी न केवल हाउस का प्रतिनिधित्व ही करती है, लेकिन छोटे-मोटे रूप में यह कहें कि मिनियेचर लेजिस्लेचर है। जितना हाउस में आने वाली प्रत्येक बात का सरकार आदर करती है उतना ही पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिशों का आदर करना चाहिए।

यह कटौती प्रस्ताव देने के बाद में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट देखने की कोशिश की है तो मुझे यह प्रतीत हुआ है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं रखी है कि जिसमें इनके विषय में नहीं कहा गया हो। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि यदि हम एक महापुरुष के जीवन का ठीक-ठीक वर्णन करें तो भाषा अच्छी से अच्छी कितनी ही हो उसके साथ अन्याय है। यदि यह बात सार्वजनिक संपर्क विभाग के संचालक पर लागू की जाय तो इन ६ प्रतिवेदनों से इतनी बात साबित हो जाती है कि जितना कुछ कहा गया है वह कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी राज्य सरकार कुछ नहीं करती है तब आश्चर्य होता है और खास तौर से इसलिये आश्चर्य होता है कि ऐसा है कि एक ब्रह्मा बदलता है, और ब्रह्मा के सौ वर्ष के बाद में एक इन्द्र बदलता है, और मन्वन्तर के बाद में मनु बदल जाते हैं, लेकिन मैं शास्त्राकारों को प्रार्थना करूंगा कि वे देखें कि राजस्थान के जन संपर्क विभाग के संचालक इतने अडिग हैं, यह वह शख्स हैं जो कि ऋतुएं नहीं युग बदल जाय, लेकिन वह बदलने वाले नहीं हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि इनके लिए चाहे जितनी कटु से कटु आलोचना की जाय, हाउस चाहे कुछ बोल दे, चाहे पत्रों के अन्दर ऐसी बातें आ जायं, लेकिन एक यही सज्जन ऐसे हैं कि नहीं डिगाये जा सकते हैं। इनका इन्द्रासन ऐसा है जिसको डिगा नहीं सकते हैं, विश्वामित्र की तपस्या भी नहीं डिगा सकती है। लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने पर लोग ऊंचे जॉब

Page No.112

(श्री तनसिंह)

पर जाते हैं, लेकिन वे तो बराबर अपने स्थान पर स्थिर हैं। न ऊंचा चढ़ते हैं और न नीचे गिरते हैं। उनको डिगाने की हर तरह की कोशिश करते हैं किन्तु शिकंजा ऐसा पकड़े हुए हैं कि जिसके अन्दर से निकलने का नाम नहीं। ऐसी कौनसी चौमुखी शक्तियों से पूरी तरह से पकड़ रखा है कि इतनी आलोचना के उपरान्त भी राज्य सरकार कुछ करने की कोशिश नहीं करती है। हमारी सारी आलोचनाएं बेकार हैं और जो पत्रों में यह बातें उठती हैं वह सब बेकार हैं। आलोचना चाहे कितनी ही करते जाइये, लेकिन हाथी के सामने गाडर की क्या आवाज है ? यह जनतंत्र का नमूना है तो बाज आये इस जनतन्त्रवाद से। आपको ही मुबारक हो इस प्रकार का जनतन्त्रवाद।

इसके उपरान्त मैं यदि इस संबंध में जो उनके पैराग्राफ हैं उनको पढ़ने लगूं तो जो आपने मुझे ४ मिनिट दिये हैं उसमें वह बहुत मुश्किल होगा। मैं तो यह कहूँगा कि आप सच मानिये, यकीन कीजिये कि इनके जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं वे इतनी ज्यादा हैं है कि जैसा कि. मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है:-

'राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है।
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है॥'

यानी भगवान् रामचन्द्र का चरित्र ही ऐसा है कि कोई भी आदमी मामूली तुकबन्दी करने के लिए बैठ जाय तो वह महाकवि बन जायगा। इसी प्रकार से हमारे जन-सम्पर्क विभाग के संचालक के जो कार्य हैं यदि उन्हें किसी गूंगे के सामने रख दें तो वह बोलने लग जायगा, उसके जबान आ जायेगी। इतनी सारी आलोचनाएं हैं कि उन सब को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो छठी रिपोर्ट है उसको पढ़ लें तो उसमें पूरे का पूरा चेप्टर ऐसा दिया हुआ है। उस चेप्टर से ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी इर्रेग्युलेरिटी नहीं है, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है, जो उसमें नहीं हो।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। जितनी कुछ सभ्य भाषा में वह लिख सकती है उसने लिखा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि यह वह सीमा है जिस सीमा का अतिक्रमण पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी नहीं कर सकती है ? इससे अधिक आलोचना नहीं हो सकती है। इसके उपरान्त भी वे बहुत आराम से इस दफ्तर में बैठे रहें तो अब वह समय आ गया है कि उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और माननीय मंत्री महोदय को अपने साफ शब्दों में स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी कौन सी उनमें विशेषता है कि जिनके कारण से वे इतनी आलोचनाओं को और सारे तथ्यों को ओवरलुक करना चाहते हैं और उनको अलग नहीं करना चाहते हैं। तभी हम उनको कह सकते हैं कि वे बहादुर आदमी हैं। वे कहते हैं कि जो जनता का फैसला होता है उसका आदर करते हैं। हमारी आलोचनाओं की कद्र करते हैं तो उनको चाहिए कि केवल यही न कहें कि थोड़ी सी बात है, अनियमितताओं को टीक कर देंगे, इस तरह की परिपाटी से काम चलने का नहीं है, बल्कि एक रेग्युलर इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कराये सार्वजनिक संपर्क विभाग के संचालक को दूसरे स्थान पर हटा कर। यह बात नहीं है कि सब बांझ हो गये हैं और कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है सार्वजनिक संपर्क विभाग के संचालक जैसा। एक ये ही हैं, इनके सिवाय और नहीं हो सकता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): सभी का काम करें उनको खाने दो।

श्री तनसिंह : यह पिंजरापोल तो है नहीं कि हरेक को कबूतर के प्रकार से पाला जाय। योग्यता हो तो उसको दिया जाय। तो समय को देखते हुए मैं जितना कुछ कह सकता हूँ वह मैंने निवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि यह जितना कहा गया है वह थोड़ा है, लेकिन बहुत कुछ है यदि मानें तो।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूँ कि किसी चर्चा को लेकर इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, और उन्हीं बातों को फिर बार-बार दोहराया जाय, इसकी भी, मैं समझता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : Not at all.

श्री अनूपसिंह : इसलिए बैठूंगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो अर्ज करूंगा ही।

तो अर्ज करने का मेरा मतलब यह था कि अगर मैं यह लूं और कुछ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के अन्दर उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसको पढ़ने बैठूं तो तब तक मेरा टाइम भी खत्म हो जायगा। सच बात तो यह है कि ये पर कुछ ऐसे निकलते हैं कि उनकी कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेन्स नहीं होती है, लेकिन हमारे बहुत से डाक्युमेंन्ट्स इस सदन के निकले हुए हैं। इस सदन के माने हुए सदस्यों द्वारा दिये हुए हैं। जांच पड़ताल के बाद दिये हुए हैं, जिसको कि माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूँ, कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ऑथेन्टिक रिपोर्ट नहीं है, ऑथेन्टिक चीज़ नहीं है। इस तरह की जब सब चीज दी हुई है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट या आडिट रिपोर्ट या मि० आहूजा ने जो रिपोर्ट दी है उनका आखिर मतलब क्या होगा और किस लिए दी जाती है?

मैं समझता हूं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी या एस्टिमेट्स कमेटी ने या ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट देने में क्यों वक्त जाया किया? क्या फायदा था रिपोर्ट बनाने का? मुद्रणालय में छपाई में खर्चा लगा होगा, टी० ए०, डी० ए० वगैरा बने होंगे, रिपोर्टस के लिये खर्चा किया होगा। आखिर इनसे होता क्या है, मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या है? किस मकसद पर पहुंचे हैं? मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि मन्त्रीजी के कान में कुछ पड़ जाय। अब तो वक्त आ गया है जब आप किसी का संरक्षण करते करते थक गये होंगे और यदि अब भी नहीं थके हैं तो किस दिन थकेंगे या आपके थकने का कभी दिन आयगा या नहीं? आखिर किस दिन खत्म होगा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पैसा लेना, उचंत लेना, अपने लिये लेना, अपने साथियों को देना, बिना रसीद के देना, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको बंद करेगा कौन? कोई इंग्लैंड से एटली या चर्चिल आयेगा या मेकमिलन आयेगा? आखिर कौन बंद करेगा? उधर बैठने वाले बंद करेंगे या इधर बैठने वाले बंद करेंगे या माननीय मुख्य मंत्रीजी बंद करेंगे या यह कहदें कि सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के संचालक या डाइरेक्टर बहुत बड़ी हस्ती हैं इसलिये मैं कुछ नहीं कर सकता। या तो मुख्य मंत्रीजी खुद कमजोरी फील करते हैं या गृह मंत्रीजी कमजोरी फील

(श्री अनूपसिंह)

करते हैं तो हमें कह दीजिये, कारण कि आप से होना नहीं है तो हम कर देंगे।

माननीय सभापतिजी, मैं विरोधी पक्ष में खड़ा हूं और यह मानी हुई बात है कि आपकी गवर्नमेन्ट यदि फेल होती है तो मैं अपनी गवर्नमेन्ट बनाना चाहूंगा। विरोधी पक्ष इसीलिए है। लेकिन शायद आपको यह फील नहीं हो कि यह काम विरोधी पक्ष के गले में पड़ जाय तो पड़ जाय अपने गले को तो छुड़ा लें। इसके लिये गवर्नमेंन्ट का पैसा जिस ढंग से खर्च होता है कोई यह जरूरी थोड़ा ही है कि ठीक ढंग से ही खर्च किया जाय........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Please conclude.

श्री अनूपसिंह : मैं तो कुछ अर्ज करने के मूड में ही अब आया हूं। आखिर इसको बंद करेगा कौन ? बंद होगा कैसे ? यदि सब कोई ऐसे कमजोर हो जाते हैं तो इस काम को करेगा कौन ?

मैंने इनको देखा था पहली बार तब जब कि क्वीन एलिजाबेथ एयरपोर्ट पर आई थी। उस समय इन्टरनेशनल पत्रकारों को डाइरेक्टर साहब घुमाते हुए दिखाई दिये। मैंने पास ही खड़े सज्जन से आपके बारे में पूछा तो पता चला कि आप हैं डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स। इन्टरनेशनल पत्रकारों के बीच मैंने उनको देखा तो पता चला कि ये क्या सम्पर्क कर रहे हैं।

मुझे कोई पब्लिक से जन सम्पर्क करने वालों का एपीएरेन्स कम जचा। फिर मैंने सोचा फिजीकल एपीएरेन्स की बात और है, आदमी में माद्दा दूसरा होता है; काम करने की प्रणाली, एबिलिटीड़, क्षमता दूसरी होती है। फिर जब जन सम्पर्क विभाग के बारे में जन लेखा समिति की रिपोर्ट देखी तो सारा ही मामला विपरीत था। आदमी का एपीएरेन्स नहीं देखना चाहिये एक्सपीरियेन्स देखना चाहिये। लेकिन यहाँ तो दोनों ही तरफ से घाटा है, सारा ही मामला डेफिसिट है। उनको एबिलिटी, एक्सपीरियेन्स, एपी— एरेन्स सारे ही डेफिसिट में चल रहे हैं। मैं यह नहीं मान सकता कि हमारे मंत्रीजी इस बात को समझ नहीं सके हैं। यह नहीं है कि हम जो कुछ कहते हैं उसको वे सुन नहीं रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर भगवान जाने, या तो उनके हाथ में रेखा ऐसी पड़ी है या जन्म पत्री में ग्रह ऐसा पड़ा है जिसकी वजह से कोई नजदीक आ नहीं सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : I am sorry,. you have taken two minutes beyond your prescribed time.

श्री अनूपसिंह : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। सदन में जो बार-बार चर्चाएं हो रही हैं उनके उपरान्त भी यदि वे इतने एफिशियेन्ट हैं, आपकी पब्लिसीटी करने में कामयाब हुए हैं तो उनको कहीं और जगह बैठा दीजिये या उनके ऊपर किसी और को बैठा दीजिये ताकि अनियमतताएं नहीं करें। या आप यदि चाहते हैं कि उनका करेक्टर बच जाय, वे भले आदमी की तरह रह जायं

(श्री अनूपसिंह)

तब तो टाइमली एक्शन ले लीजिये। वर्ना भले आदमी की तरह नहीं रह पायेंगे विरोधी पक्ष में होते हुए भी मैं उनके हितैषी की तरह से कहता हूं कि उनको इस तरह का कर दें कि वे राजस्थान में बदनामी नहीं लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इस मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७ : विविध: के सम्बन्ध में १,६५,४६,००० रु० की मांग प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में मेरे ५ कटौती प्रस्ताव हैं।

सभापति महोदय, यह जो मांग है इसमें जो कुछ भी सदन में चर्चा चल रही है और सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये गये हैं, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था कर देनी चाहिये। यह जो बजट की व्यवस्था यहां पर रखी है, हमारे भारत का संविधान है और भारत के संविधान में प्रेसीडेन्ट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ दी स्टेट्स, एकाउन्टेन्ट जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जजेज़ ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, जजेज़ ऑफ दी हाईकोर्ट्स, इन सब का चार्ज्ड बजट होता है. और चार्ज्ड बजट पर इस प्रकार की कोई ज्यादा बहस–मुबाहिसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं राज्य सरकार को राष्ट्रपति से सिफारिश करनी चाहिये कि इस संविधान में संशोधन किया जाय उसके अंतर्गत जो हैड्स बनते हैं उनके चार्ज्ड बजट हैं, डी० पी० आर० का भी चार्ज्ड बजट कर दिया जाय ताकि उनके बारे में इस तरह की चर्चा विधान सभा में न होने पावे वर्ना जो आरोप हम इस विभाग के बारे में पिछली विधान सभा के समय से लगाते आये हैं इसी तरह से लगाते रहेंगे और विधान सभा में चर्चा करते रहेंगे। किन्तु उनका कितना साहस है ? कहते–कहते थक जावें पर उन पर असर होने वाला नहीं है। यह कोई डी० पी० आर० का स्वयं का दोष नहीं है। मैं जयपुर का अजायबघर देखने गया। वहां पर भालू हैं, शेर हैं, गेंडे हैं। गेंडे पर बहुत मोटी खाल है। बच्चों ने पूछा यह कौनसा जानवर है, इसकी खाल कितनी मोटी है, और इसको ऊपर से कितना ही मारो, इस पर कोई असर नहीं होता इसकी हड्डी पसली नहीं टूटती और इसके दिल व दिमाग पर कोई असर नहीं होता ? श्रीमान् अनूपसिंहजी, इसलिये नहीं टूटती अजायबघर में देखा कि उनकी हड्डी पसली नही टूटती, दिल और दिमाग पर कोई असर नहीं होता। उसका कारण यह है कि उसके ऊपर मोटी खाल है। गृह मंत्रीजी का डी० पी० आर० पर मोटा हाथ है इसलिये असर नहीं होने वाला है, मुख्य मंत्रीजी का हाथ है इसलिये असर नहीं होने वाला है। आप कितनी ही बातें कहिये, आपके प्रति जवाबदार है कौन ? हम लोग आरोप लगाते हैं लेकिन कौनसी अव्यवस्था है, प्रमाण चाहिये ? शासकीय सचिव की रिपोर्ट, स्पेशल सेक्रेटरी की रिपोर्ट, अहूजा कमेटी की रिपोर्ट, श्यामकरणसिंहजी की रिपोर्ट, इनके अतिरिक्त पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, ऑडिट की रिपोर्ट इतने तो हैं प्रमाण के तौर पर। फिर क्या प्रमाण दें और क्या सबूत दें ? यह आदमी कितना करप्ट है, किस प्रकार की इसकी करप्ट प्रेक्टिसेज़ हैं और जब तक ये सारी बातें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सामने हैं निश्चित मान्यता है कि यह दोषी है और इनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि जो भाव यहाँ सदन में माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं, उनमें से एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसने इनका समर्थन किया हो। यहां पर शिक्षा मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, कुल ४ मन्त्री बैठे हुए हैं। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से कहूँगा कि बाकी तीन को शिक्षा दें, सिंचाई मन्त्रीजी से कहूंगा कि गृह मन्त्रीजी का हृदय बहुत कठोर है उनको पानी की सिंचाई से नर्म बनावें। स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से कहूंगा कि वे गलियां की सफाई चाहे नहीं करावें लेकिन इनकी सफाई जरूर करावें। मेडिकल मिनि–स्टर साहब से कहूंगा कि आज चाहे पेशेन्ट्स कितने ही परेशान हों, दवाइयें उनको मिलें न मिलें महरबानी करके इनको इंजेक्शन जल्दी दीजिये और सॉफ्ट ट्रीटमेन्ट जल्दी दीजिये। और इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह समझता हूँ कि इस सबके लिए उनको कुछ कहना उचित नहीं। मुझे इस स्थिति में सारी सदन की चर्चा सुन कर ऐसा लगता है कि उनकी हालत, डी. पी. आर. की हालत, ऐसी है कि जहां तक गृह मंत्री का सवाल है, जहां तक मुख्य मंत्री का सवाल है, मैं कहूंगा कि चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में, नाथद्वारा का जो केस था और उसमें जो एक स्टेटमेंट इश्यू किया गया था उस पर ऑब्ज़र्वेशन दिये हैं, उसकी जिस प्रकार डी. पी. आर. ने पब्लिसिटी दी है, यह उनका दोष नहीं है। उनको ऐसा करने का संकेत था, इशारा था और वह इशारा मुख्य मन्त्री जी की ओर से था, इसलिए जैसा उन्होंने कहा है, उन्होंने किया, उनके आदेश के कारण से किया। मैं कह सकता हूँ कि आज राजस्थान सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के अन्दर जो घोटाले हैं, हैड क्वार्टर के स्टोर के अन्दर घोटाले हैं, एग्जि-बिशन के अमाउन्ट के अन्दर घोटाले हैं, एग्जिबिशन के एकाउन्ट्स के अन्दर घोटाले हैं, जहां कहीं भी, मैं समझता हूँ, जो कुछ होता है, उसके लिए जवाबदारी गृह मंत्री जी की और उनके ऊपर मुख्य मंत्री जी की है। मैं इस सब के लिए उनको दोषी नहीं ठहरा सकता, उनकी हालत ऐसी है डी. पी. आर. की, जैसे कहा है, हुक्म है शाह कलन्दर का कि बैठा दुम हिलायेजा।' मुख्य मंत्री का आदेश हुआ, गृह मंत्री का आदेश हुआ, उनका पालन करना उनका काम है।

शास्त्री मिनिस्टरी थी, तब एक अखबार को विज्ञापन नहीं देने का आदेश था, विज्ञा-पन नहीं दिये। सुखाड़िया मिनिस्टरी आई, विज्ञापन देना चालू हो गया। फिर कोई दूसरी मिनिस्टरी आयेगी तो जैसा हुक्म होगा, वैसा होगा। वे एक मोस्ट ऑबिडियेन्ट सर्वेन्ट की तरह हैं, गृह मंत्री और मुख्य मंत्री की विशेष इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और पूर्ति करने में उनको इनाम मिलता है—फोटो छपती हैं, नेहरू जी उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हैं। जब तस्वीर छप जाय तो क्यों न खुश रखें बॉस को ? उसमें किसी के ऐतराज का सवाल नहीं आता, उसको इनाम मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है। तस्वीर छपने से किस गवर्नमेंट सर्वेन्ट को खुशी नहीं होती और वह भी जब ऑफिशियल ड्यूटी पर तस्वीर छपे ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैंने इस सदन में एक आरोप लगाया था, जब डी. पी. आर. के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता था। सभापति महोदय, लेकिन मुझे मजबूर होकर दोहराना पड़ रहा है कि गृह मंत्री जी के यहां पर शादी होती है और उसकी मूवी फिल्म खींची जाती है डिपार्टमेंट को तरफ से, खर्चा देकर। वैसे कौन नहीं चाहेगा कि ऑफिस की तरफ से तस्वीर खींच ले और डिपार्टमेंट से खर्चा दे दे ? उसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया। इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता है कि उसकी जवाबदारी किसी की हो सकती है तो वह गृह मंत्री और मुख्य मंत्री की जवाबदारी हो सकती है, डाइरेक्टर की नहीं। हमारे इंडियन पैनल कोड में लिखा है, एक आदमी कत्ल करता है, उसमें केवल कातिल को ही सज़ा नहीं दी जायगी, बल्कि जो कॉन्सप्रेसी में शामिल होता है उस को कत्ल के लिए सजा होती है। लीगल टर्म्स में इसे अबेटमेंट कहा जाता है। वह यहां पर लागू हो सकता है, चार्ज ऑफ करप्शन, चार्ज ऑफ मिसएप्रोप्रियेशन डी. पी. आर. के ऊपर लगे, तो अबेटमेंट का चार्ज उन पर भी लगाया जा सकता है....

श्री सभापति : Hon'ble member, such direct references should not be made against a person, who is not member of the House and, therefore, is not in a position to protect himself.

Secondly, while speaking, you should also not make charges of a personal nature against any member of this House or the Hon'ble Minister. Under rule 272, you are precluded from making such direct references except on a substantive motion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : There was hardly any personal charge against the Home Minister except in his official capacity. The charge that was made against him was not of a personal nature.

श्री सभापति : Allegations that you have been making regarding display of films in marriage, all that is of a personal nature. You will please restrain yourself. Kindly readjust yourself.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ये चार्जेज पहले हाउस में लगाये गये थे; केवल दोहराये गये हैं।

श्री सभापति : If any indulgence has been shown to the Hon'ble member on a previous occasion he cannot claim it as a matter of right on a subsequent occasion. So kindly readjust yourself in that way. That is all. Please continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं तो यह चाहता था कि गृह मंत्री जी आज यहां हाजिर होते। मैं यह समझता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण मांग सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर विचार हो रहा है और वे जान–बूझ कर सदन में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि डी० पी० आर० का मामला सदन में आने वाला है, तो उसके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों को जवाब दें। मेरा डेफिनेट आरोप है, और मैं चाहूंगा कि चेअर इस पर सीरियस व्यू ले कि यहां सदन में उनके सम्बन्ध में चर्चायें होती रहें और माननीय मन्त्रीजी जयपुर में मौजूद रहें और यहां उपस्थित न हों, यह हाउस की इन्सल्ट है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, जैसा मैंने निवेदन किया, यह जो आरोप मैंने लगाया है वह आरोप मैंने पहले भी लगाया था। आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये। उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण गृह मंत्रीजी ने प्रस्तुत नहीं किया है, उनकी साइलेन्स है और उसके बारे में कोई जवाब नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह माना जायगा कि वे आरोप को स्वीकार करते हैं, उसका स्पष्टीकरण हो नहीं सकता है।

सभापति महोदय, इसके बारे में मैं केवल इतना ही कहते हुए, अब एक, दो बातें नगरपालिका के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता कि नगरपालिका और स्वायत्त शासन संस्थाओं की किस प्रकार की अवस्था है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने फाइनेन्शियल पावर अपने हाथ में रखी है और ग्रान्ट के नाम पर जो नगरपालिका हैं, राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनके जो चेअरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको सेक्रेटेरियट की हवा खिलाने का दृष्टिकोण है। वे हमारे पास आयें, हमारी खुशामद करें, इस दृष्टि से आपकी ग्रान्ट–इन–एड देने की व्यवस्था रखी हुई है। अगर इस स्वायत्त शासन संस्थाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी और जो ग्रान्ट–इन–एड की इसमें व्यवस्था की है और जिस प्रकार डिस्क्रिशन काम में लेने की दृष्टि से व्यवस्था रखी है और उसके कारण भेदभाव रखते हैं, पक्षपात करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा न हो सके। मैं चाहूंगा कि जो ग्रान्ट–इन–एड की व्यवस्था की है, कुछ टैक्सेज इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एन्टरटेनमेंट टैक्स का सवाल हो सकता है, जो आमदनी का जरिया है। इसी प्रकार प्लॉट्स की बिक्री का सवाल हो सकता है, वाटर वर्क्स का सवाल खड़ा हो सकता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को राजस्थान की नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना है, आर्थिक दृष्टि से पैरों पर खड़ा करना है तो उनकी रेवेन्यू साइड मजबूत करनी पड़ेगी और आय के जितने साधन हैं वे देने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ–साथ नगर सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार घोषणा करती है, भाषणों में जिक्र आता है, राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र आता है, वित्त मन्त्रीजी के भाषणों में जिक्र आता है लेकिन आज तक शायद अलवर को छोड़ कर कोई नगर नहीं है जहां अर्बन को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम को लागू किया गया हो। जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि पन्द्रह हजार के नीचे की आबादी वाले नगरों में यह स्कीम लागू की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय, मैं पूछना चाहूंगा कि अलवर की आबादी पन्द्रह हजार की है, और नगरों की बात क्यों नहीं सुनी ? मुझे अलवर से कोई द्वेष नहीं है, मुझे यही कहना है कि जो नगर विकास से महरूम हैं वहां यह स्कीम लागू की जाय। छोटी नगरपालिकाओं को क्यों महरूम किया जा रहा है ? जयपुर के बारे में, सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि जयपुर में कोई डेवलपमेंट की योजना नहीं है। यह बात सही है, जयपुर में ड्रेनेज का सवाल है। जयपुर में सीवेज का सवाल है, सिर पर मैला उठाने का सवाल है। राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, म्युनिसिपैलिटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन सभापति महोदय; चुनाव की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से अपने–अपने शहरों में खर्चा करने की व्यवस्था कर लेते हैं।

इस प्रकार की परिस्थितियों में, मैं समझता हूं कि जयपुर नगर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, जिसको राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो जयपुर हिन्दुस्तान में ही नहीं; विदेशों में भी मशहूर है, जिसको पिंक पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है; पिंक सिटी कहा जाता है, इसकी सड़कें अच्छी होंगी, बाहर की हालत अच्छी होगी, लेकिन अन्दर की हालत देखेंगे तो मालूम होगा कि कितनी गन्दगी है। इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार कदम नहीं उठायेगी, सफाई की व्यवस्था नहीं करेगी, ड्रेनेज की स्पेशल ग्रान्ट नहीं देगी, जयपुर के मोहल्लों की गन्दी बस्तियों को, जिनको स्वायत्त शासन मन्त्री ने देखा है, मैं उनसे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, क्योंकि उनमें मानवीय भावना है, निवेदन करूंगा कि जयपुर में ऐसी बस्तियां हैं, जिन बस्तियों के घरों में कोई व्यक्ति मर जाय तो उसको चारपाई पर नहीं निकाला जा सकता है, चार आदमियों के कन्धों पर नहीं निकाला जा सकता, सिवाय उसको घसीट कर निकालने के और कोई चारा नहीं है, इस तरह का नारकीय जीवन लोग बिता रहे हैं, नालियों में कीड़े बिलबिला रहे हैं, तारत आम रास्तों पर बह रहे हैं, इन गन्दी बस्तियों की सफाई की दृष्टि से सरकार ने क्या किया ?

स्लम क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से तीन करोड़ रुपया मिलता है। सभापति महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सरकार से जो स्लम क्लीयरेन्स का रुपया मिला वह लेप्स क्यों हो गया, राज्य सरकार ने उसे युटिलाइज क्यों नहीं किया ? सिर पर मैला उठाने की जो परम्परा है, उसको हाथ–गाड़ियों से उठाने के लिए व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से एक स्पेशल ग्रान्ट दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार उसको ले लेने में असफल रही। उसकी माननीय मन्त्रीजी को जानकारी नहीं है, जैसा कि प्रश्नोत्तर काल में उन्होंने कहा था।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक जयपुर का सवाल है, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है, आज जयपुर के लोग, जयपुर के नागरिकों को इससे संतोष कराना चाहें कि आपने जौहरी बाजार का पुनर्निर्माण करा दिया है। जौहरी बाजार का क्या पुनर्निर्माण कराया है ? मैं कह सकता हूं कि जौहरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजार का सत्यानाश कर दिया है; खम्भे खड़े कर दिये हैं, उन पर सूलियां लटका दी हैं। उन पर तस्वीर लटका रखी हैं, पता नहीं किन महाशय की है, जिनका सूरज का स्वरूप आपने बनाया है।

मैं समझता हूं आज इस प्रकार की व्यवस्था जौहरी बाजार के निर्माण कार्य में चल रही है। सरकार की जैसी योजनाएं चलती हैं, लोगों के लिए तमाशा बन गई हैं। आज डेढ़ साल हो गया, कभी खम्भे लगाये जाते हैं, फिर बल्लियां गाड़ी जाती हैं, खम्भों में बल्ब लगाने के बाद बल्लियां हटा दी जाती हैं, बाद में याद आता है कि सूरज लगाना भूल गये तो फिर बल्लियां लगाई जाती हैं, फिर बल्लियां हटा दी जाती हैं। उसके बाद फिर याद आता है कि बल्ब्स के रंग करना तो भूल ही गये तो फिर बल्लियां लगाई जाती हैं, रंग किया जाता है। यह सारा कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई कहता है कि बाजार संकड़ा हो गया, दूकानों के सामने जगह नहीं रही तो फिर खम्भों को कमरबन्द पहिनाना चाहते हैं, हैंगिंग गार्डन्स लगाने को योजना चलती है। यह आपकी जौहरी बाजार की योजना का हाल है। आप इस प्रकार जनधन का अपव्यय करते हैं। रोज लोग तमाशा देखने जमा हो जाते हैं, आवागमन बन्द हो जाता है, आपने एक तमाशा बना रखा है। आप इस तरह की तुगलकशाही योजनाओं से जयपुर निवासियों को बहला नहीं सकते।

यहां की ड्रेनेज की समस्या है, सीवेज लाइन की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है; इनके सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां रिफ्यूजी कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिये मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के पास एक मेमोरेंडम पेश किया था, ३ लाख रुपया आदर्श नगर को दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह रुपया है कहां, किस मनुष्य की जेब में वह रुपया डाल रखा है कि जब घूमने निकलें तो लोगों को ग्रान्ट के तौर पर दे दें ? इसके लिये कौनसी कमेटी बनाई है आपका, एक व्यक्ति को ३ लाख रुपये देना क्या माने रखता है ? एक आदमी को ३ लाख रुपया आपने इसलिए दिया है कि उस क्षेत्र से आपका विरोधी आदमी जीत कर आया है ? आपने एक आदमी को तीन लाख रुपया देकर कहा है कि आदर्शनगर क्षेत्र में पूरा कब्जा करने की कोशिश करो जिससे कि उस क्षेत्र से विरोधी जीत कर नहीं आये। इस प्रकार की परिस्थिति यू. आई. बी. की है। ट्रस्ट के बारे में सदन के माननीय सदस्य कई बार कह चुके हैं कि वह किस प्रकार अनडेमोक्रेटिक है। सदन में चर्चा हुई और मन्त्री महोदय स्वयं इसके बारे में महसूस करते हैं पर महसूस करने पर भी कुछ कर नहीं सकते।

जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, विकास का सवाल है, इसके लिए हमारा हमेशा समर्थन मिलेगा ....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पर हम यह चाहेंगे कि पक्ष से ऊपर उठ कर कार्यवाही करें।

यहां बस्तियों की व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग चिल्लाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती, यहां लाइट्स नहीं हैं, वहां पब्लिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टैप्स नहीं हैं, सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, बस स्टेन्ड्स नहीं हैं और किसी प्रकार की चीज नहीं है। इन सब बातों की ओर सरकार का, मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ और स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आवश्यक कार्यवाही करें।

जन सम्पर्क विभाग की माँग को मेडिकल विभाग के मंत्री पॉयलों कर रहे हैं। डी. पी. आर. के बारे में जो सदन के माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, मरीज का ऑपरेशन कर दिया है, उस पर ध्यान दें, जल्दी इन्जेक्शन देने की व्यवस्था करें ताकि मरीज की अवस्था खराब नहीं हो।

बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन रखता हूँ।

श्री सभापति : I would like the spokesman of the Government to indicate how many of the Hon'ble Ministers would participate in reply and how much time is likely to be taken by them.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मंत्री, शिक्षा) : Only three Ministers.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : यही पांच–पांच, सात–सात मिनट।

श्री सभापति : That is right. Just one minute. I hope, I have the permission of the House to continue the proceedings for atleast three quarters of an hour in order to finalise the proceedings of the day. We shall try to finish within half an hour, but I think we may have to prolong the proceedings for 45 minutes, so that we may not have to prolong the proceedings again and again.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : लोकल सेल्फ के बारे में बोल रहे हैं या डी. पी. आर. के बारे में ?

श्री सम्पतराम : आप सुन लीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : आप पहले बता दीजिये न ?

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : आप सुनिये। माननीय सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने नगरपालिकाओं के बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला है। यह तो निश्चित बात है कि सरकार भी एक संस्था है, पंचायत भी एक संस्था है, इन सबमें जनता के चुने हुए आदमी काम करते हैं, अपने कायदे कानून के मुताबिक। मैं इस बात का दावा कर नहीं सकता कि नगरपालिकाओं का काम जितने एक्सपेक्टेशन्स लेकर हम चलते थे उतना बढ़ गया है, यह भी नहीं कह सकता कि उनमें गल्तियां नहीं हैं, फिर भी जो कुछ प्रयत्न समय-समय पर किये गये हैं उनसे जाहिर होता है कि सरकार इनको सुदृढ़ बनाना चाहती है और यह चाहती है कि उनमें ठीक तरह से काम हो, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो और आर्थिक तरीके से वे स्वावलम्बी बनें।

(श्री सम्पतराम)

जहां तक रुपये–पैसे का सवाल है, इस मुल्क में ही नहीं; दूसरे मुल्कों में भी स्थानीय नागरिकों को अधिकार दिये जाते हैं कि वे वहां के साधनों को देखते हुए निश्चित रूप से व्यवस्था करें। ५१ का जो हमारा एक्ट था उसमें कोई कम्पल्सरी टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा एक्ट आया तो कम्पल्सरी टैक्सेशन की व्यवस्था की। इससे माननीय सदस्यों को और आम जनता को भी मालूम हुआ कि सरकार चिन्तित है कि किस प्रकार से इनकी आय के साधनों को बढ़ाया जाय ताकि नगरों में रहने वाली जनता को सहूलियतें मिल सकें।

इसके अलावा नगरपालिकाओं की आमदनी के लिए ट्रस्ट और बोर्ड बनाये गये हैं; साथ ही इनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार का दूसरी ओर ध्यान गया है। हमारे यहां पहले यह व्यवस्था थी कि सभी को समान रूप से जमीन का अलॉटमेंट किया जाता था। पहले जो अलॉटमेंट होता था तो गरीब भी उसी रेट से लेते थे और अमीर भी उसी रेट से लेते थे पर अब गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था की है कि निम्न श्रेणी के लोगों को चीप रेट पर जमीनें दी जायं और जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो ज्यादा देने की हालत में हैं उनसे उस जमीन की कीमत का ज्यादा रुपया लिया जाय ताकि ज्यादा पैसे की आय हो जिससे वहां का समान रूप से विकास किया जाय। हमारी समाजवादी समाज–व्यवस्था भी यही कहती है कि जिसके पास ज्यादा है उससे ज्यादा लिया जाय और जिसके पास कम है उससे कम लिया जाय, और सब पर समान रूप से खर्च किया जाय जैसे बादल समुद्र से लेते हैं पर डालते सब पर समान रूप से हैं।

श्री चन्दनमल वैद : क्या कल्पना है!

श्री सम्पतराम : बहुत सी गल्तियां भी होती हैं, गवर्नमेंट का उन पर कन्ट्रोल भी एक निश्चित दायरे तक ही होता है। इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो सख्त से सख्त कदम भी उठाये जाते हैं।

प्रश्नोत्तर काल में यह सवाल सरकार के ध्यान में लाया गया कि प्रशासक ज्यादा तादाद में मुकर्रर किये जाते हैं। छोटी सी गल्ती होती है तो सुपरसेशन नहीं किया जाता, वहां के वातावरण को सब बातों को देख कर काम होता है। थोड़ी गल्ती भी होती है तो छोटी गल्ती की वजह से तो सुपरसेशन नहीं किया जाता; बड़ी गल्ती हो तो सारे हालत को देखने के बाद सुपरसेशन किया जाता है। तो गल्तियों के कारण सुपरसेशन करते हैं तो शिकायत की जाती है कि प्रशासक ज्यादा तादाद में मुकर्रर किये जाते हैं और वे गल्तियां करते हैं तो शिकायत की जाती है कि इस इस प्रकार की गल्तियां की जाती हैं। जहां सब हालात को, वातावरण को देखते हुए आवश्यक होता है वहीं सुपरसेशन किया जाता है, कोई छोटी गल्तियों के लिए नहीं किया जाता।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं। मैंने जानकारी की है, पाली म्युनिसिपैलिटी में मोडल स्कीम्स बनाई हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं, पर वहां कोई ज्यादा काम नहीं किया गया हैं। कच्ची बस्तियां बनने की बात थी, उसको किया पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया हो जिससे कि सारा ढांचा वहां का बदल जाय ऐसी बात तो नहीं।

(श्री सम्पतराम)

तो मैं यह मानता हूं कि नगरपालिकाओं की व्यवस्था सरकार कभी अकेली ठीक नहीं कर सकती। ठीक तौर से, स्थाई तौर से माननीय सदस्यों और आम लोगों के सहयोग से ही ठीक व्यवस्था हो सकती है।

(५.०० म० प०)

जहां तक रुपयों-पैसों की मदद का प्रश्न है उसके लिये अलग से उसूल बने हुए हैं। जितना म्युनिसिपैलिटीज को अपने फण्ड से खर्च करने की आवश्यकता होती है दिया जाता है। यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम-बेशी रह सकता है।

इसके अलावा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने वाटरवर्क्स और टाउन हाल के लिये कहा। उसके लिये वह स्कीम फाइनल हो जावेगी।

इसके अलावा अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिये कहा गया। मैं कहूँगा कि भारत वर्ष में सबसे पहली स्कीम है, यह स्कीम दूसरी जगह नहीं है। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा रहा है। आपने जो तथ्य बताये और जो बातें बताई उन पर भी सरकार विचार करेगी। सरकार खुद छोटी इकाइयों की तरफ पहले जाना चाहती है बनिस्बत बड़ी के। सरकार खुद चाहती है कि बड़े-बड़े कस्बों में कुछ काम किया जाना चाहिये।

इसके अलावा सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों पर जोर दिया है। उनके दिल में मेरे प्रति कुछ मोहब्बत भी थी।

श्री चन्दनमल वैद : अब भी है।

श्री सम्पतराम : कुछ नाराजगी भी थी कुछ झुंझलाहट और उत्तेजना भी, उससे तो हमें और सदन को सुनने का अच्छा मौका मिला।

श्री चन्दनमल वैद : आपको कैसे सुनने का मौका मिला, आप तो थे ही नहीं?

श्री सम्पतराम : मैं सुन रहा था।

श्री चन्दनमल वैद : अगर आप उसको सुनने के इच्छुक होते तो आप यहां पधार आते। आपको एफेक्शन नहीं था।

श्री सम्पतराम : हमने इसमें सारी बातों की जानकारी की है। म्युनिसिपैलिटी और कलेक्टर ने उन वार्डों को बनाया। उसमें यह लिखा है कि फला मोहल्ले से फला मोहल्ले तक वार्ड होगा। इसके पहले हमने आदेश दिये थे कि इस तरह से मोहल्ले होंगे उसमें ऑब्जेक्शन्स।

श्री चन्दनमल वैद: मैंने खुद ने ऑब्जेक्शन दिया था with my own signatures.

श्री सम्पतराम : कलेक्टर ने यह लिखा कि राजस्थान राजपत्र में यह प्रकाशित हुआ। वार्ड में कोई कमी नहीं है। अतः....

सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा अभी फर्माया, उन्होंने मुझे एक लैटर लिखा था

श्री चन्दनमल वैद : मैंने एक महीने में ऑब्जेक्शन्स जिस ऑथोरिटी के पास पेश करने थे, किये थे।

श्री सम्पतराम : यह तो मुझे मालूम नहीं। आपने मुझे चिट्ठी लिखी थी। चूंकि हमें वहां के इलेक्शन्स जल्दी कराने थे फिर भी मैंने कलेक्टर से इस सम्बन्ध में पूछा और जिसकी वजह से यह गलतफहमी हो गई। मुझे माननीय सदस्य के साथ सिम्पेथी है, मगर माननीय सदस्य को अगर कानून का ख्याल होता तो जल्दी ऑब्जेक्शन करते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे कहते हैं कि उन्होंने कलेक्टर के पास ऑब्जेक्शन्स मियाद के अन्दर पेश कर दिये थे।

श्री सम्पतराम : कलेक्टर की रिपोर्ट हमारे सामने है। वह....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Are you disbelieving the Hon'ble member ?

श्री सम्पतराम : No, I am not. But he should also not disbelieve me.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are placing more reliance on the Collector than on the Hon'ble member.

श्री सम्पतराम : मैंने माननीय सदस्य के और सदन के सबसे बड़े वक्ता ने जो बातें कहीं उनको मैंने....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : वह एक..

श्री चन्दनमल वैद : Proceedings are there. They can be looked into. मैंने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री सभापति : I am sorry, this is not the time for discussion.

श्री सम्पतराम : अगर माननीय सदस्य नाराज होते हैं तो मैं इसको छोड़ता हूँ। मेरे पास जो रिपोर्ट आई उसका तथ्य मैंने आपको बताया है। जो तथ्य हमारे सामने है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और वही तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारे पास हैं। हमारी जानकारी और उनकी ओपीनियन यह है कि इस तरह का डिस्प्यूट नहीं है। यह सारी की सारी हालत है। उन्होंने मेरे पत्र के जबाब में बताई।

श्री चन्दनमल वैद : क्या वह इलेक्शन हैल्ड हो गया था ? I want to know whether these elections have been held or not ?

श्री सम्पतराम : No. इसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात कही। हमने रतनगढ़ के एस. डी. एम. को बना दिया।

एक माननीय सदस्य : वे तो थे नहीं उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री चन्दनमल वैद : I can only plead......

मैंने तो यह कहा कि हमारे एस. डी. एम. चुरू के लगते हैं। आपने रतनगढ़ को क्यों बना दिया ?

श्री सम्पतराम : अगर यह बात है तो मैं आपसे अपनी गल्ती मानता हूँ। क्षमा मांगता हूँ। मेरा मतलब यह है कि फिर भी सुपीरियर ऑफिसर को लगाया गया। अब आप कहते हैं कि ट्रान्सफर क्यों किया गया ? ट्रान्सफर तो बहुत होते हैं....

श्री चन्दनमल वैद : कमिश्नर के ट्रान्सफर्स इस तरह से कभी नहीं होते हैं ।

श्री सम्पतराम : मैंने कानून के खिलाफ नहीं किया है ।

श्री चन्दनमल वैद : आपके कानून की परिभाषा सदन के कानून की परिभाषा से अलग और खिलाफ है ।

श्री सम्पतराम : मैंने कानून के मुताबिक ही किया है । कानून के खिलाफ नहीं किया । यह सही बात है । मैंने यह कहा कि म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में आपका भी सहयोग मिलना चाहिये और अगर कोई ऐसी बात आवे तो माननीय सदस्य फर्मा सकते हैं । अगर सब का सहयोग मिलेगा तो जिस लेवल पर काम होना चाहिये, हो सकेगा । इसलिये आशा है आप सब का सहयोग मिलेगा ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : यह जो ५० प्रतिशत भारत सरकार की ओर से एड मिलती है उसको लैप्स नहीं करके उसे काम में लेंगे ?

श्री सभापति : No arguments.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन में नगरपालिका के सम्बन्ध में कई प्रकार की चर्चाएं की गई हैं और उसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय की तरफ से कई बातों का नहीं मिला । इससे यह समझा जावे कि या तो वे उसका उत्तर नहीं दे सकते या जान बूझ कर देना नहीं चाहते ? जब इसके लिये जानकारी प्राप्त की जाती है तो अपना रीएक्शन बताते हुए यह कहा जाता है कि इसका प्रश्न पूछा जा सकता है । प्रश्न का समय तो गया । माननीय मन्त्री महोदय ऑर्डर के कारण से बैठ गये, यह उनकी मजबूरी है तो मैं भी समझता हूँ लेकिन जिन बातों के सम्बन्ध में नहीं बताया गया है उनके बारे में भी प्रकाश डालते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री सभापति : This is not the Question Hour. If you want the information, you will give us notice.

श्री चन्दनमल वैद : But, Sir...

श्री सभापति : The Hon'ble Minister has completed his reply and whatever reply is before the House, the House is free to form its opinion. There the matter ends. Another Hon'ble Minister has stood up to reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, पब्लिसिटी....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कहां फंस गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि अनप्लेजेन्ट ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं ।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई, कुछ नाराज़गी भी जाहिर की गई और कई तरह के विश्लेषण और बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में कही गई हैं । जो ऑब्जेक्शन्स किये गये उनमें दो बातें

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मुख्य हैं । एक तो यह है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन में बहुत देर हुई । इसके बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है और इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और दूसरा विज्ञापन के बारे में है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में अभी तक सदन में चर्चा की बात रही है और पी. ए. सी. या ए. जी. या फाइनेन्स की तरफ से ऑब्जेक्शन्स हुए उन सबका तरीका जैसा माननीय सदस्य जानते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिये ऑफिसर की नियुक्ति की और उसके बाद दूसरा कमिश्नर एक्सुअली इन्क्वायरी कर रहा है ।

एक माननीय सदस्य : वे रिटायर हो रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य यह जानते हुए भी कह गये कि पहले ऑफिसर को जानबूझ कर बदल दिया । मगर मैं यह कहूँगा कि यह बात नहीं थी । कलेक्टर थे, उनका ट्रान्सफर हो गया और वे चले गये और अब जो हैं वे उनसे भी ज्यादा ऊंचे आदमी हैं, कमिश्नर हैं । उनके साथ साथ उनके पास में अकाउन्ट्स ऑफिसर स्पेशियली दिया ? एक अकाउन्टेट, २ अकाउन्ट्स क्लर्क, २ एल. डी. सीज़ और एक टाइपिस्ट । जितने ऑब्जेक्शन्स सन् ५१-५२ से लेकर १९६० तक हैं, जिस किसी ने भी पॉइन्ट आउट किये हैं, चाहे पी. ए. सी. ने, चाहे फाइनेन्स डिपार्टमेंट या ए. जी. ने, पॉइन्ट आउट किये हों उनको उसमें रखा गया है और वे उनको एक्टीवली देख रहे हैं । माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि दो महीने के लिए अपॉइन्ट किया । दो महीने के लिए अपॉइन्ट नहीं किया । पहले ऑफिसर के जाने के बाद दूसरे को अपॉइन्ट कर दिया गया । पहले ऑफिसर २५ मई को चले गये....

श्री भैरोंसिंह : नियुक्त कर दिया लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे वे भी आप जरा निवेदन कर दें । दोनों के लेटर में टर्म्स ऑफ अपॉइन्टमेंट में अन्तर है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई अन्तर नहीं है । समान हैं और वे ही हैं । जागीर कमिश्नर की प्रेलीमिनरी रिपोर्ट आई है । ३७९ ऑडिट ऑब्जेक्शन्स थे उनमें से २०७ को देख लिया गया है; अकाउन्ट्स उनके सेटल हो गये हैं ए. जी. से ।

श्री भैरोंसिंह : रेग्युलेराइज़ कर रहे हैं आप ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रेग्युलेराइज़ की बात नहीं है । माननीय सदस्यों के इसको समझने में थोड़ा फर्क पड़ रहा है । रेग्युलेराइज़ करने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्शन्स को हम मान लेते हैं । लेकिन ए.जी. रेग्युलेराइज़ नहीं करता है । पहले ही कहा था कि रेग्युलेराइज़ नहीं किया है । वह क्यों जरूरी है ? डेफिनेट रिपोर्ट है । तो ए. जी. के ऑब्जेक्शन्स की जहां तक बात कर रहा हूँ मैं फिर निवेदन करूंगा कि २०७ को सेटल कर लिया गया है ए. जी. से । कुछ ऑब्जेक्शन्स बाकी हैं उनको कमिश्नर एक्टिवली देख रहे हैं और जहां तक कार्यवाही करने की बात है वह पूरी हो जायगी ।

जहां तक रिकवरी की बात है काफी कर लिया है । स्टोर चेकिंग के लिए भी कहा गया

Page No.127

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

था 3/4th has been done यह माननीय सदस्य का कहना कि बार-बार सदन में कहा गया, पी. ए. सी. ने भी कहा और उसकी रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया गया, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से बराबर ध्यान दिया जाता है । ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसी बात नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चार महीने में काम पूरा हो जायगा और किसी की गलती होगी तो एक्शन लिया जायगा ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु.) : घोटाला हुआ है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है । जैसा मैंने अर्ज किया प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट आई हैं और ३७६ ऑब्जेक्शन्स थे उनमें से २०७ ए. जी. से सेटिल कर लिये गये हैं । १७२ को और देख रहे हैं । यह तो एक प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : ६१ तक कितने हैं ? ७६६ हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य जरा सब्र रखें । यह फाइनेन्स की बात है, माननीय सदस्य यह बात न समझते हों तो थोड़ी तसल्ली रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रेरणा आप से लेते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य अपने आपको ज्यादा होशियार समझते हैं तो दूसरों को भी कमज़ोर न समझें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे भी कमज़ोर नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरों को भी आप कमज़ोर न समझें ।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ मेम्बरों को सुनने की आदत पड़ जाती है, बिना सुने मानते ही नहीं हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मानने का प्रश्न नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ । उनका मेरा सम्बन्ध ऐसा ही है । जबाब देने को चूकता नहीं हूँ । हमेशा जबाब दिया है और देता रहूँगा ।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए आपको चुन कर भेजा है यहां ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्यों से निहायत अदब के साथ यह बात अर्ज करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब बीमार हैं । बीमार नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है और मुझे दिया है । वे वाकई बीमार हैं । मैं पर्सनली जानता हूँ, उनकी तबियत अच्छी नहीं है । परसों उनको टेम्प्रेचर हो गया था । मकान पर भी नहीं हैं और दूसरी जगह अन्डर ट्रीटमेंट हैं । कोई मिनिस्टर....

डॉ० बहादुरसिंह : आपकी बात का विश्वास करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जैसे जवाब देता हूँ वैसा वे जवाब नहीं देते हैं। वे नर्माई के साथ जवाब देते हैं, वे इसलिए सदन में नहीं आये; ऐसी बात नहीं है। वाकई वे बीमार हैं और मैंने यह माननीय सदस्यों को शुरू में ही कह दिया था और उसको बार–बार रिपीट नहीं करना चाहिये।

तो यह मैंने आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। जो परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखी हैं उनसे माननीय सदस्यों को तसल्ली होगी।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर!

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट को रेफर करके सदन को विश्वास दिलाने की चेष्टा की है। प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट को माननीय सदस्य देख लें और माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है उसकी सत्यता को भी देख लें। इसलिए चेयरमैन महोदय उस प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवा दी जाय, यह रूल्स के अनुसार है। आगे जाकर उसमें किसी प्रकार का हेरफेर भी न हो, इसलिए चेयर से मैं यह रूलिंग चाहूँगा कि उस प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट को जिसको माननीय मन्त्रीजी ने रेफर किया है सदन की मेज पर रख देने के लिए मंत्री महोदय को आदेश दें।

श्री सभापति : In the first place, it is not a Point of Order. It is upto the Hon'ble Minister. At the present stage it is not for the Chair to give him any directions. If the Hon'ble Minister so desires...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I would draw your attntion to Rule 288. "If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट मेरे पास इस समय नहीं है। रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फाइनल रिपोर्ट होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : जिसका रेफरेन्स दिया है वह आज नहीं तो कल रख दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूँ।

श्री सभापति : I think the Hon'ble Minister has referred to that Preliminary Report in a general way. He has not quoted from it.

श्री भैरोंसिंह : The same thing.

(व्यवधान)

The same thing.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट का हवाला दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जानकारी प्राप्त हुई उसका दिया है।

Page No.129

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि प्रेलीमिनेरी रिपोर्ट आई है और इतने ऑब्जेक्शन्स थे और इतने सेटल हो गये ए. जी. से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिपार्टमेन्ट का नोट है वह मैंने कोट किया है।

श्री भैरोंसिंह : कोट करना और रेफर करना इसमें अन्तर नहीं है। जिसके लिए मंत्री महोदय कह रहे हैं वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रूल्स के अनुसार रखी जानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट पढ़ कर बताई जाय तो मैं दाखिल कर सकता था। डिपार्टमेन्ट का नोट है....

श्री सभापति : He has certainly referred to it.

श्री भैरोंसिंह : He has quoted it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको आपत्ति क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने उसको पढ़ कर नहीं सुनाया यह आपत्ति है।

श्री भैरोंसिंह : पढ़ा नहीं उसकी चिन्ता नहीं। रेफर किया है। चेयरमैन महोदय, इसकी रूलिंग होनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई पढ़ी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : उसको कोट कर दीजिये। What is the Ruling from the Chair, Sir ?

श्री सभापति : I think from the phraseology used in Rule 288, it is evident that only when the Minister has quoted from any despatch or other State paper, is it necessary for him to lay it on the Table. But if he has only referred to it in a general way and not quoted from it, then I think he is not bound...

श्री भैरोंसिंह : He has quoted certain figures that so many audit objections were there, so many have been disposed of, so many have been sent to the Accountant General, and that they are being considered by the Accountant General.

श्री सभापति : Those figures he could also have managed to give from his memory.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am sure, Sir, that his memory is not so strong. He has quoted from it.

श्री भैरोंसिंह : कल रख दें, परसों रख दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास तो ऑफिस की जानकारी है वह मैं रख रहा हूँ।

श्री सभापति : First let us enquire from the Hon'ble Minister whether he has got a copy of the Report just now with him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No question of that. The copy can be laid on the Table of the House day-after-tomorrow also.

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने फीगर्स कोट की हैं और वे फीगर्स उसी रिपोर्ट में से की हैं जो प्रेलीमिनेरी रिपोर्ट दी है उसमें से इतने केसेज़ डिसपोज़ कर दिये गये, इतने केसेज़ ए०जी०के पास हैं।

श्री सभापति : The question is that under this particular rule, a report can be rquired to me laid on the Table of the House when it has been used for quoting, when any portion thereof has been reproduced in the House. I think he has only referred to it in a general way.

श्री भैरोंसिंह : The figures have been quoted by the Hon'ble Minister. It is part of the preliminary report.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I think there has been a ruling from the Chair and you cannot cha llenge it.

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग अभी तक नहीं हुआ है।

श्री सोहनलाल भटनागर : रूलिंग हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग तो यह हुआ है कि रिपोर्ट टेबल पर रख दें।

श्री सभापति : No, no. You cannot anticipate it.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : You read the proviso to the rule also, "Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest."

श्री सभापति : It is always there. It is for the Hon'ble Minister to claim the exemption under that proviso if he so desires.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह कोई सीक्रेट बात नहीं है। माननीय सदस्यों के वह रिपोर्ट देने से कोई चमत्कार पैदा हो जायगा, यह मैं नहीं मानता। कल लाकर रख दूंगा आप उसे देख लीजिये और तसल्ली कर लीजिये लेकिन यह कह सकता हूँ उसमें आपके फायदे की कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फायदे की हम कोई चिन्ता नहीं करते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट केवल इतनी ही है इतना काम हमने किया इसको देखने पर ही आपको कुछ तसल्ली हो सकती है तो मुझे एतराज नहीं है; लेकिन आपको तसल्ली होने वाली नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तसल्ली तो आपको भी नहीं हुई होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अपोजीशन का काम बदनाम करने का होता है लेकिन इसमें आपको तसल्ली होने वाली नहीं।

श्री भैरोंसिंह : हमें तो होगी या नहीं लेकिन वास्तव में आपको भी तसल्ली हो गई हो, यह मैं नहीं मानता।

Page No.131

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, विज्ञापन की नीति के बारे में भी कहा गया। मैं समझता हूँ विज्ञापन–नीति के बारे में जब कभी भी मामला सदन में उठाया गया उसमें कहा गया कि पोलिटीकल एंगल से देखा जाता है। माननीय सदस्यों ने इसमें जानकारी करने की कोशिश नहीं की। इस मामले में किसी प्रकार का गोलमाल नहीं है। हमने, सभापति महोदय, सदन में भी यह कहा था हमारी सरकार की विज्ञापन–नीति के संबन्ध में। भारत सरकार की जो नीति है उसी विज्ञापन-नीति के आधार पर हम अपनी विज्ञापन-नीति अख्त्यार करेंगे वैसी सूरत में हमारे सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के संचालक को उस नीति का अनुसरण करना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : यह कब तय कर लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट के इस प्रकार के डायरेक्शन्स हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार की बात कही गई है। मैं समझता हूँ यह जो पॉलिसी चली आ रही है वह बिल्कुल ठीक है। यहां पर भी हम भारत सरकार द्वारा जो विज्ञापन के संबन्ध में निर्धारित नीति है उसी पर काम कर रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : भारत सरकार की नीति क्या है, इस संबन्ध में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कोई ऐसी पर्टीक्युलर एक्ज़ाम्पल नहीं बता रहा हूँ। पॉलिसी के मामले में गवर्नमेन्ट का यह निर्णय है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार यहां भी चला जाय।

श्री सभापति : You continue your reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, अब मैं अन्त में डाइरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कुछ माननीय सदस्यों ने उनके साइज के बारे में जिक्र किया और किसी ने उनकी शकल के बारे में जिक्र किया। मैं इन बातों की ओर जाना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जहां तक फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज का सवाल है उसके बारे में तो इन्क्वायरी कर रहे हैं। इसके अलावा उन सब बातों को लेकर डी० पी० आर० को बदनाम किया जाय, मैं समझता हूँ न्याय–संगत नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ और इस बात को जानता हूँ कि फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज हैं और वे किस प्रकार की हैं, उनकी इन्क्वायरी पर क्या होगा, यह बाद में देखा जायगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वर्तमान में जो डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स हैं....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह मामला सब-जुडिस की तरह है। ईन्क्वायरी इस मामले की हो रही है। इन्क्वायरी की स्टेज पर किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देना, इसका मतलब होगा इन्क्वायरी पर उस सर्टिफिकेट का असर डलवाना। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जब कि संचालक के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है वैसी हालत में उनको सर्टिफिकेट न दें, इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

Page No.132

श्री सभापति : He has expressed his opinion.

श्री भैरोंसिंह : No Sir. The Government cannot express its opinion when a Commission is going to enquire into the matter.

श्री सभापति : Can you refer to any particular rule in this connection ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप डिस्टर्ब कर रहे हैं; यह नीति नहीं होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है....

श्री सभापति : Only the consideration of propriety is there.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे जो बात कहनी चहिये वह मैं कह कर रहूंगा, चाहे वह माननीय सदस्य को पसन्द आये या न आये । इस बात को मैं मानता हूं कि फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटी हो सकती हैं; उसके बारे में मैं अपनी कोई राय जाहिर नहीं करता । सन् ५१ से लेकर ६० तक जो भी इर्रेग्युलेरिटीज़ हुई हैं उन सब की जांच हो रही है । लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि मौजूदा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने हमारे इस डिपार्टमेन्ट की शान को बढ़ाया है केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं अन्य देशों में भी ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I don't want to be interrupted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is a point of order. According to rules, you should have a copy of the rules.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I know more than you.

(व्यवधान)

श्री सभापति : Kindly don't address each other directly.

श्री भैरोंसिंह : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के तहत निवेदन यह करना चाहता हूं हमारे इस हाउस में जिस प्रकार की पद्धति रही है उस पद्धति के अनुसार जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है उस इन्क्वायरी को सब-जुडिस की संज्ञा दी जाती है । उस सम्बन्धी मामले पर सरकार की ओर से किसी प्रकार की ओपीनियन एक्सप्रेस नहीं की जानी चाहिये । जहां ओपीनियन एक्सप्रेस करने का सवाल आता है....

श्री सभापति : I am sorry there is no point of order.

श्री भैरोंसिंह : That is coming just now, Sir.

श्री सभापति : The question of sub-judice does not apply. The matter is not before any Tribunl. It is only a departmental enquiry.

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जो हो रही है उसके सम्बन्ध में रूलिंग हो चुकी है। जिस समय इन्क्वायरी हो रही हो उस समय सरकार की ओर से किसी प्रकार की ओपीनियन व्यक्त नहीं की जा सकती। मैं इस बारे में रूलिंग कोट कर सकता हूँ।

श्री सभापति : बताइये वह कौन सी रूलिंग है?

श्री भैरोंसिंह : वह सेक्रेटरी साहब बता देंगे। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि डी. पी. आर. की इस प्रकार की सेवायें हैं जिससे इस विभाग का नाम हिन्दुस्तान में रोशन हुआ है। मैं चाहता हूँ इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन उनकी तरफ से हुआ है उन शब्दों को प्रोसीडिंग में से हटवा दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज़ का सवाल है उनके बारे में वे किसी प्रकार की ओपीनियन जाहिर करना नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने इस विभाग के संचालक के काम की प्रशंसा की है कि इससे राजस्थान का नाम ऊंचा हुआ है। I think the Hon'ble Minister is entitled to express his opinion about any Government Officer and I think he is within his rights in doing so.

श्री भैरोंसिंह : The charges of inefficiency are also being enquired.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There are no such charges under enquiry.

श्री भैरोंसिंह : फिर इन्क्वायरी क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति : Order please? We have to take the Minister's word for it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उस वक्त तो वे बोलने में फ्री थे। पर आज जब गवर्नमेन्ट उनका जवाब देती है तो उसको सुनने की उनकी हिम्मत नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। और मैंने जो बात कही, ठीक कही। कभी कोई बात मैं बेजा नहीं कहता। न किसी गवर्नमेन्ट ऑफिसर को बेजा डिफेन्ड करता हूँ और कोई ऑफिसर गलत बात करता है तो उसके विरुद्ध कहने में भी कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूँ इस अधिकारी ने अपने विभाग की ही नहीं; राजस्थान सरकार की भी देश में ही नहीं दुनियां में भी शान बढ़ाई। मैं मिसाल पेश करता हूँ। अभी दिल्ली में एक वर्ल्ड फेयर हुआ था उसमें राजस्थान के इस विभाग ने इनाम जीता। माननीय सदस्य कहते हैं कोई इनाम मिल गया तो क्या हुआ? मैं पूछता हूँ और प्रान्तों को तो नहीं मिला?

श्री भैरोंसिंह : दूसरे डिपार्टमेन्ट के कारण से इनाम मिला है। इनके कारनामों पर नहीं मिला?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एक अफसर को बदनाम करना है, एक डिपार्टमेन्ट जो अच्छा काम कर रहा है, उसकी बदनामी की बात करना है। मैं इसे सुनने को तैयार नहीं। मैं कहता हूँ वर्ल्ड फेयर में उन्होंने इनाम जीता।

Page No.134

श्री भैरोंसिंह : आप कितना भी कहें....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो आप फिर डिस्टर्ब करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिसकी इन्क्वायरी हो रही है, जिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, उसकी एन्क्वायरी होती है तो उसको डिफेन्ड करने का यही तरीका है। जिस प्रकार के एलिगिशन उस अधिकारी पर हैं जिनकी जांच नहीं हुई, फैसला नहीं हुआ उसके पहले ही इस तरह से तारीफ करना उसको डिफेन्ड करना है, और जांच को ठीक तरह से नहीं चलने देना है।

श्री सभापति : I think the Hon'ble member would not pursue the point. The Hon'ble Minister will also not pursue it. The Hon'ble Minister should conclude his reply.

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के आदमी को डिफेन्ड नहीं करना चाहिये। आप सिर्फ ईमानदार आदमी को डिफेन्ड किया करें। इस प्रकार के बदनाम आदमी को डिफेन्ड आपको नहीं करना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप घबराते क्यों हैं? मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ। दिल्ली में वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर हुआ। उसके मेजमेन्ट बोर्ड ने हिन्दुस्तान में से राजस्थान के डी० पी० आर० के बारे में कहा कि उनका काम सबसे अच्छा है। यह तो राजस्थान सरकार का काम नहीं है कि हमने उनको यह इनाम बख्श दिया हो। पर वे सुन नहीं सकते उनकी तारीफ। उनको उनसे पर्सनल जेलसी है। वे उसको बदनाम करना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस आदमी ने अपने कारनामों से सदन में आपकी और आपकी सरकार की शान बिगाड़ी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके कहने से हम इसको हटाने वाले नहीं हैं। कहते हैं डी. पी. आर. को हटा क्यों नहीं दिया? जो आदमी इतना अच्छा काम करता है, दुनिया में जिसकी वजह से आज और प्रान्तों की नहीं, इस प्रान्त की प्रशंसा हो रही है उसके लिए हमसे कह रहे हैं कि इसको हटा दो। वे इसलिए हटाना चाहते हैं कि इससे पब्लिसिटी का काम ठप्प हो जावे, सरकार कठिनाई में पड़ जावे और बदनाम हो जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी.ए.सी. ने लिखा है, बार-बार लिखा है यह आदमी झूठा है। उस पी. ए. सी. के श्री हरिदेव जोशी हैं चेयरमैन, आपकी पी. सी. सी. के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी खुद।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इस तरह से डिस्टर्ब होना नहीं चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आदमी झूठा है, झूठा है, झूठा है, भ्रष्टाचारी है; यह कहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बेजा बात कोई अगर कहे और दबाना चाहे तो कोई कैसा भी सदस्य हो, हम नहीं दबेंगे। हमेशा उस व्यक्ति को डिफेन्ड करने के लिए तैयार रहेंगे। हम इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको बर्दाश्त है ही कहां, जो आप बर्दाश्त करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके मुकाबले में तो ज्यादा है ।

श्री सभापति : I will advise the Hon'ble Minister not to engage in any controversy.

श्री भैरोंसिंह : चेयरमैन महोदय, पी. ए. सी. के रिमार्क्स के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अकाउन्ट वालों ने लिखा इसके बारे में ओपीनियन एक्सप्रेस नहीं करता ।उसकी तो इन्क्वायरी हो रही है । कमिश्नर की रेंक का आदमी इन्क्वरी कर रहा है। जो उसकी अब तक की रिपोर्ट आई वह आपके सामने रखी । उस पर जो कुछ ऑब्जेक्शन की बात है वह समाप्त हो जानी चाहिये । अब मैं इन शब्दों के साथ नम्रता से निवेदन करूंगा कि अब टाइम काफी हो चुका है, जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वे उन्हें वापिस लेने की कृपा करें ।

श्री सभापति : Shri Poonam Chand. Within 3-4 minutes please, because your time is already up.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मंत्री) : चेयरमैन महोदय, इस बहस के दौरान पंचायत समितियों के बारे में बहुत सी बातें कही गई, अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये । एक खास बात यह कही गई कि इन पंचायतों की और न्याय पंचायतों की भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और इस पर चिन्ता भी व्यक्त की गई कि आगे भी अच्छी नहीं होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस बजट में ३६ लाख रुपये का प्रावधान पंचायतों को अनुदान देने के लिये है जिस में से २१ लाख प्लान साइड में, १५ लाख नॉन प्लान साइड में । यह भी कहा गया कि नई पंचायतों में कागज होल्डर भी नहीं है । मैं निवेदन कर दूं कि ये जो पुनर्गठन के स्वरूप नई पंचायतें बनीं उनको हरेक को १००)रु. ग्रान्ट इन एड के तौर पर काम शुरु करने के लिये दिया गया है न्याय पंचायतों को ५०) रु० दिया गया है और इसके अलावा ४,०००) रु० तक ये २० नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया जावेगा और जिसमें निर्विरोध चुनाव हुए उनमें २५ नये पैसे प्रतिव्यक्ति के हिसाब से और अनुदान दिया गया है ।

अभी अभी ऐसे आदेश और लागू किये हैं जिन के अनुसार ५० एकड़ तक की सिंचाई करने वाले जो तालाब हैं उनकी सिंचाई की आमदनी पंचायत को दी जाय । इसमें सिंघाड़ा या और कोई फसल होती है तो उसकी आमदनी ले सकते हैं । मत्स्य–पालन का ठेका भी नीलाम कर के दे सकते हैं । गोचर भूमि पर टैक्स लगा कर या जो पुराने दरख्त होते हैं उनको देकर आमदनी कर सकते हैं । इसके अलावा भूमि की बिक्री और केटल ब्रीड्स की आमदनी भी ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत की स्थिति इससे ठीक होगी। फिर भी मैं मानता हूं इस वक्त कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है पर सब कुछ होने के बाद अगले साल तक अच्छी स्थिति हो जाने की आशा है । फिर भी मैं नहीं मानता कि आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी हो जायेगी कि जिसे सन्तोषजनक कहा जावे । यह तो जो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

आगे बढ़ना चाहते हैं उनको समस्याओं मुकाबला करना ही है। ये समस्याएं तो उनके सामने बराबर रहेंगी और इस कारण ही आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं; पर विश्वास है इसके बाद सब पंचायतें अच्छी तरह काम कर सकेंगी ।

दूसरी बात यह कही गई कि पंचायतों का सेक्रेटरी कोई नहीं है और है तो अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं है। अच्छे आदमी आगे नहीं आते हैं और हरेक के पास इतना पैसा भी नहीं कि वे अपना अच्छा सेक्रेटरी रख सकें। यह भी कहा गया कि राज्य स्तर पर पंचायत सेक्रेटरी सर्विस का गठन होना चाहिये । इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह जरूरी नहीं कि हरेक पंचायत अलग सेक्रेटरी रखें। तीन चार मिल कर एक रख सकते हैं। इस सेवा का गठन करने का जहां तक सवाल है हमने इसे काफी सोच-विचार के बाद अस्वीकार कर दिया है। इससे हमने सोचा है कि पंचायतों में हस्तक्षेप बढ़ने का डर रहेगा। इसलिये यह उचित निर्णय ले लिया गया है इस बारे में कि ऐसी कोई सर्विस नहीं बढ़ाना ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : We are satisfied with the reply.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके अलावा जो नये कानून के अनुसार म्युनिसिपेलिटी पंचायतों में बदल गई उनके लोन के बारे में कहा गया कि वह माफ कर दिया जाना चाहिये। यह उचित नहीं है क्योंकि जिन्होंने उस कर्जे को लेकर जिस कस्बे में गांव में फायदा उठाया तो यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह रकम वापिस दें और उनके सक्सेसर को चाहिये कि वह इसे अदा करने में अपना हिस्सा बंटावे।

यह भी प्रश्न आया कि बड़ी-बड़ी पंचायतों में या उन पंचायतों में जहां पहले म्युनिसिपल बोर्ड थे सरपंच को अलाउन्स देना चाहिये। मेरे ख्याल से यह बुद्धिमानी की नीति नहीं हो सकती कि एक को चाहे वह फिर छोटी हो या बड़ी हो, अलाउन्स दिया जावे और दूसरी को नहीं। यह उचित भी नहीं होगा। इसलिये यह सुझाव मन्जूर नहीं किया जा सकता।

फिर एक प्रश्न यह भी आया कि हमारे प्रधान पंचायत समितियों के हैं, वे पंचायतों के काम में हस्तक्षेप करते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टर को अधिकार दे दिये हैं, वे इस समस्या के बारे में हल निकाल सकते हैं, आदेश दे सकते हैं....

श्री पी० के० चौधरी : We are satisfied with the reply.

डॉ० बहादुरसिंह : Time is up, Sir.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : काफी है, बहुत कह दिया है आपने।

डॉ० बहादुरसिंह : No serious allegation against your department.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके बाद में चुनाव के बारे में कहा गया। अभी पंचायतों के चुनाव हुए थे उनमें हस्तक्षेप किया गया

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है. अनियमिततायें की गई । मैं निवेदन करूं मानीय सदस्यों से कि हमारे यहां पंचायतों के चुनाव हुए, वे अपनी किस्म के इस देश में पहली बार हुए हैं और इसमें असफल रहे हों, यह बात, मैं समझता हूँ, ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें ७० पर्सेन्ट या ८० परसेन्ट वोट पड़े हैं और कई जगह तो शत प्रतिशत, ९९ प्रतिशत वोट पड़े हैं और १० मतदाताओं के पीछे एक नुमाइन्दा चुन कर भेजा है। हमारे यहां ७,००० पंचायतों के चुनाव हुए। उनमें से २०–३० पंचायतों के चुनावों में शांति भंग होने की आशंका होने से चुनाव स्थगित करने पड़े। इन चीजों को देखते हुए यह नहीं कह सकते कि चुनाव असफल रहे हैं! चुनाव के मामले में किसी की हार हो सकती है, किसी की जीत हो सकती है, इसमें व्यक्तिगत प्रश्न होता है। इसके साथ ही मैं यह भी नहीं कहता कि अनियमिततायें नहीं हो सकती हैं, थोड़ी बहुत हुई भी हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : I believe the Hon'ble Minister has yet a lot to say. So I request the indulgence of the House to extend the time upto 6. P. M.

श्री पी० के० चौधरी : He has completed, Sir.

श्री सभापति : The demand will also require some time.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आखिर मैं सभापति महोदय....

श्री सभापति : Please wind up early.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आखिर में चेयरमैन महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मिनिस्टर की तारीफ करते हुए कि एक आई. सी. एस. से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मिनिस्टर के अपने सेक्रेटरी और नीचे के ऑफिसर्स उतने ही एफीशियेन्ट हैं, जितने कि मिनिस्टर एफीशियेन्ट हैं। इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि यह बहुत दिनों में उनकी समझ में आया। पांच छः साल पहले समझ लेते तो अच्छा होता। हम आशा करते हैं, उन्होंने बात कही है, उसको पूरी तरह समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : जो कट मोशन....

श्री भैरोंसिंह : सीधी डिमान्ड रख दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : If a demand is put to vote, all the cut motions will stand dropped, unless a member specifically requires his cut motion to be voted...

श्री सभापति : So the Hon'ble members are agreeable to this course ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Except my one cut motion, Sir.

Page No.138

श्री भैरोंसिंह : And my one cut motion for D. P. R.

श्री सभापति : I think if they have to be put to vote individually, then all the cut motions will have to be put to vote individually.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : No, Sir, the practice is that if any member presses for his cut motion, then only that motion may be put to vote. It is not necessary to put other cut motions to vote. There is a precedent. In the last session it was done this way.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : हां, यह ठीक है, पिछली दफा हुआ है ।

श्री सभापति : Please let me be informed who is pressing his cut motions.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : My cut motion No. 85.

श्री भैरोंसिंह : My cut motion regarding D. P. R.

श्री सभापति : नम्बर ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप-मंत्री) : What is the number ?

श्री सभापति : Is it 54 or 55 ?

श्री भैरोंसिंह : डी० पी० आर० के मुतालिक जो होगा वह है । वह नाम से रख दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : And my cut motion No. 85.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कट मोशन नं० ५४ श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कट मोशन नं० ८५ जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

डॉ० बहादुरसिंह : अब डिमान्ड रख दीजिये, साहब ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३—मुख्य शीर्षक ५७—विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने

Page No.139

(श्री सभापति)

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २ करोड़ ६४ हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

The House stands adjourned to 11 A. M. on the 27 th.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बज कर ४५ मिनट पर सोमवार दिनांक २७ मार्च, १९६१ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, [redacted], १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

- झालरापाटन ब्लॉक में पॉल्ट्री के विकास हेतु खरीदे गये मुर्गे व मुर्गियां ।
- हाई स्कूल तथा हायर सेकन्ड्री स्कूलों के प्रधानाध्यापकों हेतु प्रस्तुत रिप्रजेन्टेशन्स पर कार्य–वाही ।
- पंचायतों के लेखकों (सचिवों) को प्रशिक्षण ।
- जयपुर निरीक्षणालय (पूर्व व पश्चिम) के अधीनस्थ महिला अध्यापिकायें ।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पाठशालायें ।
- कोटपूतली तहसील में बीमारी से फसल को नुकसान ।
- घट्टी परानियां स्थित बंगाली विस्थापितों में कम्बलों का वितरण ।
- ग्राम जसराना (जोधपुर) की चारण महिला का कत्ल ।

४७३८ सांकड़ पंचायत (सांचोर) को प्रदत्त धनराशि का उपयोग ।

- पाली जिला सहकारी संघ द्वारा सहकारी शिक्षा के प्रचार व प्रसार सम्बन्धी प्रस्तुत योजना पर कार्यवाही ।
- आंग्ल शीघ्र–लिपि की परीक्षा में उत्तीर्ण हिन्दी शीघ्र लिपिकरों को एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देने में विभेदता ।
- पाली जिले में व्यक्तिगत उद्योगों व सहकारी समितियों को प्रदत्त ऋण व अनुदान ।
- पुलिस विभाग द्वारा खरीदे गये सेफ्स ।
- सैंथल (दौसा तहसील) हायर सेकेन्डरी स्कूल ।
- स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् द्वारा बैंगलोर में व्यक्त सिफारिशों को मान्यता ।
- बीकानेर, नोखा, देशनोक, गजनेर, कोलायत, गंगाशहर तथा भीनासर में बस स्टेन्ड्स का निर्माण ।

शासकीय कर्मचारियों के लिये सिरोही में निवास–गृहों की कमी।

पाली विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत सहकारी समितियों के आय–व्यय का अंकेक्षण।

सरकार के अधीनस्थ निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के समानुकूल करना।

गंगानगर जिले में कत्ल, डकैतियों, चोरियों आदि की हुई घटनायें।

प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स का नगरपालिकाओं को हस्तान्तरण।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के रिक्त स्थानों की पूर्ति।

अधिकारियों को कार अलाउन्स।

ग्राम पंचायत आसलपुर (फुलेरा) की ढहानी कन्डेरिया में कुओं के निर्माण हेतु मिली धनराशि का दुरुपयोग।

पाली विकास खंड में लोगों को कुओं के लिये मिले तकावी ऋण द्वारा कुओं का निर्माण नहीं कराया जाना।

आय–व्ययक, १६६१–६२

द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७–विविध ४८२२

उपरोक्त मांग श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप–मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई।

इस मांग पर ७६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सरकार की ओर से श्री सम्पतराम, स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री बद्री–प्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री तथा श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप-मन्त्री ने उत्तर दिया। तत्पश्चात् २ कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा शेष प्रस्ताव सम्बन्धित सदस्यों द्वारा आग्रह न किये जाने के कारण वापस लिये गये समझे गये। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ५ बजकर ४५ मिनट पर सोमवार दिनांक २७ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक २७ मार्च, १९६१

की कार्य–सूची

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न स[illegible]५२१ का उत्तर देखिये)

झालरापाटन विकास खण्ड में पोल्ट्री विकास के खरीदे गये मुर्गा–मुर्गियों की सूची

क्रमांक	वर्ष २	मुर्गा–मुर्गियों की संख्या ३	कहां से खरीदे गये ४	कीमत ५
१	१९५८–५९	८१	गवर्नमेंट पौल्ट्री प्रसार केन्द्र कोटा	१६७) रु०
२	१९५९–६०	५७	गवर्नमेंट पौल्ट्री प्रसार केन्द्र टौंक	१३३) रु०
३	१९५९–६०	१८६	गवर्नमेंट पौल्ट्री प्रसार केन्द्र उदयपुर।	२६२)७५

————

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ का उत्तर देखिये)

सूची

१. मिस कुसुम गुप्ता, माध्यमिक शाला, आमेर से राजकीय माध्यमिक शाला, आदर्शनगर, जयपुर।

२. श्रीमती संगीता रानी, माध्यमिक शाला, मोरीजा से राजकीय माध्यमिक शाला, तोपखाना, जयपुर।

३. श्रीमती गीतादेवी, माध्यमिक शाला, आसलपुर से राजकीय माध्यमिक शाला, आदर्शनगर, जयपुर।

४. मिस करुना देवी, माध्यमिक शाला, मौजमाबाद से राजकीय माध्यमिक शाला, दरीबापान, जयपुर।

५. मिस मधुरिया सक्सेना, माध्यमिक शाला, गोनेड़ा से महारानी कन्या हाई स्कूल, जयपुर।

६. श्रीमती विमला माथुर, माध्यमिक शाला, हरमाड़ा से राजकीय माध्यमिक शाला, गंगापोल, जयपुर।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name of the cultivator	Name of village	Area under MOLIYA.			
1	2	3	4			
1.	Ganpat S/o Lalu	Mohanpura.	1	bigha	Barley.	
2.	Mahadev S/o	,,	1	,,	Barley.	
3.	Parbhati S/o	,,	4	,,	Wheat.	
4.	Sheodev S/o Thadu	,,	½	,,	Wheat.	
5.	Kaliash S/o Sheenath	,,	2	,,	Barley.	
6.	Jagdish S/o Chotia	,,	½	,,	Wheat.	
7.	Ganpat S/o Kishan	Kalyanpura	4½	,,	Barley.	
8.	Seo Nath S/o Seojee	,,	2	,,	Wheat.	
9.	Seo Nath S/o Doonga	,,	1½	,,	Wheat	Barley.
10.	Todia S/o Doonga	,,	2	,,	Wheat	Barley.
11.	Narain S/o Deva	,,	1½	,,	Wheat.	
12.	Chadev S/o Lelhha	,,	1	,,	,,	
13.	Hanuman S/o Phatta	,,	1	,,	,,	Wheat.
14.	Khaniha S/o Tatan	,,	2	,,	,,	,,
15.	Bhai S/o Ratan	,,	1½	,,	,,	,,
16.	Magtu S/o Dewan	,,	3	,,	Barley.	Wheat.
17.	Hukma S/o Mangtu	,,	1½	,,	,,	
18.	Ghathu S/o Rooganath	,,	1	,,	,,	
19.	Shanker S/o Kishana	,,	1½	,,	,,	
20.	Ganpat S/o Roognath	,,	1	,,	,,	
21.	Tulla S/o Hukma	,,	1	,,	,,	Wheat.
22.	Ram Nath S/o Chakha	,,	1	,,	Wheat.	
23.	Jhootu S/o Chakha	,,	½	,,	,,	
24.	Mahadev S/o Chuma	,,	½	,,	,,	
25.	Goap S/o Raghunath	,,	1	,,	,,	
26.	Balla S/o Kama	,,	1½	,,	Barley.	

Page No.146

	2	3			4	
27.	Toda S/o Matri	,,	3	,,	,,	
28.	Chagan S/o Gudha Ram	,,	3	,,	,,	
29.	Ghisya S/o Godha	,,	3	,,	,,	Wheat.
30.	Sadya S/o Narain	Raiheda	1	,,	,,	,,
31.	Bhola S/o Gopal	,,	1	,,	,,	,,
32.	Mula S/o Thakursee	,,	3	,,	,,	
33.	Sultan S/o Gopal	,,	1½	,,	,,	
34.		,,	1	,,	,,	
35.	Bhalu S/o Gopal.	,,	1½	,,	,,	
36.	Bunbal S/o Bhola.	,,	1	,,	,,	
37.	Jainarian S/o Sadhu.	,,	1	,,	,,	
38.	Siclan S/o Ganga Sahai	,,	1	,,	,,	
39.	Gurdhan S/o Sach Das	,,	1	,,	,,	Wheat.
40.	Madho S/o Sach Deo	,,	1	,,	,,	
41.	Hanuman S/o	,,	1	,,	,,	
42.	Narain Ram S/o Ganesh	Kalyanpura	1	,,	,,	
43.	Bhachu S/o Tuka	,,	1	,,	,,	
44.	Girdhari S/o Jagta	,,	2½	,,	Wheat.	
45.	Bishan S/o Jagtu	,,	1	,,	Barely.	
46.	Bhgta S/o Bodu	,,	1	,,	,,	
47.	Prema S/o Gutta	,,	1	,,	,,	
48.	Makkan S/o Sunder	,,	1	,,	,,	
49.	Jhotu S/o Shiju	,,	1	,,	,,	
50.	Nathu S/oJadoo	,,	1	,,	,,	
51.	Ramkishan S/o Nathu	,,	1½	,,	,,	
52.	Sanga S/o Bhoora	,,	1½	,,	,,	
53.	Khalu S/o Gajarhir	,,	1½	,,	,,	
54.	Soorju S/o Jelya	,,	1½	,,	,,	
55.	Soorju S/o Chekha	,,	7	,,	,,	
56.	Mangoo S/o Sooltan	,,	6	,,	,,	Wheat.

Page No.147

1	2	3	4	5	6
57.	Moortu S/o Soondan	,,	1½	,, ,,	
58.	Ghaguna S/o Bhola	,,	1	,, ,,	
59.	Ram Kishan S/o Kalu	,,	1	,, ,,	
60.	Pralad S/o Jagta	,,	1	,, ,,	
61.	Kishana	,,	2	,, Barley	
62.	Jhutta S/o Gada	,,	1	,, Wheat	
63.	Chahra S/o Bhoora	,,	1	,, Balrey	
64.	Perbhatu S/o Chota.	,,	1½	,, ,,	
65.	Veerbal S/o Jamah	,,	3	,, Wheat	
66.	Mojee S/o	,,	1	,, Barley	
67.	Khama S/o Badri	,,	1½	,, ,,	
68.	Bhawani Ram S/o Sheji	,,	1	,, Wheat.	
69.	Nathu S/o Mojee Ram Jat.	,,	4	,, ,,	
70.	Mahadeo S/o Kaliya	,,	2	,, ,,	
71.	Chaju S/o Chuni Ram	,,	1	,, ,,	
72.	Jhawar S/o Khana	,,	7	,, ,,	Barley
73.	Chisa S/o Lachan	,,	3	,, Barley.	Wheat
74.	Sahiv Shai S/oHanuman	,,	11	,, ,,	,,
75.	Kalu S/o Balkishan	,,	1	,, ,,	
76.	Badri S/o Sitaram	,,	1½	,, Wheat.	
77.	Prabhu S/o Dev Singh	,,	3	,, Barley	Wheat
78.	Ghisu S/o Dhul Singh	,,	1	,, Wheat	
79.	Ger Chand S/o Deensaj	,,	½	,, ,,	
80.	Prabhu S/o Sita	,,	2½	,, ,,	
81.	Kishan Swaroop S/o Musaram	,,	2	,, Barley.	
82.	Bhagwan Singh S/o Hari-kishan	,,	2	,, ,,	Wheat.
83.	Dalu S/o Moola	,,	2	,, Wheat.	
84.	Bhagwan Singh S/o Khuba	,,	7	,, Barley.	

1	2	3			4	
85.	Bejraram S/o Joshiram	,,	2	,,	Wheat.	
86.	Chandu Ram S/o Balla	,,	2	,,	Barley.	
87.	Jodha S/o Peraga	,,	2½	,,	Wheat.	
88.	Sheo Dev S/o Della.	,,	2	,,	,,	Barley.
89.	Kailash S/o Shagala	,,	1	,,	,,	
90.	Ladu S/o Tika	,,		,,	,,	
91.	Bodia S/o Harsahai	,,	2½	,,	Barley.	
92.	Ladi S/o Kishan	,,	1	,,	Wheat	
93.	Chotu S/o Sita	,,	1½	,,	Barley.	
94.	Sadu S/o Dalu	,,	5	,,	,,	
95.	Prabhat S/o Sita	,,	2	,,	,,	
96.	Kisha S/o Mussa	,,	1½	,,	,,	
97.	Kushan S/o Saly	,,	1½	,,	,,	
98.	Godha S/o Balu	,,	2	,,	Wheat.	
99.	Goriya S/o Nanga	,,	2	,,	,,	Barley.
100.	Har Sahai S/o Degad	,,	1½	,,	Barley.	
101.	Kana S/o Gopal	,,	3½	,,	Wheat.	Barley.
102.	Bhura S/o Niranjan	,,	1	,,	Barley.	
103.	Malu S/o Ganesh	,,	1	,,	,,	
104.	Suraj S/o Narain	,,	1	,,	,,	
105.	Roshan S/o Tulla	,,	3	,,	,,	
106.	Ghisa S/o Lachu	,,	1	,,	,,	
107.	Sheo Chand S/o Deda	,,	1	,,	,,	

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ का उत्तर देखिये)

सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में सांकड़ा पंचायत को दी गई रकम की सूची

क्रमांक	रकम जो दी गई	कार्य जिसके लिए दी गई	कार्य पूरा हो गया या अधुरा है
१	२	३	४
१	२०००)	स्कूल भवन निर्माण हेतु	कार्य पूरा हो गया है
२	१०००)	,, ,, ,, ,,	,,
३	२०००)	,, ,, ,, ,,	,,
४	१५००)	सांकड़ एप्रोच रोड	,,
५	१०००)	सामुदायिक केन्द्र	,,
६	२७००)	ग्राम सेवक क्वार्टर	,,
७	१०००)	सांकड़ कुआं बनाने हेतु	,,
८	२०००)	,, होज ,, ,,	,,
९	७५०)	,, कुआं मरम्मत के लिए	काम अधूरा है
१०	६००)	सुरावा ग्राम में होज बनाने हेतु	,, ,, ,,
११.	१२००)	सुथारों की ढाणी में कुवा बनाने हेतु।	काम पूरा हो गया है
१२	२०००)	मुतवासन गांव को कुवां बनवाने हेतु।	,, ,, ,,
१३	१०००)	सांकड रतना की ढाणी कुवां बनवाने हेतु।	,, ,, ,,
१४	२०००)	सांकड़ रतना की ढाणी होज बनवाने हेतु	,, ,, ,,
१५	२००	सुरावा स्कूल भवन ,,	,, ,, ,,
१६	२१००)	लाळी वाड स्कूल ,,	,, ,, ,,

१	२	३	४
१७	२०००)	तदर्थ अनुदान	,, ,, ,,
१८	४०००)	लोकल डेवलपमेंट वर्क्स	,, ,, ,,

नोट—क्रम संख्या १७ व १८ पर 'तदर्थ अनुदान' व 'लोकल डेवलपमेंट वर्क्स' के अन्तर्गत दी गई धनराशि किस विकास कार्य के लिए दी गई है, यह सूचना विकास अधिकारी से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३२ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE PARTIES WHO HAVE BEEN ADVANCED LOANS DURING 59-60 IN PALI DISTRICT.

S. No.	Name & Address of the Party.	Nature of Industry.	Amount disbursed.
1	2	3	4
1. M/s	Vishnu Colour Mfg. Co., Pali.	Colour Mfg.	15,000/-
2. „	Giri Charam Regaran Utpadak S. S. Ltd., Giri.	Leather Tanning.	5,000/-
3. Sri	Chelaram S/o Sambalji, Pali.	-do-	600/-
4. „	Pukhraj S/o Kesuram, Pali.	-do-	750/-
5. „	Laxman S/o Kalaji, Pali.	-do-	600/-
6. „	Khivraj S/o Newaji, Pali.	-do-	700/-
7. „	Harjit S/o Poonamji, Pali.	-do-	700/-
8. „	Lachiram S/o Devaji, Pali.	-do-	700/-
9. „	Trilok Chand S/o Motaji, Pali.	-do-	1,000/-
10. „	Molandas S/o Ramnarain, Jetpur.	-do-	900/-
11. „	Poonam Chand S/o Mangniram, Pali.	-do-	1,400/-
12. „	Lachha S/o Amarji, Pali.	-do-	700/-
13. „	Partap S/o Kishanaji, Pali,	-do-	650/-
14. „	Narsingh S/o Annaji, Pali.	-do-	700/-
15. „	Sagram S/o Nathuji, Pali	-do-	700/-
16. „	Somaram S/o Mataji, Bali.	Shoe Making.	1,400/-
17. „	Udai Ram S/o Devaram, Sojat.	Carpentry.	1,500/-
18. „	Parsa S/o Kala, Pali.	Leather Tenning.	500/-
19. „	Ismail S/o Karim, Pali.	Dyeing & Ptg.	5,000/-
20. „	Girdharilal S/o Gulabji, Bali.	Bamboo Ind.	800/-
21. „	Shivram S/o Senaji, Desoori.	Blacksmithy.	700/-

Page No.152

1		2	3	
22.	,,	Tekumal S/o Kundomal, Sojat.	Saw Mill.	7,000/-
23.	,,	Pemaram S/o Poona, Kesadusar.	Leather Tenning.	5,000/-
24.	,,	Gorulal S/o Changanlal, Jetaran.	Stove Ind.	3,000/-
25.	,,	Yusuf S/o Karim, Pali.	Dyeing & Ptg.	1,500/-
			Total Rs.	56,500/-

५०३२]

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३६ का उत्तर देखिये)

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय कौन्सिल की छटी बैठक में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है :—

१–१: पंचायत समितियों ने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना उन्हीं आधारों पर बनाई है जिनके लिए सिफारिश की गई है ।

१–२: पंचायत समितियों को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मिलने वाली संभावित रकम का संकेत दिया गया है ।

१–३: पंचायतें व पंचायत समितियां पहले से ही रसद सेवाओं के वितरण का प्रबन्ध करती हैं ।

१–४: सघन कृषि विकास वाली पंचायत समितियों में कृषि सम्बन्धी जो अधिक कर्मचारीगण लिये जाते हैं वे पंचायत समिति के कर्मचारीगण में ही सम्मिलित हैं ।

२–१: पंचायत समितियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि उनके क्षेत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग के कल्याण के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाय ।

२–२: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आदि के कल्याण के लिए जो धन–राशि होती है वह पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये कार्यक्रम के लिए पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी जाती है ।

२–३: अभी तक आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए ऋण के विशेष नियम नहीं बनाये गये हैं अलबत्ता अनुदान देने में आवश्यक जन–सहयोग की मात्रा अनुसूचित क्षेत्र के विकास खण्डों के लिए निर्धारित दर से आधा कर दी गयी है ।

२–४: पंचायत समितियां अपनी इच्छानुसार आवश्यकता को देखते हुए स्थायी समितियां बना सकती हैं इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि उनको कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए अलग से स्थायी समिति बनाने के लिए बाध्य किया जावे ।

२–६: जहां तक सम्भव होता है ऐच्छिक संस्थाएं पंचायत समितियों के साथ

सहयोग से काम करती हैं और उनको अनुदान भी पंचायत समितियां के द्वारा दिया जाता है।

३–१: ५० एकड़ तक सिंचाई करने योग्य तालाबों को देख–रेख करने की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंप दी गई है।

३–२: पंचायत व पंचायत समिति को काम से जिन लोगों को लाभ पहुँचे उनसे खर्चा वसूल कर निर्माण–कार्य कराने के अधिकार देने का प्रश्न अभी विचाराधीन ही है।

४–१: अनुसूची "ए" में बताये गये कर्त्तव्य मामूली हेर–फेर के साथ विभिन्न निकायों को सौंप दिये गये हैं।

४–२: उद्योग कार्यक्रम के लिए आवश्यकता होने पर पंचायत समिति अलग से स्थायी समिति बना सकती है।

४–३: कृषि–उद्योग विकास की कोई चालक योजना अभी चालू नहीं की गई है।

५–१: अनुसूची "बी" में वर्णित कर्त्तव्य स्थानीय आवश्यकताओं के विचार से मामूली हेर–फेर के साथ विभिन्न निकायों को सौंप दिये गये हैं।

६–१: राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम में प्रत्येक के अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित हैं।

६–२ जिला परिषद् केवल सलाहकार समिति है और कलेक्टर उसका बिना मत देने के अधिकार के सदस्य हैं।

६–३: कलेक्टर पंचायत समिति एवं पंचायतों का निरीक्षण करता है और उनके प्रतिवेदन विभागीय अध्यक्षों व पंचायत समिति को भेजे जाते हैं।

६–४: चुने हुए प्रतिनिधि विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं और कार्यपालिका उनके निर्णयों को कार्यान्वित करती हैं।

६–५: पंचायतों को छोटा कर दिया गया है अब उन गांवों को छोड़कर जिनकी आबादी २००० से भी अधिक है बाकी गांवों में १५०० से २००० की जनसंख्या तक एक पंचायत बनायी गयी है।

४–६: सिफारिशों के अनुसार सुझाव पंचायत समितियों को भेज दिये गये हैं।

६–७: पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के कर्मचारी के चयन के लिए अलग चयन आयोग बनाया गया है। जिला स्तर पर जिला कर्मचारी

वर्ग समिति का निर्माण हुआ है । विकास अधिकारी तथा प्रसार अधिकारी गण राज्य सेवा [illegible] आयोग द्वारा चयन किये जाते हैं । अनुशासन की कार्यवाही पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के कर्मचारियों के विरुद्ध पंचायत समिति एवं जिला परिषद् और जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा की जा सकती है ।

६—८: अयोग्यताओं के मामले की सुनवाई न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है ।

६—६: पंचायत समिति को भंग करने के अधिकार राज्य सरकार को हैं किन्तु इसमें जिला परिषद् से विचार विमर्श किया जाता है ।

७—१:२: पंचायतों के बजट पंचायत समितियों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं । पंचायतों को स्वयं की अपनी आय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

७—३: २५ नये पैसे व्यक्ति के हिसाब से जनसंख्या के ऊपर भू–राजस्व का अंश पंचायत समिति को प्रति वर्ष दिया जाता है । पंचायतों की जनसंख्या पर २० नये पैसे मिलता है ।

७—४: पंचायतों को अपनी स्थायी आय के साधन बनाने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में १॥ करोड़ रु० देने का प्रावधान किया गया है ।

८—१: प्रशिक्षण की पांच संस्थाएं चालू हैं ।

६—१: पंचायत समितियां व जिला परिषद् इच्छानुसार उप समितियां बना सकती हैं ।

६—२: राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला–परिषद् अधिनियम में विशेष हितों के सदस्यों का सहवरण का प्रावधान है ।

६—३: स्थायी समितियों को अधिकार पंचायत समितियों व जिला परिषदों द्वारा दिये जाते हैं और उनकी कार्यवाही का विवरण पंचायत समिति व जिला परिषद् की बैठक में पेश किया जाता है ।

१०—१: पंचायतों के लिए १ वर्ष में २ बार ग्राम सभा की मीटिंग आवश्यक है । इन बैठकों में सभी कार्यक्रमों पर विचार किया जाता है । पंचायतें सहयोगी संस्थाओं के विकास में सहयोग देती हैं ।

१०—२: गैर ऐच्छिक संस्थाएं अपनी स्थानीय शाखाओं को खोलने के लिए प्रोत्साहित की जाती हैं ।

११—१: राज्य विकास समिति में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधि हैं ।

परिशिष्ट

११–२: राज्य में विधान परिषद् नहीं हैं।

१२–१: भूमि सुधार सम्बन्धी शिक्षण का कार्यक्रम प्रसार अधिकारी गण चलाते हैं।

१३–१: विकास–कमिश्नर–अतिरिक्त मुख्य सचिव व योजना सचिव भी हैं जो पंचायत एवं विकास दोनों की शाखाओं के लिए उत्तरदायी हैं। पंचायत व सामुदायिक विकास दोनों ही के लिए एक संयुक्त विकास आयुक्त है।

१३–२: जिला स्तर पर कलेक्टर जिला योजना अधिकारी है जिनको सहायक कलेक्टर द्वारा पंचायत एवम् विकास के काम में सहायता दी जाती है। खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी पंचायतों की देख–रेख के लिए जिम्मेवार है।

१३–३:४: पंचायत प्रसार अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है और पंचायतों की देख रेख के लिए दूसरा विकल्प सोचा जा रहा है।

१३–५: ग्राम सेवक को पंचायत सेक्रेटरी का कार्य नहीं करना पड़ता। पंचायत स्वयं अपना सचिव नियुक्त करती है जिनको राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

१३–६: पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों में हिसाब आदि का कार्य वित्त विभाग के अन्तर्गत निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग को सौंपा गया है? क्षेत्रीय स्तर पर लेखा पाल रखे गये हैं जो पंचायत समितियों में प्रशिक्षण व सहानुभूति–पूर्ण निरीक्षण का कार्य करते हैं।

———————

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३६ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट क

विकास खण्ड पाली

क्र० सं०	नाम सहकारी समिति	ऋण जो अब तक मिला है	क्या आय व्यय की जांच में हिसाब संतोष जनक रहा
१	२	३	४
१	भावरी बसेन्दरीया बहु० स० स०	२८००	जी हां।
		६०००	
२	महादेव बहुधन्धी स० स० टेवाली	१८०००	,,
		७५००	
		११८००	
		१५०००	
३	मन्डली बहुधन्धी स० स०	१६०००	५५—७५ न० पै० की कमी पाई गई जो वसूल कर लिये हैं।
		२४५०	
४	गुडई बहुधन्धी स० स०	१७४५७—३१	जी हां।
५	खैरवा बहुधन्धी स० स०	२४०८२	,,
६	केन्दरा ,, ,,	६७५०	,,
७	माले लाव ,, ,,	५५००	,,
८	मान्डिया को० सोसाइटी	२२७७५	,,
		६५००	
९	खोली ऐरान गंगा चर्म उत्पादक	—	२०८) की गड़बड़ पाई गई जिसकी जांच हो रही है।

१	२	३	४
१०	मानपुरा किरोली ढाणी बहु स० स०	७५.००	८८) की गड़बड़ पाई गई जिसकी जांच हो रही है।
११	वाला को० सोसाइटी	—	जी हां।
१२	पाली काश्तकारान को०	—	,,
१३	पाली डिस्ट्रीक को० मार्केटिंग इन्डस्ट्रीयल सेलसप्लाई सो०	—	,,
१४	पाली टाऊन को० सोसाईटी	—	,,
१५	जैतपुरा ,, ,, ,,	१४५०६–७८ ३२००–०० ६६६०–०० ४०००–००	,,
१६	डेन्डा बहुधन्धी सहकारी समिति	१३८००	,,
१७	नेहरू कोऑपरेटिव सोसाइटी	—	,,
१८	दयालपुरा बहुधन्धी सहकारी समिति	१८००० ८००० ८४००	,,
१९	आसीया किसान बहुधन्धी सहकारी समिति	१०००० ६२००	,,
२०	लाम्बिया बहुधन्धी सहकारी समिति	१२००० ४७०० १००००	,,
२१	हेमावास कोऑपरेटिव सोसाइटी	२४००० २५५००	
२२	पाली बैंक कर्मचारी स० स० लि०	—	,,

१	२	३	४
२३	महादेव घानी तेल उत्पादक स० स० लि०	—	,,
२४	महावीर सहकारी स्टोर लि०	—	,,
२५	इन्द्रानगर सामुहिक कृषि स० स० लि०	१५१३१	ऑडिट अब कराया जायेगा।
२६	नया गांव बहुधन्धी सहकारी समिति	१००००	जी हां।
२७	पाली कमठा मजदूर ठेका स० स० लि०	२०७०–६१	,,
२८	मालेलाव पाटान रैयत ()कृषि स० स० लि०	८००० ५०००	
२९	पाली नगर भूमि हीन ()रैयत स० स० लि०	८००० ५०००	
३०	महालक्ष्मी लेबर कोन्ट्रक्ट को० सो० लि०	७००० ५१२६–६४	
३१	पाली टठेरा पीतल ताम्बा उत्पादक स० स० लि०	—	जी हां।
३२	महिला उत्पादक स० स० लि०	१८००	
३३	आदर्श चर्म उत्पादक स० स० लि० पाली	२०००	जी हां।
३४	लक्ष्मी ग्राम सेवा स० स० खोड	—	
३५	भागेश्वर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	४८८०	
३६	जूनी एन्दला ग्राम सेवा स० स० लि०	३३२४–७६	
३७	गुढा ,, ,,	८२६६–५७	
३८	कुरना ,, ,,	१०४८०	
३९	रामग्राम ,, ,, खेतावास	५३६०	
४०	पाली सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि०	—	
४१	मारवाड रैयत (।) कृषि स० स० लि० भलिलाव	२८००	
४२	सर्वोदय ग्राम सेवा स० स० लि० नयागांव	८०००	

१	२	३	४
४३	सोनाईमाजी ग्राम सेवा स० स० लि०	२८००	
		५५००	
४४	नेहरू रेयत ( )कृषि स० स० लि० भलिलाव	३०००	
४५	बापू ,, ,, ,, ,,	२६००	
४६	नवजवान ,, ,, ,,	३४००	
४७	जगतम्बा ,, ,, ,,	४०००	
४८	चारभुजा ,, ,, ,,	२६००	
४९	भारत भूमिहीन,, ,, ,,	२४००	
५०	पुनायता ग्राम सेवा स० स० लि०	८७२०	जी हां।
५१	गोपाल प्रिन्टिंग ४ सीलसर को० सो० लि०	—	
५२	पवार रेयत ( )कृषि स० स० लि० भागेश्वर	—	
५३	भागेश्वर ,, ,, ,,	४८८०	
५४	पाली मस्ताना दूध उत्पादक स० स० लि०	४०००	जी हां।
५५	प्रताप ग्राम सेवा सहकारी स० लि० टाकुरला	४४८०	
		७०००	
५६	मातेलाव ,, ,, ,, लि०	१६६५	
५७	जगतम्बा बहुधन्धी स० स० जवदीया	८५२६–१५	जी हां।
५८	पाली चर्म उत्पादक स० स० लि०	—	,,
५९	रुपावास ग्राम सेवा स० स० लि०	११९५०	
६०	करनी ,, ,, लि० सोडावास	१३६००	
६१	गुन्दोज ,, ,, लि०	५०००	
		५६८०	
६२	रामदेव चर्म उत्पादक स. स. लि. गुडा ऐन्दला	१०००	
६३	लक्ष्मी ग्रामसेवा स० स० लि० मनिहारी	१५०००	

[redacted]

१	२	३	
६४	खान भवन पथ निर्माण स० स० लि०	५०००	
६५	जलपथ निर्माण स० स० लि०	२०००	
६६	गुडाएणदला को० सो०		
६७	पाली मोचीयान को० सो०	—	जी हां।
६८	पाली स्वीपर ,, ,, ,,	—	,,
६९	गुडा प्रतापसिंह ,, ,, ,,	—	,,
७०	लाम्बिया ,, ,, ,,	—	,,
७१	पाली कोआपरेटिव स्टोर लि०	—	,,
७२	टेवाली उत्पादक स० स० लि०	—	जी हां।
७३	पाली उत्पादक स० स० लि०	—	,,
७४	पाली सेन्ट्रल को० बैंक लि०	—	,,
७५	श्री हरिजन उत्पादक स० स० लि० पाली	—	,,
७६	पाली लोह उद्योग स० स० लि०	—	,,
७७	अम्लिया भेड़ पालक स० स० लि०	—	,,
७८	खैरवा घानी तेल उत्पादक स० स० लि०	—	,,
७९	पाली रंगाई छपाई बन्देज स० स० लि०	—	,,
८०	पाली जिला सहकारी संघ लि०	—	जी हां।
८१	चुरी उद्योग उत्पादक स० स० लि० पाली	—	,,
८२	पालो लेवर आईवरीव प्लास्टीक उत्पादक स० स० लि०	—	
८३	व्यवसाहिक कर्मचारी हाउसींग को० सो० लि० पाली	—	
८४	आदर्श चर्म उत्पादक स० स० लि०	—	
८५	उल्वन भूमि हीन रैयत ( ) कृषि स० स० लि०	—	
८६	वांसनली वस्तु उत्पादक स० स० लि०	—	जी हां।

[redacted]

१	२	३	४
८७	पाली क्रय विक्रय स० स० लि० पाली	—	
८८	राजस्थान खादी ग्रामोद्योग स० संघ लि०	—	
८९	विजय दुध उत्पादक सहकारी समिति लि०	—	
९०	मिट्टीकला कृति उत्पादक सहकारी समिति लि०	—	
९१	सालेसर महादेव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	—	

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ का उत्तर देखिये)

पाली विकास खण्ड में २ अक्टूबर, सन् १६५६ से अब तक नये कूएं खुदवाने व बंधवाने के लिए दी गई तकाबी की सूची

क्रमांक	नाम मय गांव	रकम तकावी जो दी गई
१	२	३
१.	श्री काना बालेलाव	२०० रु०
२.	,, खैजा डैन्डा	२०० ,,
३.	,, राजू ,,	५०० ,,
४.	,, अमीन खां निम्बाड़ा	१००० ,,
५.	,, जहूर खां ,,	७०० ,,
६.	,, नवू खां ,,	१००० ,,
७.	,, अजीम खां ,,	१००० ,,
८.	,, जीवन खां ,,	१००० ,,
६.	,, नेठा ,,	१००० ,,
१०.	,, सालगराम खैरवा	४०० ,,
११.	,, मोहनलाल भानेश्वर	६०० ,,
१२.	,, अमरसिंह मनिहारी	२००० ,,
१३.	,, जोमसिंह मंडली	३०० ,,
१४.	,, चीमनाराम गुड़ाएन्दला	६०० ,,
१५.	,, चतरिया ,,	३०० ,,
१६.	,, कुपला ,,	६०० ,,
१७.	,, इन्चिया ,,	६०० ,,
१८.	,, दुदिया ,,	३०० ,,

१	२	३
१६.	,, हीरा ,,	३०० ,,
२०.	,, पुकिया ,,	५०० ,,
२१.	,, आदिया ,,	४०० ,,
२२.	,, पना ,,	४०० ,,
२३.	,, गैंदीया ,,	५०० ,,
२४.	,, मेरा ,,	३०० ,,
२५.	,, वेनाराम ,,	२०० ,,
२६.	,, नरसाइ ,,	२०० ,,
२७.	,, भगवानदास ओकेडी	३०० ,,
२८.	,, डूंगा कानेलाव	५०० ,,
२६.	,, नेका ,,	४०० ,,
३०.	,, नरसियां ,,	५०० ,,
३१.	,, भीमनसिंह ,,	५०० ,,
३२.	,, पादियां ,,	३०० ,,
३३.	,, दीपसिंह गिरादरा	७५० ,,
३४.	,, गनी पाली	१००० ,,
३५.	,, सीताराम पाली	१००० ,,
३६.	,, मीठालाल गूंदोज	५०० ,,
३७.	,, वैधनाथ पाली	१३५० ,,
३८.	,, गुमनाराम लाम्बियां	७०० ,,
३६.	,, घीसूलाल ,,	७०० ,,
४०.	,, वेनाराम ,,	४०० ,,
४१.	,, देवा कीरोकी ढ़ाणी	७५० ,,
४२.	,, मेरा किसना ,, ,,	७५० ,,
४३.	,, देवा पंडियां	१४०० ,,
४४.	,, चिमना ,,	१००० ,,

१	२		३	
४५.	,,	रूपा ,,	१०००	,,
४६.	,,	कैसिया ,,	१२००	,,
४७.	,,	प्रेमपुरी रूपावास	५००	,,
४८.	,,	डूंगरदान ,,	१०००	,,
४९.	,,	मगाराम खैरवा	२५०	,,
५०.	,,	जेठा वाला	१०००	,,
५१.	,,	हसियां वाला	५००	,,
५२.	,,	खीपला ,,	१४००	,,
५३.	,,	पालियां ,,	५००	,,
५४.	,,	गैना ,,	८००	,,
५५.	,,	चीमनसिंह गिराधरा	५००	,,
५६.	,,	दीपसिंह ,,	७००	,,
५७.	,	होमसिंह पुनायता	८००	,,
५८.	,,	भोंकलसिंह ,,	१३००	,,
५९.	,,	जगनाथसिंह ,,	५००	,,
६०.	,,	पुकिया पड़ीसला	१०००	,,
६१.	,,	विजयसिंह ,,	१४००	,,
६२.	,,	चेना नादड़ी	३००	,,
६३.	,,	रावलियां ,,	२५०	,,
६४.	,,	भूरसिंह ,,	७५०	,,
६५.	,,	अनिया ,,	२००	,,
६६.	,,	जयसिंह मनिहारी	८००	,,
६७.	,,	राजू ,,	२५०	,,
६८.	,,	अमरसिंह ,,	१२००	,,
६९.	,,	राजा वना ,,	५००	,,
७०.	,,	बिरदा कान्परा	१०००	,,

१		२	३	
७१.	,,	सरदारसिंह कान्परा	५००	,,
७२.	,,	हनुमान डैन्डा	६००	,,
७३.	,,	चैला ,,	१२५०	,,
७४.	,,	चुनीलाल ,,	५००	,,
७५.	,,	प्रेमा ,,	१०००	,,
७६.	,,	लालाराम ,,	६००	,,
७७.	,,	लालकंवर कुरना	१०००	,,
७८.	,,	ओंकारलाल ,,	१०००	,,
७९.	,,	उम्मेद आकड़ावास	५००	,,
८०.	,,	हुकमाराम ,,	४००	,,
८१.	,,	सोविया गुडाएन्दला	५००	,,
८२.	,,	जोगा उतवन	२५०	,,
८३.	,,	नेमा दयालुपुरा	८००	,,

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४७४०	शीर्ष	(श्री रामचन्द्र)	(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
४७४२	२१	(श्री मधोपुर)	(श्रीमाधोपुर)
,,	अन्तिम पंक्ति	रिप्रे जेन्शेन्स	रिप्रे ज़ेन्टेशन्स
४७४३	१४	सेकडरारी	सेकण्डरी
४७४४	शीर्ष	(श्री पूनमचन्द)	(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
४७४७	५	एन्टरी	एन्ट्री
४७४८	११	कि सकता है	सकता है कि
४७४९	१०-११	more that that	more than that
४७५३	११	महोने	महीने
४७५४	अन्तिम पंक्ति	अध्यापिकाय	अध्यापिका
४७५६	अन्तिम से ३	सत्रालित	संचालित
४७५७	अन्तिम पंक्ति	जो के खेत	जौ के खेत
४७७७	अन्तिम पंक्ति	व्यक्ति की	व्यक्त की
४७८१	२३	14	4
४७८३	शीर्ष	मांग संख्या ११	तारांकित प्रश्नोत्तर
४७९३	२	Puestion	question
४७९४	१२	मजिस्ट्रेटस	मजिस्ट्रेट्स
४८०१	२१ व २३	सेफस	सेफ्स
४८०४	१२	कॉन्टेन्टस	कॉन्टेन्ट्स
४८०६	२०-२१	Major head	Major Head
४८०७	१८	Corporaiion	Corporation
४८०८	शीर्षक	शीर्पक	शीर्षक
४८१५	१९	मांगा संख्या	मांग संख्या
४८२०	२३	demandis	demand is
४८२८	शीर्षक	मुख्य शीर्षक ५८	मुख्य शीर्षक ५७
,,	१८	दायित्व है एक्शन लेने है का	दायित्व है एक्शन लेने का
४८२९	२७-२८	मिसएप्रोप्रियेशन	मिसएप्रोप्रियेशन
४८३३	शीर्षक	वविध	विविध
४८३४	शीर्षक	शीक	शीर्षक

१	२	३	४
४८३५	२०	स्टेन्ड	स्टेन्डंर्ड
४८३६	२६	मैं	में
४८३६	४	वान्स	वान
४८४२	२०–२१	एडवर्टाइमेन्ट	एडवर्टाइज़मेन्ट
४८४६	शीर्षक	शीष्क	शीर्षक
,,	१६	वार्डस	वार्ड्स
४८५१	२०	उपायध्च	उपाध्यंत्र
४८५३	१५	हे कि	है कि
४८६८	शीर्षक	शीर्पक	शीर्षक
,,	३	मुरलीघर	मुरलीधर
४८७०	२०	हमें दूसरे	हम दूसरे
४८७१	१२	उपाध्यश	श्री उपाध्यक्ष
४८८७	शीर्षक	विविघ	विविध
४८६६	२४	का ऑफिसर	ऑफिसर का
४६०१	शीर्षक	वविध	विविध
४६०५	१२	incursed	incurred
,,	२५–२६	Governments advertise-mentas	Government advertisements
४६२४	शीर्षक	४४२४	४६२४
४६३२	१	चाहे तो ? भी	चाहे तो भी ?
४६३६	६	दस्तख्त	दस्तखत
,,	२०	ऑफिर्स	ऑफिसर्स
४६४४	शीर्षक	शीर्यक	शीर्षक
४६५१	२५	उतकी	उनकी
४६६०	शीर्षक	मुख्य शीर्षक ५६	मुख्य शीर्षक ५७
४६६२	२५	ये पर	पेपर
,,	२६	हैं । जांच	हैं और पूरी जांच
४६६३	१३	रिपोर्टस	रिपोर्ट्स
४६६५	५	एबिलिटीइ	एबिलिटीज़
४६६६	शीर्षक	शीक	शीर्षक
४६७८	६	पॉयला	पाइलॉट
४६६६	८	me laid	be laid
४६६६	१८	इर्रेयुग्लेरिटीज	इर्रेग्युलेरिटीज़

१	२	३	४
५००१	अन्तिम से २	Tribunl	Tribunal
५००४	२६	मेजमेन्ट	मैनेजमेन्ट
५००६–७	शीर्षक	मार्च, ६३	मार्च, ६१
,,	१४	इन्क्वरी	इन्क्वायरी
५०१०–११	शीर्षक	२४ माच	२४ मार्च
५०१७	८	लिपिकरों	लिपिकारों
५०२४	कॉलम ४, पंक्ति १२	1 ,, ,,	1 ,, Barley
,,	कॉलम ४, पंक्ति १६	3 ,, Barley wheat	3 ,, ,, Wheat
५०२६	कॉलम २, पंक्ति १७	Chisa	Ghisa
५०३० व ५०३१	कॉलम ३, पंक्ति १८	Tenning	Tanning

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४८४३	शीर्षक	यिविध	विविध
४८६८	३	श्री मुरलीघर	श्री मुरलीधर
५०१२	२०	श्री सतीशाचन्द	श्री सतीशाचन्द्र
५०४४	शीर्षक	परिशष्ट	परिशिष्ट
शुद्धि पत्र	पृष्ठ २, पंक्ति १३, कॉलम ३	विविघ	विविध